संस्कृति IAS

करेंट अफेयर्स

वर्ष 1 : अंक 2 : जून 2021 : ₹ 100

- चर्चित विषयों पर महत्त्वपूर्ण लेख
- मासिक करेंट अफेयर्स संकलन
- महत्त्वपूर्ण तथ्य : एक नज़र में
- करेंट अफेयर्स आधारित मानचित्र अध्ययन
- उपयोगी अभ्यास-प्रश्न

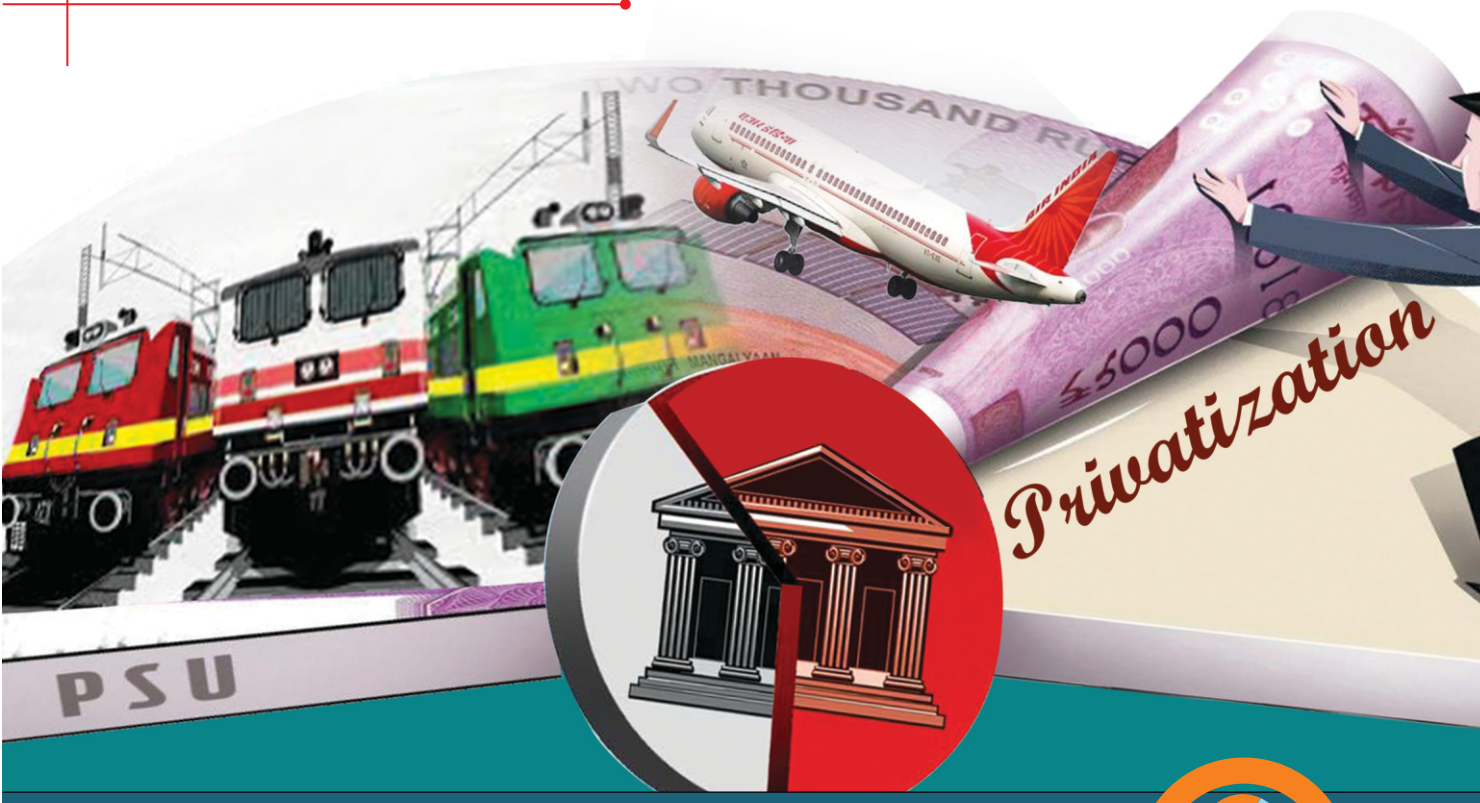

महत्त्वपूर्ण पत्रिकाओं का सार-संग्रह

(योजना, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ, ई.पी.डब्ल्यू.)

अखिल मूर्ति के निर्देशन में
टीम वही, मैगज़ीन नई

VISIT…

संस्कृति IAS
The Complete Administrative Culture

अखिल मूर्ति के निर्देशन में

करेंट अफेयर्स की समग्र तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म पर

करेंट अफेयर्स के साथ-साथ और भी बहुत-कुछ...

फॉलो करें

www.sanskritiias.com

न्यूज़ आर्टिकल

- अंग्रेज़ी के प्रमुख अखबारों (द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, लाइव मिंट) से परीक्षोपयोगी समाचारों का हिंदी में विश्लेषण।
- पीआईबी, पीआरएस तथा अन्य महत्त्वपूर्ण वेबसाइट्स से परीक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण समाचारों का दैनिक विश्लेषण।
- राज्य सभा टीवी (RSTV) के महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों का हिंदी में विश्लेषण।

जिस्ट

करेंट अफेयर्स की महत्त्वपूर्ण पत्रिकाओं (योजना, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ, साइंस रिपोर्टर, ई.पी.डब्ल्यू.) के प्रमुख लेखों का मासिक सार-संग्रह।

कॉन्सेप्ट थ्रू इंफोग्राफिक्स

करेंट अफेयर्स के महत्त्वपूर्ण विषयों का इंफोग्राफिक्स के माध्यम से प्रस्तुतीकरण।

PT Card

प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के किसी विषय पर प्रतिदिन एक PT-Card.

PT Quiz

प्रारंभिक परीक्षा के लिये प्रतिदिन करेंट अफेयर्स आधारित 5 प्रश्न और उनके व्याख्या सहित उत्तर।

मुख्य परीक्षा मॉडल प्रश्नोत्तर

प्रतिदिन मुख्य परीक्षा (सामान्य अध्ययन) के प्रत्येक प्रश्नपत्र से एक प्रश्न तथा उसके उत्तर की मॉडल फ्रेमिंग।

महत्त्वपूर्ण शब्दावली

समसामयिक घटनाओं तथा सामान्य अध्ययन के विषयों से संबंधित चर्चित अवधारणाओं/शब्दों का परिभाषिक अर्थ तथा संबंधित तथ्य

631, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009 | संपर्क करें: 7428085757/58 या मिस्ड-कॉल करें: 9555-124-124

Website: www.sanskritiIAS.com | Follows us on: YouTube

संस्कृति करेंट अफेयर्स

वर्ष 1 | अंक 2 | जून 2021 | ₹100

प्रधान संपादक

अखिल मूर्ति

परामर्शदाता मंडल

श्री अमित कुमार सिंह, श्री ए.के. अरुण, श्री सीबीपी श्रीवास्तव, श्री कुमार गौरव, श्री राजेश मिश्रा, श्री रीतेश आर. जायसवाल, श्री विकास रंजन

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

शिवेश मिश्रा

कार्यकारी संपादक

सुशील नाथ कुमार

संपादन सहयोग

मनोज कुमार, अजेंद्र कुमार सिंह, किरनदीप कौर, रणंजय पांडे, द्विजेंद्र कौशिक, रंजीत झा, कमलेश पांडे, कृष्ण कुमार

लेखन एवं संकलन

अभिषेक शुक्ला, एकता शर्मा, पंकज तिवारी, रश्मि नहाटा, अर्चना द्विवेदी, शिव कुमार चौबे, पुनीत पाल, अभिषेक द्विवेदी, अमित कुमार भारती, अभिजीत यादव, बृजेश कुमार, शुभम ओझा

विज़ुअलाइज़ेशन

मो. साजिद सैफी

टाइपसेटिंग और डिज़ाइनिंग

तनवीर खान, रोशन, सचिन कुमार, जसबीर सिंह, संतोष कुमार झा, पवन कुमार

संपादकीय पत्र व्यवहार

कार्यकारी संपादक,
संस्कृति करेंट अफेयर्स,
संस्कृति पब्लिकेशन्स,
631, भू-तल, डॉ. मुखर्जी नगर,
दिल्ली-110009

विधिक घोषणाएँ

- इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि संपादक या प्रकाशक का दृष्टिकोण भी वही हो। हमारी कोशिश यही रहती है कि विभिन्न विचारधाराओं वाले लेखकों के लेख शामिल करें ताकि पाठकों को किसी विषय पर अलग-अलग दृष्टिकोण मिल सकें।
- इस पत्रिका में प्रकाशित सूचनाएँ, समाचार, ज्ञान एवं तथ्य पूरी तरह से सत्यापित किये गए हैं। फिर भी, यदि कोई जानकारी या तथ्य गलत प्रकाशित हो गया हो तो प्रकाशक, संपादक या मुद्रक उससे किसी व्यक्ति-विशेष या संस्था को पहुँची क्षति के लिये ज़िम्मेदार नहीं है।
- हम विश्वास करते हैं कि इस पत्रिका में छपे लेख लेखकों द्वारा मौलिक रूप से लिखे गए हैं। अगर कॉपीराइट उल्लंघन का कोई मामला सामने आता है तो लेखक को ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा।
- सभी विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायिक क्षेत्र में होगा।
- © कॉपीराइट: संस्कृति पब्लिकेशन्स, सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रकाशन अथवा उपयोग, प्रतिलिपिकरण, ऐसे यंत्र में भंडारण जिससे इसे पुन: प्राप्त किया जा सकता हो या स्थानांतरण, किसी भी रूप में या किसी भी विधि से (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार से) प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता।

पत्रिका की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों व सुझावों के लिये संपर्क (Whatsapp) करें – 8800873762 (सुशील नाथ कुमार)

वितरण व विज्ञापन के लिये संपर्क (Whatsapp) करें- 9811481823 (प्रमोद सिंह कनवाल)

पत्रिका के सब्सक्रिप्शन के लिये संपर्क (Whatsapp) करें- 7428085757 (नरेंद्र प्रताप)

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक अखिल मूर्ति द्वारा
631, भू-तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-09 से प्रकाशित एवं
एम.पी. प्रिंटर्स, बी-220, फेज़-2, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित।

इस अंक में

संपादकीय 6

लेख खंड 7–10

विनिवेश व निजीकरण की नई नीति,

पुरानी पहल को नई धार देने का प्रयास

करेंट अफेयर्स खंड 11–86

प्रश्नपत्र-1 *11–19*

इतिहास, कला एवं संस्कृति 11

भूगोल 14

सामाजिक मुद्दे 16

प्रश्नपत्र-2 *20–56*

राजव्यवस्था एवं शासन 20

अंतर्राष्ट्रीय संबंध 32

सामाजिक न्याय एवं कल्याण 47

स्वास्थ्य, शिक्षा एवं मानव संसाधन संबंधी मुद्दे 53

प्रश्नपत्र-3 *57–80*

आर्थिक घटनाक्रम 57

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 68

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 74

आंतरिक सुरक्षा 79

प्रश्नपत्र-4 *81*

केस स्टडी 81

विविध *83*

मानचित्र अध्ययन 87

मानचित्र-1 (भारत)

महत्त्वपूर्ण पत्रिकाओं का सार 89–112

योजना

हर घर और हर व्यक्ति को जल 89

जल शक्ति अभियान के प्रमुख क्षेत्र 89

जल सुरक्षा 90

जल शक्ति अभियान 91

केंद्रित गतिविधियाँ 91

जल जीवन मिशन 91

जल जीवन मिशन – हर घर जल 92

भूजल प्रबंधन – एक आदर्श बदलाव 94

सुरक्षित, पर्याप्त एवं स्थायी पेयजल 94

आगे बढ़ता स्वच्छता अभियान 95

कुरुक्षेत्र

वारली जनजाति 96

भारतीय लोक कला और संस्कृति का संरक्षण 97

भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत 100

डाउन टू अर्थ

जलवायु परिवर्तन के युग में जल 103

जलवायु से जुड़ी आपदाओं के कारण विस्थापन 103

जलवायु परिवर्तन का नदियों पर प्रभाव 104

बच्चों पर जल संकट का प्रभाव 104

वन्यजीवों की पहचान और संरक्षण 104

जाबो सिंचाई पद्धति और पर्यावरण संरक्षण 105

जलवायु परिवर्तन : करे कोई, भरे कोई 105

फुकुशिमा के बाद परमाणु ऊर्जा 106

इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली

लैंगिक असमानता और परिणाम 107

भारत में छोटे किसानों
के लिये कृषि बाज़ार में सुधार 108

भारत में महिला और बाल विकास का प्रदर्शन 109

सार्वजनिक वितरण प्रणाली 111

महत्त्वपूर्ण तथ्य :
एक नज़र में 113–118

करेंट अफेयर्स आधारित
अभ्यास प्रश्न 119–128

प्रारंभिक परीक्षा आधारित प्रश्न 119

मुख्य परीक्षा आधारित प्रश्न 125

संपादकीय

प्रिय पाठको,

कोविड-19 महामारी ने मानव जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। इसकी दूसरी लहर से भारत सर्वाधिक प्रभावित देश है। इसके चलते न सिर्फ सामान्य जीवन बाधित हुआ है, बल्कि इसने घोर निराशा को भी जन्म दिया है। लगभग डेढ़ वर्ष का समय हो चुका है, समूचा विश्व इस घातक महामारी से जूझ रहा है। किसी ने सच ही कहा है कि मानव जीवन चुनौतियों से भरा है। चुनौतियाँ हमारे जीवन की गति को बाधित करती हैं। बाधित इस अर्थ में कि हमारी सहजता भंग हो जाती है। कभी-कभी किसी व्यक्ति के लिये चुनौतियाँ इतनी जटिल होती हैं कि जीवन में निराशा का माहौल छा जाता है, वहीं कुछ लोग इन प्रतिकूल दशाओं में न सिर्फ आशा की किरण खोज लेते हैं बल्कि अपने व्यक्तित्व को इस तरह निखारते हैं कि कठिनाइयाँ उनके लिये प्रशिक्षण का चरण बन जाती हैं।

बात है वर्ष 1936 की। हंगरी की सेना में एक नौजवान सिपाही था, उसका नाम था, कैरोलीन टकाक्स। वह एक विश्व स्तर का पिस्टल शूटर था और 1940 में होने वाले ओलंपिक खेलों में भाग लेने की तैयारी कर रहा था। 1938 में एक दुर्घटना में उसका दायाँ हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया, वह दायाँ हाथ जिससे वह निशानेबाज़ी करता था। उसके सामने अंधेरा छा गया, लगभग महीने भर सेना के अस्पताल में उसका इलाज चला। वह ठीक तो हो गया लेकिन उसने अपना दायाँ हाथ खो दिया। तरह-तरह की निराशा घेरने लगी, उसे लगा कि जिस सपने के लिये वह जी रहा था, अगर वही पूरा नहीं हुआ तो वह जीकर क्या करेगा? अत: निराशा को छोड़ उसने निशानेबाज़ी पर फिर से फोकस किया, लेकिन सोचना भर काफी नहीं था। पिस्टल शूटिंग एक ऐसा खेल है जिसमें कठिन प्रशिक्षण एवं लंबे अभ्यास के बाद हाथ और आँख का संतुलन बनता है, लेकिन यहाँ तो उसका वह हाथ जा चुका था जिसके साथ उसका स्वाभाविक संतुलन था। अब कैरोलीन के पास अपना सपना पूरा करने के लिये बेस्ट हैंड नहीं था, बल्कि उसके पास ओनली हैंड (Only hand) बचा था। उसने दिन-रात कठिन प्रशिक्षण एवं अभ्यास करके तैयारी की, लेकिन जल्दी ही निशानेबाज़ी की राष्ट्रीय स्पर्द्धा थी। वह भी वहाँ गया, चूँकि निशानेबाज़ी जगत में वह पहले से ही विख्यात था, अत: सभी निशानेबाज उसके पास गए और सहानुभूतिपूर्ण तरीके से उससे मिले और वहाँ आकर उनका मनोबल बढ़ाने के लिये उसे शुक्रिया कहा।

सभी प्रतियोगियों का उसने हँसते हुए अभिवादन किया। प्रतियोगिता शुरू हुई तो प्रतियोगियों ने देखा कि उनमें कैरोलीन भी शामिल था, सभी आश्चर्यचकित रह गए। परिणाम आया तो उस वर्ष राष्ट्रीय निशानेबाज़ी का विजेता था, कैरोलीन टकाक्स। उसके बाद उसने ओलंपिक्स की तैयारी फिर से शुरू कर दी, किंतु द्वितीय विश्वयुद्ध शुरू होने की वहज से ओलंपिक्स रद्द हो गए। इस बार उसे सच में निराशा हुई, क्योंकि इसके लिये उसने अभूतपूर्व मेहनत की थी। लेकिन उसने प्रशिक्षण बंद नहीं किया और अब वह 1944 में होने वाले ओलंपिक्स पर फोकस करके तैयारी करने लगा, चूँकि विश्वयुद्ध समाप्त नहीं हुआ था इसलिये 1944 में भी ओलंपिक्स रद्द हो गए। अब तो उसकी हिम्मत टूटने लगी, लेकिन उसने अंदर ठान लिया था कि ओलंपिक्स में भाग लेकर ही दम लेना है, इसलिये उसने तैयारी बिल्कुल भी नहीं रोकी। अंतत: वर्ष 1948 आया, इस बार लंदन में ओलंपिक गेम्स होने थे। यद्यपि वह तैयारी तो नियमित रूप से कर रहा था, लेकिन निशानेबाज़ी के लिये अब उसकी उम्र काफी हो चुकी थी। 1938 में वह 28 साल का था, अब उसकी उम्र 38 साल हो चुकी थी। इस उम्र में नज़र तथा हाथ का संतुलन बेहतर नहीं रहते, किंतु उसने जज्बे को नहीं छोड़ा। ओलंपिक हुए, कैरोलीन टकाक्स ने उस समय के श्रेष्ठ निशानेबाज और अपने से काफी युवा अर्जेंटीना के कार्लोस एनरिक को हराकर गोल्ड मैडल जीता। वह यहीं नहीं रुका, 42 साल की उम्र में वर्ष 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक्स में उसने फिर से गोल्ड मैडल जीतकर इतिहास रच दिया। इससे पहले ओलंपिक्स में पिस्टल शूटिंग में दो गोल्ड मैडल किसी ने नहीं जीते थे।

इस तरह, चाहे जितनी मुश्किल परिस्थितियाँ आ जाएँ, हमें निराश होकर बैठ नहीं जाना चाहिये। मुश्किलें हमारी छुपी हुई क्षमताओं को बाहर लाकर हमारे व्यक्तित्व को निखारती हैं, इससे हम एक बेहतर इंसान बनते हैं। कोविड-19 एक ऐसी ही कठिनाई है जिससे हम सभी किसी-न-किसी रूप में जूझ रहे हैं। इसके प्रकोप के चलते न सिर्फ पढ़ाई-लिखाई बाधित हुई और आजीविका का संकट उत्पन्न हुआ है, बल्कि लाखों लोग जीवन बचाने के लिये संघर्ष कर रहे हैं। इसकी वजह से निश्चित रूप से घोर निराशा का माहौल है लेकिन हमें न सिर्फ आशा की किरण खोजनी है, बल्कि अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना है। हमें इस मुश्किल वक्त का सामना निराशा में डूबकर नहीं करना है, बल्कि इसे अपनी तैयारी का चरण समझकर ही करना है। नरेश कुमार शाद ने एक बहुत अच्छा शेर लिखा है-

'इतना भी ना-उमीद दिल-ए-कम-नज़र न हो,
मुमकिन नहीं कि शाम-ए-अलम की सहर न हो।'

जिस तरह हर रात के बाद सुबह होती है, बारिश के बाद धूप खिलती है, हर पतझड़ के बाद हरियाली आती है; उसी तरह किसी भी संकट के पश्चात् सुख-शांति भी अवश्य आती है। इसलिये अनावश्यक रूप से तनाव न लें; स्वस्थ रहें, अपना और परिवार का ध्यान रखें। निराशा को छोड़, आशा एवं विश्वास के साथ अपनी तैयारी पर ध्यान दें।

शुभकामनाओं सहित,

AMurti

(अखिल मूर्ति)

विनिवेश व निजीकरण की नई नीति, पुरानी पहल को नई धार देने का प्रयास

चित्रा शर्मा

विनिवेश/रणनीतिक विनिवेश, निजीकरण तथा परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो बजट के बाद सुर्खियों में आ गए। सरकार का तर्क है कि निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिये सरकारी कंपनियों के स्वरूप में बदलाव लाना आवश्यक है, वहीं विरोधी पक्ष द्वारा सरकार पर आरोप लगाया गया कि वह 'फैमली सिलवर' को औने-पौने दाम में बेच रही है, इसका नुकसान पूरी अर्थव्यवस्था को उठाना होगा।

सर्वप्रथम, हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली सरकारी कंपनियो को लेकर किस नीति की घोषणा की? ध्यातव्य है कि विगत वर्ष 'आत्मनिर्भर भारत' योजना के तहत केंद्रीय क्षेत्र की सरकारी कंपनियों (Central Public Sector Enterprises - CPSEs) के लिये नई नीति लाने की बात कही गई थी। उस समय कहा गया था कि रणनीतिक क्षेत्र को छोड़कर शेष सभी क्षेत्रों से जुड़ी सी.पी.एस.ई. का निजीकरण किया जाएगा।

साथ ही, रणनीतिक क्षेत्र में कम-से-कम चार सरकारी कंपनियाँ होंगी, बाकी का निजीकरण किया जाएगा।

सरकारी कंपनियों के लिये नई नीति

कुछ फेरबदल के साथ बजट में इस नीति का ऐलान किया गया। रणनीतिक क्षेत्र के लिये सबसे पहले बदलाव के तहत चार की जगह कम-से-कम संख्या में सरकारी कंपनियों के बने रहे की बात कही गई, यह संख्या एक अथवा दो या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। शेष सरकारी कपनियों को निजी हाथों में सौंपे जाने या फिर दूसरी सरकारी कंपनी के साथ विलय अथवा बंद करने की प्रस्ताव रखा गया। गैर-रणनीतिक क्षेत्र की सरकारी कपनियों के लिये स्पष्ट तौर पर कहा गया कि या तो उनका निजीकरण किया जाएगा, या फिर बंद कर दिया जाएगा।

रणनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत चार समूहों शामिल किया गया:

1. नाभकीय ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा
2. परिवहन व दूरसंचार
3. ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला व अन्य खनिज
4. बैंकिंग, बीमा व अन्य वित्तीय सेवाएँ

इस प्रकार, इन चार समूहों के अलावा बाकी सभी क्षेत्रों में निजीकरण, विलय या बंद करने का रास्ता अपनाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रमुख बंदरगाहों व एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इस नीति से बाहर रखा गया है, जबकि वाणिज्यिक सेवा मुहैया कराने वाले रेलवे और डाक विभाग को भी इस नीति में शामिल नहीं किया गया।

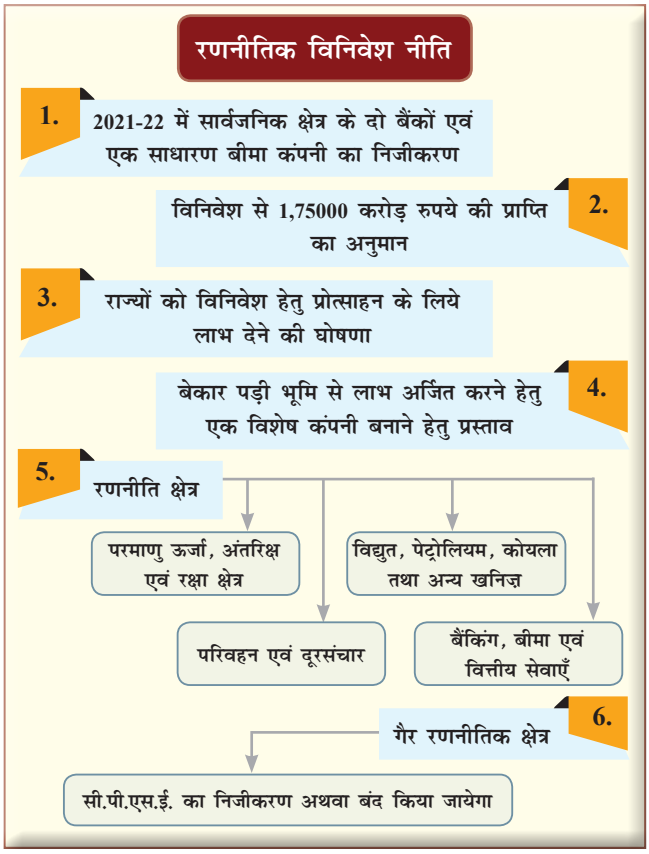
रणनीतिक विनिवेश नीति
1. 2021-22 में सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों एवं एक साधारण बीमा कंपनी का निजीकरण
2. विनिवेश से 1,75000 करोड़ रुपये की प्राप्ति का अनुमान
3. राज्यों को विनिवेश हेतु प्रोत्साहन के लिये लाभ देने की घोषणा
4. बेकार पड़ी भूमि से लाभ अर्जित करने हेतु एक विशेष कंपनी बनाने हेतु प्रस्ताव
5. रणनीति क्षेत्र
परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष एवं रक्षा क्षेत्र
विद्युत, पेट्रोलियम, कोयला तथा अन्य खनिज़
परिवहन एवं दूरसंचार
बैंकिंग, बीमा एवं वित्तीय सेवाएँ
6. गैर रणनीतिक क्षेत्र
सी.पी.एस.ई. का निजीकरण अथवा बंद किया जायेगा

विनिवेश बनाम निजीकरण

किसी भी उपक्रम से निवेश निकालना विनिवेश है। यहाँ प्रश्न उठता है कि कितना निवेश निकाल रहे हैं, पूरा-पूरा, 51 फीसदी से अधिक अथवा 5-10 या 15 फीसदी। वस्तुत: इसी आधार पर विनिवेश के अलग-अलग स्वरूप को परिभाषित किया जाता है। उदहारण के तौर पर, 5-10-15-20 फीसदी शेयर बेच रहे हैं तो उसे 'माइनोरिटी स्टेक सेल' यानी अल्प हिस्सेदारी बिक्री का नाम दिया जाता है। प्राय: हर साल सरकार विभिन्न सरकारी कंपनियों में अलग-अलग मकसद से थोड़ा-थोड़ा शेयर बेचती है। मसलन, कंपनी को शेयर बाजार में लिस्ट कराना (स्टॉक एक्सचेंज के जरिये शेयरों की खरीद-फरोख्त), सेबी के मापदंडों (न्यूनतम सार्वजनिक स्वामित्व, यानी अगर कंपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध है तो एक निश्चित समय-सीमा के अंदर कम-से-कम 25 फीसदी शेयर आम निवेशकों, जिनमें बैंक, वित्तीय संस्थान, विदेशी निवेशक, खुदरा निवेशक शामिल हैं, को बेचा जाना शामिल है) को पूरा करना और अतिरिक्त संसाधन जुटाना।

हालाँकि, इस तरह की बिक्री के बाद भी सरकार की हिस्सेदारी 51 फीसदी या उससे अधिक रहती है। ऐसी बिक्री के लिये कई तरीके हैं, जैसे आई.पी.ओ. (यानी पहली बार शेयर बाजार में कदम रखना), एफ.पी.ओ. (Follow-on public offer) और ओ.एफ.एस. (ऑफर फॉर सेल थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, यानी निलामी व्यवस्था जिसमें बिना ज़्यादा कागजी कार्रवाई के सात दिनों के भीतर बड़ी कंपनियों को शेयर बेचने की सुविधा मिलती है)।

विनिवेश का एक अन्य स्वरूप, रणनीतिक विनिवेश है। इसके तहत 51 फीसदी या अधिकांश शेयर या संपूर्ण हिस्सेदारी और प्रबंधन किसी दूसरी कंपनी को सौंप दिया जाता है। जैसे सरकार भारत पेट्रोलियम, एयर इंडिया तथा शिपिंग कॉरपोरेशन में अपनी संपूर्ण हिस्सेदारी प्रबंधन नियंत्रण के साथ बेचने को तैयार है। कई बार इस प्रक्रिया को निजीकरण भी कहते हैं, किंतु रणनीतिक विनिवेश और निजीकरण में मूलभूत अंतर है।

वस्तुतः रणनीतिक विनिवेश में एक सरकारी कंपनी किसी अन्य सरकारी कंपनी या निजी कंपनी को सौंपी जाती है, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ओ.एन.जी.सी. को सौंपी गई। दूसरी ओर, निजीकरण के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी को केवल निजी कंपनी को ही सौंपा जाता है, जैसे भारत पेट्रोलियम की बिक्री की शर्तों में स्पष्ट उल्लेख है कि खरीद के लिये केवल निजी कंपनियाँ या निजी निवेशक समूह ही बोली लगा सकते हैं। साथ ही, निजीकरण के मामले में या तो पूरी हिस्सेदारी प्रबंधन नियंत्रण के साथ बेची जाती है अथवा ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा प्रबंधन नियंत्रण के साथ। कुछ मामलों में सरकार अपने पास कुछ-कुछ हिस्सा रखती है।

देश में सरकारी कंपनियों की वर्तमान स्थिति

आगे बढ़ने से पहले हम एक नजर केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों व विभाग के तहत कार्य करने वाली सरकारी कंपनियों पर डाल लेते हैं। 31 मार्च, 2019 तक के आँकड़ों के अनुसार केंद्रीय क्षेत्र की सरकारी कंपनियों की संख्या 348 थी। इनमे से 249 चालू हैं, जबकि 86 ने अभी तक काम शुरू नहीं किया है।

इनके अतिरिक्त, 13 उपक्रम बंद होने की स्थिति में हैं। इसके अतिरिक्त, 249 चालू कंपनियों में 178 ने 2018-19 के दौरान लाभ अर्जित किया, जबकि 70 को घाटा हुआ। एक कंपनी ऐसी भी जिसे न तो फायदा हुआ और न ही घाटा।

परिसंपत्ति का मुद्रीकरण (Asset Monetisation)

इसके दो पहलू हैं- पहला, सरकारी कंपनियों के विनिवेश में इस्तेमाल; दूसरा, बुनियादी अवसंरचना क्षेत्र की परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण। सबसे पहले विनिवेश की बात करते हैं। गौरतलब है कि देश में जितनी भी सरकारी कंपनियाँ हैं, उनके पास खासी तादात में जमीन है। इस ज़मीन के कुछ हिस्से पर टाउनशिप बना हुआ है, जबकि कुछ हिस्सा खाली पड़ा है। अतः नई व्यवस्था के तहत परिसंपत्तियों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाएगा- कोर असेट (Core assets) और नॉन-कोर असेट (Non-core assets)। कोर असेट के अंतर्गत कंपनी के प्लांट तथा मशीन वगैरह शामिल होंगे, जबकि नॉन-कोर असेट में जमीन के साथ टाउनशिप, आवासीय परिसर वगैरह रखे जाएँगे।

नई व्यवस्था के तहत रणनीतिक विनिवेश या निजीकरण के पहले सरकारी कंपनियों के नॉन-कोर असेट को बेचा जाएगा। इसके पीछे सोच यह है कि कि अगर इन परिसंपत्तियों को विनिवेश या निजीकरण में शामिल किया जाएगा तो उनकी अच्छी कीमत नहीं मिलेगी। साथ ही, एक संभावना यह भी बनती है कि कीमत मिले ही नहीं। किंतु, पृथक किये जाने से परिसंपत्ति की बिक्री की स्थिति में अच्छी कीमत मिलेगी और विनिवेश से कुल आय भी बढ़ेगी। एक और बात, नॉन-कोर असेट को बेचने से मिली धनराशि का एक हिस्सा कंपनी के खाते में जमा कराया जाएगा। इससे कंपनी अपनी देनदारी चुकता कर सकती है और उसके लिये करदाताओं का पैसा भी नहीं लगेगा।

जिन कंपनियों का विनिवेश नहीं हो रहा है, उनमें से भी कुछ के नॉन-कोर असेट को बेचने पर काम चल रहा है। यहाँ एक बात ध्यान रखना आवश्यक है कि ज़्यादातर सरकारी कंपनियों को राज्य सरकारों ने जमीन पट्टे पर दी है। दूसरी ओर, जमीन के एक हिस्से का अतिक्रमण भी हो रखा है। ऐसे में, नॉन-कोर असेट के तौर पर जमीन को बेचना आसान नहीं है, फिर भी औद्योगिक परियोजनाओं के लिये जमीन बेचने पर काम चल रहा है जिससे पैसा सरकार को मिलेगा।

इसके अतिरिक्त, इन कंपनियों के आवसीय परिसर, दिल्ली-मुंबई जैसे शहरों में गेस्ट हाउस के तौर पर खरीदे गए फ्लैट्स, कलाकृतियाँ और दूसरी परिसंपत्तियो को बेचने से मिली रकम कंपनी के खाते में जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे पहलू, बुनियादी अवसरंचना क्षेत्र की परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण की। बजट की घोषणाओं के मुताबिक, बुनियादी अवसंरचना के क्षेत्र में नए निर्माण की आवश्यकताओं के लिये संसाधन जुटाने का एक उपाय है, बुनियादी अवसरंचना क्षेत्र की परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण।

बुनियादी अवसरंचना क्षेत्र की परिसंपत्तियों में सड़क, हवाई अड्डे, बिजली वगैरह को शामिल किया जाता है। प्रस्तावित व्यवस्था में बुनियादी क्षेत्र की मौजूदा परियोजनाओं के लिये एक 'राष्ट्रीयकरण मुद्रीकरण पाइपलाइन' बनाई जाएगी। साथ ही, सरकार ने देशी-विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिये 'इनविट' (InvIT) जैसे माध्यम को अपनाने का फैसला किया है।

इनविट' यानी 'अवसंरचना निवेश न्यास' (Infrastructure Investment Trusts) एक तरह का निवेश का माध्यम है। यह म्यूचुअल फंड की तर्ज पर कार्य करता है। इस माध्यम में सड़क,

बिजली की लाइन, गैस पाइपलाइन जैसी बुनियादी क्षेत्र की परिसंपत्तियों को शामिल किया जाता है।

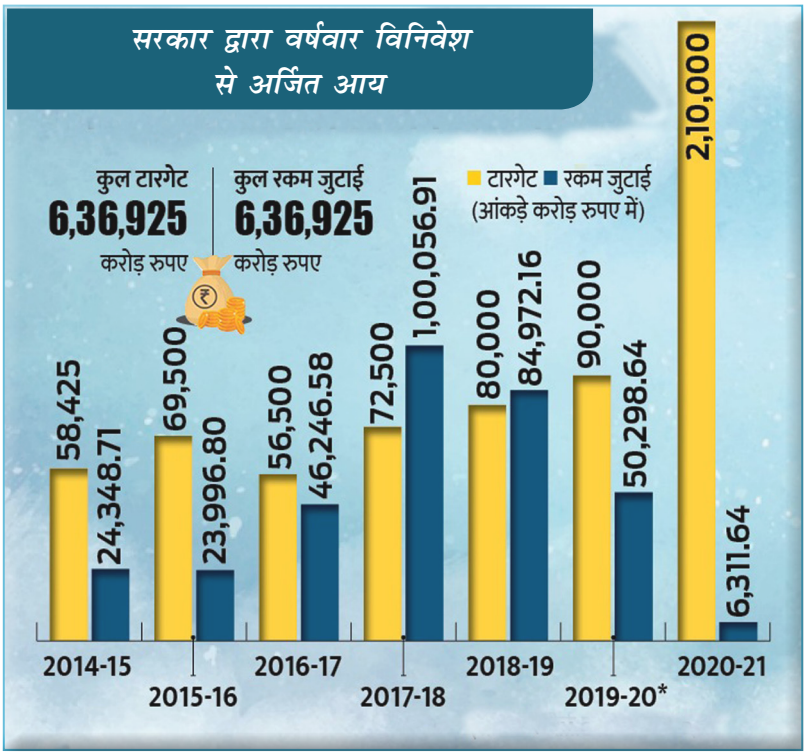

ऐसा देखा जाता है कि बुनियादी क्षेत्र के अंतर्गत जिन परिसंपत्तियों को शामिल किया जाए, उनसे नियमित तौर पर आय का अर्जन हो रहा है और जाहिर तौर पर वे चालू हालात में हैं। ध्यातव्य है कि निवेशक लंबे समय (15-20 वर्ष की समयावधि) के लिये इस माध्यम में पैसा लगाते हैं, जिसका इस्तेमाल परिसंपत्तियों पर होता है। दूसरी ओर, परिसंपत्तियों से जो कमाई होती है, उसका एक हिस्सा निवेशकों के डिविडेंड के तौर पर दिया जाता है।

उल्लेखनीय है कि बुनियादी क्षेत्र की परिसंपत्तियाँ तैयार होने के तुरंत बाद से कमाई नहीं करतीं, जबकि उनके लिये कर्ज चुकाने में कोई छूट नही होती। दरअसल, इनविट के माध्यम से बुनियादी परिसंपत्ति की मालिक कंपनी को पैसा मिलता है, जिसका इस्तेमाल वह शुरुआती तौर पर ऋण चुकाने के लिये करती है, जैसे-जैसे नियमित रूप से पैसा आना शुरु होता है, निवेशकों की कमाई शुरु हो जाती है।

अभी दो इनविट का ऐलान किया गया है। पहला इनविट राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का है, जिसमें करीब 5,000 करोड़ रुपए की 'इंटरप्राइजेज वैल्यू' (इसे सड़क तैयार करने की लागत भी कह सकते हैं) वाली सड़क को शामिल किया जाएगा। दूसरा इनविट पावर ग्रिड का है जिसमें 7,000 करोड़ रुपए की 'इंटरप्राइजेज वैल्यू' वाले ट्रांसमिशन असेट को शामिल किया गया है। इसी तरह, भारतीय रेल भी डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर के लिये इनविट लाएगी।

परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के क्रम में छोटे और मझौले शहरों के हवाई अड्डों का प्रबंधन और परिचालन एक निश्चित समय के लिये निजी हाथों में सौपे जाने की तैयारी है। कुछ इसी तरह की व्यवस्था सरकारी गोदामों और स्टेडियम के लिये भी होगी।

सरकारी बैंक व बीमा कंपनी का निजीकरण तथा एकीकरण

बजट में घोषणा की गई है कि दो सरकारी बैंकों और एक सरकारी बीमा कंपनी का निजीकरण किया जाएगा। हालाँकि, नाम का अभी ऐलान नहीं हुआ है, किंतु वे छह बैंक जिनमें से कुछ का एकीकरण किया गया, उनका निजीकरण नहीं होगा। इन बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, केनरा बैंक और यूनियन बैक शामिल हैं। शेष छः सरकारी बैंक ख्र इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक में से किन्हीं दो को लेकर बात चल रही है। बीमा कंपनी के मामले में फिलहाल कोई नाम नहीं लिया जा सकता है।

अब बात करते हैं एकीकरण की। कई बार लोग एकीकरण और विलय को एक ही मान लेते हैं, जबकि यह सही नहीं है। एकीकरण के तहत दो या दो से अधिक संस्थाओं का विलय करके नई संस्था को उनमें से किसी एक का नाम दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर, पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का विलय किया गया और नए बड़े बैंक का नाम पड़ा पंजाब नेशनल बैंक रखा गया। अब सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि एकीकरण में किसी तरह का पैसों का लेन-देन नहीं होता, बल्कि शेयरधारकों को एक तय अनुपात के मुताबिक शेयर दे दिये जाते है। दूसरे शब्दों में कहें तो एकीकरण से सरकार को कोई आमदनी नहीं होती। दूसरी ओर, विलय में एक बैंक, दूसरे बैंक में हिस्सेदारी के लिये उसके प्रमोटर को पैसा तो देता ही है, साथ ही शेयरधारकों को अनुपात के मुताबिक शेयर भीदेता है। गौर करने की बात है कि बीते कुछ सालों में सरकारी बैंकों की संख्या 27 से घटकर 12 हो गई, लेकिन हर किसी में एकीकरण का रास्ता अपनाया गया।

क्यों है विवाद?

पुनः हम उसी बहस की ओर आते हैं। दरअसल, पूरी जानकारी न होने की वजह से कई बार बहस तर्क से भटक जाती है। इसमे कोई शक

नहीं है कि मुख्य रूप से लोककल्याण के आधार मंत्र के साथ बनी केंद्र की सरकारी कंपनियों को जब कभी भी निजी हाथो में सौंपे जाने की बात आएगी, तो उस पर विवाद छिड़ेगा ही, क्योंकि हमेशा लगता है कि यह पूरी तरह से गलत है। लेकिन क्या वाकई गलत है? इसके विभिन्न पहलुओं को समझने से पहले हम विनिवेश नीति के इतिहास पर नजर डाल लेते हैं।

विनिवेश नीति

24 जुलाई, 1991 को जारी औद्योगिक नीति में कहा गया कि संसाधन जुटाने और सरकारी कंपनियों में आम लोगों की भागीदारी बढ़ाए जाने के उद्देश्य से सरकार की हिस्सेदारी का एक हिस्सा म्युचूअल फंड, वित्तीय संस्थाओं, आम लोगों और कामगारों को बेचा जाएगा।

विनिवेश नीति की पृष्ठभूमि

- 1991-92 बजट में कुछ सरकारी कंपनियों के 20 प्रतिशत अंश बेचने की घोषणा
- 1993 में रंगराजन समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र की आरक्षित कंपनियों में 49 प्रतिशत अंश बेचने की सिफारिश
- 23 अगस्त, 1996 : विनिवेश आयोग का गठन
- 1898-99 : सर्वप्रथम रणनीतिक विनिवेश के संकेत
- मारुति : प्रथम सरकारी कंपनी जिसका निजीकरण किया गया

इस नीति के तहत 30 सरकारी कंपनियों का कुछ हिस्सा वित्तीय संस्थाओं को भी बेचा जाएगा। धीरे-धीरे निवेशकों को सूची बढ़ती गई और उनमें छोटे निवेशकों के अलावा विदेशी निवेशकें को भी शामिल किया गया। 1991-92 के आम बजट को पेश करते वक्त तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने चुनिंदा सरकारी कंपनियों में 20 फीसदी तक अंश बेचने का ऐलान किया था।

अप्रैल 1993 में रंगराजन समिति ने सिफारिश की कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिये आरक्षित कंपनियों में 49 फीसदी तक हिस्सेदारी बेची जानी चाहिये, जबकि बाकी में 74 फीसदी। ध्यान रहे कि जुलाई 1991 में जारी नीति के तहत, रक्षा, नाभकीय ऊर्जा, कोयला, खनिज तेल, लौह अयस्क, मैगनीज अयस्क, सोना व हीरे के अलावा ताँबा तथा जिंक वगैरह के खनन और रेलवे को सार्वजनिक क्षेत्र में रखे जाने की बात कही गई।

वस्तुत: विनिवेश के मामले में अगला अहम पड़ाव विनिवेश आयोग का था, जिसका गठन 23 अगस्त, 1996 को हुआ। इसने 58 सरकारी कंपनियों के लिये अपनी सिफारिश की थी, जिनमें से 25 में रणनीतिक विनिवेश की बात कही गई। 1998-99 के बजट भाषण में पहली बार रणनीतिक विनिवेश के संकेत दिये गए, जब सरकारी कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी 26 फीसदी तक घटाए जाने की बात कही गई। 1999-2000 के बजट में विनिवेश का व्यापक खाका पेश किया गया, जिसके तहत रणनीतिक बिक्री से लेकर थोड़ी-थोड़ी हिस्सेदारी बेचे जाने का प्रस्ताव रखा गया।

बजट पेश होने के बाद 16 मार्च, 1999 को सरकार ने कई सरकारी कंपनियों को रणनीतिक और गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में बाँटे जाने की बात कही। रक्षा, नाभकीय ऊर्जा और रेल परिवहन को सार्वजनिक क्षेत्र मे रखा गया, जबकि शेष को गैर-रणनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत। साथ ही, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि गैर-रणनीतिक सार्वजनिक उपक्रमों में 26 फीसदी तक हिस्सेदारी लाए जाने का प्रस्ताव मामला-दर-मामला आधार पर तय होगा।

इस प्रकार, विनिवेश संबंधी मामलों को देखने के लिये पहली बार विनिवेश विभाग का गठन किया गया।

वैसे तो तकनीकी तौर पर मारुति उद्योग पहली सरकारी कंपनी थी जिसका निजीकरण किया गया। 1992 के बाद से यह सरकारी कंपनी नहीं रही, जब जापान की सुजुकी को हिस्सेदारी बढ़ाने की सुविधा मिली। किंतु, तकनीकी तौर पर मॉर्डन फूड रणनीतिक विनिवेश वाली पहली सरकारी कंपनी बनी जिसकी 74 फीसदी हिस्सेदारी सरकार ने हिंदुस्तान लीवर को बेची। इसके बाद बाल्को, हिंदुस्तान जिंक, विदेश संचार निगम लिमिटेड समेत 12 कंपनियों और आईटीडीसी के 17 होटल निजी निवेशको को बेचे गए। इसके पश्चात् आई.बी.पी. में भी रणनीतिक विनिवेश हुआ, लेकिन इस सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल ने खरीदी।

कुल मिलाकर, आज विनिवेश और निजीकरण को लेकर जो बातें की जा रही हैं, उनकी नींव करीब तीन दशक पहले ही रखी जा चुकी थी। यही नहीं, रणनीतिक और गैर-रणनीतिक उपक्रमों को लेकर नीति पहले ही बन चुकी है। आज की नीति, कल की नीति का ही नया स्वरूप है। एक बात और, जिन सरकारी कंपनियों और आई.टी.डी.सी. के होटलों का निजीकरण हुआ, वे सभी आज काफी बेहतर स्थिति में है।

अब प्रश्न उठता है कि क्या निजी क्षेत्र ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रबंधन करना जानता है? जिन कंपनियों का विनिवश किया गया है, उनकी वर्तमान स्थिति तो इस बात को मज़बूती ही देती है। फिर भी यह समझना जरूरी है कि सरकारी कंपनियों का गठन मुनाफा कमाने और बाज़ार की आवश्यकताओं के अनुरूप बदलाव करने के लिये नहीं हुआ, बल्कि मुख्य रूप से सार्वजनिक कल्याण के लिये हुआ था। अब ऐसे में कई मामलों में उन्हे समझौता करना पड़ता है जिसका असर उनके व्यावसायिक स्वरूप पर पड़ता है।

अत: उम्मीद की जानी चाहिये कि अब विनिवेश व निजीकरण पर बहस को नई दिशा मिलेगी।

❐❐❐

करेंट अफेयर्स खंड

प्रश्नपत्र –1

इतिहास, कला एवं संस्कृति 11
- मिस्र में गोल्डन सिटी की खोज 12
- तोमर राजवंश की विरासत और दिल्ली 13

भूगोल 14
- भारत और ऑस्ट्रेलिया के मानसून पैटर्न में प्राचीन समरूपता 14
- जल का इष्टतम उपयोग 15

सामाजिक मुद्दे 16
- धीमी जनसंख्या वृद्धि दर से उत्पन्न चुनौतियाँ 16
- अवैतनिक कार्य प्रबंधन 17
- ब्रू शरणार्थी समस्या एवं समाधान 18

प्रश्नपत्र –2

राजव्यवस्था एवं शासन 20
- उपासना स्थल अधिनियम की तार्किकता 20
- कार्य स्थितियों के संबंध में विशेषज्ञ समिति 21
- पितृसत्तात्मक व्यवस्था को मज़बूत बनाता 'गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधान) विधेयक, 2020' 22
- एन.सी.टी. (संशोधन) अधिनियम : संबंधित पहलू 23
- अनुच्छेद 244(क) की प्रासंगिकता का मुद्दा 24
- लोक अदालत : त्वरित न्याय बनाम गुणवत्तापूर्ण न्याय 25
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम और निजी गैर-अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान 26
- अध्यादेश जारी करने का अधिकार और परंपरा 28
- न्यायालयों पर बढ़ता दोहरा दबाव 29
- पुलिस प्रमुख की चयन प्रक्रिया तथा पुलिस सुधार 30

अंतर्राष्ट्रीय संबंध 32
- हिंद महासागर में गश्त और भारत-अमेरिका विवाद 32
- भारत-बांग्लादेश संबंध और भारतीय चुनाव 33
- अफगान-तालिबान वार्ता और भारत 34
- इस्तांबुल अभिसमय एवं महिला अधिकार 35
- भारत-पाकिस्तान व्यापार : चुनौतियाँ और संभावनाएँ 36
- भारत-रूस संबंधों का पुनर्परीक्षण समय की माँग 37
- भारत के संबंध में पाकिस्तान की अस्पष्ट व्यापार-नीति 38
- शरणार्थी संकट और भारत 39
- बिम्सटेक के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता 40
- भारत-ताइवान संबंध 42
- दक्षिण एशिया में विद्युत व्यापार से संबंधित भू-राजनीति 42
- भारत-पाकिस्तान और दक्षिण एशिया 44
- अफगानिस्तान में गहराता संकट 45
- भारत-चीन संबंधों में नई शुरुआत की आवश्यकता 45

सामाजिक न्याय एवं कल्याण 47
- विकलांगता और सर्वोच्च न्यायालय 47
- राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति, 2021: सामाजिक क्षेत्र में... 48
- नस्लीय भेदभाव : संबंधित चिंताएँ तथा निवारण 49
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर में बाल अधिकार संरक्षण 51

स्वास्थ्य, शिक्षा एवं मानव संसाधन संबंधी मुद्दे 53
- स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के प्रयास 53
- कोविड-19 महामारी और शिक्षा संबंधी चुनौतियाँ 54
- श्रमिकों के लिये अनिवार्य कौशल प्रमाणीकरण 55

प्रश्नपत्र –3

आर्थिक घटनाक्रम 57
- समग्र विकास हेतु आवश्यक है नीतिगत सुधार 57
- ई-सांता पोर्टल 58
- AT - 1 बॉण्ड 59
- पेट्रोल की बढ़ती कीमतें और जी.एस.टी. 60
- 'शफरी' जलकृषि उत्पाद प्रमाणन योजना 60
- स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश के अवसर 61
- कृषि कल्याण और स्वस्थ आहार : एक-दूसरे के पूरक 62
- ज़िलेवार निर्यात प्रोत्साहन हेतु केंद्रीय योजना 64
- बढ़ती आय असमानता : आवश्यक उपाय 65
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिये प्री-पैक... 66

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 68
- नेट ज़ीरो उत्सर्जन : विकासशील देशों के प्रति अन्याय 68
- गहराता जल संकट 69
- भारत और हरित हाइड्रोजन 71
- कार्बन तटस्थता का लक्ष्य और भारत 72

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 74
- भारत के समक्ष उभरता हीलियम संकट 74
- रहस्यमयी ब्लैक होल और गुरुत्वीय तरंगें 75
- गामा किरण उत्सर्जक आकाश गंगा की खोज 77
- इलेक्ट्रॉनिक नाक का विकास 78

आंतरिक सुरक्षा 79
- छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला : चुनौतियाँ और भविष्य की राह 79

प्रश्नपत्र –4

केस स्टडी 81

विविध

- खेल घटनाक्रम 83
- महत्त्वपूर्ण पुस्तकें 84
- प्रमुख आयोजन 84
- महत्त्वपूर्ण दिवस 85
- प्रमुख पुरस्कार 86

1 इतिहास, कला एवं संस्कृति

मिस्र में गोल्डन सिटी की खोज

संदर्भ

हाल ही में मिस्र के पुरातत्त्वविदों ने नील नदी के पश्चिमी तट पर 3000 वर्ष प्राचीन एक नगर की खोज की गई। इसे 'स्वर्ण नगरी' (Golden City) कहा गया है।

प्रमुख बिंदु

- इस प्राचीन नगर की खोज मिस्र के दक्षिणी राज्य 'लग्जर' (Luxor) में की गई है। पुरातत्त्वविदों के अनुसार, इस नगर का नाम 'एटन' है। इस शहर पर '18वें राजवंश' के राजा 'एमेनोटेप-III' (Amenhotep-III), उनके पोते 'तूतनखामेन' और उसके पश्चात् राजा 'अय' ने शासन किया था। कुछ इतिहासकार इस नगर की तुलना प्राचीन इटली के 'पोम्पेई नगर' से भी कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि विगत दिनों में इटली के प्राचीन शहर पोम्पेई में एक रथ की खोज भी हुई थी।

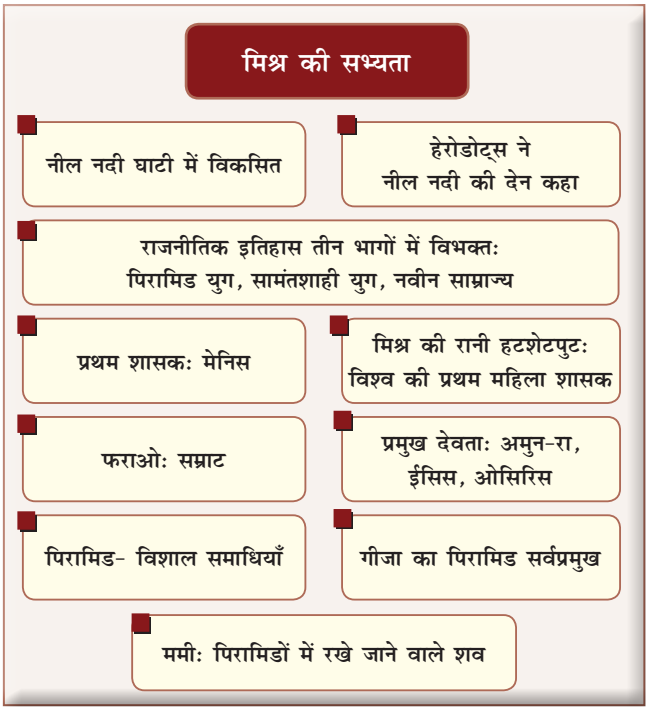
मिश्र की सभ्यता
नील नदी घाटी में विकसित
हेरोडोट्स ने नील नदी की देन कहा
राजनीतिक इतिहास तीन भागों में विभक्त: पिरामिड युग, सामंतशाही युग, नवीन साम्राज्य
प्रथम शासक: मेनिस
मिश्र की रानी हटशेटपुट: विश्व की प्रथम महिला शासक
फराओ: सम्राट
प्रमुख देवता: अमुन-रा, ईसिस, ओसिरिस
पिरामिड- विशाल समाधियाँ
गीजा का पिरामिड सर्वप्रमुख
ममी: पिरामिडों में रखे जाने वाले शव

- यहाँ से भोजन संग्रहण के लिये ओवन (Oven), मिट्टी के अलंकृत पात्र, बेकरी व एक बड़ा रसोईघर मिला है। इसके अतिरिक्त, गृह सुरक्षा के दृष्टिकोण से कंटीली तारों से युक्त दीवार, अंगूठियों जैसे विभिन्न आभूषण, रंगीन बर्तन, ताबीज इत्यादि भी प्राप्त हुए हैं। साथ ही एमेनोटेप-III की मोहर लगी मिट्टी की ईंटें, शराब की बोतलों के मिट्टी के ढक्कन जैसी सामग्रियाँ भी यहाँ से मिली हैं। शहर के उत्तरी हिस्से में प्रशासनिक और आवासीय स्थल मिलने की संभावना है।
- इस प्राचीन शहर के खंडहरों में बाँहें फैलाए एक व्यक्ति का कंकाल मिला है, जिसके घुटनों पर रस्सी लिपटी हुई है। इसके अलावा, शहर के दूसरे हिस्से से एक बड़ा कब्रिस्तान भी मिला है।

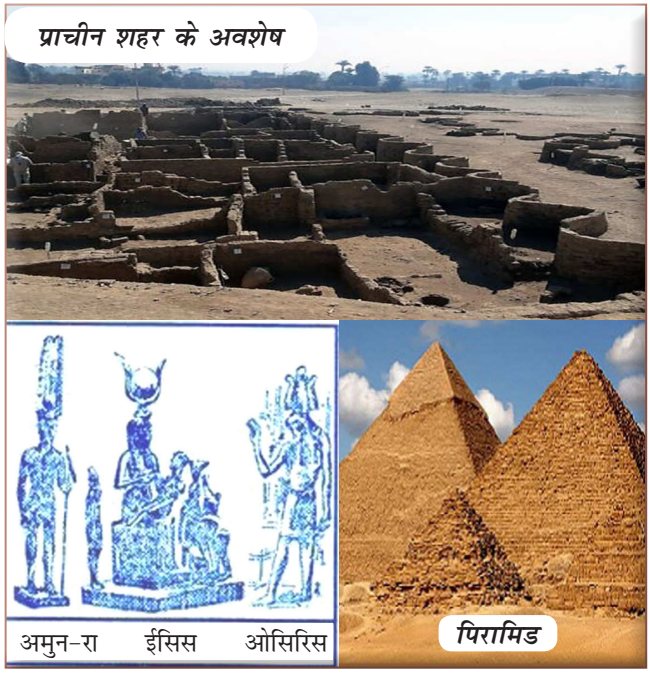

महत्त्व

- नील नदी के पश्चिमी तट पर अवस्थित इस शहर 'एटन' के निकट से 'द कॉलोनी ऑफ मेमन' (एमेनोटेप-III की दो विशाल खंडित प्रस्तर मूर्तियाँ), मेदिनीत हाबू और राजा रामसेस द्वितीय के स्मारक मंदिर भी मिले हैं। ये सभी मिस्र के लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं। ऐसे में, इस नई खोज से मिस्र में पर्यटन क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि हो सकती है।
- इसे लगभग 100 वर्ष पूर्व खोजे गए बादशाह तूतनखामेन (Tutankhamun) के मकबरे के बाद सबसे महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक खोज माना जा रहा है। विदित है कि उक्त मकबरे की खोज वर्ष 1922 में 'राजाओं की घाटी' में की गई थी।

- एमेनोटेप-III को मिस्र के सबसे शक्तिशाली 'फैरोह' में से एक माना जाता है। वस्तुत: 'फैरोह' प्राचीन मिस्र में राजा या प्रभावशाली व्यक्ति होते थे। कुछ विद्वानों का मत है कि इस शहर का उपयोग तूतनखामेन और उनके उत्तराधिकारियों द्वारा किया जाता था और उनका शासनकाल 'प्राचीन मिस्र का स्वर्ण युग' कहा जाता था। यहाँ से प्राप्त स्रोतों के आधार पर कहा जा सकता है कि यह शहर अत्यंत समृद्ध रहा होगा।
- यहाँ से काँच (Glass) व चीनी मिट्टी के चमकीले पात्रों के निर्माण के लिये बड़ी संख्या में ओवन और भट्ठियाँ प्राप्त हुई हैं। इस शहर से मिली अन्य चमकीली वस्तुओं (Faience) में बारीक चमकीले सिरेमिक मोती, विभिन्न आकृतियाँ तथा अन्य छोटी वस्तुएँ शामिल हैं। इसके अलावा, यहाँ से कुछ औद्योगिक उपकरण जैसे- कताई-बुनाई वाले औजार भी प्राप्त हुये हैं। ये सभी साक्ष्य इस बात के सूचक हैं कि यहाँ औद्योगिक गतिविधियाँ भी पर्याप्त मात्रा में संचालित होती थीं।

तोमर राजवंश की विरासत और दिल्ली

संदर्भ

- हाल ही में, सरकार द्वारा 11वीं सदी के तोमर शासक, अनंगपाल द्वितीय की विरासत को लोकप्रिय बनाने के लिए बृजभूषण सिंह की अध्यक्षता में 'महाराजा अनंगपाल द्वितीय मेमोरियल कमेटी' का गठन किया गया। इसका उद्देश्य, अनंगपाल द्वितीय को दिल्ली के संस्थापक के रूप में स्थापित करना है।
- इसके प्रस्तावों में दिल्ली हवाई अड्डे पर अनंगपाल द्वितीय की एक मूर्ति और दिल्ली में उनकी विरासत को समर्पित एक संग्रहालय का निर्माण करना शामिल है। साथ ही, लाल कोट को एक ए. एस. आई. - संरक्षित स्मारक बनाने का भी प्रस्ताव है।
- उल्लेखनीय है कि संस्कृति मंत्रालय के तहत कार्यरत संस्था राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने इतिहासकारों, शिक्षाविदों और पुरातत्वविदों के कार्यों के माध्यम से लोगों को सही इतिहास बताने की ज़िम्मेदारी उठाई है।

अनंगपाल तोमर द्वितीय

- अनंगपाल द्वितीय, तोमर वंश के प्रसिद्ध शासक थे। इन्हें अनंगपाल तोमर के रूप में में भी जाना जाता है।
- अनंगपाल तोमर द्वितीय ने 11वीं सदी में ढिल्लिका पुरी (Dhillikapuri) की स्थापना कर इसे अपनी राजधानी बनाया। जिसे आगे चलकर दिल्ली के रूप में जाना गया।
- इनके शासनकाल में लालकोट दुर्ग और अनंगताल बावली का निर्माण कराया गया था। बाद में पृथ्वीराज चौहान ने लाल कोट का विस्तार करते हुए राय पिथौरा के नाम से प्रसिद्ध एक विशाल किला बनाया। 3.6 किलोमीटर की परिधि में निर्मित लाल कोट-रायपिथौरा को दिल्ली के प्रथम ऐतिहासिक शहर के रूप में जाना जाता है।
- अनंगपाल तोमर द्वितीय के पश्चात् उनका पोता पृथ्वीराज चौहान दिल्ली का शासक बना। 1192 ई. में तराइन (वर्तमान हरियाणा) के द्वितीय युद्ध में गोरी की सेना द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई।

तोमर राजवंश

- तोमर वंश की स्थापना 8वीं सदी में अनंगपाल प्रथम द्वारा की गई, इसकी आरंभिक राजधानी अनंगपुर थी। 8वीं से 12वीं सदी के मध्य वर्तमान दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्रों पर इस राजवंश का शासन था।
- तोमर राजवंश के बारे में विभिन्न शिलालेखों और सिक्कों से पता चलता है, चारण परंपरा (Bardic Tradition) के अनुसार, यह वंश 36 राजपूत वर्गों में से एक था। इस वंश की प्राचीनता महाभारत के पांडवों से जोड़ी जाती है।
- कुतुब मीनार के निकट स्थित मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम के लौह स्तंभ पर दिल्ली के आरंभिक इतिहास के बारे में साक्ष्य प्राप्त होते हैं।
- तोमर और उनके दिल्ली संबंधों का उल्लेख कुछ आधुनिक साहित्य में भी मिलता है। प्रख्यात मध्यकालीन इतिहासकार प्रोफेसर के. ए. निजामी की उर्दू किताब 'ईद-ए-वस्ता की दिल्ली (Ehd-e-Wusta ki Dilli)', जिसका अंग्रेज़ी में 'ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में दिल्ली' के रूप में अनुवाद किया गया है में दिल्ली के औपचारिक रूप से 11वीं सदी में शहर के रूप में उभरने का उल्लेख मिलता है, इस समय तोमर राजपूतों का अरावली क्षेत्र पर अधिकार था।
- हालाँकि बाद में दिल्ली निर्णायक रूप से चौहान साम्राज्य का एक हिस्सा बन गई किंतु प्राचीन सिक्कों के अध्ययन एवं साहित्यिक साक्ष्यों से यह पता चलता है कि तोंगपाल और मदनपाल जैसे राजाओं ने संभवत: 1192-93 ई. के दौरान मुस्लिमों द्वारा दिल्ली पर अंतिम विजय प्राप्त करने तक सामंतों के रूप में शासन जारी रखा।

अनंगपाल तोमर व उनके द्वारा निर्मित किला लालकोट

❐❐❐

2 भूगोल

भारत और ऑस्ट्रेलिया के मानसून पैटर्न में प्राचीन समरूपता

संदर्भ

हाल ही में, वैज्ञानिकों को भारत के 4 अलग-अलग स्थानों से 'पत्तियों के जीवाश्म' (Leaf Fossils) प्राप्त हुए हैं। इनका अध्ययन यह दर्शाता है कि 25 मिलियन वर्ष पूर्व भारतीय मानसून की दशा ऑस्ट्रेलियाई मानसून की वर्तमान दशा के समकक्ष थी।

भारत का भौगोलिक इतिहास

- लगभग 180 मिलियन वर्ष पूर्व भारत गोंडवाना सुपरकॉन्टिनेंट से अलग हुआ और उत्तर दिशा की तरफ खिसकने लगा। इस दीर्घावधि के दौरान लगभग 9000 किलोमीटर की लंबी यात्रा करने के पश्चात् यह यूरेशिया से जुड़ गया।
- वैज्ञानिकों के मतानुसार भारत एकमात्र ऐसा उपमहाद्वीप था, जिसने अपनी यात्रा के दौरान भूमध्य रेखा को पार कर दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश किया था। इसलिये जैव-भू परिवर्तनों (Biogeo Changes) तथा फ्लोरा व फौना संबंधी परिवर्तनों का अध्ययन करने और उन्हें समझने के लिये भारत एक उत्कृष्ट प्रयोगशाला है।

जीवाश्म : प्राप्ति स्थल व अध्ययन

भारत में पत्तियों के जीवाश्म निम्नलिखित 4 स्थलों से प्राप्त हुए हैं–

- दक्कन का ज्वालामुखीय क्षेत्र
- मेघालय की पूर्वी गारो पहाड़ियाँ
- राजस्थान के गुढ़ा में स्थित लिग्नाइट कोयले की खानें
- असम का माकुम कोल-क्षेत्र (Coalfield)

- इन चारों स्थलों से प्राप्त पत्तियों के जीवाश्मों का अध्ययन करने से वैज्ञानिकों को 65, 57, 54 तथा 25 मिलियन वर्ष पूर्व की जलवायवीय दशा को समझने में मदद मिल सकती है।
- वैज्ञानिकों ने इन पत्ती-जीवाश्मों की स्वरूपात्मक विशेषताओं, जैसे– शीर्ष (Apex), आधार (Base) तथा आकृति (Shape) का अध्ययन किया और पाया कि जीवाश्म रूपी ये पत्तियाँ पारिस्थितिक रूप से भारत की वर्तमान मानसूनी जलवायु के अनुकूल नहीं हैं, किंतु ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान मानसूनी जलवायु के अनुकूल हैं।
- जब इन जीवाश्मों की तापमान संबंधी विशेषताओं का अध्ययन किया तो पाया कि प्रत्येक जीवाश्म-प्राप्ति स्थल उस काल में गर्म जलवायु क्षेत्र (उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र) में उपस्थित था तथा इनका तामपान 16.3 से 21.3°C के मध्य था।
- इसके अलावा, वर्षण संबंधी अध्ययन दर्शाता है कि इन क्षेत्रों में 191.6 से 232 से.मी. के मध्य अत्यधिक वर्षा होती थी।

अध्ययन का महत्त्व

- यह अध्ययन दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया में उपस्थित जैव-विविधता तप्तस्थलों (Biodiversity Hotspots) के विकासक्रम को समझने में भी सहायता प्रदान करेगा। परिणामस्वरूप, वर्तमान जैवविविधता तप्तस्थलों को अधिक प्रभावी ढंग से संरक्षित किया जा सकेगा।
- इसके माध्यम से भारतीय मानसून के उद्भव संबंधी इतिहास को जानने में सहायता मिलेगी।
- सबसे बढ़कर, यह अध्ययन भारतीय मानसून का इतिहास समझने के पश्चात् जलवायु प्रतिरूपण (Climate Modelling) में भी सहायता प्रदान करेगा। इसकी सहायता से मानसून की सटीक भविष्यवाणी की जा सकेगी।
- मानसून संबंधी भविष्यवाणी भारत को न सिर्फ प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ की विभीषिका से बचाएगी, बल्कि इससे होने वाले जान-माल के नुकसान को भी कम करेगी।
- इन तमाम प्रयासों के चलते भारत मानसून के कारण प्रतिवर्ष होने वाली आर्थिक क्षति से बच पाएगा तथा आर्थिक विकास की गति में भी तेज़ी आएगी।

भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक

- गर्मी के समय में तिब्बत के पठार पर तीव्र निम्न वायुदाब का विकास।
- दक्षिणी हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व में स्थायी रूप से उच्च-वायुदाब की उपस्थिति।

- स्थलीय व जलीय भाग का विभिन्न ऊष्मन (Differential Heating)।
- 'अंत: ऊष्ण अभिसरण क्षेत्र' (ITCZ) का उत्तर की ओर स्थानांतरित होना।
- हिमालय पर्वतमाला की उपस्थिति।
- उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम का बनाना।
- उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम का विकास, इत्यादि।

जल का इष्टतम उपयोग

संदर्भ

22 मार्च को विश्व जल दिवस के अवसर पर जल के अधिकतम एवं गुणवत्तापूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये प्रधानमंत्री ने सरकार के एक प्रमुख कार्यक्रम 'कैच द रेन' अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान को एक निश्चित दिशा और विस्तार प्रदान करने के लिये इसे 'मनरेगा' से जोड़ने का भी प्रस्ताव किया।

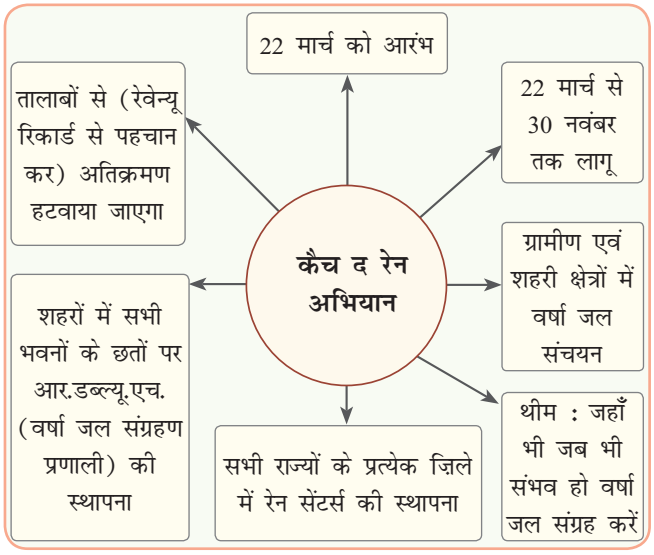
22 मार्च को आरंभ
तालाबों से (रेवेन्यू रिकार्ड से पहचान कर) अतिक्रमण हटवाया जाएगा
22 मार्च से 30 नवंबर तक लागू
कैच द रेन अभियान
ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन
शहरों में सभी भवनों के छतों पर आर.डब्ल्यू.एच. (वर्षा जल संग्रहण प्रणाली) की स्थापना
थीम : जहाँ भी जब भी संभव हो वर्षा जल संग्रह करें
सभी राज्यों के प्रत्येक ज़िले में रेन सेंटर्स की स्थापना

अभियान के पीछे के प्रमुख कारक

- वर्ष 2019 की केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, भारत को लगभग 3,880 बिलियन क्यूबिक मीटर (बी.सी.एम.) औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है, जिसमें से केवल 18% का ही उपयोग हो पाता है। शेष जल वाष्पीकरण या अन्य कारणों से बर्बाद हो जाता है। एक अनुमान के अनुसार, भारत में जल की माँग वर्ष 2025 तक 843 बी.सी.एम. और वर्ष 2050 तक 1180 बी.सी.एम. रहने की संभावना है।
- ध्यातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य-6 'सभी के लिये स्वच्छ जल और स्वच्छता' से संबंधित है। इसको वर्ष 2030 तक प्राप्त किया जाना है, किंतु वर्ष 2019 तक भारत इस लक्ष्य का केवल 56.6% ही प्राप्त कर सका है।
- नीति आयोग के समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (2019) के अनुसार, भारत के 75% घरों में उनके परिसर में पीने के स्वच्छ पानी तक पहुँच नहीं है। साथ ही, भारत जल गुणवत्ता सूचकांक में 122 देशों की सूची में 120वें स्थान पर है।

जल से जुड़े कुछ प्रमुख मुद्दे

- भारत में तीन-चौथाई से भी अधिक अर्थात लगभग 78% ताज़े जल का उपयोग कृषि क्षेत्र में ही हो जाता है। चूँकि भारत का संक्रमण विकासशील से विकसित देश में हो रहा है, अत: स्वभाविक रूप से यहाँ पेयजल, उद्योग व अन्य उपयोगों में पानी की हिस्सेदारी बढ़ने की संभावना है। अत: 'प्रति बूँद, अधिक फसल' जैसी प्रक्रियाओं को अपनाना आवश्यक हो गया है।
- इसके अतिरिक्त, वर्तमान प्रतिमानों में बदलाव करते हुए भूमि की उत्पादकता (टन प्रति हेक्टेयर) के साथ ही सिंचाई से उत्पादकता (किलोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर) को भी बढ़ाने की आवश्यकता है।
- सिंचाई क्षेत्र में अनेक प्रयासों और परियोजनाओं के बावजूद देश का केवल आधा हिस्सा ही सिंचित है, जिसमें भू-जल का योगदान लगभग 64%, नहरों का 23% व अन्य स्रोतों का 11% है।
- भू-जल के दोहन से देश के कुछ भाग, विशेषकर उत्तर-पश्चिम भाग (हरित क्रांति वाले क्षेत्र) उच्चतम जल जोखिम वाले हॉट-स्पॉट बनते जा रहे हैं। नाबार्ड के अनुसार, देश में दो फसलों, यथा– चावल और गन्ना में ही लगभग 60% पानी का उपयोग हो जाता है।
- तमिलनाडु और हरियाणा में धान की फसल के लिये तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में गन्ने की फसल के लिये 'ड्रिप सिंचाई' को पायलट परियोजना के तौर पर चलाया गया है, जिसके बेहतर परिणाम प्राप्त हुए हैं। पारंपरिक सिंचाई में जहाँ 1 किलोग्राम धान के लिये लगभग 3,065 लीटर जल लगता था, वहीं 'ड्रिप सिंचाई' में यह घटकर सिर्फ 842 लीटर रह जाता है। कर्नाटक में गन्ने के मामले में ड्रिप सिंचाई का लाभ लागत अनुपात 2.64 है।
- उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार ने विश्व बैंक के साथ मिलकर 'पानी बचाओ, पैसे कमाओ' नामक एक पहल प्रायोगिक तौर पर शुरू की है। इसके अंतर्गत किसानों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले जल पंपों में मीटर लगाये जाते हैं और यदि वे तुलनात्मक रूप से पानी या बिजली की बचत करते हैं तो उनको भुगतान किया जाता है।

निष्कर्ष

अंतत: यह कहा जा सकता है कि वर्तमान में पानी, बिजली उर्वरक आदि के मूल्य में रियायत देने के स्थान पर प्रत्यक्ष आय समर्थन, नई प्रोद्यौगिकी और नवाचार से संबंधित नीति को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। ताकि सतत् कृषि के लिये पानी और बिजली की उसके आर्थिक मूल्य के सापेक्ष उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

3 सामाजिक मुद्दे

धीमी जनसंख्या वृद्धि दर से उत्पन्न चुनौतियाँ

संदर्भ

- मार्च 2021 में 'यूरोपीय केंद्रीय बैंक' ने कहा था कि वह मुद्रा को मुद्रित (Printing) करने की गति को तीव्र करेगा। रॉयटर्स द्वारा प्रकाशित खरब के अनुसार बैंक ने प्रति-माह 60 बिलियन यूरो से अधिक मुद्रा को मुद्रित करने के योजना बनाई है।
- 'फेडरल रिज़र्व ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स' ने गत एक वर्ष की अवधि में 3 ट्रिलियन डॉलर से अधिक मुद्रा का मुद्रण किया गया। इसी का अनुसरण करते हुए बैंक ऑफ जापान ने एक वर्ष के अंदर 1.18 ट्रिलियन डॉलर से अधिक मुद्रा का मुद्रण किया गया है।

अधिक मुद्रा मुद्रित करने के कारण

- यह विचार वर्ष 2008 के बाद से ही लोकप्रिय हो रहा है, इसके अंतर्गत वित्तीय प्रणाली में इस उम्मीद से मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाया जाता है कि ब्याज़ दर न्यूनतम हो तथा आर्थिक संवृद्धि तीव्र हो सके।
- हालाँकि, इन देशों के बैंक जनसंख्या से संबंधित बुनियादी कारकों, जैसे- जनसंख्या संकुचन व धीमी जनसंख्या वृद्धि दर को नजरअंदाज कर रहे हैं। यूरोपीय आयोग द्वारा प्रस्तुत एक शोध-पत्र में उद्धत किया कि ''मानव इतिहास में जनसंख्या वृद्धि के बिना आर्थिक संवृद्धि संभव नहीं हो पाया है''।

जनांकिकीय विवरण

- वर्ष 2018 में यूरोपीय संघ (EU) का औसत जन्म-दर 1.54 था। औसत जन्म-दर एक महिला के प्रजनन वर्षों के दौरान शिशुओं को जन्म देने की औसत संख्या होती है। इस प्रकार माना जा सकता है कि वर्ष 2018 के दौरान ई.यू. में 100 महिलाओं ने औसतन 154 शिशुओं को जन्म दिया।
- वर्ष 2018 में ही जापान का जन्म दर 1.42 तथा। ई.यू. में विगत 25 वर्षों से तथा जापान में वर्ष 2005 के उपरांत से जन्म-दर में वृद्धि देखी जा रही है।
- हालाँकि, उक्त वृद्धि दर औसत प्रतिस्थापन दर (2.1) से काफी नीचे है। प्रतिस्थापन दर से आशय उस दर से है, जब किसी देश की जनसंख्या में कोई अतिरिक्त वृद्धि या कमी नहीं होती है। दूसरे शब्दों में, जितने व्यक्तियों की मृत्यु होती है, लगभग उतने ही व्यक्तियों का जन्म होता है।
- प्रतिस्थापन दर का अतिरिक्त 0.1% ऐसी बालिकाओं से संबंधित होता है, जिनकी प्रजनन वर्षों में पहुँचने से पूर्व मृत्यु हो जाती है।
- निम्न जन्म-दर के कारण जापान की कुल जनसंख्या ने वर्ष 2010 में 'पीक' (128.1 मिलियन) स्तर को प्राप्त कर लिया। इसके बाद से जनसंख्या में निरंतर कमी दर्ज की जा रही है और ये आँकड़ा वर्ष 2019 में 126.3 मिलियन रहा।
- जापान की कार्यशील जनसंख्या (15 से 64 वर्ष के मध्य के व्यक्ति) ने वर्ष 1996 में अपने 'पीक' (87.7 मिलियन) स्तर को प्राप्त किया था। वर्ष 2019 में यह जनसंख्या 75.03 मिलियन थी।
- ई.यू. की जनसंख्या में बेहद धीमी दर से बढ़ रही है। वर्ष 2019 में यह 447.5 मिलियन थी, जिसमें वर्ष 2009 से मात्र 1.5% की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2025 तक ई.यू. की जनसंख्या के 'पीक' स्तर को प्राप्त करने की उम्मीद व्यक्त की गई है।

सबसे ज़्यादा आबादी वाले 10 देशों में रूस, जापान में लगातार घटेंगे लोग (2100 में 38वें नंबर पर आ जाएगा जापान)

देश	आबादी 2017 (करोड़ में)	आबादी 2100 (करोड़ में)	अधिकतम आबादी और उसका वर्ष (करोड़ में)
चीन	141	73	143 (2024)
भारत	138	109	160 (2048)
अमेरिका	32.5	33.5	36.3 (2062)
इंडोनेशिया	25.8	22.8	30 (2047)
पाकिस्तान	21.4	24.8	31.4 (2062)
ब्राज़ील	21.1	16.4	23.5 (2043)
नाइजीरिया	20.6	79	79 (2100)
बांग्लादेश	15.6	8.1	17.3 (2039)
रूस	14.6	10.6	14.6 (2017)
जापान	12.8	5.9	12.8 (2017)

धीमी जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव

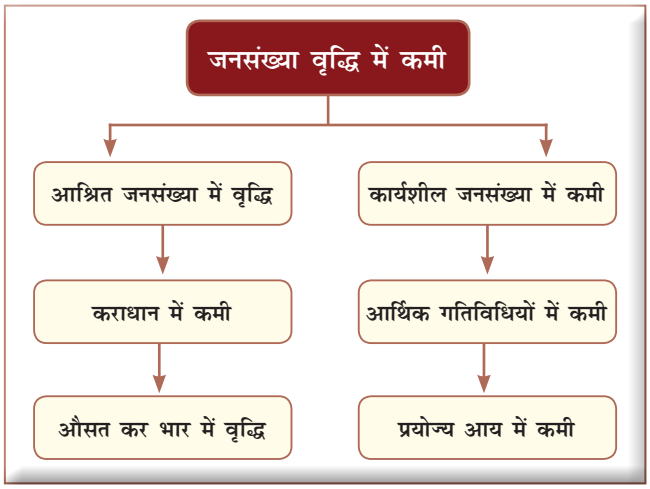

- जनसंख्या वृद्धि में कमी आने से देश की कार्यशील जनसंख्या में कमी आती है, अंततोगत्वा आर्थिक गतिविधियों में भी कमी आती है। किसी देश में वृद्ध व्यक्तियों की जनसंख्या बढ़ने से कराधान का आधार संकुचित होता है जिससे राज्य के राजस्व में गिरावट होती है।
- उक्त तथ्यों के अतिरिक्त सरकार के औसत कर बोझ में वृद्धि होने के साथ-साथ प्रयोज्य आय (Disposable Income) में भी गिरावट होती है। मूलत: यह उस स्थिति से प्रभावित है जब बच्चों को 'एक वहनीय विकल्प' नहीं माना जाता है। कोविड-19 महामारी के प्रसार ने व्यक्तियों के आय पर कठोर प्रहार किया है तथा आगामी समय में इसके और भी सख्त होने की आशंका व्यक्त की जा रही है।
- निम्न कार्यशील जनसंख्या का सर्वाधिक दुष्प्रभाव जापान और ई.यू. में दृष्टिगत हो सकता है। साथ ही, आगामी वर्षों में अन्य विकसित देशों के लिये भी बृहत् समस्या होगी। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन तथा कनाडा की कार्यशील जनसंख्या में 0.2% की दर से वृद्धि होने की उम्मीद की गई है।
- जापान में यह समस्या विशेष रूप से गंभीर है क्योंकि वहाँ कार्यशील जनसंख्या में निरंतर गिरावट के कारण विभिन्न समस्याएँ उत्पन्न हो सकती है, जैसे जापान के विस्तृत व प्रशंसनीय अवसंरचना का अनुरक्षण तथा लाखों वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल कौन करेगा?

आगे की राह

- विकसित देशों में कुछ गतिविधियों, जैसे स्वास्थ्य-सेवाओं में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को रोबोटों के द्वारा संचालित किया जा सकता है।
- विकसित देशों में इस प्रकार की समस्या के समाधान के लिये उन देशों के अप्रवासियों के प्रवासन को अनुमति प्रदान की जा सकती है, जिन देशों में जनसंख्या बढ़ रही है।
- एक शोधपत्र के अनुसार यदि विकसित देश केवल 3% अधिक अप्रवासियों के प्रवासन की अनुमति प्रदान करते हैं तो, उनके द्वारा प्राप्त आय निर्धन व्यक्तियों पर व्यय की जाने वाली धनराशि से तीन-गुना अधिक होगी।

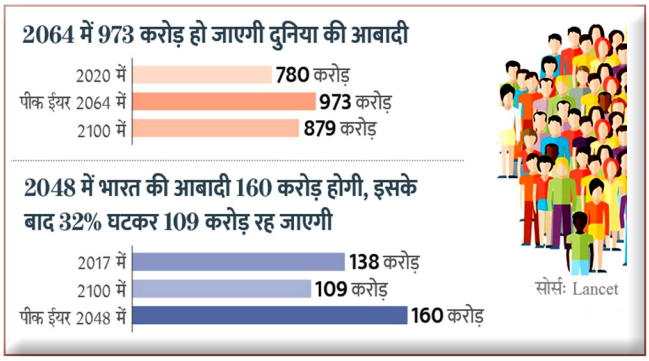
2064 में 973 करोड़ हो जाएगी दुनिया की आबादी
2020 में 780 करोड़
पीक ईयर 2064 में 973 करोड़
2100 में 879 करोड़
2048 में भारत की आबादी 160 करोड़ होगी, इसके बाद 32% घटकर 109 करोड़ रह जाएगी
2017 में 138 करोड़
2100 में 109 करोड़
पीक ईयर 2048 में 160 करोड़
सोर्स: Lancet

निष्कर्ष

- विकसित देशों में धीमी आर्थिक संवृद्धि एक राजनीतिक समस्या है, जो केंद्रीय बैंकों द्वारा बड़ी मात्रा में मुद्रा मुद्रित करने से नहीं सुलझेगी। यूरोपीय संघ विश्व की सबसे बड़ी तथा जापान तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, इनकी धीमी संवृद्धि विश्व को प्रभावित करेगी।

अवैतनिक कार्य प्रबंधन

संदर्भ

- महिलाओं को प्रत्येक स्थान पर घरेलू सेवाओं के साथ अपने परिवार से संबंधित बच्चों, वृद्धों तथा दिव्यांगों आदि की देखभाल जैसे अवैतनिक कार्यों का बोझ विसमतापूर्वक निर्वहन करना पड़ता है।
- यद्यपि इस कार्य का घरेलू स्तर पर समग्र कल्याण तथा सामूहिक रूप से राष्ट्रीय कल्याण में महत्त्वपूर्ण योगदान है। किंतु यह राष्ट्रीय डाटाबेस तथा विशेष रूप से राष्ट्रीय नीतियों में दिखाई नहीं देता है।
- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) द्वारा जारी महिलाओं व पुरुषों के कार्यों से संबंधित नवीनतम समय उपयोग सर्वेक्षण के अनुसार महिलाएँ पुरुषों की तुलना में 10 गुना अधिक अवैतनिक देखभाल कार्य करती हैं।

समय उपयोग सर्वेक्षण

- समय उपयोग सर्वेक्षण (Time Use Survey) अवैतनिक गतिविधियों, स्वयंसेवकों, गृह सदस्यों की अवैतनिक घरेलू सेवा उत्पादन गतिविधियों में लगाए गए समय की जानकारी का महत्त्वपूर्ण स्रोत है।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य वैतनिक तथा अवैतनिक गतिविधियों में पुरुषों व महिलाओं की भागीदारी की माप करना है। यह सर्वेक्षण

घर के सदस्यों द्वारा सीखने, सामाजीकरण, अवकाश गतिविधियों, स्वयं की देखभाल से जुड़ी गतिविधियों आदि पर खर्च किये गए समय की जानकारी भी प्रदान करता है।

- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वर्ष 2019 में पहली बार समय उपयोग सर्वेक्षण किया था।
- पारिश्रमिक, पदोन्नति या सेवानिवृत्ति जैसे लाभों के बिना 24 घंटे किया जाने वाला यह कार्य उबाऊ, कठिन परिश्रम तथा दोहराव वाला है। यह अर्थव्यवस्था तथा जीवन में महिलाओं के लिये अवसरों को प्रतिबंधित करता है।
- यह आवश्यक नहीं है कि महिलाएँ यह कार्य अपनी पसंद से या इसमें निपुण होने के कारण करती हैं, बल्कि पितृसत्तात्मक मानदंडों के कारण यह कार्य उन्हें सौंप दिया जाता है, जो सभी व्यापक लिंग असमानताओं की जड़ हैं।
- महिलाओं व पुरुषों के मध्य अवैतनिक कार्य का यह असमान विभाजन अनुचित तथा अन्यायपूर्ण है। यह महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर प्रदान करने से वंचित करता है।

कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियाँ

- राजनीतिक दलों द्वारा इस ओर ध्यान दिया जाना सकारात्मक विकास की ओर एक कदम है तथा गृहिणियों के लिये वेतन की माँग इसी चिंता का परिणाम है।
- वेतन की ये माँग केवल महिलाओं के अवैतनिक कार्य की पुष्टि करती है, जो महिलाओं को व्यापक स्तर पर प्राप्त होने वाले अवसरों से वंचित करेगा।
- वृद्ध महिलाओं (60+ वर्ष) के लिये पेंशन का भुगतान उनके अवैतनिक कार्य हेतु मुआवजा के रूप में एक बेहतर विचार हो सकता है।
- यद्यपि इसके कार्यान्वयन से सरकार की देयता तथा राशि की गणना जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम

- सरकार समय उपयोग सर्वेक्षण के राष्ट्रीय डाटाबेस के द्वारा अवैतनिक कार्य की पहचान कर इस डाटा का राष्ट्रीय नीतियों में उपयोग कर सकती है।
- सरकार प्रौद्योगिकी में सुधार, (बेहतर ईंधन तक पहुँच) बेहतर बुनियादी ढाँचे (घर-घर पानी) का विकास, कुछ अवैतनिक कार्यों को अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में स्थानांतरित कर (जैसे बच्चों, दिव्यांगों तथा लंबे समय से बीमार लोगों की देखभाल) तथा महिलाओं के लिये बुनियादी सेवाओं को सुलभ बनाकर महिलाओं के अवैतनिक कार्य के बोझ को कम कर सकती है।
- इसके अतिरिक्त सरकार पुरुषों को विभिन्न प्रोत्साहन या हतोत्साहन (जैसे गृहकार्य, बच्चों की देखभाल आदि में पुरुषों को अनिवार्य प्रशिक्षण) के माध्यम से तथा गृहकार्य साझा करने के लिये वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर पुरुषों व महिलाओं के मध्य कार्य को पुनर्वितरित कर सकती है। इन उपायों से महिलाओं के समय की बचत होगी जिसका उपयोग वे अपने लिये नए अवसरों की खोज करने में कर सकेंगी।

6 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों का प्रति व्यक्ति एक दिन में विभिन्न गतिविधियों में कुल समय का प्रतिशत शेयर

अखिल भारत

गतिविधि का विवरण	ग्रामीण			नगरीय			ग्रामीण + नगरीय		
	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति
रोजगार एवं सम्बन्धित गतिविधियाँ	16.9	4.2	10.6	21.3	4.3	13.1	18.3	4.2	11.4
स्वंय के अंतिम उपयोग के लिए वस्तुओं का उत्पादन	2.7	2.2	2.4	0.3	0.3	0.3	1.9	1.6	1.8
परिवार के सदस्यों के लिए अदत्त घरेलु सेवाऐं	1.9	17.2	9.4	1.5	16.1	8.6	1.7	16.9	9.2
परिवार के सदस्यों के लिए देख रेख करने वाली अदत्त सेवाऐं	0.8	2.6	1.7	0.7	2.5	1.6	0.8	2.6	1.7
अदत्त स्वंय सेवक, प्रशिक्षु एवं अन्य अदत्त कार्य	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
सीखना	7.1	5.7	6.4	7.0	6.1	6.6	7.1	5.8	6.5
समाजीकरण और संचार सामुदायिक भागीदारी और धार्मिक अभ्यास	9.6	8.8	9.2	8.7	8.8	8.8	9.3	8.8	9.0
संस्कृति, अवकाश, जन-सम्पर्क एवं खेल अभ्यासों	9.7	9.0	9.4	10.9	11.7	11.3	10.1	9.8	9.9
स्वंय की देखभाल एवं रखरखाव	51.2	50.3	50.8	49.4	50.0	49.7	50.6	50.2	50.4
कुल	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

राउन्डिंग के कारण 100 तक अंक नहीं जुड़ सकता

नोट:- निर्धारित समय में सभी गतिविधियों पर बिचार करते हुए प्राक्कलन की गणना की गई है।

ब्रू शरणार्थी समस्या एवं समाधान

संदर्भ

हाल ही में त्रिपुरा सरकार के द्वारा ब्रू या रियांग जनजाति के लोगों को शरणार्थी शिविरों से निकालकर उपयुक्त स्थान पर बसाने का कार्य प्रारंभ किया गया।

ब्रू जनजाति

- यह पूर्वोत्तर भारत की एक सुभेद्य जनजाति है जिसे रियांग के नाम से भी जाना जाता है। इस जनजाति के लोग ब्रू भाषा बोलते हैं, इस भाषा की अपनी कोई लिपि नहीं है। ये लोग पहले झूम कृषि करते थे इस कारण इन्हें बंजारा जनजाति भी कहा जाता था।
- वर्ष 1995 में ब्रू और मिजो जनजाति के मध्य टकराव हुआ तथा यंग मिजो एसोसिएशन

और मिजो स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने ब्रू जनजाति को राज्य से बाहर का घोषित कर दिया। फलतः दोनों जनजातियों के मध्य हिंसक झड़पें आरंभ हो गईं।

- वर्ष 1997 तक टकराव इतना बढ़ गया कि नृजातीय संघर्ष उत्पन्न हो गया जिसके चलते ब्रू जनजाति के लोग मिज़ोरम से त्रिपुरा आकर शरणार्थी शिविरों में निवास करने लगे।
- 16 जनवरी, 2020 को केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद भारत सरकार, त्रिपुरा और मिज़ोरम सरकार तथा ब्रू जनजाति के प्रतिनिधियों के मध्य एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। जिसके माध्यम से इस जनजाति की समस्याओं का समाधान किया गया।

समझौते के प्रावधान

- ब्रू या रियांग जनजाति के लोगों को स्थायी तौर पर त्रिपुरा में बसाया जाएगा तथा उन्हें वहाँ की मतदाता सूची में स्थान दिया जाएगा।
- विस्थापित परिवारों को एक आवासीय प्लॉट (जिसके लिये भूमि की व्यवस्था त्रिपुरा सरकार करेगी), मकान बनाने के लिये डेढ़ लाख की सहायता राशि तथा प्रत्येक परिवार को 4 लाख रुपये का सावधिक जमा (Fixed deposit) दिया जाएगा।
- प्रत्येक परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में दो साल तक 5 हज़ार रुपये प्रति माह नकद दिया जाएगा। साथ ही, दो साल तक मुफ्त राशन भी मुहैया कराया जाएगा। इस समझौते के तहत केंद्र सरकार द्वारा 600 करोड़ का राहत पैकेज दिया जाएगा।

पूर्व में किये गए सरकारी प्रयास

- 3 जुलाई, 2018 को भारत सरकार-मिज़ोरम व त्रिपुरा सरकार तथा ब्रू जनजाति के प्रतिनिधियों के मध्य समझौता हुआ जिसके बाद इन परिवारों को दी जाने वाली सहायता में बढ़ोतरी की गई। इसके अंतर्गत, वही प्रावधान शामिल थे जो वर्ष 2020 के समझौते में थे, हालाँकि इसमें कुछ अन्य प्रावधान भी थे जिसमें–
  - ब्रू जनजाति के लोगों को त्रिपुरा से मिज़ोरम आने-जाने के लिये मुफ्त आवागमन की सुविधा मुहैया कराना।
  - शिक्षा के लिये एकलव्य स्कूल, निवास और जाति प्रमाण-पत्र दिया जाना तथा मिज़ोरम में मताधिकार का प्रयोग करना शामिल था। किंतु यह समझौता मूर्तरूप नहीं ले पाया क्योंकि अधिकांश ब्रू लोगों ने मिज़ोरम जाने से मना कर दिया था।
  - वर्ष 2014 तक 1622 ब्रू परिवारों को मिज़ोरम वापस भेजा गया तथा अक्तूबर 2019 में वापसी का नौवाँ चरण आरंभ हुआ जिसके बाद भी कुछ परिवारों को वापस मिज़ोरम ले जाया गया।

निष्कर्ष

- त्रिपुरा सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान हेतु चार ज़िलों में 16 स्थानों को चिह्नित किया गया है, जहाँ पर ब्रू-रियांग जनजाति के परिवारों को बसाया जाएगा। साथ ही, चार समितियों का गठन भी किया जाएगा एवं शरणार्थियों को राज्य के स्थायी नागरिक के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।
- त्रिपुरा के उत्तरी ज़िले के डिप्टी कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट ने कहा कि इन शरणार्थियों के पहले समूह को ढलाई (Dhalai) ज़िले के हडूकलापुर (Haduklapura) तथा दुक्लाई (Duklai) ग्राम में बस्ती प्रदान की गई है।

4 राजव्यवस्था एवं शासन

उपासना स्थल अधिनियम की तार्किकता

संदर्भ

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका के संबंध में केंद्र सरकार से जवाब माँगा है। इस अधिनियम की धारा 3 और 4 को चुनौती देते हुए इसे असंवैधानिक तथा संविधान के मूल ढाँचे के विपरीत बताया गया है।

पृष्ठभूमि

- राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के मद्देनज़र तत्कालीन पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार ने यह अधिनियम पारित किया था। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि अन्य उपासना स्थलों के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न न हो।
- इसके तहत यह निर्धारित किया गया था कि देश के सभी धार्मिक स्थलों की अवस्थिति, अधिकार व स्वामित्व को बरकरार रखा जाएगा, जो 15 अगस्त, 1947 के दिन था। उल्लेखनीय है कि राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के मुद्दे को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया था।

उपासना स्थल अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

- इस अधिनियम के अनुसार, कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय के किसी भी उपासना स्थल को दूसरे संप्रदाय या वर्ग के उपासना स्थल के रूप में परिवर्तित नहीं करेगा और इन स्थलों के संबंध में 15 अगस्त, 1947 की यथास्थिति बरकरार रहेगी।
- गौरतलब है कि इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि किसी भी उपासना स्थल के संबंध में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जाएगी। साथ ही, अधिनियम के लागू होने के बाद किसी न्यायालय या प्राधिकरण में किसी उपासना स्थल की स्थिति में परिवर्तन से संबंधित सभी लंबित मामलों व अपीलों को समाप्त मान लिया जाएगा। हालाँकि 15 अगस्त, 1947 के पश्चात् यदि किसी उपासना स्थल की स्थिति में कोई परिवर्तन किया गया है, तो उससे संबंधित मुकदमा जारी रह सकता है।
- उल्लेखनीय है कि यह अधिनियम 'प्राचीन स्मारक, पुरातात्त्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958' के अंतर्गत आने वाले प्राचीन व ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातात्त्विक स्थलों व अवशेषों पर लागू नहीं होता है।
- साथ ही, इस अधिनियम के प्रावधान ऐसे किसी मामले पर भी लागू नहीं होंगे, जिनका अंतिम रूप से निपटारा हो चुका है या जिसे संबंधित पक्षों द्वारा आपसी सहमति से सुलझा लिया गया है या किसी स्थल की स्थिति में परिवर्तन पर सहमति बन चुकी है।
- इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर सज़ा के रूप में तीन वर्ष तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार के अपराधों या साजिशों में सहयोग करने वाले व्यक्तियों के लिये भी समान सज़ा का प्रावधान किया गया है।

इस अधिनियम को चुनौती देने का आधार व तर्क

- याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह अधिनियम हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन समुदायों को कानूनन अपने उपासना स्थलों पर पुनः दावा करने या उन्हें पुनः प्राप्त करने के अधिकारों से वंचित करता है।
- यह अधिनियम लोगों के न्याय प्राप्त करने के अधिकार को सीमित करता है। साथ ही, इसमें यह भी कहा गया कि 15 अगस्त, 1947 को कट-ऑफ तिथि के रूप में निर्धारित करना मनमाना और तर्कहीन है।
- याचिकाकर्ता के अनुसार, यह कानून अतीत में आक्रांताओं द्वारा जबरन किये गए कार्यों को वैधता प्रदान करता है तथा इस अधिनियम को धारा 4 भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत पर गंभीर चोट करती है। इसके अतिरिक्त, यह कानून धर्म के प्रचार-प्रसार के अधिकार के साथ-साथ उपासना स्थलों के प्रबंधन और प्रशासन करने के अधिकार का भी उल्लंघन करता है।
- साथ ही, यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत और धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के राज्य के कर्तव्य के भी विरुद्ध है।

उपासना स्थल की यथास्थिति के संबंध में उच्चतम न्यायालय का मत

- अयोध्या विवाद पर अंतिम निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि यह अधिनियम 'धर्मनिरपेक्षता के प्रति राज्यों की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने से संबंधित' है। यह सभी धर्मों की समानता के लिये भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- साथ ही, अधिकारों का अप्रतिगमन (Non-retrogression : अधिकारों को कम करने या वापस लेने के अर्थ में प्रयुक्त) संविधान के मौलिक सिद्धांतों की एक मूलभूत विशेषता है और धर्मनिरपेक्षता इसका एक मुख्य घटक है।

- न्यायालय ने इस अधिनियम को संविधान के मूलभूत मूल्यों व धर्मनिरपेक्षता को संरक्षित करने वाले कानून के रूप में वर्णित किया है। साथ ही, यह भी कहा है कि कुछ ऐतिहासिक गलतियों को दूर करने के नाम पर लोग न तो कानून अपने हाथ में ले सकते हैं और न ही इसका प्रयोग किसी का उत्पीड़न करने के लिये कर सकते हैं।

याचिका के विपक्ष में तर्क

- इस याचिका में उठाए गए सभी मुद्दों को अयोध्या वाद में पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने अपने बाध्यकारी फैसले में आधारहीन माना है। इस प्रकार, इस निर्णय में न्यायालय द्वारा दिये गए तर्क एक प्रकार से 'उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम' के अनुमोदन की स्पष्ट अभिव्यक्ति हैं।
- इस अधिनियम में परिवर्तन की कोशिश को एक विशेष विचारधारा के प्रभुत्व को बढ़ावा देने का प्रयास माना जा रहा है। अशोक ने बौद्ध धर्म को राजधर्म के रूप में अपनाया था, जिससे हिंदुओं एवं बौद्धों के बीच आंतरिक द्वंद्व उत्पन्न हुए और अंततः भारत से बौद्ध धर्म लगभग समाप्त हो गया। इसलिये यदि कोई राज्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी विशेष धर्म को अधिक महत्त्व देता है तो समाज के भीतर टकराव उत्पन्न होने लगते हैं।
- संविधान का अनुच्छेद 25 और 26 सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यह अधिनियम संवैधानिक मूल्य के रूप में सभी धर्मों की समानता व स्वतंत्रता को संरक्षित और सुरक्षित करने के राज्य के कर्तव्य की पुष्टि करता है, जो संविधान की मूल विशेषता है।

याचिका के पक्ष में तर्क

- संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के पास मूल अधिकारों को लागू कराने के लिये रिट जारी करने की शक्ति है। साथ ही, न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान की मूल संरचना का एक अभिन्न अंग है। कोई भी अधिनियम मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में न्यायालयों की शक्तियों को कम नहीं कर सकता है। अतः न्यायालय इस अधिनियम की भी न्यायिक समीक्षा कर सकता है।
- प्रस्तावना में सभी नागरिकों के विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता को विशेष महत्त्व दिया गया है और यह अधिनियम वर्तमान स्वरूप में इस व्यवस्था को प्रभावित करता है। साथ ही, यह अनुच्छेद 25 और 26 के तहत प्राप्त अधिकारों का भी उल्लंघन करना है।
- इसके अतिरिक्त, यह अधिनियम लंबे समय से विवादित उपासना स्थलों के समाधान के प्रयास को भी रोकता है। संविधान की मूल धारणा को बरकरार रखते हुए अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जनहित में आदेश पारित कर सकता है।

निष्कर्ष

एक पक्ष इस अधिनियम में संशोधन की माँग कर रहा है, जबकि दूसरा पक्ष इसमें किसी भी परिवर्तन का विरोध कर रहा है। मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान-शाही इमाम दरगाह और वाराणसी में काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर भी अपील की जा चुकी है। इस अधिनियम में किया गया कोई भी परिवर्तन इससे संबंधित कार्यवाही और परिणाम को प्रभावित कर सकता है। अतः वर्तमान विवाद को खत्म करने और भविष्य में अन्य विवादों को रोकने के लिये न्यायालय के साथ-साथ सरकार को भी किसी भी टकराव को रोकने का प्रयास करना चाहिये।

कार्य स्थितियों के संबंध में विशेषज्ञ समिति

संदर्भ

केंद्र सरकार ने व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य की स्थितियों (The Occupational Safety, Health and Working Conditions - OSH & WC) के संबंध में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

पृष्ठभूमि

- यह समिति सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कारखानों, बंदरगाहों के डॉक तथा अन्य निर्माण स्थलों पर सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य स्थिति के वर्तमान नियमों व विनियमों की समीक्षा करेगी।
- उल्लेखनीय है कि 'व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य स्थिति (ओ.एस.एच. एवं डब्ल्यू.सी.) संहिता, 2020' के अंतर्गत 13 अलग-अलग श्रम कानूनों को समाहित करने के उपरांत इसे लागू किया गया है।

समीक्षागत नियम और विनियम

- कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत बनाए गए कारखाना नियम
- डॉक कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य कल्याण) नियम, 1990
- भवन और अन्य निर्माण कामगार (रोज़गार का नियमन और सेवाओं की शर्तें) केंद्रीय कानून, 1998

समीक्षा का कारण

- कारखाना, डॉक और निर्माण कार्यों से संबंधित नियमों व विनियमों के रूप में मौजूदा मानकों की समीक्षा क्रमशः वर्ष 1950, 1990 तथा 1998 के बाद से नहीं की गई है। अतः वर्तमान तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये इनकी समीक्षा आवश्यक है। इसके अलावा, वर्ष 1998 के बाद हुई तकनीकी प्रगति और प्रणालीगत सुधार को देखते हुए भी इनकी समीक्षा आवश्यक है।
- समीक्षा का दूसरा कारण 'ओ.एस.एच. एवं डब्ल्यू.सी.' के क्षेत्र में हुई प्रगति और आधुनिकीकरण को इसमें शामिल करना है। साथ ही, इस क्षेत्र में वैश्विक मानकों को प्राप्त करना भी इसका लक्ष्य है।

- भवन निर्माण संबंधी कानून की समीक्षा का लक्ष्य इसे 'राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016' के अनुरूप बनाना है।

लाभ

- यह प्रक्रिया पूरे देश में श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिये एक समान तथा आधुनिक मानकों को तैयार करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। इसके परिणामस्वरूप श्रमिकों की दक्षता बढ़ाने के लिये अनुकूल वातावरण तैयार हो सकेगा, जिससे सुरक्षा के साथ-साथ उत्पादकता में भी वृद्धि हो सकेगी।
- कार्यस्थलों पर आग की दुर्घटनाओं को कम किया जा सकेगा। इससे अर्थव्यवस्था तथा जान व माल के नुकसान को कम किया जा सकेगा।

पितृसत्तात्मक व्यवस्था को मज़बूत बनाता 'गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2020'

संदर्भ

हाल ही में, राज्य सभा ने गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2020 [Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Bill-MTP, 2020] पारित किया है, लोक सभा में यह विधेयक मार्च 2020 में पारित हो चुका था। यह विधेयक महिलाओं की सुरक्षित गर्भपात सुविधाओं तक पहुँच सुनिश्चित करता है।

संशोधन विधेयक, *2020* के मुख्य प्रावधान

- यह विधेयक 'गर्भ का चिकित्सकीय समापन कानून, 1971' में संशोधन करता है। इसमें महिलाओं की विशेष श्रेणियों के लिये गर्भपात की अधिकतम सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है।
- विशेष श्रेणी में दुष्कर्म और दुर्व्यवहार से पीड़ित महिलाओं तथा अन्य महिलाओं, जैसे– दिव्यांग एवं नाबालिगों को रखा गया है।
- विधेयक के अनुसार, 20 सप्ताह तक के गर्भ के समापन के लिये एक पंजीकृत चिकित्सक और 20-24 सप्ताह तक के गर्भ के समापन के लिये दो पंजीकृत चिकित्सकों की राय आवश्यक होगी।
- साथ ही, यदि मेडिकल बोर्ड द्वारा भ्रूण में पर्याप्त असामान्यताओं की पुष्टि की जाती है तो गर्भपात की अधिकतम सीमा लागू नहीं होगी।
- जिस महिला का गर्भपात हुआ है, उसका नाम तथा अन्य विवरण, कानून द्वारा अधिकृत व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य के समक्ष उजागर नहीं किया जाएगा।

सकारात्मक पक्ष

- इस विधेयक में 'विवाहित महिला और उसका पति' वाक्यांश को 'महिला और उसका साथी' वाक्यांश से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। परिणामस्वरूप यह प्रावधान अविवाहित महिला द्वारा गर्भधारण या गर्भपात को सामाजिक स्वीकार्यता प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण सिद्ध होगा।
- 20 सप्ताह की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 24 सप्ताह किये जाने से वे महिलाएँ भी सुरक्षित गर्भपात करा सकेंगी, जो गंभीर बीमारी, दुष्कर्म से पीड़ित होने अथवा नाबालिग होने के कारण समय रहते अपनी गर्भावस्था की जानकारी प्राप्त नहीं कर पाती है।

चुनौतियाँ

- इस विधेयक के निर्माण में विशेषज्ञों की सलाह नहीं ली गई। चूँकि यह विधेयक महिलाओं की स्वायत्तता एवं अधिकारों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है, फिर भी इसमें उनकी पर्याप्त राय शामिल नहीं है। क्योंकि संसद के दोनों सदनों में महिलाओं का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है।
- इस संशोधन विधेयक के अनुसार, गर्भवती महिला के अनुरोध पर गर्भपात नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके लिये चिकित्सक की राय आवश्यक होगी। यह महिला की प्रजनन स्वायत्तता और शरीर पर उसके स्वयं के अधिकार के विरुद्ध है।
- विधेयक में एक मेडिकल बोर्ड का भी प्रावधान है। इससे महिला की गोपनीयता भंग होने का खतरा है तथा इससे महिला को प्रक्रियात्मक बाधाओं के कारण गर्भपात संबंधी निर्णय लेने में देरी जैसे मुद्दों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही, ग्रामीण एवं दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लिये इस बोर्ड तक पहुँच सुनिश्चित करना भी कठिन होगा।
- इसके अतिरिक्त, भ्रूण में पर्याप्त असामान्यताओं की पुष्टि होने पर अधिकतम समय-सीमा के उपरांत भी गर्भपात की अनुमति होगी, जिससे योग्य व्यक्तियों के प्रति भेदभाव बढ़ सकता है।
- ध्यातव्य है कि इस विधेयक में केवल महिलाओं के संदर्भ में ही विचार किया गया है, अन्य लैंगिक समुदायों, जैसे– एल.जी.बी.टी. पर ध्यान नहीं दिया गया है।
- दिव्यांगों के अधिकारों के लिये आंदोलनकारियों, नारीवादी समूहों और अन्य नागरिक समाज समूहों द्वारा विधेयक के प्रतिगामी और अव्यावहारिक प्रावधानों पर चिंता व्यक्त की गई है।
- इस विधेयक के माध्यम से राज्य महिलाओं के प्रजनन एवं यौन अधिकारों को 'प्रगतिशीलता' के तर्क के आधार पर सीमित करने का प्रयास करता है। इस प्रकार, महिला अधिकारों की संकीर्ण समझ पितृसत्तात्मक व्यवस्था की ओर उन्मुख कानूनों को और मज़बूती प्रदान करती है।
- इस विधेयक को 'महिलाओं के अधिकारों' को मज़बूती प्रदान करने वाला बताना विडंबना मात्र है, क्योंकि इसके प्रावधान प्रजनन, कामुकता और मातृत्व से संबंधित विषयों पर महिलाओं की

सम्मानजनक स्थिति का समर्थन नहीं करते हैं, बल्कि ये इस धारणा को पुख्ता करते हैं कि प्रजनन एवं यौन संबंधी अधिकारों से संबंधित निर्णय लेने के लिये महिलाएँ आज भी स्वतंत्र नहीं हैं।

निष्कर्ष

एम.टी.पी. संशोधन विधेयक महिलाओं के अधिकार और उनके गरिमापूर्ण जीवन से संबंधित है। अत: प्रजनन और मातृत्व जैसे संवेदनशील मुद्दों से संबंधित कानून बनाने या पूर्व के कानूनों में संशोधन करने के लिये संबंधित वर्ग के प्रतिनिधियों, नागरिक समूहों तथा ज़मीनी स्तर के संगठनों से परामर्श किया जाना आवश्यक है, अन्यथा ऐसे कानून को संवैधानिक चुनौतियों एवं न्यायिक हस्तक्षेपों का सामना करना पड़ सकता है।

एन.सी.टी. (संशोधन) अधिनियम : संबंधित पहलू

संदर्भ

हाल ही में, संसद द्वारा 'दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम' पारित किया गया।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) अधिनियम में वर्तमान संशोधन

- 'दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम' का उद्देश्य विभिन्न हितधारकों की भूमिका में अस्पष्टता को दूर करना तथा केंद्र सरकार के साथ सामंजस्य स्थापित करने हेतु दिल्ली सरकार में हितधारकों के लिये एक रचनात्मक नियम-आधारित ढाँचा प्रदान करना है।
- इस संशोधन का एक अन्य उद्देश्य 'सरकार' शब्द की परिभाषा को स्थिरता तथा औपचारिक स्वरूप प्रदान करना भी है, जिसे दिल्ली विधानसभा पहले ही स्वीकार कर चुकी थी।
- इस अधिनियम में उपराज्यपाल (LG) की भूमिका को अधिक जवाबदेह बनाने का प्रयास किया गया है। एल.जी. को अधिक जवाबदेह बनाने के लिये उसकी विधायी एवं प्रशासनिक मामलों में निर्णय लेने की शक्ति पर अधिकतम समय-सीमा आरोपित की जा सकती है।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

- 20 दिसंबर, 1991 को तत्कालीन गृहमंत्री एस.बी. चव्हाण ने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 239क(क) तथा 239क(ख) शामिल करने के लिये लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया था। इस विधेयक को लोकसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया था। यह 69वाँ संविधान संशोधन अधिनियम था।
- इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) के लिये विधान सभा एवं मंत्रिपरिषद् स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। दिल्ली विधान सभा की स्थापना के पश्चात् मदन लाल खुराना दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने थे।
- वर्ष 1991 में पारित यह संविधान संशोधन अधिनियम संसद को संवैधानिक प्रावधानों की पूरक विधियों को लागू करने का अधिकार देता है।
- इसके तहत दिल्ली सरकार को राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है।
- दिल्ली सरकार को पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था (Public Order) तथा भूमि से संबंधित मामलों में कोई विधायी शक्ति प्राप्त नहीं है। यद्यपि ये राज्य सूची के विषय हैं, किंतु इन पर केंद्रशासित प्रदेशों को कानून-निमार्ण करने की शक्ति नहीं है। यदि दिल्ली विधानसभा द्वारा इन विषयों का अतिक्रमण किया जाता है, तो इसके गंभीर प्रभाव हो सकते हैं।

सहकारी संघवाद को मज़बूत करने के प्रयास

- वर्तमान सरकार ने सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिये कई ठोस कदम उठाए हैं। इनमें नीति आयोग का गठन, जी.एस.टी. परिषद् की स्थापना, केंद्रीय योजनाओं का पुनर्गठन, पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करना आदि शामिल हैं। केंद्र सरकार के ये कदम राज्यों को समान भागीदार बनाने व राजकोषीय संघवाद को बढ़ावा देने के स्पष्ट उदाहरण हैं।
- वर्ष 2019 के अपने चुनावी घोषणापत्र में सरकार ने नीति निर्माण एवं शासन के सभी पहलुओं में राज्यों की अधिकतम भागीदारी की बात की थी, यह भी संघवाद को सुदृढ़ करने की दिशा में प्रमुख कदम था।
- सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिये आपसी विश्वास व सहयोग की आवश्यकता होती है। इसके लिये भूमिकाओं व उत्तरदायित्वों के विशिष्ट विभाजन करने, अस्पष्टता को कम करने तथा हितधारकों के मध्य आदेश की स्पष्ट शृंखला को परिभाषित करने की आवश्यकता होती है।
- जून 2015 में, दिल्ली विधान सभा ने 'दिल्ली नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी विधेयक' पारित किया था और इसे स्वीकृति के लिये राष्ट्रपति के पास भेजा था। इसमें 'सरकार' शब्द को 'दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार' के रूप में परिभाषित किया गया था।
- जनवरी 2017 में, उपराज्यपाल ने दिल्ली विधान सभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर यह कहा था कि राष्ट्रपति ने विधेयक को वापस कर दिया है, क्योंकि इसमें 'सरकार' शब्द को असंगत रूप से परिभाषित किया गया था।
- इसके पश्चात् दिल्ली विधानसभा ने विधेयक का संशोधित संस्करण पारित किया, जिसमें 'राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एन.सी.टी. दिल्ली के

उपराज्यपाल' को 'सरकार' की परिभाषा में शामिल किया गया था।

निष्कर्ष

- दिल्ली विधानसभा के नियमों को लोकसभा नियमों के अनुरूप बनाने से अधिक स्पष्टता सुनिश्चित हो सकेगी एवं सहयोग का वातावरण निर्मित होगा। ये संशोधन दिल्ली विधान सभा की शक्तियों को कम या अधिक नहीं करते अपितु ये एन.सी.टी. क्षेत्र में सहयोगी वातावरण निर्मित करते हैं।
- यह संशोधन इसलिये भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में संसद, न्यायपालिका, राजनयिक मिशन तथा राष्ट्रीय महत्त्व के अन्य संस्थान स्थित हैं। इसके अलावा, 'दिल्ली' राष्ट्रीय राजधानी होने के साथ-साथ संप्रभुता का प्रतीक भी है।

अनुच्छेद 244 (क) की प्रासंगिकता का मुद्दा

संदर्भ

हाल ही में, एक राष्ट्रीय दल के राजनेता ने असम के आदिवासी बहुल ज़िलों में लोगों के हितों की रक्षा के लिये संविधान के अनुच्छेद 244 (क) को लागू करने का वादा किया है।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

- 1950 के दशक में अविभाजित असम की जनसंख्या के कुछ वर्गों के मध्य एक अलग राज्य के गठन की माँग उठी थी। वर्ष 1960 में पहाड़ी क्षेत्रों के विभिन्न राजनीतिक दलों ने पृथक राज्य की माँग करते हुए 'ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस' का गठन किया था। लंबे समय तक आंदोलन करने के पश्चात् वर्ष 1972 में मेघालय को स्वतंत्र राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था।
- उल्लेखनीय है कि कार्बी ऑन्गलॉन्ग और उत्तरी कछार पहाड़ियों के राजनेता भी इस आंदोलन का हिस्सा थे। उन्हें असम में रहने या मेघालय में शामिल होने का विकल्प दिया गया था। वे वापस आ गए क्योंकि तत्कालीन सरकार ने अनुच्छेद 244(क) सहित उन्हें अधिक शक्तियाँ प्रदान करने का वादा किया। तब से लगातार इसके कार्यान्वयन की माँग की जा रही है।
- 1980 के दशक में कई कार्बी समूहों ने इस माँग को लेकर हिंसात्मक आंदोलन शुरू कर दिया। इसने शीघ्र ही एक सशस्त्र अलगाववादी विद्रोह का रूप ले लिया और एक पृथक राज्य के गठन की माँग की जाने लगी।

वर्तमान स्थिति

- फरवरी 2021 में गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में एक कार्यक्रम के दौरान कार्बी ऑन्गलॉन्ग ज़िले के पाँच आतंकवादी समूहों ने औपचारिक रूप से हथियार डाल दिये। वस्तुत: यहाँ का संपूर्ण राजनीतिक समुदाय आज भी इस क्षेत्र को 'स्वायत्त राज्य' का दर्जा देने की माँग कर रहा है।
- जनवरी 2021 में, असम के एक राजनीतिक दल तथा स्वायत्त पहाड़ी ज़िला निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि ने केंद्र सरकार को एक ज्ञापन सौंपकर अनुच्छेद 244 (क) को लागू करने की माँग की थी। इसके बाद फरवरी में कार्बी समूहों ने आत्मसमर्पण किया और गृह मंत्री के समक्ष अपनी माँग रखी। यद्यपि अभी तक इन क्षेत्रों के लिये केवल एक विशेष विकास पैकेज का ही वादा किया गया है।

अनुच्छेद *244* (क)

- अनुच्छेद 244 (क) वर्ष 1969 में तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा बाईसवें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में अंत:स्थापित किया गया था। यह असम राज्य क्षेत्र में कुछ विशेष जनजातीय क्षेत्रों को 'स्वायत्त राज्य' के निर्माण की अनुमति देता है। इसके तहत स्थानीय विधान मंडल या मंत्रिपरिषद् या दोनों के गठन का भी प्रावधान किया गया है।
- अनुच्छेद 244 (क) आदिवासी क्षेत्रों में अधिक स्वायत्त शक्तियों के लिये उत्तरदायी है, जबकि छठी अनुसूची के तहत गठित स्वायत्त परिषद् को कानून एवं व्यवस्था से संबंधित अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं हैं।

संविधान की छठी अनुसूची

- संविधान की छठी अनुसूची में अनुच्छेद 244 (2) और 275 (1) में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित विशेष उपबंध किये गए हैं, जो इस क्षेत्र में राजनीतिक स्वायत्तता व विकेंद्रीकृत शासन की अनुमति देते हैं।
- पूर्वोत्तर के कुछ आदिवासी क्षेत्रों में इसे स्वायत्त परिषदों के माध्यम से, निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा प्रशासित व क्रियान्वित किया जाता है। असम के पहाड़ी ज़िले दीमा हसाओ, कार्बी ऑन्गलॉन्ग तथा पश्चिमी कार्बी व बोडो प्रादेशिक क्षेत्र इस प्रावधान के अंतर्गत शामिल हैं।
- छठी अनुसूची से संबंधित राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के लिये स्वशासी ज़िलों के गठन का प्रावधान किया गया है। यदि किसी स्वशासी ज़िले में अनेक अनुसूचित जनजातियाँ उपस्थित हैं तो राज्यपाल, ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों को स्वशासी प्रदेशों (Autonomous Regions) में विभाजित कर सकता है।
- राज्यपाल को जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित स्वशासी क्षेत्रों में किसी क्षेत्र को शामिल करने तथा किसी क्षेत्र को अपवर्जित करने की शक्ति प्राप्त है। साथ ही नए स्वशासी ज़िले के गठन, क्षेत्र में परिवर्तन, दो या अधिक स्वशासी ज़िलों या उनके भागों को मिलाकर एक स्वशासी ज़िला बनाने तथा उसके नाम या सीमा

में परिवर्तन करने की शक्ति भी संबंधित राज्य के राज्यपाल को दी गई है।

- गौरतलब है कि राज्यपाल, उक्त क्षेत्रों से संबंधित कोई भी परिवर्तन केवल जनजातीय क्षेत्रों के लिये गठित आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही करेगा।

लोक अदालत : त्वरित न्याय बनाम गुणवत्तापूर्ण न्याय

संदर्भ

वर्ष 2021 की पहली 'राष्ट्रीय लोक अदालत' (National Lok Adalat – NLA) 10 अप्रैल को आयोजित की गई थी। यूँ तो लोक अदालतें विगत 38 वर्षों से कार्यरत हैं किंतु उनकी कार्य-कुशलता, प्रदर्शन और गुणवत्ता को लेकर कई सवाल उठते रहे हैं। अत: लोक अदालतें पुन: चर्चा के केंद्र में हैं।

लोक अदालतों की उत्पत्ति

- वैधानिक मान्यता प्राप्त होने से पूर्व भी लोक अदालतें विद्यमान थीं। वर्ष 1949 में महात्मा गाँधी के अनुयायी हरिवल्लभ पारिख ने गुजरात के रंगपुर में इसे काफी लोकप्रिय बनाया था।
- 'न्याय सिद्धांत' कहता है कि 'न्याय प्राप्ति में देरी, न्याय न मिलने के सामान है।' अत: इसी स्थिति से पार पाने के लिये भारतीय संसद ने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 39(क) अंत:स्थापित किया था।
- इस अनुच्छेद में 'समान न्याय और नि:शुल्क विधिक सहायता' सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। अर्थात् इस अनुच्छेद के माध्यम से राज्य को निर्देशित किया गया कि वह न्याय प्रणाली तक गरीबों व कमज़ोर वर्गों की प्रभावी पहुँच सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।
- इसी अनुच्छेद को प्रभावी बनाने के लिये संसद ने 'विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987' पारित किया था, जो वर्ष 1995 में लागू हुआ था। वस्तुत: लोक अदालतों की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि समतामूलक न्याय को बढ़ावा दिया जा सके। उल्लेखनीय है कि लोक अदालतें औपचारिक न्यायिक व्यवस्था की अपेक्षा मामलों का त्वरित निपटारा करती हैं।

लोक अदालतें और संबंधित प्रश्न

- लोक अदालतों में मामलों के 'त्वरित निपटान' और 'न्याय की गुणवत्ता' के बीच विरोधाभास है। इस संबंध में कुछ विद्वान विभिन्न प्रश्न उठाते हैं। उनका मत है कि क्या लोक अदालतें गरीबों के सशक्तीकरण में वाकई सहायक हैं अथवा ये उन्हें जल्द से जल्द कोई समझौता करने के लिये मजबूर करती हैं?
- ये अदालतें तेज़ी से तथा अधिक संख्या में मामलों का निपटारा करने की प्रक्रिया में कहीं न्याय की मूल भावना से तो समझौता नहीं करती हैं? इसी संबंध में कहा भी जाता है कि 'जल्दबाजी में किया गया न्याय, न्याय को दफन करने के समान होता है।' (Justice hurried is justice buried.)
- कुछ लोग यह प्रश्न भी उठाते हैं कि क्या भारत ने दोहरी न्यायिक प्रणाली को अपना लिया है? अर्थात् औपचारिक न्यायिक प्रणाली यानी न्यायालय केवल धनी व शक्तिशाली व्यक्तियों के लिये ही हैं, गरीबों के लिये नहीं? कुछ ऐसा ही विचार भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने भी व्यक्त किया था।

विवाद समाधान का एक मंच

- लोक अदालतें विवादों का समाधान करने का एक वैकल्पिक मंच उपलब्ध कराती हैं। यहाँ संबंधित पक्षों में आपसी-सहमति के माध्यम से मामलों को निपटाने का प्रयास किया जाता है। लोक अदालतें आमतौर पर वाहन-दुर्घटना संबंधी दावे, जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित विवाद, चेक से संबंधित विवाद तथा भूमि, श्रम व विवाह संबंधी विवाद (तलाक को छोड़कर) इत्यादि मामलों की सुनवाई करती हैं।
- 'राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण' (State Legal Services Authorities - SLSAs) दैनिक, पाक्षिक और मासिक आधार पर लोक अदालतों का आयोजन करता है।
- 'राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण' (National Legal Services Authority - NALSA) के तत्त्वावधान में देशभर में आयोजित होने वाली 'राष्ट्रीय लोक अदालतों' ने हाल ही में एक दिन में ही करीब 11 लाख से ज़्यादा मामलों का निपटारा किया था। ध्यातव्य है कि वर्ष 2016 से 2020 के बीच राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से 2 करोड़ 90 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया गया।

भारतीय न्याय प्रणाली में लंबित मामलों की स्थिति

- भारत में न्यायिक प्रक्रिया अत्यंत समयसाध्य है और अदालतों में बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के अनुसार, ज़िला और तालुका स्तरीय न्यायालयों में लंबित कुल मामलों में से करीब 17% मामले ऐसे हैं, जो लगभग 3-5 वर्ष पुराने हैं।
- जबकि उच्च न्यायालयों में करीब 20.4% मामले पाँच से दस वर्ष पुराने तथा 17% से अधिक मामले दस से बीस वर्ष पुराने हैं।
- इसके अलावा, उच्चतम न्यायालय में लगभग 66,000 मामले, उच्च न्यायालयों में लगभग 57 लाख मामले और ज़िला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में लगभग 3 करोड़ मामले लंबित हैं।
- भारतीय न्यायालयों में लंबित मामलों की स्थिति का आकलन करते हुए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस वी.वी.एस. राव ने कहा कि इन लंबित मामलों का निपटान करने में करीब 320 वर्षों का समय लगेगा।

लोक अदालतों में मुकदमों के त्वरित निपटान के कारण

- न्यायालयों व अन्य विवाद समाधान तंत्रों, जैसे– पंचाट और मध्यस्थता की तुलना में लोक अदालतों में मुकदमों का निपटारा तेज़ी से होता है।
- लोक अदालतों में मामलों के त्वरित समाधान के कई कारण हैं, जैसे– प्रक्रियागत लचीलापन, नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 जैसे प्रक्रियात्मक कानूनों के अनुप्रयोग में ढील, कम खर्चीली न्यायिक प्रक्रिया इत्यादि। विदित है कि लोक अदालतों में मामलों को ले जाने के लिये कोई न्यायालय शुल्क भी नहीं लगता है।
- इसके अतिरिक्त, लोक अदालतों द्वारा दिये गए निर्णयों के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है, इससे विवादों के निपटारे में तेज़ी आती है। इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि संयुक्त समझौता याचिका दायर किये जाने के उपरांत लोक अदालत द्वारा दिये गए निर्णय को दीवानी न्यायालय की डिक्री (Decree) का दर्जा प्राप्त हो जाता है।

समस्याएँ

- नाल्सा के अनुसार, किसी विषय-आधारित विशेष मुद्दे के समाधान से संबंधित राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat–NLA) को वर्ष 2015 और 2016 में मासिक आधार पर आयोजित किया गया था। इसके अंतर्गत, एक एन.एल.ए. द्वारा प्रत्येक माह के हरेक दिन किसी विशिष्ट प्रकार के विवाद को ही निपटाया जाता था।
- हालाँकि वर्ष 2017 से इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और अब प्रत्येक एन.एल.ए. में एक ही दिन में विविध प्रकार के मामलों को लाया जा रहा है। ऐसा एन.एल.ए. की आयोजन लागत को कम करने और संबंधित पक्षों को बातचीत का अधिक समय देने के लिये किया गया है।
- वर्ष 2015 और 2016 में प्रतिवर्ष 10-10, वर्ष 2017 व 2018 में प्रतिवर्ष 5-5 तथा वर्ष 2019 में 4 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया था। अर्थात् समय के साथ-साथ लोक अदालतों का आयोजन हतोत्साहित होता चला गया। इसके अलावा, प्रत्येक लोक अदालत द्वारा निपटाए जाने वाले मामलों की संख्या में भी कमी आई।
- आँकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2017 से प्रति एन.एल.ए. निपटाए जाने वाले मामलों की औसत संख्या में वृद्धि हुई है, जबकि प्रत्येक वर्ष आयोजित एन.एल.ए. की संख्या में कमी आई है।
- कोविड-19 महामारी के दौरान राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर ई-लोक अदालतों का आयोजन भी किया गया। हालाँकि, इसके माध्यम से निपटाए गए मामलों की संख्या वर्ष 2017, 2018 और 2019 में निपटाए गए मामलों की औसत संख्या से कम थी। इससे पता चलता है कि भौतिक रूप से आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतों की तुलना में ई-लोक अदालतों की दक्षता कम थी।
- लोक अदालतों का केंद्रीय विचार 'समझौता' और 'सुलह' होता है, जिससे इस बात की संभावना बनी रहती है कि मामलों को शीघ्रता से निपटाने के प्रयास में 'न्याय की मूल भावना' कमज़ोर हो सकती है।
- इसके अतिरिक्त, कई मामलों में समाधान की शर्तें गरीबों पर आरोपित की जाती हैं और उनके पास इन शर्तों को स्वीकारने के अलावा कोई अन्य विकल्प भी नहीं होता है।
- इसी तरह, महिलाओं के वैवाहिक विवादों के मामलों में समझौते की शर्तें फैमली-कोर्ट द्वारा निर्धारित की जाती हैं। अत: लोक अदालतों में मामलों को तेज़ी से निपटाने के साथ-साथ कानूनी प्रक्रिया भी अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

- लोक अदालतों को मामलों को दक्षतापूर्वक निपटाने के साथ उनकी गुणवत्ता पर भी ध्यान देना चाहिये। सर्वोच्च न्यायालय ने 'पंजाब राज्य बनाम जलौर सिंह' (2008) मामले में कहा था कि लोक अदालतें शुद्ध रूप से सुलहकारी निकाय हैं और इसका कोई सहायक (Adjudicatory) या न्यायिक कार्य व कर्तव्य नहीं है।
- सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति की अध्यक्षता करने वाले न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ ने हाल ही में ई-कोर्ट परियोजना का त्रिचरणीय मसौदा प्रस्तुत किया। इसके लागू होने के बाद न्यायिक प्रक्रिया की दक्षता में सुधार होने की उम्मीद है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम और निजी गैर-अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान

संदर्भ

हाल ही में, 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009' की निष्पक्षता को लेकर बहस चल रही है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि यह अधिनियम अल्पसंख्यक व गैर-अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में भेदभाव करता है, जो सार्वभौमिक शिक्षा सुनिश्चित करने के लक्ष्य के विरुद्ध है।

शिक्षा के अधिकार की प्रवर्तनीयता

- अधिकांश मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध लागू होते हैं, उन्हें निजी व्यक्तियों के विरुद्ध लागू नहीं किया जा सकता है। यह व्यवस्था 'मौलिक अधिकारों का ऊर्ध्वाधर अनुप्रयोग' कहलाती है।
- जबकि कुछ मौलिक अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध भी लागू होते हैं, जैसे– अस्पृश्यता का अंत (अनुच्छेद 17), नि: शुल्क तथा

अनिवार्य शिक्षा का अधिकार इत्यादि। मौलिक अधिकारों के वितरण की यह व्यवस्था 'मौलिक अधिकारों का क्षैतिज अनुप्रयोग' कहलाती है।

- आरंभ में 'शिक्षा के अधिकार' का उल्लेख भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्त्वों में अनुच्छेद 45 के अंतर्गत किया गया था। इसमें राज्य से अपेक्षा की गई थी कि वह एक दशक के भीतर 14 वर्ष तक के बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। उल्लेखनीय है कि पहले शिक्षा का अधिकार प्रवर्तनीय नहीं था, किंतु वर्ष 2009 में इसके मौलिक अधिकार बन जाने के बाद से यह प्रवर्तनीय हो गया है।

संबंधित वाद

- वर्ष 1992 में उच्चतम न्यायालय ने 'मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य' वाद में शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का ही एक भाग बताया था।
- इसके पश्चात् वर्ष 1993 में 'उन्नीकृष्णन जे.पी. बनाम आंध्र प्रदेश' वाद में न्यायालय ने कहा था कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार शिक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है।
- न्यायालय ने स्वीकार किया कि शिक्षा के सार्वभौमिक प्रसार का कार्य राज्य द्वारा अकेले पूरा नहीं किया जा सकता है, इसमें अल्पसंख्यक संस्थानों सहित निजी शिक्षण संस्थानों के सहयोग की भी आवश्यकता है।
- इसी पृष्ठभूमि में संसद ने वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 21(क) अंत:स्थापित किया था, जिसके अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया था।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन तथा पी.ए. इनामदार जैसे मामलों में दिये गए ऐतिहासिक निर्णयों ने शिक्षा के अधिकार के लिये संवैधानिक आधार तैयार किया।
- वर्ष 2005 के पी.ए. इनामदार वाद में न्यायालय ने स्पष्ट कहा था कि निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया जाएगा तथा अल्पसंख्यक एवं गैर-अल्पसंख्यक संस्थानों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा।

93वाँ संविधान संशोधन अधिनियम एवं उसके प्रभाव

- 93वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2005 के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 15(5) अंत:स्थापित किया गया था, जो 'भेदभाव के विरुद्ध मौलिक अधिकार' से संबंधित था। इसके अंतर्गत राज्य को यह अधिकार दिया गया था कि निजी शिक्षण संस्थानों सहित सभी शिक्षण संस्थानों में वह 'पिछड़े वर्गों' के प्रवेश के लिये प्रावधान कर सकेगा, ताकि उनकी दशा में सुधार लाया जा सके।
- हालाँकि इसके अंतर्गत राजकीय सहायता प्राप्त तथा गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को शामिल नहीं किया गया था। चूँकि इस नव स्थापित अनुच्छेद से सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छूट प्रदान गई थी, अत: यह वर्ष 2005 के इनामदार मामले के उस निर्णय के विरुद्ध था, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि अल्पसंख्यक एवं गैर-अल्पसंख्यक संस्थानों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा।

शिक्षा के अधिकार में भेदभाव

- वर्ष 2009 में जब 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम' लागू किया गया था, तो इसमें अल्पसंख्यक व गैर-अल्पसंख्यक निजी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों के मध्य कोई भेदभाव नहीं किया गया था तथा सभी निजी शिक्षण संस्थानों में समाज के पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिये 25% सीटें आरक्षित की गई थीं।
- तत्पश्चात् 'सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल ऑफ राजस्थान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया' वाद में निजी संस्थानों में 25% आरक्षण के प्रावधान को चुनौती दी गई थी, जिसमें न्यायालय ने इस कानून को वैधता प्रदान की तथा केवल गैर-सहायता प्राप्त निजी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को ही इसके दायरे से बाहर रखा था।
- आगे वर्ष 2012 में न्यायालय के इस निर्णय के जवाब में संसद ने आर.टी.ई. अधिनियम में संशोधन किया और प्रावधान किया कि 'सहायता प्राप्त व गैर-सहायता प्राप्त सभी गैर-अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को आरक्षण के प्रावधान का पालन करना होगा, जबकि सहायता प्राप्त व गैर-सहायता प्राप्त सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को आरक्षण के प्रावधान से छूट प्राप्त होगी।' इस प्रावधान का आधार संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 को बनाया गया, जो अल्पसंख्यकों को निजी शिक्षण संस्थानों के प्रशासन का अधिकार प्रदान करते हैं। इसके कारण गैर-सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों का आर्थिक व प्रशासनिक दायित्व सरकारी विद्यालयों की तुलना अत्यधिक बढ़ गया था।
- गौर करने लायक है कि इस भेदभावमूलक आर.टी.ई. अधिनियम को जिस अनुच्छेद 21 के आलोक में पारित किया गया है, वह अल्पसंख्यक व गैर-अल्पसंख्यक संस्थानों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता है। आर.टी.ई. अधिनियम के इन प्रावधानों को अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त 'समता के अधिकार' का उल्लंघन भी माना जाता है तथा इससे कई निजी शिक्षण संस्थानों पर अनुचित आर्थिक बोझ भी बढ़ता है।
- 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम' बिना किसी तार्किक कारण के, न केवल अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक विद्यालयों में विभेद करता है, बल्कि यह अल्पसंख्यक विद्यालयों को इसके दायरे से बाहर कर सार्वभौमिक शिक्षा का उद्देश्य प्राप्त करने में भी बाधा उत्पन्न करता है।

अल्पसंख्यक विद्यालयों में आर.टी.ई. लागू करने की आवश्यकता

- मौलिक अधिकारों में सामंजस्य स्थापित करने के लिये तथा शिक्षा के सार्वभौमिक प्रसार को तीव्र करने के लिये अल्पसंख्यक संस्थानों को आर.टी.ई. अधिनियम से पूर्ण छूट नहीं दी जानी चाहिये। असल में, आर.टी.ई. अधिनियम के कई प्रावधान ऐसे भी हैं, जो उनके प्रशासनिक अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं।
- आर.टी.ई. अधिनियम में विद्यार्थियों के प्रति शारीरिक व मानसिक क्रूरता की रोकथाम के पर्याप्त उपाय किये गए हैं तथा शैक्षिक गुणवत्ता की जाँच करने के लिये भी विभिन्न मानदंड स्थापित किये गए हैं। अत: अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में आर.टी.ई. अधिनियम लागू नहीं होने से वहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी न सिर्फ शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना के शिकार हो जाते हैं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से भी वंचित रह जाते हैं।
- वर्ष 2016 के 'सोभा जॉर्ज बनाम केरल राज्य' वाद में केरल उच्च न्यायालय ने कहा था कि आर.टी.ई. की धारा 16 अल्पसंख्यक विद्यालयों पर भी लागू होगी। इस अधिनियम की धारा 16 के अनुसार, यदि कोई विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाता है तो भी, उसे अगली कक्षा में पदोन्नत करने से नहीं रोका जाएगा।
- पीठ ने कहा था कि न्यायालयों को इस बात की जाँच करनी चाहिये कि क्या आर.टी.ई. की धारा 16 जैसे प्रावधान वैधानिक अधिकार हैं अथवा नहीं। न्यायालय ने कहा कि अल्पसंख्यक संस्थानों की कार्य प्रणाली आर.टी.ई. अधिनियम के अधीन न होकर संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के अधीन है।

निष्कर्ष

- यह सही है 'शिक्षा का अधिकार' कानून एक बेहतर उद्देश्य से लाया गया था, किंतु निजी गैर-अल्पसंख्यक संस्थानों के साथ इसकी भेदभावपूर्ण प्रकृति की पुन: जाँच किये जाने की आवश्यकता है। 93वें संविधान संशोधन अधिनियम तथा उसके बाद के न्यायिक निर्णयों से इन शिक्षण संस्थानों को हुई क्षति पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।
- उच्चतम न्यायालय को केरल उच्च न्यायालय द्वारा दिये गए प्रगतिशील निर्णय से प्रेरणा लेनी चाहिये तथा प्रमति एजुकेशनल सोसाइटी मामले में अपने दिये गए निर्णय की समीक्षा करनी चाहिये।

अध्यादेश जारी करने का अधिकार और परंपरा

संदर्भ

हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने उस अध्यादेश को निरस्त कर दिया, जिसके तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिये एक आयोग की स्थापना की जानी थी।

पृष्ठभूमि

- सर्वप्रथम भारत शासन अधिनियम, 1861 के अंतर्गत वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया जो 6 माह से अधिक लागू नहीं रह सकता था।
- संविधान सभा में अध्यादेश की वैधता पर चर्चा हुई तथा इसे कुछ सदस्यों के द्वारा चार सप्ताह के भीतर सदन में प्रस्तुत करने की बात कही गई।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 (राष्ट्रपति को) तथा अनुच्छेद 213 (राज्यपाल को) अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।

अध्यादेश संबंधी प्रमुख बिंदु

- अध्यादेश तभी जारी किया जा सकता है जब संसद के दोनों सदन या कोई भी एक सदन सत्र में न चल रहा हो। साथ ही, जब इस बात की संतुष्टि कर ली जाए कि मौजूदा परिस्थिति में तत्काल कार्यवाई करना आवश्यक है।
- सत्रावसान की स्थिति में जारी किए गए अध्यादेश को संसद की पुन: बैठक के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिये।
- संसद, दोनों सदनों से उस अध्यादेश को पारित कर सकती है, उसे अस्वीकार कर सकती है अन्यथा 6 सप्ताह की अवधि समाप्त हो जाने पर अध्यादेश स्वत: ही समाप्त हो जाता है।
- वर्ष 1970 में आर.सी. कूपर मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने के निर्णय की असद्भाव के आधार पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।
- वर्ष 1975 में किये गए अड़तीसवें संविधान संशोधन के माध्यम से कहा गया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि अंतिम व मान्य होगी तथा इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है, परंतु वर्ष 1978 के चौवालीसवें संविधान संशोधन के माध्यम से इस उपबंध को समाप्त कर दिया गया।

एक असंवैधानिक परंपरा

- वर्ष 1987 के डी.सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय ने बार-बार अध्यादेशों के जारी होने की आलोचना करते हुए कहा कि यह राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाने की शक्ति का कार्यपालिका द्वारा अतिक्रमण है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग असामान्य परिस्थितियों में किया जाना चाहिये न कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिये।

- इसके वावजूद भी केंद्र सरकार ने वर्ष 2013 तथा 2014 में प्रतिभूति कानून (संशोधन) अध्यादेश को तीन बार प्रख्यापित किया। इसी तरह भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन करने के अध्यादेश को दिसंबर 2014 में जारी किया और 2 बार (अप्रैल तथा मई 2015 में) पुनर्संयोजित किया गया।
- वर्ष 2017 के कृष्ण कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने इस प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर निर्णय दिया कि अध्यादेश को जारी करने की शक्ति की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।
- न्यायालय के इस फैसले की अनदेखी करते हुए भारतीय चिकित्सा परिषद संशोधन अध्यादेश को वर्ष 2018 के सितंबर माह में जारी किया गया तथा इसे पुन: वर्ष 2019 में जारी किया गया।
- राज्य सरकारें भी कानूनों को लागू करने के लिये अध्यादेश के मार्ग का अनुसरण कर रही हैं। जिसमें वर्ष 2020 में केरल राज्य ने 81 जबकि कर्नाटक तथा महाराष्ट्र ने क्रमश: 24 और 21 अध्यादेश को जारी किये।

निष्कर्ष

अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसी विषम परिस्थिति से निपटने के लिये संविधान में शामिल की गई थी, किंतु केंद्र तथा राज्य सरकारों के द्वारा इस शक्ति के दुरुपयोग की प्रवृत्ति देखी जा रही है, जो कि शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर प्रश्नचिह्न लगाता है तथा शक्ति संतुलन को भी बिगाड़ने का प्रयास करता है। अत: सरकारों द्वारा अध्यादेश की उपयोगिता तथा उसकी अवधारणा को ध्यान में रखकर इसके दुरुपयोग पर अंकुश लगाया जाना चाहिये।

स्मरणीय तथ्य

- अनुच्छेद 123– राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति।
- अनुच्छेद 213– राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति।
- अध्यादेश (राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा) मंत्रिमंडल की सलाह पर जारी करने तथा वापस लेने का कार्य किया जाता है।
- अध्यादेश को पूर्ववर्ती तिथि से भी लागू किया जा सकता है।
- अध्यादेश द्वारा संसद के किसी भी कार्य या अन्य अध्यादेश को संशोधित अथवा निरसित किया जा सकता है।
- संविधान संशोधन हेतु अध्यादेश जारी नहीं किये जा सकते हैं।
- राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का अनुच्छेद में वर्णित राष्ट्रीय आपातकाल से कोई संबंध नहीं है।

न्यायालयों पर बढ़ता दोहरा दबाव

संदर्भ

- हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा पदों की संख्या में भारी कमी को देखते हुए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात कही है।
- कॉलेजियम व्यवस्था का दोष हो या केंद्र सरकार की शिथिलता, हाल के दिनों में नियुक्ति प्रक्रिया में अस्वीकार्य देरी ने उच्च न्यायालयों में बड़ी संख्या में रिक्तियों को बढ़ाया है।

पटना उच्च न्यायालय में लगभग 60% से अधिक पद रिक्त हैं जोकि भारत में सर्वाधिक हैं।
उत्तर पूर्वी भारत के तीन उच्च न्यायालयों में एक भी पद रिक्त नहीं है।

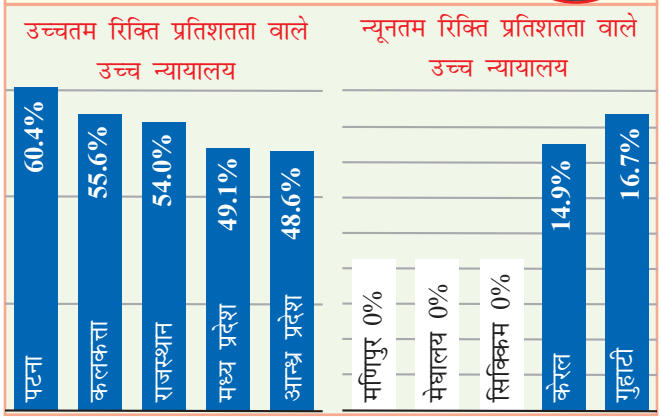

कॉलेजियम व्यवस्था

- कॉलेजियम व्यवस्था, न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की एक ऐसी प्रणाली है, जो उच्चतम न्यायालय के निर्णयों से विकसित हुई है न कि संसद या संविधान सभा द्वारा।
- उच्चतम न्यायालय के वर्ष 1993 के द्वितीय न्यायाधीश मामले (सुप्रीम कोर्ट एड्वोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एशोसिएशन बनाम भारत संघ) में 9 जजों की संविधान पीठ द्वारा वर्ष 1981 के प्रथम न्यायाधीश मामले (एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ) के फैसले को रद्द कर 'कॉलेजियम व्यवस्था' को अस्तित्व में लाया गया।
- इस व्यवस्था के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण संबंधी सिफारिश करते हैं। हालाँकि भारतीय संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है।
- उच्च न्यायालय के कॉलेजियम का नेतृत्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उस न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं।
- उच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा नियुक्ति के लिये सिफारिश किये गए नाम, भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम के अनुमोदन के बाद ही सरकार के पास पहुँचते हैं।
- ध्यातव्य है कि 99वें संविधान संशोधन, 2014 के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये एक 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग'

(National Judicial Appointments Commission - NJAC) की स्थापना की गई। किंतु, वर्ष 2015 में उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिये खतरा कहकर 99वें संविधान संशोधन एवं एन.जे.ए.सी. को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में वर्ष 1993 की कॉलेजियम व्यवस्था ही लागू है।

तदर्थ न्यायाधीश

- भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने बढ़ रहे लंबित मामलों और मौजूदा रिक्तियों की चुनौती से निपटने के लिये अनुच्छेद 224(A) की पुनरावृत्ति की आवश्यकता को स्पष्ट किया है।
- अनुच्छेद 224(A) उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अस्थायी अवधि के लिये तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की बात करता है।
- तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर, राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति तथा संबंधित व्यक्ति की मंज़ूरी के बाद की जाती है।
- ऐसे न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा तय भत्तों के अधिकारी होते हैं तथा वह उस उच्च न्यायालय के सभी न्यायिक क्षेत्र की शक्ति एवं सुविधाओं और विशेषाधिकारों को भी प्राप्त करते हैं।

पीठ के सुझाव

- पीठ ने तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सुझाव देते हुए कहा कि ऐसे न्यायाधीशों की नियुक्ति तब करनी चाहिये जब रिक्तियों की संख्या 20% से अधिक हों या 5 साल से अधिक समय से लंबित पड़े मामलों की संख्या 10% से अधिक हो।
- पीठ ने अपने फैसले में कहा कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति में वर्तमान मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर का भी पालन किया जाए।
- इनकी नियुक्ति अवधि के लिये 2 से 3 वर्ष का सुझाव दिया गया। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया गया कि यह एक क्षण भंगुर कार्यप्रणाली है। अत: इससे नियमित नियुक्ति प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं उत्पन्न होगी।

निष्कर्ष

वर्तमान में न्यायालय दोहरे दबाव का सामना कर रहे हैं। अत: केंद्र सरकार को इसे कम करने के लिये कोई ठोस कदम उठाना चाहिये। साथ ही, न्यायपालिका को भी यह सुनिश्चित करना चाहिये कि अनुभव और विशेषज्ञता के साथ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को केवल अस्थायी अवधि के लिये ही पदों की पेशकश की जाए। अन्यथा दूसरे नियमित न्यायाधीशों के साथ भेदभाव की प्रवृत्ति में वृद्धि होने की संभावना को बल मिलेगा।

अन्य तथ्य

- उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों एवं रिक्तियों की संख्या काफी अधिक है। सभी उच्च न्यायालयों में लगभग 57 लाख से भी अधिक मामले लंबित है साथ ही 40% पद रिक्त पड़े हैं।
- लंबित पड़े प्रकरणों में से 54% मामले केवल 5 उच्च न्यायालयों में मौजूद है।

पुलिस प्रमुख की चयन प्रक्रिया तथा पुलिस सुधार

संदर्भ

- हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुंबई पुलिस आयुक्त को उसके पद से हटाए जाने के उपरांत पुलिस प्रमुखों की नियुक्ति तथा पद से हटाने की प्रक्रिया पुन: चर्चा का विषय बना हुआ है। इस प्रक्रिया के माध्यम से सरकारें राज्य पुलिस पर नियंत्रण स्थापित कर तय करती हैं की पुलिस प्रमुख कौन होगा?
- ध्यातव्य है कि चयन हेतु उपयुक्त उम्मीदवारों की योग्यता आकलन करने हेतु किसी पारदर्शी तथा स्वतंत्र प्रणाली की बजाय एक अपारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा इनका चयन सरकारों द्वारा 'बंद दरवाज़ों के भीतर' किया जाता है।

सुधारों की आवश्यकता

- राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1979) ने वर्षों पूर्व पुलिस सुधार से संबंधित कई दिशा-निर्देश जारी किये थे, किंतु इनमे से किसी को प्रभावी तौर पर क्रियान्वित नहीं किया गया है।
- वर्ष 1996 में उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका में पुलिस द्वारा अपने अधिकारों के दुरुपयोग करने एवं पक्षपातपूर्ण तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने संबंधी आरोप लगाए गए थे।
- प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ, 2006 मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा केंद्र एवं राज्यों की पुलिस सुधार संबंधी दिशा-निर्देश तय किया गया।
- प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देश
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, रिबेरो समिति (1998) या सोराबजी समिति (2006) द्वारा संस्तुत किसी मॉडल पर राज्य सुरक्षा आयोग (एस.एस.सी.) का गठन किया जाए।
- राज्य के पुलिस महानिदेशक का चयन संघ लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.) द्वारा उक्त रैंक में पदोन्नति के लिये पैनल में शामिल किये गए विभाग के तीन वरिष्ठतम अधिकारियों में से किया जाए। साथ ही, चयन के पश्चात् उनका कार्यकाल न्यूनतम 'दो वर्ष' के लिये निर्धारित किया जाए, चाहे उनकी अधिवर्षिता की तिथि कुछ भी हो।

- प्रचालन-संबंधी कर्तव्यों पर तैनात पुलिस अधिकारियों के लिये दो वर्षों का कार्यकाल निर्धारित हो।
- दस लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों/शहरी क्षेत्रों से आरंभ करते हुए अन्वेषण कार्यों को कानून एवं व्यवस्था से पृथक किया जाए तथा क्रमिक रूप से इसे छोटे नगरों/शहरी क्षेत्रों तक बढाया जाए।
- साथ ही, पुलिस उपाधीक्षक रैंक या इससे ऊपर के अधिकारियों के स्थानांतरण, तैनाती, पदोन्नति तथा सेवा संबंधी सभी मामलों पर निर्णय लेने के लिये राज्य-स्तर पर एक पुलिस स्थापना बोर्ड का गठन किया जाए।
- पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों को संबोधित करने के लिये राज्य एवं ज़िला-स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरणों का गठन किया जाए।
- केंद्र-स्तर पर राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग का गठन किया जाए। यह न्यूनतम दो वर्ष के लिये केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों के चयन व पदस्थापन के लिये उचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष रखे जाने हेतु एक पैनल तैयार करेगा।

उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों की वस्तुस्थिति

- 26 राज्यों व संघ राज्य-क्षेत्रों ने एस.एस.सी को स्थापित तो किया है लेकिन इससे संबंधित प्रावधान उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के समतुल्य नहीं हैं। कुछ राज्यों ने इसमें विपक्ष के नेता को शामिल नहीं किया है तो कुछ राज्यों द्वारा न ही स्वतंत्र सदस्यों को शामिल किया जाता है और न ही स्वतंत्र चयन प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है।
- संक्षेप में कहा जाए तो इन आयोगों पर राजनीतिक कार्यपालिका का प्रभुत्व बना हुआ है। इसके अतिरिक्त, 23 राज्यों की सरकारें पुलिस प्रमुख का चयन अपने 'विवेकानुसार' करती हैं। असम, कर्नाटक, झारखंड तथा मेघालय एकमात्र ऐसे राज्य हैं, जहाँ एस.एस.सी को उम्मीदवारों को 'शॉर्टलिस्ट' करने की सीमित ज़िम्मेदारी दी गई है।
- अन्वेषण को कानून व्यस्था से पृथक करना आपराधिक जाँच में भ्रष्टाचार को समाप्त करने में सहायक हो सकता है। हालाँकि, यह प्रक्रिया अभी भी ठंडे बस्ते में है।

पुलिस शिकायत प्राधिकरण

- सामान्य धारणा के अंतर्गत आशंका व्यक्त की जाती है कि पुलिस की आपराधिकता के विरुद्ध पुलिस या गृह विभाग कार्रवाई नहीं करेगा। इसीलिये उच्चतम न्यायालय ने राज्य-स्तर पर एक पुलिस शिकायत प्राधिकरण (पी.सी.ए.) के गठन का सुझाव दिया था।
- उक्त प्राधिकरण का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा, जिसका चयन राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता एक पैनल द्वारा किया जाएगा।
- इसी प्रकार की एक संरचना ज़िला-स्तर पर होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त, लोकायुक्त, राज्य मानवाधिकार आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्राधिकरण को सहायता प्रदान किया जाएगा।
- दिशा-निर्देशों में यह कहा गया था कि उक्त प्राधिकरण के निर्णय राज्य सरकार पर 'बाध्यकारी' होंगे।
- हालाँकि, उच्चतम न्यायालय में दाखिल शपथपत्र से ज्ञात होता है कि किसी एक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र ने पी.सी.ए. के प्रावधानों को क्रियान्वित नहीं किया है। राज्यों ने न तो किसी पैनल का गठन किया है और न ही इस उद्देश्य से किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अध्यक्ष नियुक्त किया है।
- राज्यों ने पुलिस के विरुद्ध शिकायतों से ध्यान हटाने के उद्देश्य से पी.सी.ए. का नाम ही परिवर्तित कर दिया है, जैसे त्रिपुरा और मिज़ोरम ने इसका नाम 'पुलिस जवाबदेही आयोग' कर दिया है।

पारदर्शिता की आवश्यकता

- पुलिस सुधारों के लिये आवश्यक है कि पुलिस प्रमुखों को नियुक्ति या स्थानांतरण के लिये एक स्वतंत्र एवं पारदर्शी चयन तथा निर्णय-निर्माण प्रक्रिया हो।
- न्यायालय के दिशा-निर्देश तथा मॉडल पुलिस अधिनियम के अनुसार नियुक्तियों के लिये आवश्यक है कि यू.पी.एस.सी./एस.एस.सी. ऐसे अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करे, जिनका विगत 10 वर्ष की अवधि से अधिक के दौरान सेवावधि, सेवा रिकॉर्ड, अनुभव सीमा तथा प्रदर्शन मूल्यांकन किया गया हो।
- हालाँकि, इन शर्तों की व्याख्या या इन्हें क्रियान्वित करने के लिये किसी प्रकार के दिशा-निर्देशों को जारी नहीं किया गया। इसी प्रकार पद से हटाने संबंधी किसी जाँच प्रक्रिया को भी निर्धारित नहीं किया गया है।
- राष्ट्रीय पुलिस आयोग की संस्तुतियों के अनुसार पुलिस प्रमुख को उसके पद से हटाने से पूर्व एस.एस.सी. की मंज़ूरी आवश्यक थी। हालाँकि, प्रकाश सिंह वाद् में 'मंज़ूरी' को हटा कर 'परामर्श' करना आवश्यक कर दिया गया था।
- हालाँकि राज्य सरकारें उक्त सुझाव के अनुपालन में भी विफल रही हैं। टी.पी. सेनकुमार बनाम भारत संघ वाद्, 2017 में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "पुलिस प्रमुख के पद से हटाने के लिये सरकार की प्रथम दृष्टया संतुष्टि पर्याप्त नहीं है"।

निष्कर्ष

राजनीति से प्रेरित नियुक्ति या निष्कासन, दोनों पर निर्णय लेने के लिये एक स्पष्ट व विशिष्ट मानक निर्धारित किया जाना चाहिये। प्रशासनिक निर्णयों में निष्पक्षता तथा पुलिस की तटस्थता को सुनिश्चित करने के लिये सुधारों की तत्काल आवश्यकता है। इस क्षेत्र से संबंधित सुधारों में देरी से पुलिस का मनोबल गिरेगा तथा विधि के शासन की स्थापना में बाधा उत्पन्न होगी।

5 अंतर्राष्ट्रीय संबंध

हिंद महासागर में गश्त और भारत-अमेरिका विवाद

संदर्भ

हाल ही में, एक अमेरिकी नौसैनिक पोत ने भारत के 'अनन्य आर्थिक क्षेत्र' (Exclusive Economic Zone– EEZ) में गश्त व सैन्य गतिविधियाँ संचालित की है। इसे लेकर भारत ने अमेरिका से विरोध दर्ज कराया है। साथ ही, अमेरिका के इस दावे को भी खारिज किया कि उसका घरेलू समुद्री कानून अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नहीं है।

प्रमुख बिंदु

- कुछ दिनों पूर्व अमेरिका के जहाज 'यू.एस.एस. जॉन पॉल जोंस' ने पश्चिमी हिंद महासागर में भारत के 'ई.ई.ज़ेड.' में 'नौवहन संचालन की स्वतंत्रा' (Freedom of Navigation Operations–FONOP) का संचालन किया। यू.एस.एस. जॉन पॉल जोंस एक नौसेना विध्वंसक पोत है।
- अमेरिका ने भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के भीतर लक्षद्वीप द्वीप समूह के लगभग 130 नॉटिकल मील पश्चिम में भारत से अनुरोध और उसकी सहमति के बिना नौवहन संचालन किया और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप माना है।
- इसके बाद अमेरिकी नौसेना ने एक असामान्य और सार्वजनिक बयान में कहा है कि उसने इन जल क्षेत्रों में किसी भी सैन्य गतिविधि से पूर्व भारत को सूचित किये जाने के उसके दावे को चुनौती देने के लिये ऐसा किया है। साथ ही, अमेरिका ने भारत के दावे को तथाकथित रूप से 'विस्तारित समुद्री दावा' भी कहा है।
- अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी की जाने वाली एफ.ओ.एन.ओ.पी. रिपोर्ट के अनुसार, वह नियमित रूप से भारतीय ई.ई.ज़ेड. में इसका संचालन करता है। इसी रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2007 से 2017 तक अमेरिका ने प्रत्येक वर्ष भारत के विस्तारित समुद्री दावों को चुनौती देने के लिये कई बार एफ.ओ.एन.ओ.पी. का संचालन किया है।

अमेरिका का तर्क और चिंताएँ

- अमेरिका का अचानक से यह सार्वजनिक बयान आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि वह पहले से ही ऐसी प्रक्रिया का संचालन करता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मज़बूत करने के क्रम में अमेरिका इसका संचालन 19 देशों के तटों पर करता है।
- इसके अतिरिक्त, अमेरिका के दो वरिष्ठ अधिकारियों– अमेरिकी रक्षा सचिव और जलवायु दूत के भारत के हालिया दौरे के संदर्भ में भी यह बयान चिंतनीय है। साथ ही, अमेरिका ने कहा है कि भारत को उसके अनन्य आर्थिक क्षेत्र या महाद्वीपीय शेल्फ में सैन्य अभ्यास या सैन्य गतिविधियों के लिये पूर्व सहमति की आवश्यकता का दावा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नहीं है।
- अमेरिका के अनुसार, यह वर्ष 1982 के समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय [UN Convention on the Law of the Sea : UNCLOS (अंकलोस)] के अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप है और अमेरिका के पास अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार इस क्षेत्र में उड़ान भरने, नौवहन करने और अन्य कार्यों को संचालित करने का अधिकार है।

अंकलोस और भारत

- भारत वर्ष 1982 के तीसरे 'समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय' का पक्षकार है। यह अभिसमय वर्ष 1994 में लागू हुआ। 168 राष्ट्रों ने या तो अंकलोस 1982 को मान्यता दी है या इसकी पुष्टि की है परंतु अमेरिका अभी भी इससे बाहर ही है।
- अंकलोस 1982 में निम्नलिखित तीन समुद्री क्षेत्रों को औपचारिक स्वरूप दिया गया–
  - (i) **प्रादेशिक समुद्री सीमा–** 12 नॉटिकल मील तक विस्तृत। इसमें वह राष्ट्र अपने कानून बना सकता है। विदित है कि 1 नॉटिकल मील (समुद्री मील) 1.8 मील के बराबर होता है।
  - (ii) **अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र–** 24 नॉटिकल मील तक विस्तृत। इसमें भारत सीमा शुल्क वसूली, साफ-सफाई और वित्तीय अधिकार प्राप्त है।
  - (iii) **अनन्य आर्थिक क्षेत्र–** 200 नॉटिकल मील तक विस्तृत। इस सीमा में आने वाले प्राकृतिक संसाधनों पर एकमात्र अधिकार संबंधित देश के पास होता है।

भारत का पक्ष

- भारत सरकार के अनुसार, 'समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय' 'अन्य राज्यों को तटीय राज्य की सहमति के बिना उसके ई.ई.ज़ेड. में और महाद्वीपीय शेल्फ पर विशेष रूप से ऐसे सैन्य अभ्यास या गतिविधियाँ करने के लिये अधिकृत नहीं करता है, जिनमें हथियारों या विस्फोटकों का उपयोग शामिल हो।
- यह घटना हाल ही में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता के लिये प्रतिबद्ध क्वाड समूह के दो भागीदारों के बीच दुर्भाग्यपूर्ण है।

क्या हो सकते हैं संभावित कारण

- अमेरिका की इस घोषणा से संकेत मिलता है कि इन FONOP के लिये एक नई मानक संचालन प्रक्रिया (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) को अपनाया अपनाया जा रहा है।
- प्राथमिक रूप से अमेरिका की यह कार्रवाई संभवत: चीन के लिये एक संदेश हो सकता है किंतु अमेरिका एक व्यापक संदेश देने का भी प्रयास कर रहा है कि वह किसी भी देश के दावों को स्वीकार नहीं करेगा।

आगे की राह

- सरकार को सभी साझेदारों के साथ यह स्पष्ट करना चाहिये कि समुद्री कानूनों को संचालित करने वाला भारतीय कानून किस तरह अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप है।
- ई.ई.ज़ेड. में सैन्य युद्धाभ्यास और गतिविधि की स्थिति में ही भारत की पूर्व अनुमति आवश्यक है। हालाँकि, सैन्य युद्धाभ्यास शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है।
- साथ ही, अमेरिका की इस मंशा का विश्लेषण करते हुए उसके अनुसार नीति तैयार करना चाहिये। भारत को इस नई वास्तविकता को स्वीकार करते हुए अमेरिका से 'मुक्त और स्वतंत्र हिंद-प्रशांत क्षेत्र' के लिये सहयोग के मुद्दे को उठाने की आवश्यकता है।
- इसके अतिरिक्त, अंकलोस 1982 के हस्ताक्षरकर्ताओं को वर्तमान कानूनों की समीक्षा करने और विवादों को हल करने के लिये एक अन्य सम्मेलन बुलाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

- अमेरिका ने न केवल अपने एक सहयोगी में अलगाव की भावना को विकसित करने का प्रयास किया है, बल्कि उसने समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र के तीसरे अभिसमय की पुष्टि के बिना ही उसका हवाला देकर अपनी विडंबना को भी प्रदर्शित किया है।
- नियम आधारित समुद्री व्यवस्था बनाने के लिये अमेरिका को दक्षिणी और पूर्वी चीन सागर पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में चीन लगातार अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करने के साथ-साथ एक कृत्रिम द्वीप का भी निर्माण कर रहा है।

भारत-बांग्लादेश संबंध और भारतीय चुनाव

संदर्भ

- पश्चिम बंगाल में चल रहे विधानसभा चुनाव भारत-बांग्लादेश के संबंधों में राजनीतिक नेताओं को कोलकाता में बांग्लादेश की प्रांतीय सरकार का मुख्यालय स्थापित करने के लिये समायोजित किया गया था।
- 15 जून, 1971 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राज्यसभा में बांग्लादेश को मान्यता देने की बात कही थी। जिसके लिये वर्ष 2013 में बांग्लादेश ने उन्हें लाइबेरियन युद्ध सम्मान से सम्मानित किया।
- वर्ष 1996 में प. बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने दोनों देशों के मध्य गंगा जलसंधि को सफल बनाने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। प. बंगाल, बांग्लादेशियों के लिये चिकित्सा उपचार तथा खरीददारी के लिये एक लोकप्रिय गंतव्य है।

भारत बांग्लादेश जल बंटवारा

- भारत-बांग्लादेश के मध्य सर्वाधिक विवाद तीस्ता नदी जल बँटवारे को लेकर है। इस नदी के जल पर बांग्लादेश की 2 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या अपनी आजीविका के लिये निर्भर है।
- गर्मी के मौसम में प. बंगाल के उत्तरी क्षेत्र में इससे जल आपूर्ति होता है। जिस कारण बांग्लादेश में पानी की भारी कमी महसूस की जाती है तथा मानसून के दौरान बैराज से बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा जाना, बांग्लादेश में बाढ़ तथा रिवर बैंक के कटाव का कारण बनती है।
- वर्ष 2011 में तीस्ता नदी की जल संधि पर हस्ताक्षर करने के लिये तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश की यात्रा की परंतु अंतिम समय में प. बंगाल की मुख्यमंत्री का संधि से पीछे हट जाने से दोनों देशों के संबंधों में गतिरोध उत्पन्न हो गया।
- भारत-बांग्लादेश के मध्य उत्पन्न हुआ जलसंधि गतिरोध चीन के लिये बांग्लादेश के साथ संबंधों को सुधारने का एक मौका हो सकता है। जिस कारण चीन-बांग्लादेश के मध्य 'तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और पुनर्स्थापना परियोजना' के लिये सहमति बन सकती है, जो भारत के लिये चिंता का विषय है।

सी.ए.ए. तथा एन.आर.सी. पर अप्रत्यक्ष गतिरोध

- भारतीय संसद द्वारा वर्ष 2019 में पारित नागरिक (संशोधन) अधिनियम (सी.ए.ए.) और नागरिक रजिस्टर (एन.आर.सी.) ने भी भारत-बांग्लादेश के आपसी संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डाले तथा प. बंगाल की मुख्यमंत्री द्वारा इस अधिनियम के विरोध को बांग्लादेश में भी काफी सराहा गया था।
- वर्ष 2020 में निवर्तमान बांग्लादेशी प्रधानमंत्री ने एन.आर.सी. तथा सी.ए.ए. पर बयान देते हुए कहा कि यह भारत का आंतरिक मामला है, लेकिन हमें यह समझ नहीं आ रहा है कि भारत सरकार को ऐसा कदम उठाने की क्या आवश्यकता थी?
- हालाँकि, भारत ने बांग्लादेश से आने वाले प्रवासियों के बारे में आश्वासन दिया कि एन.आर.सी. तथा सी.ए.ए. बांग्लादेश के लोगों को प्रभावित नहीं करेगा। ढाका की चिंता स्वाभाविक है क्योंकि बांग्लादेश, असम तथा प. बंगाल की सीमा से घिरा हुआ है। बांग्लादेश के लोगों के लिये चिंता का एक कारण भारतीय गृहमंत्री के द्वारा उनके लिये की गई टिप्पणी भी थी।

सीमा-पारीय राजनीति

- प. बंगाल में एन.आर.सी. तथा सी.ए.ए. के कड़े विरोध के बावजूद भी वहाँ मटुआ समुदाय के नेताओं द्वारा इसका समर्थन किया गया। यह समुदाय बांग्लादेश से आये मटुआ शरणार्थियों के लिये नागरिकता की माँग कर रहा है। जो मटुआ महासंघ द्वारा संगठित तथा प. बंगाल के कई ज़िलों में निवास करते हैं। साथ ही, वहाँ के एक महत्त्वपूर्ण मतदाता आधार के रूप में हैं।
- इसी समुदाय के समर्थन से वर्ष 2019 के आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने प. बंगाल में एक बड़े मतदाता लाभांश की प्राप्ति की। ध्यातव्य है, यह समुदाय प. बंगाल में ऐतिहासिक दृष्टि से चुनावों का वोट बैंक नहीं था। इसकी शुरुआत वर्ष 2000 के दशक में तृणमूल कांग्रेस के अभियानों के क्रम में वाम पंथियों को चुनौती देने के रूप में हुई।
- हालिया भारतीय प्रधानमंत्री की बांग्लादेश यात्रा के दौरान उनके द्वारा इस समुदाय के पवित्र मंदिर जो ओरकंडी में स्थित है का दौरा किया गया। जो एक प्रकार से मटुआ समुदाय के मतदाताओं को प्रभावित करने का तरीका हो सकता है, जिसका लाभ प. बंगाल के विधानसभा चुनावों में मिल सकता है।
- बांग्लादेश के विदेश मंत्री ए. अब्दुल मोमन ने भारतीय गृहमंत्री द्वारा की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस दुनिया में बहुत से बुद्धिमान लोग हैं जो देखने के बाद भी देखना नहीं चाहते और न ही समझना चाहते हैं।
- वर्ष 2018 में बांग्लादेश में गरीबी रेखा से नीचे की आबादी भारत के 10.7% की तुलना में 9.2% थी। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2020 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 94वें तथा बांग्लादेश 75वें स्थान पर रहा है। साथ ही, महामारी के दौरान बांग्लादेश में मुख्य रूप से 2020 में जी.डी.पी. वृद्धि दर 3.8% दर्ज की गई जबकि भारत की वृद्धि दर नकारात्मक रही।

निष्कर्ष

बांग्लादेश और भारत के पड़ोसी एवं सामरिक, आर्थिक महत्ता के मद्देनज़र दोनों देशों के मध्य साझा इतिहास, भाषा, संस्कृति, भोजन, व्यापार, बेहतर जुड़ाव और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से अच्छे संबंधों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

अफगान-तालिबान वार्ता और भारत

संदर्भ

हाल ही में, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में नवाँ हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस दौरान भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने स्पष्ट किया कि भारत 'अफगानिस्तान-तालिबान वार्ता' का समर्थन करता है। भारत का यह रुख उसकी अफगान नीति में परिवर्तन को दर्शाता है।

भारत का रुख

- वर्ष 1990 और 2000 के दशक में भारत, लगातार तालिबान के साथ किसी भी समझौते या सौदे के विरोध में था, किंतु विगत कुछ समय से भारत के इस रवैये में बदलाव आया है।
- वर्ष 2018 में, जब रूस ने 'अफगान-तालिबान वार्ता' की मेजबानी की थी, तब भारत ने इसमें शामिल होने के लिये एक राजनयिक प्रतिनिधिमंडल भेजा था।
- सितंबर 2020 में, दोहा में संपन्न 'अंतर-अफगान शांति वार्ता' (Inter-Afghan Peace Talk) में भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने एक डिजिटल मंच के माध्यम से उद्घाटन सत्र में भाग लिया था। उन्होंने भारत का पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा था कि 'अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने की कोई भी प्रक्रिया अफगान-नेतृत्व में (Afghan Led), अफगान-अधिकृत (Afghan Owned) और अफगान-नियंत्रित (Afghan Controlled) होनी चाहिये'।
- भारत ने 'अफगान-तालिबान शांति वार्ता' पर अपने पूर्ववर्ती रुख में परिवर्तन करते हुए बाइडन प्रशासन द्वारा प्रस्तुत योजना 'संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में बहुपक्षीय सम्मेलन के आयोजन' का समर्थन किया है और तालिबान से वार्ता करने की इच्छा व्यक्त की है।
- 'अफगान-तालिबान' मामले पर भारत की नीति अफगानिस्तान की वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित होती रही है। चूँकि अफगानिस्तान में तालिबान अब कोई बाहरी शक्ति नहीं है तथा देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर इसका प्रभावी नियंत्रण है, अतः भारत अब अफगानिस्तान में अपनी स्थिति मज़बूत करने के लिये 'अंतरा-अफगान शांति वार्ता' (Intra-Afghan Peace Talk) का समर्थन कर रहा है।

वैश्विक शक्तियों का पक्ष

- बाइडन प्रशासन ने 'अफगान-तालिबान शांति स्थापना' के लिये दो प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं; पहला, युद्धरत दलों के बीच आपसी सामंजस्य के माध्यम से एकल-सरकार का गठन किया जाए और दूसरा, संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में ऐसे एक बहुपक्षीय सम्मेलन का आयोजन किया जाए, जिसमें भारत, चीन, ईरान, पाकिस्तान, रूस और अमेरिका के प्रतिनिधि शामिल हों।
- इसके अतिरिक्त, अमेरिका पहले ही तालिबान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कर चुका है, जिसके अनुसार वह मई 2021 तक अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुलाने पर सहमत हुआ था। हालाँकि अब इस समय-सीमा को बढ़ाकर 11 सितंबर, 2021 कर दिया गया है।
- चीन ने काफी समय पूर्व ही तालिबान तक अपनी पहुँच सुनिश्चित कर ली थी। रूस भी 'अफगान-तालिबान शांति वार्ता' की मेजबानी

कर चुका है। साथ ही, वार्ता को प्रायोजित करने में यूरोपीय शक्तियों ने भी रुचि दिखाई है।

हार्ट ऑफ एशिया - इस्तांबुल प्रक्रिया
(Heart of Asia - Istanbul Process : HoA - IP)

- 'हार्ट ऑफ एशिया' पहल 2 नवंबर, 2011 को तुर्की के इस्तांबुल में लॉन्च की गई थी। यह तुर्की और अफगानिस्तान की संयुक्त पहल है। इसे 'इस्तांबुल प्रक्रिया' (Istanbul Process) के नाम से भी जाना जाता है।
- इसका उद्देश्य अफगानिस्तान की सुरक्षा व स्थिरता के लिये क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है, ताकि अफगानिस्तान में शांति व समृद्धि स्थापित की जा सके।
- भारत सहित हार्ट ऑफ एशिया के 15 सदस्य देश हैं। इसके अलावा, अन्य 17 देशों तथा 12 क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी इसमें सहायक का दर्ज़ा प्रदान किया गया है।
- 'हार्ट ऑफ एशिया' का पहला सम्मलेन इस्तांबुल में आयोजित हुआ था। इसका सम्मलेन प्रतिवर्ष आयोजित होता है। भारत में इसका सम्मलेन अब तक सिर्फ एक बार वर्ष 2016 में 'अमृतसर' में आयोजित हुआ है।
- 'अफगानिस्तान' हार्ट ऑफ एशिया का स्थायी अध्यक्ष है। अर्थात् हार्ट ऑफ एशिया के प्रत्येक सम्मलेन की अध्यक्षता (Chair) अफगानिस्तान ही करता है। इसके अलावा, सदस्य देशों में से कोई एक देश अफगानिस्तान के साथ सम्मलेन की सह-अध्यक्षता (Co-Chair) करता है।
- इस्तांबुल प्रक्रिया के 3 मुख्य स्तंभ (Pillars) हैं–
  - राजनीतिक परामर्श (Political Consultation)
  - विश्वास बहाली के उपाय (Confidence Building Measures – CBMs)
  - क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग (Cooperation with Regional Organizations)

अफगानिस्तान और भारत के हित

- तालिबान के पतन के बाद से भारत ने शिक्षा, विद्युत उत्पादन, सिंचाई और आधारभूत अवसंरचनाओं के विकास से जुड़ी अनेक परियोजनाओं में निवेश के माध्यम से अफगानिस्तान के साथ संबंध मज़बूत किये हैं।
- भारत की अफगानिस्तान के लिये 3 बिलियन यू.एस. डॉलर की विकास साझेदारी है, जिसमें इसके सभी 34 प्रांतों के लिये 550 से अधिक सामुदायिक विकास परियोजनाएँ (काबुल में अधिक पेयजल उस सूची में नवीनतम है) शामिल हैं।
- ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से भारत और अफगानिस्तान के शहरों के मध्य समर्पित 'एयर फ्रेट कॉरिडोर' परियोजना भी उपलब्ध कराना दोनों देशों के बीच मज़बूत आर्थिक एकीकरण का एक प्रयास है।
- भारत कोविड वैक्सीन की पहली खेप अफगानिस्तान को फरवरी 2021 में प्रदान कर चुका है।
- इसके अलावा, भारत ने काबुल के पास शहतूत बाँध के निर्माण के लिये एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किये हैं।
- ऐसे में, यदि अफगानिस्तान में तालिबान का वर्चस्व बढ़ता है तो भारत के साथ इसके आर्थिक, सामरिक और सुरक्षा संबंध प्रभावित हो सकते हैं, अत: भारत को अफगानिस्तान और तालिबान, दोनों पक्षों के साथ संतुलन स्थापित करना होगा।

निष्कर्ष

- अन्य हितधारकों की तरह भारत को भी यह विचार करना होगा कि वह तालिबान के आत्म समर्पण के बिना किस प्रकार शांति स्थापित करने में अफगानिस्तान की सहायता कर सकता है।
- भारत शांति प्रक्रिया में शामिल होकर कमज़ोर अफगान सरकार को मज़बूत बना सकता है।
- साथ ही, भारत अपने क्षेत्रीय प्रभाव तथा अमेरिका और रूस के साथ अपने अच्छे संबंधों का उपयोग करके 'दोहरी शांति' अफगानिस्तान में तथा इसके आस-पास के क्षेत्र में शांति स्थापित कर सकता है।

इस्तांबुल अभिसमय एवं महिला अधिकार

संदर्भ

हाल ही में, तुर्की ने इस्तांबुल अभिसमय से बाहर होने की घोषणा की है। इसके पश्चात् तुर्की में महिलाओं द्वारा व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया।

इस्तांबुल अभिसमय

- 'इस्तांबुल अभिसमय' का प्रारूप यूरोपीय परिषद् द्वारा तैयार किया गया था। इस पर वर्ष 2011 में तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में हस्ताक्षर हुए। तुर्की इस पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश था। वर्तमान में एक संगठन के रूप में 'यूरोपीय संघ' (EU) तथा 45 अन्य देश इस अभिसमय पर हस्ताक्षर कर चुके हैं।
- यह अभिसमय कम-से-कम 8 हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा अनुसमर्थित (Ratify) किये जाने के बाद वर्ष 2014 से प्रभावी हुआ था। इसका आधिकारिक नाम 'द कन्वेंशन ऑन प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैटिंग वॉयलेंस अगेंस्ट विमेन एंड डोमेस्टिक वॉयलेंस' (the Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence) है।
- इसका मौलिक उद्देश्य महिलाओं के विरुद्ध होने वाले लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना, पीड़ितों को सुरक्षा प्रदान करना तथा अपराधियों को सज़ा दिलवाना है।

- वस्तुत: यह अभिसमय लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के साथ-साथ महिलाओं को हिंसा के सभी स्वरूपों से सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही, यह कानूनी रूप से बाध्यकारी भी है तथा राज्यों को अधिकृत करता है कि वे महिलाओं को लैंगिक हिंसा से सुरक्षा प्रदान करें।
- इस अभिसमय के माध्यम से महिलाओं को न सिर्फ सार्वजनिक स्थल पर होने वाली हिंसा से बल्कि घरेलू हिंसा से भी सुरक्षा प्रदान की गई है।

यूरोपीय परिषद् (Council of Europe)

- **गठन :** 5 मई, 1949
- **मुख्यालय :** स्ट्रासबर्ग, फ्राँस
- **आधिकारिक भाषा :** अंग्रेज़ी व फ्रेंच
- **सदस्य :** 47 (यूरोपीय संघ के 28 सदस्य देशों सहित)
- **पर्यवेक्षक देश :** जापान, कनाडा, मैक्सिको और यू.एस.ए.
- **उद्देश्य :** संपूर्ण यूरोप में मानवाधिकारों का संरक्षण करना, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था तथा विधि के शासन को स्थापित करना।
- ध्यातव्य है कि सिर्फ यूरोपीय देश ही यूरोपीय परिषद् के सदस्य नहीं हैं, बल्कि अर्मेनिया तथा अज़रबैजान जैसे कुछ गैर-यूरोपीय देश भी इस संगठन के सदस्य हैं।

तुर्की के इस अभिसमय से बाहर होने के कारण

- तुर्की सरकार का मत है कि तुर्की में महिलाओं के लिये समानता स्थापित करने तथा उनके प्रति हिंसा व भेदभाव रोकने संबंधी पर्याप्त कानून मौजूद हैं। तुर्की सरकार द्वारा निर्मित कानून तथा तुर्की की न्याय व्यवस्था महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करने में सक्षम है। अत: तुर्की को ऐसे किसी अन्य अभिसमय की आवश्यकता नहीं है।
- तुर्की के एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि यह अभिसमय तलाक को बढ़ावा देता है तथा पारंपरिक परिवार व्यवस्था को कमज़ोर करता है। चूँकि तुर्की में राष्ट्रपति तैय्यप एर्दोगन के नेतृत्व वाली दक्षिणपंथी सरकार सत्ता में है, और दक्षिणपंथी लोग इस अभिसमय को इस्लामिक संस्कृति के पारंपरिक मूल्यों के विरुद्ध मान रहे हैं।

अन्य प्रमुख बिंदु

- 'तुर्की' इस अभिसमय की सदस्यता त्यागने वाला पहला देश नहीं है। इससे पूर्व स्लोवाकिया, पोलैंड, हंगरी जैसे देश इसकी सदस्यता छोड़ने की घोषणा कर चुके हैं।
- चूँकि यह अभिसमय यूरोपीय परिषद् के सदस्य देशों के लिये ही उपलब्ध है और भारत यूरोपीय परिषद् का सदस्य नहीं है अत: स्वाभाविक रूप से भारत इस अभिसमय का सदस्य भी नहीं है।

भारत-पाकिस्तान व्यापार : चुनौतियाँ और संभावनाएँ

संदर्भ

हाल ही में, पाकिस्तान ने भारत से होने वाले चीनी एवं कपास के आयात पर लगभग 19 माह से लगे प्रतिबंध को हटाने का निर्णय लिया था। रमज़ान माह से पूर्व चीनी की कीमतों में हो रही वृद्धि को रोकने तथा वस्त्र उद्योग के लिये कच्चे माल की कमी को दूर करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया था। हालाँकि, अगले ही दिन पाकिस्तान सरकार ने अपने इस निर्णय को निरस्त कर दिया।

पृष्ठभूमि

- भारत ने 5 अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्ज़ा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 में संशोधन किया था। इसके विरोध में पाकिस्तान ने भारत से अपने सभी व्यापारिक संबंध समाप्त कर लिये थे। इसके बाद सितंबर 2019 में, भारत के साथ कुछ फर्मास्यूटिकल उत्पादों एवं अन्य महत्त्वपूर्ण वस्तुओं के व्यापार के लिये आंशिक छूट प्रदान की गई थी।
- गौरतलब है कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को दिये मोस्ट फेवर्ड नेशन (Most Favoured Nation) के दर्जे को समाप्त कर दिया था तथा वहाँ से होने वाले आयात पर 200 प्रतिशत का शुल्क लगा दिया था। परिणामस्वरूप, दोनों देशों के मध्य होने वाले व्यापार में गिरावट आई।

व्यापार से संबंधित महत्त्वपूर्ण तथ्य

- पाकिस्तान के सापेक्ष भारत व्यापार अधिशेष की स्थिति में रहता है। वित्त वर्ष 2018-19 में 'पाकिस्तान' भारत के शीर्ष 50 व्यापार भागीदारों में से एक था, परंतु 2019-20 में संबंधों में आए परिवर्तन एवं विभिन्न प्रतिबंधों के कारण व्यापार में आई गिरावट की वजह से वह शीर्ष 50 व्यापार भागीदारों की सूची से बाहर हो गया है।
- भारत से पाकिस्तान को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में कपास, चीनी, टायर, फार्मास्यूटिकल व पेट्रोलियम उत्पाद इत्यादि प्रमुख हैं जबकि भारत सूखे मेवे, फल, तैयार चमड़ा, खनिज उत्पाद इत्यादि को पाकिस्तान से आयात करता है।
- वित्त वर्ष 2018-19 में भारत ने पाकिस्तान को 2.07 बिलियन डॉलर का निर्यात किया था। यह भारत के कुल निर्यात के एक प्रतिशत से भी कम है, जबकि इसी अवधि के दौरान में भारत ने पाकिस्तान से 494.87 मिलियन डॉलर का आयात किया। यह भारत द्वारा इस अवधि में किये गए कुल आयात के आधे प्रतिशत से भी कम है।
- कपास पाकिस्तान द्वारा भारत से आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तु रही है। वित्त वर्ष 2018-19 में पाकिस्तान ने भारत से 550.3 मिलियन डॉलर के कपास का आयात किया था। यह भारत द्वारा

उस वित्त वर्ष में पाकिस्तान को निर्यात की गई कुल वस्तुओं में सबसे अधिक (लगभग 27 प्रतिशत) था।

भारत-पाकिस्तान व्यापार की चुनौतियाँ

- भारत एवं पाकिस्तान के संबंध शुरू से ही तनावपूर्ण रहे हैं। अभी तक दोनों देशों के मध्य तीन बार युद्ध हो चुका है। इनके मध्य विवाद के प्रमुख मसलों में कश्मीर मुद्दा, सिंधु नदी जल विवाद, सियाचिन हिमनद विवाद, सर क्रीक विवाद इत्यादि प्रमुख हैं। इन मुद्दों का नकारात्मक प्रभाव दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों पर भी पड़ा है।
- पाकिस्तान और चीन के संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं, जो भारत के लिये चिंता का विषय है। पाकिस्तान द्वारा चीन की नीतियों, जैसे– स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति, वन बेल्ट वन रोड (OBOR) पहल, समुद्री रेशम मार्ग परियोजना इत्यादि में भागीदारी किये जाने से भारत एवं पाकिस्तान के व्यापारिक संबंध प्रभावित हो रहे हैं।
- दोनों देशों के मध्य होने वाले द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिये भारत ने तो पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्ज़ा दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने भारत को यह दर्ज़ा नहीं दिया था। इस कारण भी दोनों देशों के मध्य होने वाले व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान ने 'चीन' को 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' का दर्ज़ा प्रदान कर रखा है।

भारत एवं पाकिस्तान व्यापार में संभावनाएँ

- पाकिस्तान ने भारत के साथ होने वाले व्यापार के संबंध में वाघा-अटारी बॉर्डर से सीमित वस्तुओं के व्यापार को अनुमति प्रदान की है। अत: इस मार्ग से व्यापार के लिये अन्य वस्तुओं को भी अनुमति प्रदान की जानी चाहिये। इससे दोनों देशों के मध्य व्यापार में वृद्धि होगी।
- दोनों देशों के मध्य सीमित व्यापार का प्रमुख कारण व्यापार की संवेदनशील सूची एवं नकारात्मक सूची का होना है। भारत ने पाकिस्तान की लगभग 600 वस्तुओं को तथा पाकिस्तान ने भारत की लगभग 900 वस्तुओं को संवेदनशील वस्तुओं की सूची में शामिल किया है, वहीं पाकिस्तान ने भारत की लगभग 1200 वस्तुओं को नकारात्मक सूची में रखा है। इससे दोनों देशों के व्यापारिक संबंध नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। अत: दोनों देशों द्वारा इन सूचियों पर पुनर्विचार करना चाहिये।
- दोनों देशों के मध्य व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिये आवश्यक है कि इनके द्वारा एक-दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्ज़ा प्रदान किया जाए।

निष्कर्ष

- दोनों देशों के मध्य व्यापारिक संबंध शुरू से ही राजनीतिक एवं सामरिक संबंधों से प्रभावित होते रहे हैं। वर्तमान में भी दोनों देशों के मध्य व्यापार में होने वाली गिरावट इसी का परिणाम है। अत: दोनों देशों को आपसी संबंध सौहार्दपूर्ण बनाने का प्रयास करना चाहिये।
- हाल ही में, दोनों देशों के मध्य किया गया संघर्ष-विराम समझौता इस दिशा में एक अच्छा प्रयास है। साथ ही, राजनीतिक लाभ एवं आंतरिक विरोध से ऊपर उठकर दोनों देशों को संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में कार्य करना चाहिये। इससे दोनों देशों के मध्य व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ किया जा सकेगा।

भारत-रूस संबंधों का पुनर्परीक्षण समय की माँग

संदर्भ

हाल ही में, रूस के विदेश मंत्री ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने परंपरागत भारत-रूस संबंधों को सुदृढ़ करने पर ज़ोर दिया। हालाँकि, दोनों देशों के संबंध परीक्षण के दौर से गुज़र रहे हैं। उल्लेखनीय है कि रूसी विदेश मंत्री की यह यात्रा वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिये रूसी राष्ट्रपति की आगामी यात्रा की तैयारियों से भी संबंधित है।

वर्तमान द्विपक्षीय स्थिति और चर्चा के प्रमुख बिंदु

- द्विपक्षीय मोर्चे पर भारत और रूस रणनीतिक सहयोग ऊर्जा, परमाणु और अंतरिक्ष के क्षेत्रों में है। इसके अलावा, दोनों देशों ने यूरेशियाई आर्थिक संघ (ई.ए.ई.यू.) के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर भी चर्चा की।
- दोनों देशों के मध्य हथियारों के संयुक्त उत्पादन सैन्य-तकनीकी सहयोग को लेकर भी चर्चा हुई। सबसे बढ़कर, रूस ने स्वयं को भारत के लिये 'अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी' की आपूर्ति करने वाला एकमात्र सहभागी माना है।
- दोनों पक्षों के मध्य 'अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे' और 'चेन्नई-व्लादिवोस्तोक पूर्वी समुद्री गलियारे' सहित कनेक्टिविटी में अधिक निवेश करने को लेकर भी चर्चा हुई। हालाँकि दोनों देशों ने रक्षा साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता तो व्यक्त की, लेकिन किसी भी पक्ष ने S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली के विषय में कोई चर्चा नहीं की।

अफगानिस्तान शांति समझौते के संदर्भ में

- अफगानिस्तान के मुद्दे पर देखा जाए तो काबुल में सत्ता-साझाकरण व्यवस्था में रूस द्वारा तालिबान को शामिल करने का प्रयास किया गया, जो भारत के 'लोकतांत्रिक अफगानिस्तान' बनाने के निरंतर किये जा रहे प्रयास के विपरीत है।
- विदित है कि मार्च में रूस में संपन्न अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया की बैठक में पाकिस्तान व चीन जैसे पड़ोसी देशों तथा अमेरिका व रूस जैसी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों को तो शामिल किया गया, जबकि भारत को इससे बाहर रखा गया।

- इसके लिये पाकिस्तान ने रूस के प्रयासों की सराहना की है। पाकिस्तान ने पारंपरिक रूप से अफगान शांति प्रक्रिया में भारत की भागीदारी को सीमित करने पर ज़ोर दिया है।

रूस-चीन के मज़बूत होते संबंध

- अमेरिका-चीन और अमेरिका-रूस के मध्य मतभेद गहरे हो रहे हैं। इस बीच, रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने कहा कि वर्तमान में साइनो-रूस (Sino-Russia) संबंध को इतिहास में सर्वश्रेष्ठ स्तर पर हैं।
- रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि आर्थिक, वित्तीय और राजनीतिक महत्त्व के नए केंद्र उभरने के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भी महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। विदित है कि 'चीन' रूस का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है।
- चीन-रूस संबंधों को क्वाड को प्रतिसंतुलित करने के रूप में भी देखा जा सकता है। चीन और रूस ने इस क्षेत्र में देशों की सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिये एक नया 'क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद मंच' स्थापित करने की मंशा जताई है।
- विदित है कि कुछ समय पूर्व चीन और रूस के अंतरिक्ष प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र (ILRS) के निर्माण के लिये पहली संयुक्त अंतरिक्ष परियोजना की घोषणा की है।

रूस और पाकिस्तान के संबंध तथा भारत

- रूसी विदेश मंत्री की भारत दौरे के समय प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे मुलाकात नहीं की, जबकि अगले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के विशेष दूत जॉन केरी से मुलाकात की। इसके अतिरिक्त, लावरोव की पाकिस्तान यात्रा के दौरान उनकी अगुवानी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख ने की।
- लावरोव की विगत नौ वर्षों में यह पहली पाकिस्तान यात्रा थी, जो दोनों देशों के प्रगाढ़ संबंधों का एक स्पष्ट संदेश था। पाकिस्तान ने भी रूस के साथ अपने संबंधों को विदेश नीति में प्राथमिकता दी है।
- विदित है कि रूस कराची के दक्षिणी बंदरगाह शहर और पूर्वी लाहौर गैस पाइपलाइन के निर्माण में भी शामिल है। रूस के 'यूरेशियाई आर्थिक संघ' और 'महान यूरेशिया' दृष्टिकोण के लिये भी पाकिस्तान महत्त्वपूर्ण है।
- रूस ने अमेरिका सहित लगभग 45 देशों के साथ पाकिस्तान द्वारा फरवरी में आयोजित 7वें बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास 'अमन-2021' में भी हिस्सा लिया था।
- साथ ही, लावरोव ने कहा कि रूस, पाकिस्तान के आतंकवाद-रोधी प्रयासों को मज़बूत करने के लिये 'उपयुक्त उपकरणों' की आपूर्ति भी करेगा। यह इस बात का संकेत है कि भारत और रूस के संबंध वर्तमान में पारंपरिक संबंधों की तुलना में कमज़ोर हो रहे हैं।

निष्कर्ष

- भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कई बार वैश्विक नज़रिये में बदलाव के संकेत दिये हैं। उन्होंने अनेक अवसरों पर सार्वजनिक मंचों से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की 'पुनर्संतुलनकारी प्रकृति' का ज़िक्र किया है।
- लावरोव ने भारत के 'हिंद-प्रशांत' सामरिक दृष्टिकोण की अपेक्षा 'एशिया-प्रशांत' क्षेत्र को अधिक प्राथमिकता दी है। उल्लेखनीय है कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान जैसे देश भी शामिल है।
- इसके अलावा, रूस द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से ही सही लेकिन 'क्वाड' को 'एशियाई नाटो' के रूप में संदर्भित करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। हालाँकि, दोनों पक्ष इस बात पर सहमत थे कि एशिया में सैन्य गठबंधन बनाना अनुपयुक्त, असंगत और निरर्थक है।

भारत के संबंध में पाकिस्तान की अस्पष्ट व्यापार-नीति

संदर्भ

हाल ही में, पाकिस्तान ने भारत से होने वाले चीनी एवं कपास के आयात पर लगभग पिछले 19 माह से लगे प्रतिबंध को हटाने का निर्णय लिया था। किंतु अगले ही दिन पाकिस्तान सरकार ने इस निर्णय को वापस ले लिया।

पाकिस्तान की भारतीय आयात पर निर्भरता

- पाकिस्तान के आर्थिक सर्वेक्षण, 2019-20 के अनुसार, पाकिस्तान के कृषि क्षेत्र में जहाँ चावल एवं मक्का के उत्पादन में 2.67% की वृद्धि देखी गई, वहीं कपास तथा गन्ने के उत्पादन में क्रमशः 6.9% एवं 0.4% की गिरावट दर्ज़ की गई। पाकिस्तान में कपास तथा गन्ने के उत्पादन में कमी के कारण संबंधित उद्योग नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे हैं।
- भारत से कपास एवं चीनी का आयात करना कोई राजनीतिक पहल नहीं, बल्कि पाकिस्तान की ज़रूरत है। वस्तुतः पाकिस्तान के वस्त्र एवं चीनी उद्योग, दोनों इस समय संकट के दौर से गुजर रहे हैं–

वस्त्र उद्योग

- पाकिस्तान वस्त्र उद्योग में मुख्यतः सूत, सूती वस्त्र, बुने हुए वस्त्र, रेडीमेड वस्त्र इत्यादि का निर्यात करना है। चूँकि वर्ष 2020 तक आपूर्ति एवं घरेलू उत्पादन में व्यवधान के कारण इसके वस्त्र उद्योग क्षेत्र में भारी गिरावट आई है, अतः इससे पाकिस्तानी निर्यात पर भी नकारात्मक असर पड़ा है।
- ध्यातव्य है कि पाकिस्तान वैश्विक स्तर पर कपास का पाँचवाँ सबसे बड़ा निर्यातक है और यह कपास से संबंधित उत्पादों के निर्यात के माध्यम से देश की कुल विदेशी मुद्रा का आधे से अधिक हिस्सा अर्जित करता है।

चीनी उद्योग

- पाकिस्तान में चीनी उद्योग भी संकट का सामना कर रहे हैं। चीनी उद्योग में संकट का प्रमुख कारण स्थानीय उपभोग तथा कीमतों में हुई बेतहाशा वृद्धि है।
- सरकारी सब्सिडी में वृद्धि तथा इससे संबंधित प्रशासनिक निर्णयों के कारण चीनी उत्पादकों ने चीनी की घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के बजाय इसके निर्यात को अधिक प्राथमिकता दी। इसके चलते उत्पादन में कमी व उच्च लागत के कारण चीनी उद्योग पर संकटग्रस्त हो गया।

संबंधित मुद्दे

- पाकिस्तानी विदेश मंत्री मोहम्मद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ संबंधों को सामान्य बनाने पर तभी विचार करेगा, जब भारत जम्मू-कश्मीर पर अगस्त 2019 में लिये गए अपने निर्णय की समीक्षा करेगा।
- हालाँकि, पाकिस्तान के वस्त्र उद्योग ने इस फैसले पर असहमति व्यक्त की और भारत से कपास के आयात की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान सदैव कहता रहा है कि अगर भारत चाहे तो दोनों देशों के संबंध सामान्य हो सकते हैं। इस दिशा में भारत ने बिना किसी पूर्व शर्त के पाकिस्तान के साथ व्यापार शुरू करने पर सहमति दे दी थी, किंतु पाकिस्तान ने अपने निर्णय को बदलकर यह सिद्ध किया है कि वह भारत के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के पक्ष में नहीं है।

निष्कर्ष

भारत से कपास एवं चीनी का आयात पाकिस्तान की तात्कालिक आर्थिक ज़रूरतों पर आधारित था। इसे भारत के साथ संबंधों को सामान्य बनाने तथा विश्वास बहाली के उपाय के रूप में नहीं देखा जाना चाहिये। पाकिस्तान द्वारा भारत से किये जाने वाले आयात पर प्रतिबंधों को जारी रखना उसकी असहयोग की मंशा को स्पष्ट करता है। ऐसे में, यह आवश्यक है कि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार तथा नागरिकों के कल्याण हेतु पाकिस्तान द्वारा अपने वर्तमान निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए।

शरणार्थी संकट और भारत

संदर्भ

म्याँमार में सैन्य तख्तापलट के उपरांत हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। इस वजह से वहाँ के नागरिक पलायन करके भारतीय सीमा, विशेषकर पूर्वोत्तर भारत में प्रवेश कर रहे हैं। म्याँमार के भू-राजनीतिक, आर्थिक, नृजातीय एवं धार्मिक संदर्भों को देखते हुए ऐसा अनुमान है कि भारत को लंबे समय तक शरणार्थी संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसके चलते भारत में शरणार्थियों के संरक्षण से संबंधित बहस पुनः तेज़ हो गई है।

शरणार्थी बनाम अवैध प्रवासी का मुद्दा

- 'शरणार्थी' वह व्यक्ति होता है जो उत्पीड़न, हिंसा, युद्ध, इसके अलावा, राजनीतिक संकट जैसे कारणों से अपना देश छोड़कर किसी अन्य देश में शरण लेने के लिये विवश होता है।
- जबकि अवैध प्रवासी ऐसा व्यक्ति होता है जो रोज़गार, शिक्षा अथवा अन्य हितों की पूर्ति के लिये बिना अनुमति तथा आवश्यक दस्तावेज़ों के किसी देश में प्रवेश करता है।
- अवैध प्रवासन किसी भी देश के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक ताने-बाने तथा उसकी सुरक्षा के लिये गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकता है।
- प्रायः शरणार्थी एवं अवैध प्रवासी को एक ही समझ लिया जाता है, जिससे अवैध प्रवासन के कारणों एवं परिणामों पर तो चर्चा होती है, किंतु शरणार्थियों के संरक्षण संबंधी मुद्दे पर विचार नहीं किया जाता है।
- चूँकि 'भारत' म्याँमार का पड़ोसी और शरणार्थी संकट से सर्वाधिक प्रभावित है। ऐसे में, आवश्यक है कि शरणार्थी संरक्षण से संबंधित मुद्दे को हल करने के लिये वह उचित कानूनी एवं संस्थागत उपायों को अपनाए।

शरणार्थी एवं अवैध प्रवासन से संबंधित नीतियों में अस्पष्टता और इसके प्रभाव

- भारत में शरणार्थी एवं अवैध प्रवासन संबंधी मुद्दे 'विदेशी अधिनियम, 1946' के अंतर्गत आते हैं। इसमें दोनों मुद्दों को एक ही श्रेणी में रखा गया है, इससे इन मुद्दों को लेकर प्रायः भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है।
- इस अधिनियम में प्रवासी को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, जो भारत का नागरिक नहीं है। गौरतलब है कि प्रवासी, अवैध प्रवासी तथा शरणार्थियों के बीच बुनियादी अंतर होता है। फलतः स्पष्ट प्रावधानों के अभाव के कारण भारत इस समस्या से कानूनी तौर पर निपटने में सक्षम नहीं है।
- ध्यातव्य है कि भारत शरणार्थी संरक्षण से संबंधित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कानून 'शरणार्थी अभिसमय, 1951' और इसके वर्ष 1967 के प्रोटोकॉल का पक्षकार नहीं है।
- इस प्रकार, कानूनी ढाँचे के अभाव तथा नीतिगत अस्पष्टता के कारण भारत की शरणार्थी नीति तात्कालिक परिस्थितियों से निर्देशित होती है तथा उदाहरणार्थ, हाल ही में म्याँमार से आने वाले शरणार्थियों को भारत में प्रवेश नहीं करने दिया गया। इसके पीछे मूल कारण यह है कि शरणार्थियों को यहाँ शरण देकर भारत म्याँमार से अपने संबंध खराब नहीं करना चाहता।
- इसके अलावा, यह स्थिति देश में राजनीति को बढ़ावा देती है और शरणार्थी संरक्षण के भू-राजनीतिक दोषों को और जटिल बनाती है।

क्या भारत को शरणार्थी संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पक्षकार बनना चाहिये

- यद्यपि भारत शरणार्थी संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पक्षकार नहीं है, तथापि उसने सर्वाधिक शरणार्थियों को शरण प्रदान की है।
- भारत द्वारा 'शरणार्थी अभिसमय, 1951' से बाहर रहने का प्रमुख कारण इस अभिसमय की संकुचित परिभाषा है। वस्तुत: यह परिभाषा व्यक्ति के केवल नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है, इसमें आर्थिक अधिकारों के उल्लंघन को शामिल नहीं किया गया है।
- आर्थिक अधिकारों से वंचित व्यक्ति को शरणार्थी न मानना पश्चिमी देशों के लिये अनुकूल है क्योंकि आर्थिक आधिकारों को शामिल करने से पश्चिमी देशों में शरणार्थियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती थी।
- भारत ने अपनी नैतिक ज़िम्मेदारी का निर्वहन करते हुए सदैव ही शरणार्थियों को शरण दी है, अत: भारत इस अभिसमय से बाहर रहकर भी शरणार्थियों के संरक्षण हेतु कार्य कर सकता है।
- अभिसमय में शामिल न होने के संदर्भ में एक अन्य तर्क यह भी है कि जो देश इसके पक्षकार हैं, उन्होंने घरेलू नीतियों के माध्यम से शरणार्थियों के प्रवेश पर प्रतिबंध आरोपित किये हुए हैं, जिससे इस अभिसमय की प्रासंगिकता समाप्त हो जाती है।

आगे की राह

- वर्तमान में शरणार्थियों के संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून न तो पर्याप्त हैं और न ही व्यावहारिक। विश्व में बढ़ते शरणार्थी संकट तथा अवैध प्रवासन की समस्या से निपटने के लिये सभी देशों को आपसी सहमति से एक प्रभावी कानून बनाना चाहिये।
- भारत में भी शरणार्थियों को ध्यान में रखते हुए एक नए कानून का निर्माण होना चाहिये। यद्यपि, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) भी शरणार्थियों के संरक्षण से संबंधित है, किंतु यह कुछ देशों के नागरिकों को ही धर्म के आचार पर शरणार्थी का दर्ज़ा देता है, इसलिये यह अत्यंत विवादित है।
- मौलिक रूप से यह अधिनियम शरणार्थियों के संरक्षण की बजाय उनकी उपेक्षा करता है। अत: इस प्रकार के भेदभावपूर्ण कानून का नैतिक आधार पर समर्थन नहीं किया जा सकता।
- शरणार्थियों के संरक्षण हेतु एक ऐसा कानून बनना चाहिये, जिसमें इन्हें अस्थायी रूप से आवास, भोजन तथा रोज़गार प्राप्त करने की अनुमति हो, क्योंकि उचित कानूनी उपायों एवं कार्य परमिट की अनुपस्थिति में शरणार्थी अवैध साधनों का उपयोग करके अवैध प्रवासी बन सकते हैं।
- साथ ही, यह भी आवश्यक है कि अस्थायी प्रवासी कामगारों, अवैध अप्रवासियों तथा शरणार्थियों के बीच स्पष्ट अंतर किया जाए और उचित कानूनी एवं संस्थागत तंत्र के माध्यम से प्रत्येक के लिये अलग-अलग नीतियाँ निर्मित हों।
- भारत पहले भी शरणार्थी संकट का सामना कर चुका है और यथासंभव उनका समाधान भी किया है। ऐसे में, भारत से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस समस्या के समाधान हेतु पक्षपातरहित रवैया अपनाए।

बिम्सटेक के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता

संदर्भ

- कोविड-19 महामारी के चलते हाल ही में, बिम्सटेक की 17वीं मंत्रिमंडलीय आभासी बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता श्रीलंका द्वारा की गई। इस बैठक के प्रमुख बिंदुओं में बिम्सटेक में कुछ सुधार के साथ इसे अधिक मज़बूत बनाने पर भी ज़ोर दिया गया।
- महामारी के चलते बिम्सटेक अपने राजनयिकों के साथ विचार-विमर्श करने में विफल रहा, जबकि G-20, आसियान, शंघाई को-ऑपरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन (SCO), सार्क जैसे संगठनों ने बैठक का आयोजन किया था।

बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल – बिम्सटेक (The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation – BIMSTEC)

- **स्थापना–** 6 जून, 1997 (बैंकाक घोषणा के माध्यम से)
- **मुख्यालय–** ढाका, बांग्लादेश
- **संस्थापक सदस्य–** भारत, थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका
  - BIST-EC (Bangladesh, India, Sri Lanka and Thailand Economic Cooperation)
- **अन्य शामिल देश–**
  - म्याँमार (22 दिसम्बर 1997, बैंकाक)
  - BIMST-EC (Bangladesh, India, Myanmar, Sri Lanka and Thailand Economic Cooperation)
- नेपाल तथा भूटान (फरवरी 2004 में छठी मंत्रिमंडलीय बैठक, थाईलैंड)
  - BIMSTEC (The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation)

बिम्सटेक से संबंधित अन्य तथ्य

- अपने शुरुआती 20 वर्षों तक यह संगठन अत्यंत मंद गति से कार्य करता रहा, परंतु वर्ष 2016 में गोवा में आयोजित हुई बैठक के बाद से इसने प्रभावी रूप से कार्य करना शुरू किया।
- अगस्त 2018 में नेपाल के काठमांडू में आयोजित हुए चौथे शिखर सम्मेलन के दौरान इस संगठन में संस्थागत सुधार तथा नवीनीकरण

करने पर चर्चा हुई तथा आर्थिक व सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिये एक महत्त्वाकांक्षी योजना तैयार करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया।

- इस बैठक के दौरान संगठन को और अधिक मज़बूत बनाने के लिये एक चार्टर तैयार करने का भी निर्णय लिया गया। इसके अलावा, संगठन के लक्ष्य को संशोधित करते हुए 'पूरे बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में शांतिपूर्ण, समृद्ध तथा सतत् विकास का वातावरण बनाना' घोषित किया गया।
- बिम्सटेक की वर्तमान प्रासंगिकता को इस रूप में समझा जा सकता है कि वर्ष 2019 में भारतीय प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में इस संगठन के नेताओं को आमंत्रित किया गया था।

हाल में लिये गए निर्णय

- इस बैठक में काठमांडू शिखर सम्मेलन के दौरान चर्चा में आए 'बिम्सटेक चार्टर' को मंज़ूरी दी गई तथा इसे जल्द अपनाने की बात भी कही गई। इसके अलावा 'ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी' के मास्टर प्लान पर भी सहमति बनी और इसे वर्ष 2022 में श्रीलंका में आयोजित होने वाले अगले शिखर सम्मेलन में अपनाने का संकल्प लिया गया।
- इसी बैठक में आपराधिक मामले में पारस्परिक कानूनी सहायता, राजनयिक अकादमियों के मध्य सहयोग तथा कोलंबो में एक 'प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुविधा' (TTF) की स्थापना संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
- भारत ने इस बैठक में बिम्सटेक के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को गति देने तथा संगठन को मज़बूत, अधिक प्रभावी और परिणामोन्मुख बनाने के लिये अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। साथ ही, भारत द्वारा काउंटर टेरेरिज्म एंड ट्रांस नेशनल क्राइम, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, टूरिज्म और पर्यावरण तथा आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्र में बिम्सटेक संगठन के सहयोग की बात की है।

बिम्सटेक के सुदृढ़ीकरण में भारत की भूमिका

- इस सम्मेलन के दौरान अन्य देशों के विदेश मंत्रियों ने भारत द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न पहलों की सराहना की, जो वर्ष 2018 में आयोजित हुए बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के दौरान घोषित की गई थीं। इन पहलों में जनवरी 2021 में आभासी (Virtual) मोड में आयोजित की गई 'बिम्सटेक स्टार्टअप कॉन्क्लेव' भी शामिल है।
- इन पहलों के अंतर्गत फरवरी 2020 में पुरी में दूसरा बिम्सटेक आपदा प्रबंधन अभ्यास, बिम्सटेक देशों के लिए ड्रग तस्करी के संयोजन पर सम्मेलन, नई दिल्ली स्थित 'सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेन सर्विस' में बिम्सटेक देशों के राजनयिकों को प्रशिक्षण दिया जाना शामिल है।
- इसके अलावा, जनवरी 2020 में 'नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, शिलाँग' में अंतरिक्ष और रिमोट सेंसिंग के क्षेत्र में बिम्सटेक देशों के 24 शोधकर्ताओं/पेशेवरों को प्रशिक्षण दिया गया और नालंदा विश्वविद्यालय में बिम्सटेक देशों के 30 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई।
- इससे पूर्व, दिसंबर 2019 में नई दिल्ली में 'क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग सिस्टम' पर बिम्सटेक सेमिनार का आयोजन हुआ एवं 'गुजरात इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, गांधीनगर' में शहरीकरण की योजना पर क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित की गई।
- वर्ष 2018 में पुणे में 'बिम्सटेक मिलिट्री एक्सरसाइज और आर्मी चीफ कॉन्क्लेव' तथा नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान बिम्सटेक मिनिस्टीरियल कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ था।

चिंताएँ

- बिम्सटेक को मज़बूती प्रदान करने में सबसे बड़ी चुनौती उसके सदस्य देशों के मध्य सौहार्दपूर्ण तथा तनावमुक्त द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखना है। हाल ही में भारत-नेपाल, भारत-श्रीलंका तथा बांग्लादेश-म्याँमार के मध्य तनावपूर्ण संबंध इसकी प्रभावशीलता के समक्ष चुनौती उत्पन्न कर रहे हैं।
- दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र में चीन का बढ़ता प्रभाव भी इसके लिये एक चुनौती बना हुआ है एवं हालिया सम्मेलन में एक प्रसिद्ध बांग्लादेशी विद्वान ने बिम्सटेक की प्रगति के लिये चीन को संगठन का प्रमुख वार्ताकार तथा साझेदार बनाने की बात कही थी।
- म्याँमार में हाल ही में हुआ सैन्य तख्तापलट तथा प्रदर्शनकारियों पर की गई क्रूर कार्यवाही जैसी गतिविधियाँ भी बिम्सटेक की प्रगति में बाधक हैं।

निष्कर्ष

बिम्सटेक अगले वर्ष को अपनी रजत जयंती के रूप में मनाने जा रहा है लेकिन यह अभी भी अनेक प्रकार की गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। संगठन को अपने सुदृढ़ीकरण पर भी ध्यान देना चाहिये तथा प्रतिवर्ष शिखर सम्मेलनों का आयोजन करना चाहिये ताकि यह अपने समक्ष उपस्थित चुनौतियों से निपट सके। तभी यह संगठन दक्षिण-एशिया तथा दक्षिण-पूर्व एशिया को जोड़ने वाले मंच के रूप में प्रभावी सिद्ध हो सकेगा।

अन्य स्मरणीय तथ्य

- बिम्सटेक के प्रमुख उद्देश्यों में, तीव्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देना तथा अपने सदस्य देशों के मध्य आंतरिक, सामरिक तथा बहुपक्षीय संबंधों को मज़बूत करना शामिल है।
- **प्रथम सम्मेलन–** बैंकाक, थाईलैंड (31 जुलाई, 2004)
- **द्वितीय सम्मलेन–** नई दिल्ली, भारत (13 नवंबर, 2008)
- **तृतीय सम्मेलन–** नेपितो, म्याँमार (4 मार्च, 2014)
- **चतुर्थ सम्मेलन–** काठमांडू, नेपाल (30-31 अगस्त, 2018)
- **पंचम सम्मेलन–** कोलंबो, श्रीलंका (वर्ष 2022, प्रस्तावित)
- 22 दिसंबर, 1997 को बैंकाक में आयोजित हुई एक विशेष मंत्रिमंडलीय बैठक के दौरान म्याँमार को इस संगठन का सदस्य बनाया गया था।

भारत-ताइवान संबंध

संदर्भ

वर्ष 2021 में भारत और ताइवान के मध्य सहभागिता के 25 वर्ष पूर्ण हुए हैं। दोनों देश के द्विपक्षीय सहयोग विभिन्न क्षेत्रों, जैसे– कृषि, नागरिक उड्डयन, औद्योगिक सहयोग, निवेश आदि तक विस्तृत हैं। इन क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग को देखते हुए भारत-ताइवान संबंधों को पुनर्गठित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

संबंधों का पुनर्गठन

राजनीतिक ढाँचे का सृजन

- द्विपक्षीय संबंधों की मज़बूती के लिये एक प्रभावी राजनीतिक ढाँचे की आवश्यकता होती है। स्वतंत्रता, मानवाधिकार, न्याय तथा विधि के शासन जैसे मूल्यों के प्रति दोनों देशों का दृढ़ विश्वास द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत बनाने में सहायक है।
- आपसी संबंधों को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करने के लिये दोनों पक्षों को एक सशक्त कार्यबल का गठन करना चाहिये, जो नियत समय में प्राप्त किये जाने की प्रतिबद्धता के साथ कुछ उद्देश्य निर्धारित कर सके। हालाँकि इनके क्रियान्वयन के लिये 'दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति' का होना बेहद महत्त्वपूर्ण है।

स्वास्थ्य क्षेत्रक में सहयोग

- कोविड-19 के विरुद्ध संघर्ष में भारत अग्रणी रहा है। इसी तरह, इस महामारी से निपटने में ताइवान की भूमिका भी उल्लेखनीय रही है। ताइवान ने इस दौरान विभिन्न देशों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग किया है।
- भारत और ताइवान पहले से ही पारंपरिक औषधि के क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं। अत: समय की माँग है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में दोनों देश सहयोग का दायरा और अधिक विस्तृत करें।

जैव-अनुकूलित प्रौद्योगिकियाँ

- फसल-अवशेषों के दहन से वायु गुणवत्ता प्रत्यक्ष तौर से प्रभावित होती है, जो सरकार के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियों में से एक है। ताइवान द्वारा विकसित जैव-अनुकूलित प्रौद्योगिकियाँ इस समस्या से निपटने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।
- जैव-अनुकूलित प्रौद्योगिकियों द्वारा कृषि अवशेषों को नवीकरणीय ऊर्जा या जैव-उर्वरकों में रूपांतरित किया जा सकता है। इन प्रयासों के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि होने के साथ-साथ वायु गुणवत्ता में भी सुधार होगा।
- इसके अतिरिक्त, दोनों देश जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने के लिये अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में भी सहयोग कर सकते हैं।

आर्थिक संबंधों की सुदृढ़ता

- भारत का बड़ा बाज़ार ताइवान को निवेश के लिये व्यापक अवसर उपलब्ध कराता है। वर्ष 2018 में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय व्यापार समझौता दोनों देशों के मध्य आर्थिक संबंधों को मज़बूत बनाने में महत्त्वपूर्ण साबित हो सकता है।
- अर्द्धचालक और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में 'वैश्विक नेतृत्वकर्ता' के रूप में विख्यात ताइवान 'सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं' के क्षेत्र में भारत की विशेषज्ञता को अधिक परिष्कृत कर सकता है। इन क्षेत्रों में दोनों देशों के मध्य साझा सहयोग, नई संभावनाओं के सृजन को भी प्रोत्साहित कर सकता है।
- उल्लेखनीय है कि भारतीय बाज़ार में निवेश की उच्च संभावना होने के बावजूद यहाँ ताइवानी निवेश की मात्रा नगण्य है। ताइवानी निवेशक भारत के जटिल विनियामक तंत्र तथा अस्पष्ट श्रम विधियों के कारण असहज महसूस करते हैं।

निष्कर्ष

दोनों देशों को संबंधों के पुनर्गठन के लिये नीति-निर्माताओं व व्यावसायिक समूहों के आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिये। साथ ही, द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करने के लिये दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाने की आवश्यकता भी है।

दक्षिण एशिया में विद्युत व्यापार से संबंधित भू-राजनीति

संदर्भ

भारत सरकार की शीर्ष विद्युत विनियामक संस्था 'केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण' (Central Electricity Authority - CEA) ने भारत के सीमावर्ती देशों के साथ विद्युत व्यापार को विनियमित करने के लिये 'सीमा-पार विद्युत के आयात/निर्यात के लिये दिशा-निर्देश' जारी किये हैं। दक्षिण एशियाई विद्युत बाज़ार के विनियमन से संबंधित इन दिशा-निर्देशों में विद्युत व्यापार संबंधी शर्तों को अभिनिर्धारित किया गया है।

दिशा-निर्देश से संबंधित मुख्य बिंदु

- ये दिशा-निर्देश सीमा-पार स्थित ऐसे विद्युत संयंत्रों पर लागू होते हैं, जो भारत को विद्युत निर्यात करने की इच्छा रखते हैं। इनमें इस बात को केंद्र में रखा गया है कि भारत को विद्युत निर्यात करने वाले सीमा-पार स्थित उस विद्युत संयंत्र का स्वामित्व कौन-कौन से देशों की कंपनियों के पास है।
- इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत यह शर्त रखी गई है कि 'भारत को विद्युत निर्यात करने वाले सीमा-पार स्थित उस विद्युत संयंत्र में किसी ऐसे तीसरे देश की कंपनी का स्वामित्व नहीं होना चाहिये, जिसके साथ–
  - भारत भूमि-सीमा (Land-Boundary) साझा करता है तथा
  - उसके साथ विद्युत क्षेत्रक में भारत ने द्विपक्षीय सहयोग समझौता हस्ताक्षर नहीं किया है।

- नए दिशा-निर्देशों में यह भी उल्लेख किया गया है कि भारत अपने साथ विद्युत व्यापार करने वाली विद्युत कंपनियों के स्वामित्व-प्रतिरूप में होने वाले परिवर्तन की भी विस्तृत निगरानी करेगा।
- उल्लेखनीय है कि नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश में विद्युत संयंत्र स्थापित करने की इच्छुक चीनी कंपनियाँ इन देशों के माध्यम से भारतीय बाज़ार में प्रवेश के लिये प्रयासरत रही हैं।

नए दिशा-निर्देशों की आवश्यकता क्यों

- वर्ष 2014 में भारत ने सार्क के संस्थागत ढाँचे का प्रयोग करते हुए दक्षिण एशियाई क्षेत्र में विद्युत व्यापार प्रणाली को उदार बनाने की शुरुआत की थी। किंतु कुछ वर्षों के उपरांत भारत सरकार ने यह महसूस किया कि चीन इस 'उदारवादी व्यवस्था' का दुरुपयोग कर अनुचित लाभ उठा रहा है।
- उक्त परिस्थितियों के आलोक में भारत सरकार ने 'सीमा-पार विद्युत व्यापार दिशा-निर्देश, 2016' जारी किये थे। इनके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था कि विद्युत व्यापार केवल दो सरकारी कंपनियों के मध्य ही होगा, निजी क्षेत्रक की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी। इन दिशा-निर्देशों का नेपाल व भूटान निरंतर विरोध कर रहे थे। उनका मत था कि निजी क्षेत्र को भी विद्युत व्यापार की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिये।
- भारत सरकार द्वारा जारी किये गए नवीनतम दिशा-निर्देश विद्युत व्यापार में निजी क्षेत्र को भी अनुमति प्रदान करते हैं किंतु चीनी निवेश को अपवर्जित (Exclude) करते हैं। ऐसे में, नए दिशा-निर्देशों के माध्यम से संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया है।

भारत का सीमा-पार विद्युत व्यापार

- भारत और उसके पड़ोसी देशों की विद्युत उत्पादन प्रणालियों की बात करें तो भारत व पाकिस्तान की विद्युत उत्पादन प्रणालियाँ मुख्यत: कोयला और जल-विद्युत संयंत्रों पर निर्भर हैं, जबकि भूटान व नेपाल की विद्युत उत्पादन प्रणालियाँ मुख्यत: जल-विद्युत संयंत्रों पर निर्भर हैं।
- भारत का इन देशों के साथ विद्युत व्यापार काफी हद तक एक-तरफा है। अर्थात् भारत अपने पड़ोसी देशों, जैसे भूटान से 1200 मेगावाट विद्युत का आयात करता है तथा बांग्लादेश और नेपाल को क्रमश: 1200 व 500 मेगावाट विद्युत का निर्यात करता है।
- भूटान को अपने राजस्व का एक बड़ा हिस्सा भारत को निर्यात की जाने वाली विद्युत से प्राप्त होता है। भूटान समग्र विद्युत उत्पादन का लगभग दो-तिहाई भाग भारत को निर्यात करता है।
- नेपाल अपने यहाँ बढ़ती विद्युत माँग की आपूर्ति के लिये भारत पर निर्भर है। इसके अतिरिक्त भारत, श्रीलंका के साथ 'अंडर-सी केबल' के माध्यम से विद्युत व्यापार करने की योजना पर कार्य कर रहा है।

भारतीय केंद्रीयता

- भारत का संस्थागत तंत्र पिछले कुछ दशकों में 'भारत-केंद्रित' के रूप में उभर रहा है। भारत-केंद्रित से आशय भारत के विभिन्न मंत्रालयों, विनियामकों या अन्य ऐसे निकायों से है, जो अपनी नीतियों या दिशा-निर्देशों को 'भारत के हित' को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करते हैं।
- जब भारत की 'भौगोलिक केंद्रीयता' भारत के आर्थिक सामर्थ्य के साथ युग्मित हो जाएगी, तो यह भारतीय बाज़ार के स्वरूप का निर्धारण कर स्वाभाविक रूप से लाभान्वित कर सकती है।
- सिद्धांतकारों द्वारा प्रस्तावित एक स्वायत्त निकाय, जिसे क्षेत्रीय व्यापार को विनियमित करना चाहिये, ऐसी अनिश्चितताओं के कारण उसे मूर्त रूप देने की संभावना कम ही है।
- अत: कहा जा सकता है कि भारत इस क्षेत्र में 'नियम-निर्धारित' करने वाला देश बना रहेगा। लेकिन इन नियमों के कारण भारत को अपेक्षाकृत छोटे पड़ोसी देशों की नाराज़गी का सामना भी करना पड़ सकता है।

मेगा सौर परियोजना

- भारत सरकार द्वारा जारी किये गए ये दिशा-निर्देश कुछ महत्त्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ भी ध्यानाकर्षित करते हैं, जैसे भारत की महत्त्वाकांक्षी 'वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड' (OSOWOG) की वैश्विक सुपर ग्रिड योजना के लिये संस्थागत दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
- उक्त योजना का उद्देश्य पश्चिम एशिया व दक्षिण-पूर्व एशिया से संपर्क बढ़ाते हुए इसे अफ्रीकी देशों से आगे तक विस्तृत करना है।
- बहु-देशीय ग्रिड प्रणाली अप्रत्याशित परिणामों से सुरक्षा प्रदान करती है क्योंकि इस ग्रिड से जुड़े विभिन्न देशों के विद्युत संयंत्र बिजली आपूर्ति को स्थायित्व प्रदान कर सकते हैं।
- दक्षिण एशिया में व्याप्त परिवेश के परिप्रेक्ष्य में विशेषज्ञ इन नए दिशा-निर्देशों को सीमारहित व्यापार एवं इस क्षेत्र को एकीकृत करने के प्रयासों में बाधा के रूप में देख रहे हैं।

दिशा-निर्देशों के प्रभाव

- नए दिशा-निर्देशों से नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश के विद्युत बाज़ार प्रभावित होने की आशंका है क्योंकि ये देश ऊर्जा संबंधी भविष्य के लिये विभिन्न प्रकार से भारतीय बाज़ार पर आश्रित हैं।
- ये दिशा-निर्देश इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते विकास-आधारित प्रभुत्व को प्रतिसंतुलित करने के लिये भी भारत के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करते हैं।

निष्कर्ष

- दक्षिण एशियाई क्षेत्र में नियम-आधारित तथा स्थिर क्षेत्रीय संस्थागत तंत्र के द्वारा भारत अपनी पकड़ को मज़बूत कर सकता है तथा चीन द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं को प्रतिसंतुलित भी कर सकता है।
- उक्त कार्यों के लिये भारत को शीघ्रातिशीघ्र अपनी महत्त्वाकांक्षी परियोजनाओं को प्रभावी तौर पर क्रियान्वित करना चाहिये।

भारत-पाकिस्तान और दक्षिण एशिया

संदर्भ

- हाल ही में, भारत तथा पाकिस्तान के 'सैन्य संचालन महानिदेशकों' (Director Generals of Military Operations) द्वारा जारी किये गये साझा बयान में कहा गया कि दोनों देशों के बीच सभी समझौतों का सख्ती से पालन किया जाएगा। कुछ ऐसा ही बयान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री द्वारा उनकी श्रीलंका यात्रा के दौरान कश्मीर के संबंध में भी दिया गया था।
- उल्लेखनीय है कि भारतीय संसद ने वर्ष 2019 में 'जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम' पारित किया था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। इसके उपरांत पाकिस्तान विभिन्न मंचों से भारत के इस कदम की आलोचना करता रहा है।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन – दक्षेस (South Asian Association for Regional Cooperation – SAARC)

- **स्थापना–** 8 दिसंबर, 1985
- **मुख्यालय–** काठमांडू, नेपाल
- **आधिकारिक भाषा–** अंग्रेज़ी
- **प्रथम सम्मेलन–** ढाका, बांग्लादेश (वर्ष 1985)
- **8 सदस्य देश–** भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान तथा अफगानिस्तान।
- **9 पर्यवेक्षक देश–** संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ईरान, चीन, म्याँमार, मॉरीशस, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया तथा यूरोपियन संघ।
- उल्लेखनीय है कि भारत में अभी तक सार्क के 3 सम्मेलन (वर्ष 1986, 1997 तथा 2007) आयोजित हुए हैं, जिनमें से वर्ष 2007 में नई दिल्ली में संपन्न हुए 14वें शिखर सम्मेलन के दौरान 'अफगानिस्तान' को इस संगठन का आठवाँ सदस्य बनाया गया था।

दक्षिण एशिया में आर्थिक एकीकरण

- भारत-पाकिस्तान के बीच शांति स्थापना केवल दोनों देशों के लिये ही नहीं बल्कि 'दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन' (South Asian Association for Regional Cooperation – SAARC) के देशों के लिये लाभदायक होगी।
- विश्व बैंक द्वारा जारी की गई 'ए ग्लास हाफ फुल' नामक रिपोर्ट में तथा यूरोपीय संघ तथा एशियाई विकास बैंक के हवाले से बताया गया कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र को आर्थिक एकीकरण के माध्यम से ही आगे बढ़ाया जा सकता है।
- सार्क देशों के मध्य सहयोग की गुंजाइश सीमित है, लेकिन भारत तथा पाकिस्तान के खराब रिश्तों के कारण यह और भी बाधित होती है। भारतीय विदेश मंत्री ने भी कहा कि भारत को अन्य दक्षिण एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाना होगा। जिससे भारत इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभुत्व को संतुलित कर सके।
- दक्षिण एशियाई क्षेत्र जल्द ही चीन की 'वन बेल्ट वन रोड परियोजना' एवं 'क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी' (RCEP) का हिस्सा बन सकता है। उल्लेखनीय है कि आर.सी.ई.पी. 15 देशों का समूह है तथा इसकी विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में 30% हिस्सेदारी है।

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (Regional Comprehensive Economic Partnership - RCEP)

- **गठन–** अगस्त 2012
- **15 सदस्य–** 10 आसियान देश (वियतनाम, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, म्याँमार, लाओस) तथा 5 अन्य देश (ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूज़ीलैंड)
- नवंबर 2019 में बैंकाक में आयोजित हुए तीसरे शिखर सम्मेलन में भारत ने अपने भविष्य के आर्थिक खतरे को देखते हुए इसमें शामिल होने से मना कर दिया था।
- अत: भारत आर.सी.ई.पी. का सदस्य नहीं है।

- दिवंगत श्रीलंकाई अर्थशास्त्री समन केलगामा के अनुसार, भारत का दक्षिण एशिया में भारी असंतुलन है, जिसे भारत की जनसंख्या, कुल भूमि क्षेत्र तथा उसकी दक्षिण एशियाई देशों के मध्य जी.डी.पी. के आलोक में देखा जा सकता है।
- दक्षिण एशियाई देशों की कुल जनसंख्या 1.9 बिलियन तथा इन देशों की जी.डी.पी. 12 ट्रिलियन डॉलर है, जो आसियान देशों से कहीं अधिक है।

निष्कर्ष

- दक्षिण एशियाई देशों को उन मुद्दों को सुलझाने पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिये, जो पूरे उपमहाद्वीप में गरीबी, कुपोषण और युवाओं के भविष्य की उपेक्षा करते हैं। यह महसूस किया गया

है कि भारत-पाकिस्तान के खराब संबंध दक्षिण एशियाई क्षेत्र के विकास को बाधित करते हैं।

- भारत को अपने बड़े आकार का उपयोग दक्षिण एशियाई देशों में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिये करना चाहिये। इसके लिये भारत-पाकिस्तान को अपने द्विपक्षीय संबंधों में सुधार करने की आवश्यकता है।

अफगानिस्तान में गहराता संकट

संदर्भ

- हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा अफगानिस्तान से सेना को हटाने के संबंध में समय सीमा आगे बढ़ाकर 11 सितंबर करने की बात की गई। इस दिन अमेरिका पर हुए आतंकी हमले के 20 वर्ष पूर्ण होंगे।
- अमेरिकी सरकार तथा तालिबान के मध्य हुए समझौते के अंतर्गत अमेरिका द्वारा अपने सैनिकों को अफगानिस्तान से वापस बुलाना है तथा तालिबान द्वारा अमेरिका के खिलाफ अफगानिस्तानी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देने का आश्वासन दिया गया।
- ध्यातव्य है कि 29 फरवरी 2020 को अमेरिका और आतंकवादी संगठन तालिबान के प्रतिनिधियों के मध्य कतर की राजधानी दोहा में एक समझौता किया गया था।

अन्य प्रमुख बिंदु

- अमेरिकी सरकार के इस फैसले के बाद तालिबान द्वारा कहा गया कि यदि अमेरिका तय समय सीमा के अंतर्गत अपनी सेना वापस नही बुलाता है तो वह 24 अप्रैल को तुर्की के अंकारा में होने वाली क्षेत्रीय शांति सम्मेलन में भाग नहीं लेगा।
- अमेरिका तथा तालिबान के मध्य हुए समझौते के कारण अफगानिस्तान सरकार की चिंता बढ़ती जा रही है, जिसका कारण अफगानिस्तान के पुनः आंतरिक युद्धों में शामिल होना है। किंतु, अमेरिका ने अफगानिस्तान को दूरस्थ सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है।
- ध्यातव्य है कि जब तालिबान द्वारा अफगानिस्तान के किसी भी शहर पर कब्जा किया जाता है तो अमेरिका अपनी वायुसेना के माध्यम से उस क्षेत्र को तालिबानियों से मुक्त करवाता है।
- अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना का जाना वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार तथा हजारा (शिया) समुदाय के लिए चिंता का विषय बना हुआ है क्योंकि तालिबानियों द्वारा सर्वाधिक अत्याचार इन लोगों पर ही किये जाते हैं।

अन्य देशों पर प्रभाव

- अफगानिस्तान में बढ़ती अस्थिरता का चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर पूरा प्रभाव पड़ेगा तथा चीन के शिनजियांग प्रांत में रहने वाले उईगर मुसलमानों के मध्य भी अस्थिरता बढ़ेगी। यह प्रांत अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है।
- भारत भी अफगानिस्तान में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से स्थिरता लाने का प्रयास कर रहा है। अभी तक यह देखा गया है कि भारतीय सरकार तथा अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक सरकारों के मध्य संबंध काफी मित्रतापूर्ण रहे हैं।
- अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना का हटना रूस के लिए भी एक हर्ष का विषय है हालाँकि रूस का अफगानिस्तान से कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं है किंतु स्थिरता लाने में वह एक मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है।

निष्कर्ष

अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना का वापस जाना अफगानिस्तान में अस्थिरता का सूचक है। जो कि भारत के लिये भी चिंता का विषय है, चूँकि भारत द्वारा अफगानिस्तान में लगातार निवेश में वृद्धि की जा रही है।

भारत-चीन संबंधों में नई शुरुआत की आवश्यकता

संदर्भ

पिछले कुछ वर्षों में भारत-चीन संबंध अत्यंत तनावपूर्ण रहे हैं, किंतु हाल ही में, भारत के नई दिल्ली स्थित 'अनंता एस्पेन सेंटर' एवं चीन के बीजिंग स्थित 'चीन सुधार मंच' के मध्य ट्रैक-2 वार्ता संपन्न हुई।

भारत-चीन के मध्य विवाद के बिंदु

- चीन द्वारा 'वास्तविक नियंत्रण रेखा' (LAC) को सीमा रेखा नहीं मानना तथा अरुणाचल प्रदेश को अपना क्षेत्र बताना।
- इसके अलावा सिक्किम, भूटान तथा तिब्बत की सीमा पर स्थित डोकलाम क्षेत्र भी विवाद का एक प्रमुख कारण है।
- भारत-चीन सीमा पर स्थित गलवान घाटी क्षेत्र पर नियंत्रण को लेकर दोनों देशों की सेनाओं के मध्य हुई हिंसक झड़प विवाद का एक ज्वलंत मुद्दा रही।
- एक अन्य मसला पूर्वी लद्दाख स्थित पैंगोंग झील से संबंधित रहा, जहाँ भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना की घुसपैठ को नाकाम किया था।
- भू-सामरिक दृष्टिकोण से देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन द्वारा बाँध बनाए जाने की योजना को लेकर भी विवाद की स्थिति है।
- चीन द्वारा भारत के 'अक्साई चिन' क्षेत्र में अपनी 'वन बेल्ट-वन रोड परियोजना' के तहत सड़क निर्माण करना भी विवाद का प्रमुख विषय है। चीन की यह सड़क परियोजना भारत के लिये

इसलिये अधिक चिंतनीय है क्योंकि यह पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को भी जोड़ेगी।

- भारत-अमेरिका के बीच बढ़ती निकटता तथा क्वाड का बढ़ता प्रभाव चीन के लिये चिंता का विषय है। इसके अलावा, वर्ष 2020 में आयोजित हुआ मालाबार नौसेना अभ्यास, जिसमें पहली बार भारत-अमेरिका-जापान के साथ ऑस्ट्रेलिया ने भी हिस्सा लिया था, यह भी चीन को चुनौती देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
- सीमा-पार आतंकवाद के मुद्दे पर चीन द्वारा पाकिस्तान का अप्रत्यक्ष समर्थन तथा उसका बचाव भी विवाद का एक प्रमुख कारण है।
- चीन द्वारा 'परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह' (Nuclear Suppliers Group - NSG) में भारत के प्रवेश तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् (UNSC) में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर गतिरोध उत्पन्न करना भी विवाद के प्रमुख बिंदु हैं।

विभिन्न कूटनीतिक वार्ताएँ

- **प्रथम स्तरीय वार्ता (ट्रैक-1)–** इस वार्ता के अंतर्गत दो देशों के राजनीतिक प्रमुख/सैन्य प्रमुख आपसी बातचीत के माध्यम से संबंधों को सुधारने का प्रयास करते हैं।
- **द्वितीय स्तरीय वार्ता (ट्रैक-2)–** इस वार्ता के अंतर्गत दो देशों के मध्य आपसी संवाद को बनाए रखने के लिये गैर-सरकारी स्तर पर बातचीत को बढ़ावा दिया जाता है।
- **तृतीय स्तरीय वार्ता (ट्रैक-3)–** इस वार्ता में दो देशों की आम जनता के मध्य संपर्क बढ़ाकर संबंधों को सुधारने का प्रयास किया जाता है।

भारत-चीन के मध्य सहयोग के बिंदु

- वर्ष 2002 में भारत सरकार ने येलुजंगबु में चीन के साथ एक समझौता किया था। इस पाँच वर्षीय समझौते के तहत चीन को वर्षा ऋतु के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी के जल-स्तर संबंधी सूचना भारत के साथ साझा करनी थी।
- दिसंबर 2010 में दोनों देशों ने वर्षा के मौसम के दौरान सतलुज नदी के जल स्तर संबंधी सूचना आपस में साझा करने संबंधी समझौता किया था।
- वर्ष 2013 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री की आधिकारिक चीन यात्रा के समय, दिल्ली-बीजिंग, कोलकाता-कुनमिंग तथा बंगलौर-चेंगडु के मध्य 'सिस्टर सिटी साझेदारी' स्थापित करने के लिये तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए थे।
- वर्ष 2018 में चीन के वुहान में दो तथा भारत के मामल्लपुरम में दो 'अनौपचारिक शिखर सम्मेलनों' का आयोजन किया गया था। जो दोनों देशों के मध्य संबंधों को सुधारने की दिशा में किया गया महत्त्वपूर्ण प्रयास था।
- निवर्तमान भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा भी सिस्टर-सिटी और सिस्टर-राज्य संबंधी समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए थे, जिसके अंतर्गत कर्नाटक-सिचौन, चेन्नई-छोंगकिंग, हैदराबाद-किंगडाओ तथा औरंगाबाद-दुनहुआंग शहरों को शामिल किया गया है।
- व्यापार के दृष्टिकोण से देखें तो एक वर्ष पूर्व भारत-चीन व्यापार 87.6 बिलियन डॉलर का था तथा 'चीन' भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना गया था। इस दौरान भारत ने चीन से लगभग 66.7 बिलियन डॉलर की मशीनरी, चिकित्सा उपकरणों व अन्य सामान का आयात किया था, जबकि भारत ने चीन को लगभग 20 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड निर्यात किया था।

भारत द्वारा उठाए गए कदम

- भारत-चीन के मध्य बढ़ते गतिरोध के कारण भारत सरकार द्वारा चीन की विभिन्न मोबाइल एप्लीकेशन को प्रतिबंधित किया गया तथा अप्रत्यक्ष रूप से चीनी सामान के आयात को हतोत्साहित किया गया।
- वर्ष 2020 के नवंबर माह के अंत में चीन का भारत में आयात करीब 59 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें 13 प्रतिशत की गिरावट आई है। इससे भारत को अपना व्यापार घाटा कम करने में मदद मिली है। भारत का व्यापार घाटा पिछले वर्ष 51.6 अरब डॉलर था, जो अब घटकर 40 अरब डॉलर रह गया है। वर्ष 2005 के बाद से पहली बार भारत के व्यापार घाटे में ऐसी गिरावट दर्ज की गई है।

आगे की राह

- भारत को चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे को संतुलित करने की आवश्यकता है, जिसमें सेवा क्षेत्र एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- दोनों देशों को अपने सीमा विवाद को सुलझाने के लिये सीमा को पुनः परिभाषित करने तथा उसका सटीक सीमांकन करने की आवश्यकता है।
- दोनों देशों को अपने संबंधों को सुधारने तथा उन्हें मज़बूती प्रदान करने के लिये विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग बढ़ाने की भी आवश्यकता है।

6 सामाजिक न्याय एवं कल्याण

विकलांगता और सर्वोच्च न्यायालय

संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक हालिया फैसले में (विकास कुमार बनाम संघ लोक सेवा आयोग) डिस्ग्राफिया या लेखन में ऐंठन से ग्रसित व्यक्ति को सिविल सेवा परीक्षा में एक लेखक प्रदान करने की बात कही गई है।
  - **डिस्ग्राफिया :** यह एक लेखन से संबंधित न्यूरोलॉजिकल विकार है, जो लिखने की क्षमता को बाधित करता है।
  - यह एक सीखने की अक्षमता है जो बच्चों एवं वयस्कों को प्रभावित करती है।
- यह मामला तब सामने आया जब, डिस्ग्राफिया से ग्रसित विकास कुमार को सिविल सेवा परीक्षा में लेखक प्रदान करने से वंचित कर दिया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

- न्यायालय ने अपने फैसले में सरकार से कहा कि, "केवल 40% या उससे अधिक विकलांगता से संबंधित सिविल सेवा के परीक्षार्थी को ही लेखक प्रदान किये जाने की शर्त को समाप्त करना आवश्यक है।
- यह प्रावधान विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी), 2016 के नियमों और वस्तु का उल्लंघन करता है।
- न्यायालय ने लेखक की उपयोगिता को बताते हुए कहा कि, "एक लेखक विकलांग व्यक्ति को समाज में सम्मान तथा समानता के साथ जीवन जीने के लिये सक्षम बनाता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि, उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक नहीं माना जाएगा।
- इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने 2016 के जीजा घोष बनाम भारत संघ के मामले का हवाला देते हुए कहा कि, "समानता केवल भेदभाव को रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि 'उचित आवास' सहित सकारात्मक अधिकारों की एक विस्तृत विविधता तक फैली हुई है।"
- न्यायालय ने अपने फैसले में मानवीय गरिमा शब्द की व्याख्या करते हुए बताया कि यह कानूनी रूप से प्रस्तावना में निहित है तथा अनुच्छेद 14, 19 तथा 21 विकलांगों के संबंध में पूरी ताकत के साथ लागू होते हैं।
- साथ ही, इस फैसले में वी. सुरेंद्र मोहन बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में जबाब देते हुए, अंधे और बहरे उम्मीदवारों की योग्यता को सीमित करने की राज्य सरकार की नीति को बरकरार रखा गया तथा नेत्रहीन को अनुमति देने से इंकार कर दिया।

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम

- इस अधिनियम ने भारत के 24 वर्ष पुराने पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 की जगह ली है। इसे दिसंबर 2016 में संसद द्वारा पारित किया गया।
- इस अधिनियम में विकलांगता को एक विकसित तथा गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया है। इसमें विकलांगता के प्रकार को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया तथा केंद्र सरकार को और अधिक विकलांगता की श्रेणी को जोड़ने का अधिकार दिया गया।
- पहली बार भाषण और भाषा विकलांगता और विशिष्ट अधिगम विकलांगता को जोड़ा गया है। एसिड अटैक पीड़ित को शामिल किया गया है। बौनापन, पेशीय अपविकास को निर्दिष्ट विकलांगता के अलग वर्ग के रूप में इंगित किया गया है। विकलांगों की नई श्रेणियों में तीन रक्त विकार, थैलेसीमिया, हीमोफिलिया और सिकल सेल रोग भी शामिल थे।
- बेंचमार्क विकलांगता (benchmark disability) वाले कुछ व्यक्तियों या वर्ग के लोगों के लिये सरकारी प्रतिष्ठानों में रिक्तियों में आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है।
- विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय और राज्य कोष का निर्माण किया जाएगा। विकलांगों के लिये मौजूदा राष्ट्रीय कोष और विकलांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण के लिये ट्रस्ट फंड को राष्ट्रीय कोष के साथ सदस्यता दी जाएगी।
- इस विधेयक में ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ अपराध के लिये दंड का प्रावधान है, जो विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ अपराध करते हैं या कानून के प्रावधानों का भी उल्लंघन करते हैं।

निष्कर्ष

- विकास कुमार के मामले में आया निर्णय एक प्रगतिशील निर्णय है; जो यह स्वीकार करता है कि, विकलांग व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं यदि उन्हें उचित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। विभिन्न देशों के उदाहरण को देखे जहाँ विकलांग जज अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर रहे हैं।
- न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के न्याय मंच

द्वारा आयोजित एक सत्र में कहा कि, "आधुनिक तकनीक ने विकलांगों को इतना सक्षम बना दिया है कि, उनके और सामान्य आबादी के बीच आज कोई ज़्यादा अंतर नहीं है।

- प्रधानमंत्री सुगम्य भारत अभियान (Prime Minister's Accessible India Campaign) को मज़बूत करने के लिये, एक निर्धारित समय (सरकारी और निजी दोनों) सीमा में सार्वजनिक भवनों तक उनकी पहुँच को सुनिश्चित करने के लिये जोर दिया गया है।
- नया अधिनियम हमारे कानून को विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों– United National Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) के संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन के अनुरूप लाएगा, जिसका भारत एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। यह UNCRD के संदर्भ में भारत की ओर से दायित्वों को पूरा करेगा।

राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति, 2021 : सामाजिक क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण पहल

संदर्भ

हाल ही में, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 'दुर्लभ रोगों के लिये राष्ट्रीय नीति, 2021' को स्वीकृति प्रदान की है। यह नीति उन रोगियों के लिये महत्त्वपूर्ण है, जो दुर्लभ रोगों का उपचार करा पाने में असमर्थ हैं।

क्या हैं दुर्लभ रोग

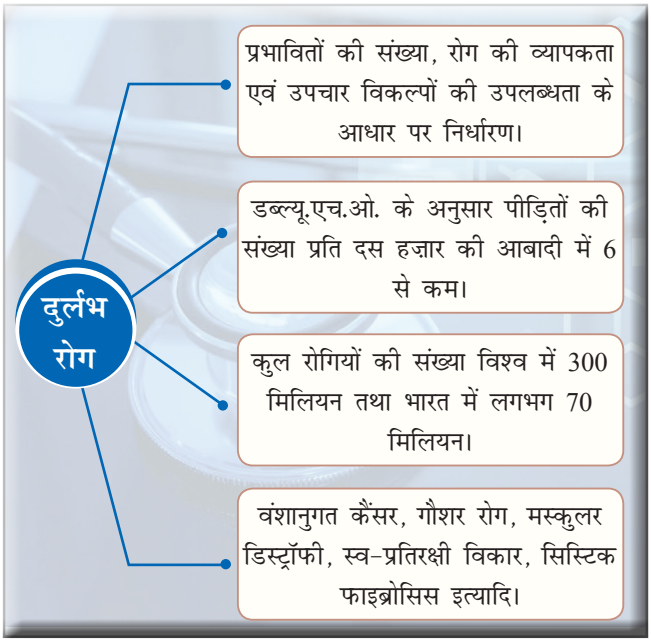
दुर्लभ रोग
प्रभावितों की संख्या, रोग की व्यापकता एवं उपचार विकल्पों की उपलब्धता के आधार पर निर्धारण।
डब्ल्यू.एच.ओ. के अनुसार पीड़ितों की संख्या प्रति दस हज़ार की आबादी में 6 से कम।
कुल रोगियों की संख्या विश्व में 300 मिलियन तथा भारत में लगभग 70 मिलियन।
वंशानुगत कैंसर, गौशर रोग, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, स्व-प्रतिरक्षी विकार, सिस्टिक फाइब्रोसिस इत्यादि।

- दुर्लभ रोगों को ऐसे रोग के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो किसी जनसंख्या को विरले ही प्रभावित करता है। इसके लिये तीन आधारों– रोग से प्रभवित 'लोगों की कुल संख्या', इसकी 'व्यापकता' और 'उपचार विकल्पों की उपलब्धता या अनुपलब्धता' का उपयोग किया जाता है।
- डब्ल्यू.एच.ओ. दुर्लभ रोगों को आवृत्ति के आधार पर परिभाषित करता है। इसके अनुसार, ऐसा रोग जिससे पीड़ित रोगियों की संख्या प्रति दस हजार की आबादी पर 1 से 6 के बीच में होती है, उनको दुर्लभ रोग कहते हैं।
- एक अनुमान के अनुसार, दुनिया भर में ज्ञात दुर्लभ रोगों की संख्या लगभग 7,000 और इससे पीड़ितों की संख्या लगभग 300 मिलियन है, जबकि भारत में इनकी संख्या लगभग 70 मिलियन है।
- 'भारतीय दुर्लभ रोग संगठन' के अनुसार, इनमें वंशानुगत कैंसर, स्व-प्रतिरक्षी विकार, जन्मजात विकृतियाँ, हिर्स्चस्प्रुंग रोग (Hirschsprung's Disease- इसमें बड़ी आँत प्रभावित होती है, जिससे मल त्याग में समस्या आती है), गौचर/गौशर रोग (Gaucher Disease- एक आनुवंशिक बीमारी है, जिसमें प्लीहा व लीवर बढ़ जाता है और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है), सिस्टिक फाइब्रोसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (पेशीय अपविकास) और लाइसोसोमल भंडारण विकार जैसे रोग शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

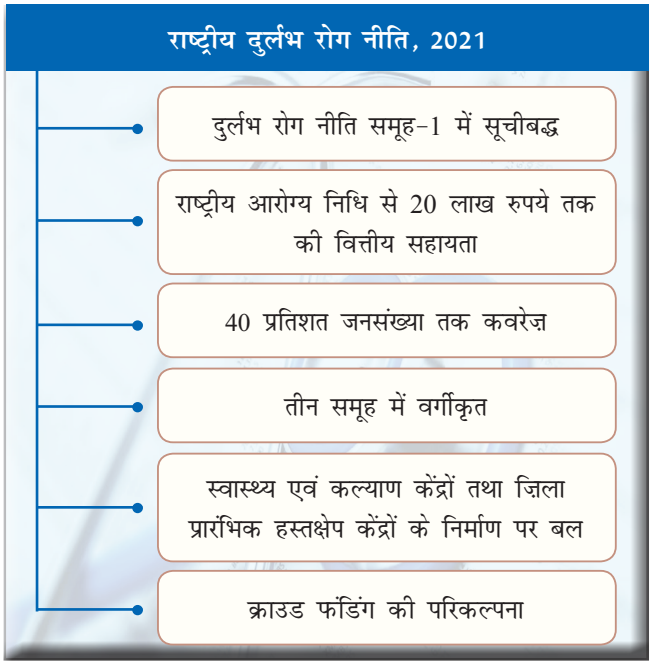
राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति, 2021
दुर्लभ रोग नीति समूह-1 में सूचीबद्ध
राष्ट्रीय आरोग्य निधि से 20 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता
40 प्रतिशत जनसंख्या तक कवरेज़
तीन समूह में वर्गीकृत
स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों तथा ज़िला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्रों के निर्माण पर बल
क्राउड फंडिंग की परिकल्पना

- इस नीति के तहत उन सूचीबद्ध दुर्लभ रोगों के उपचार के लिये 'राष्ट्रीय आरोग्य निधि' की छत्रक योजना के अंतर्गत 20 लाख रुपए तक के वित्तीय समर्थन का प्रावधान है, जिनके लिये केवल एक बार के उपचार की आवश्यकता होती है। इनको दुर्लभ रोग नीति में समूह-1 के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है।

- उल्लेखनीय है कि इसके तहत वित्तीय सहायता केवल बी.पी.एल. परिवारों के लाभार्थियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके लाभ के दायरे में 40% जनसंख्या को लाया जाएगा, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र हैं।
- इस नीति में 'स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों' और 'ज़िला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्रों' जैसी प्राथमिक एवं द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना तथा अधिक जोखिम वाले मरीजों के लिये परामर्श के माध्यम से त्वरित जाँच एवं रोकथाम पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।
- इस नीति में दुर्लभ रोगों को तीन समूहों में वर्गीकृत किया है– एक बार उपचार वाले विकार, लंबी अवधि या आजीवन उपचार की आवश्यकता वाले विकार और ऐसे रोग जिनके लिये निश्चित उपचार उपलब्ध है परंतु लाभ के लिये इष्टतम रोगी का चयन करना चुनौतीपूर्ण है।
- उल्लेखनीय है कि कुछ समय पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने गैर-अल्कोहोलिक फैटी लीवर रोगों (NAFLD) को 'कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक से बचाव एवं नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम' (NPCDCS) से जोड़ने के दिशा-निर्देश जारी किये हैं। भारत एन.ए.एफ.एल.डी. के लिये कार्रवाई करने वाला विश्व का पहला देश है।

नीति-स्थापना का कारण

- दुर्लभ रोगों का क्षेत्र एवं स्वरूप अत्यंत जटिल और विविध है। साथ ही, इसके रोकथाम, उपचार व प्रबंधन में कई चुनौतियाँ विद्यमान हैं। इन चुनौतियों में प्राथमिक देखभाल चिकित्सकों में जागरूकता की कमी के अतिरिक्त अपर्याप्त जाँच और उपचार सुविधाओं में कमी जैसे कारक शामिल हैं।
- भारतीय संदर्भ में इन रोगों से संबंधित शरीर क्रिया-विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास के बारे में कम जानकारी उपलब्ध होने के कारण अधिकतर दुर्लभ रोगों के लिये अनुसंधान एवं विकास में मूलभूत समस्याएँ विद्यमान हैं। साथ ही, मरीजों की कम संख्या और इस कारण अपर्याप्त चिकित्सकीय अनुभव के चलते दुर्लभ रोगों पर अनुसंधान कार्य भी कठिन है।
- इनसे जुड़े रोगों और मृत्यु दर में कमी लाने के लिये दवाओं की उपलब्धता व पहुँच तथा उपचार की लागत भी अहम मुद्दा है। साथ ही, यह नीति न्यायालय सहित विभिन्न हितधारकों के हस्तक्षेप का एक परिणाम है।

उद्देश्य

- इसका उद्देश्य संयोजक के रूप में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के 'स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग' द्वारा गठित 'राष्ट्रीय संघ' (National Consortium) की सहायता से स्वदेशी अनुसंधान पर अधिक ज़ोर देने के साथ-साथ इन रोगों की उपचार लागत को कम करना है। इसके लिये 'अनुसंधान और विकास' के साथ-साथ 'दवाओं के स्थानीय उत्पादन' पर अधिक बल दिया जाएगा।
- इस नीति में दुर्लभ रोगों की एक 'अस्पताल आधारित राष्ट्रीय रजिस्ट्री' तैयार करने की भी परिकल्पना की गई है, ताकि इन रोगों को परिभाषित करने तथा देश में इनसे संबंधित अनुसंधान एवं विकास के लिये पर्याप्त डाटा उपलब्ध हो सके।
- इसके अलावा, इस नीति का उद्देश्य उत्कृष्टता केंद्र के रूप में वर्णित 8 स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से दुर्लभ रोगों से बचाव एवं उपचार के लिये तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को मज़बूत करना भी है। निदानात्मक सुविधाओं (Diagnostics Facilities) के सुधार के लिये इन उत्कृष्टता केंद्रों को 5 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी।
- इसके अलावा, नीति में एक 'क्राउड फंडिंग तंत्र' की भी परिकल्पना की गई है। इसके माध्यम से जुटाई गई धनराशि का उपयोग उत्कृष्टता केंद्रों द्वारा दुर्लभ रोगों के उपचार तथा अनुसंधान के लिये किया जायेगा।

लाभ

- इससे दुर्लभ रोगों के उपचार के व्यवसायीकरण में तेजी आएगी, जो संबंधित रोगों के लिये नई दवाओं और प्रक्रियाओं के विकास में सहायक होगा। साथ ही, इस क्षेत्र के वित्तीयन में भी तेज़ी आएगी।
- यह नीति रोकथाम और नियंत्रण के लिये लोगों को विवाह-पूर्व आनुवंशिक परामर्श लेने, उच्च जोखिम वाले जोड़ों की पहचान करने और दुर्लभ रोगों के प्रारंभिक पहचान के बारे में लोगों में जागरूकता लाने के लिये प्रोत्साहित करेगी।
- यह नीति 'समावेशन के सिद्धांत' के अनुरूप है और नागरिकों की देखभाल के लिये कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना की पुष्टि करती है।

आगे की राह

- 'ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया' द्वारा पूर्व-अनुमोदित उपचारों के लिये तत्काल और आजीवन उपचार की जरूरतों के लिये कोई धन आवंटित नहीं किया गया है। इस पर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है।
- इसमें दीर्घकालिक वित्तीय सहायता को लेकर कोई स्पष्ट रणनीति नहीं अपनाई गई है। साथ ही, यह नीति दान और क्राउड फंडिंग पर आधारित है, जो अधिक विश्वसनीय नहीं है।
- दुर्लभ रोगों के उपचार में अधिकतम लोगों तक सहायता पहुँचाने के लिये केंद्र सरकार को अन्य राज्यों के साथ लागत-साझाकरण समझौते का विस्तार करने की आवश्यकता है।

नस्लीय भेदभाव : संबंधित चिंताएँ तथा निवारण

संदर्भ

- प्रतिवर्ष 21 मार्च को नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन, व्याप्त पूर्वाग्रहों एवं असहिष्णुता से लड़ने के लिये 'अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव

उन्मूलन दिवस' मनाया जाता है और वैश्विक स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम एवं गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं। वर्ष 2021 के लिये इस दिवस की थीम थी– 'नस्लवाद के विरुद्ध खड़े युवा'।

- यह दिवस आधुनिक नस्लवाद के लिये उत्तरदायी कारणों एवं परिणामों का पता लगाने और भेदभाव से निपटने के लिये महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धताओं को दोहराने का अवसर प्रदान करता है।
- कोविड-19 महामारी के कारण नस्लीय भेदभाव एवं मानवाधिकारों के हनन संबंधी मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। इस संदर्भ में यूनेस्को प्रमुख ऑड्री अंजुले ने चिंता व्यक्त करते हुए सभी देशों से एकजुट होकर इस समस्या से निपटने का आह्वान किया है।

नस्लवाद तथा इसके विभिन्न रूप

- नस्लवाद अथवा प्रजातिवाद एक ऐसी अवधारणा है, जिसके तहत कोई एक नस्ल या जाति किसी दूसरी नस्ल या जाति से श्रेष्ठ होने का दावा करती है और इस आधार पर दूसरी नस्ल से घृणा एवं भेदभावपूर्ण व्यवहार करती है या उसके सामान्य मानवाधिकारों का हनन करती है।
- नस्लवाद का वर्तमान स्वरूप अत्यंत जटिल है। कुछ समूहों के प्रति बढ़ती आक्रामकता व तिरस्कार की भावना सहित नस्लीय भेदभाव के संरचनात्मक स्वरूप में भी वृद्धि हुई है।
- इंटरनेट की व्यापक उपलब्धता के कारण भी नस्लवाद की प्रवृत्ति को बल मिला है। चूँकि इंटरनेट पर व्यक्ति अपनी पहचान छिपा सकता है और ऐसा करके लोग नस्लवादी रूढ़ियों तथा भ्रामक सूचनाओं का तेज़ी से ऑनलाइन प्रसार करते हैं।
- ध्यातव्य है कि महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक अमेरिका में एशियाई तथा एशियाई मूल के अमेरिकी नागरिकों के विरुद्ध नफरत फैलाने संबंधी ऑनलाइन पोस्ट्स में 200% तक वृद्धि दर्ज की गई है। मार्च 2020 से लेकर वर्ष के अंत तक यहाँ नफरत से प्रेरित हिंसा के 2800 से भी अधिक मामले दर्ज किये गए।
- भारत और श्रीलंका में सोशल मीडिया ग्रुप एवं मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध नफरत फैलाने और उनके सामाजिक-आर्थिक बहिष्कार के लिये अधिक किया गया। साथ ही, भारत में सोशल मीडिया के माध्यम 'अल्पसंख्यकों द्वारा कोरोना वायरस का प्रसार करने' संबंधी भ्रामक सूचनाएँ भी प्रसारित की गई थीं।

नस्लवाद के दुष्परिणाम

- नस्लीय भेदभाव अथवा पक्षपातपूर्ण व्यवहार समाज में विद्यमान असमानताओं को और बढ़ाता है। मानवाधिकारों के उल्लंघन के अतिरिक्त, नस्लीय भेदभाव का मानव स्वास्थ्य एवं कल्याण पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे सामाजिक समरसता में बाधा उत्पन्न होती है।
- 'द लांसेट' में प्रकाशित एक अध्ययन ने कोविड-19 महामारी के सामाजिक आयामों और अल्पसंख्यकों के प्रति हुए नस्लीय भेदभाव को उजागर किया है। इस रिपोर्ट में भेदभाव के अलग-अलग रूपों की ओर इशारा किया गया है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रोफाइलिंग के जोखिमों और समुदायों के प्रति व्याप्त पूर्वाग्रहों से संबंधित खतरों के बारे में चेतावनी देते हुए कहा कि इससे भय का वातावरण निर्मित होगा और नस्लीय भेदभाव संबंधी मामलों का पता लगाने में भी विलंब होगा।
- महिलाओं और बालिकाओं को तो नस्लीय एवं लैंगिक भेदभाव तथा पूर्वाग्रहों संबंधी दोहरी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे वे मानसिक रूप से कमज़ोर होने लगती हैं।
- नस्लीय भेदभाव का सर्वाधिक शिकार अफ्रीकी मूल के व्यक्ति, धार्मिक एवं प्रजातीय अल्पसंख्यक तथा हाशिये पर रहने वाले अन्य समूह होते हैं। साथ ही, नस्लीय भेदभाव के कारण सबसे अधिक मौतें भी इन्हीं समुदाय के लोगों की होती है।
- भले ही नस्लीय भेदभाव सभी मानवाधिकारों का हनन नहीं करता, किंतु यह 'बहुत से अधिकारों के उल्लंघन' का कारण अवश्य बनता है और व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार को सर्वाधिक प्रभावित करता है।

नस्लीय भेदभाव : निपटने के उपाय एवं रणनीति

- यूनेस्को ने कोरिया गणराज्य के सहयोग से पेरिस में 22 मार्च, 2021 को नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध एक वैश्विक फोरम की मेजबानी की थी। इस अवसर पर नस्लीय भेदभाव से निपटने के लिये रणनीति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नीति-निर्माता, शिक्षाविद् और अन्य भागीदार एकत्रित हुए थे।
- इस दौरान नस्लवाद के मूल कारणों से निपटने के लिये असहिष्णुता विरोधी कानूनों, नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से बहुपक्षीय प्रयासों की तत्काल आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया।
- 'यूनेस्को' शिक्षा के माध्यम से युवाओं में नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध एवं मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु जागरूकता उत्पन्न करता है।
- साथ ही, यूनेस्को स्कूलों में छात्रों में और विभिन्न समुदाय में नस्लवाद विरोधी दृष्टिकोण विकसित करने के लिये विशेष कार्यक्रम भी आयोजित करता है।
- 'समावेशी एवं सतत् शहरों का अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन' नस्लवाद के विरुद्ध लड़ाई में शहरी स्तर की नीतियों के लिये एक अतिरिक्त मंच प्रदान करता है, जो कि अच्छे व्यवहारों के लिये एक प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है।
- वर्तमान में सोशल मीडिया पर 'हैशटैग स्टॉप-एशियन-हेट' (#StopAsianHate) नामक कार्यक्रम के माध्यम से एशियाई और एशियाई मूल के लोगों के विरुद्ध हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिये एक मुहिम शुरू की गई है।

- इन प्रयासों के अतिरिक्त, अंतर-सांस्कृतिक संवाद एवं सीखने के नए दृष्टिकोण के माध्यम से युवाओं एवं समुदायों में सहिष्णुता को बढ़ावा देने तथा हानिकारक रूढ़ियों के उन्मूलन के लिये महत्त्वपूर्ण प्रयास किये जा सकते हैं।

स्मरणीय तथ्य

- 21 मार्च, 1960 को दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव का विरोध कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा कार्यवाई की गई थी, जिसमें 66 छात्रों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना को मानवाधिकारों के हनन के रूप में देखा गया।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 21 मार्च, 1966 को पहली बार 'नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस' मनाया गया। इस संदर्भ में वर्ष 1979 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध 'एक्शन फॉर कॉम्बैट' नामक कार्यक्रम शुरू किया।
- नस्लीय भेदभाव तथा असहिष्णुता से निपटने के लिये वर्ष 2001 में 'डरबन घोषणा एवं कार्रवाई कार्यक्रम' (DDPA) शुरू किया गया।
- वर्ष 2013 में अफ्रीका मूल के लोगों के लिये 'अफ्रीकी मूल के लोग: स्वीकार्यता, न्याय एवं विकास' विषय के साथ वर्ष 2015 से 2024 को अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया।
- भारत में नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने के लिये संवैधानिक उपबंध किये गए हैं। संविधान का अनुच्छेद 14 सभी के लिये समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है और अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।
- अनुच्छेद 16 सभी नागरिकों को अवसर की समता प्रदान करता है तो वहीं अनुच्छेद 39A सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका के साधन प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है।

निष्कर्ष

- यद्यपि वर्तमान में नस्लवादी विचारधारा की सामाजिक स्वीकार्यता में कमी आई है और लोगों के नस्लवाद विरोधी दृष्टिकोण में सुधार हुआ है, तथापि नस्लीय भेदभाव की नवीनतम अभिव्यक्तियाँ भी सामने आई हैं। ऐसे में, समानता सुनिश्चित करने के नए प्रयासों पर बल देने की आवश्यकता है।
- नस्लीय भेदभाव को केवल विश्वास के आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे नस्लवाद विरोधी कार्रवाइयों के साथ संबद्ध किया जाना चाहिये। साथ ही, इसके लिये आवश्यक है कि वैश्विक स्तर पर विभिन्न समुदायों में सहिष्णुता, समानता एवं भेदभाव विरोधी संस्कृति को भी विकसित किया जाए।
- इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान का कथन कि "हमारा उद्देश्य ज्ञान के प्रसार के माध्यम से अज्ञानता को समाप्त करना है, सहिष्णुता को बढ़ावा देते हुए कट्टरता का त्याग करना और उदारता के माध्यम से भेदभाव को दूर करना है। नस्लवाद हरसंभव स्थिति में और अवश्य ही समाप्त होना चाहिये।"

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर में बाल अधिकार संरक्षण

संदर्भ

- वर्तमान में हम इतिहास की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) पीढ़ी के बीच रह रहे हैं। आज के दौर में बच्चे आभासी वास्तविकता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.आई.) द्वारा संचालित विश्व में जन्म ले रहे हैं।
- ऐसे में सभी आधारभूत तकनीकी परिवर्तनों की तरह ए.आई. न केवल सभी मानवीय क्रियाकलापों को बदल रहा है, बल्कि यह हमारे व्यवहारों, प्राथमिकताओं, सांसारिक अवधारणाओं के साथ-साथ हम सभी को आकार दे रहा है।

प्रमुख चिंताएँ

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सर्वप्रमुख चिंताओं में से एक प्रमुख बिंदु यह है कि इस परिवर्तन को हर कोई अवसर के रूप में नहीं बदल सकता। यूनिसेफ और इंटरनेशनल टेलीकम्यूनिकेशन यूनियन (आई.टी.यू.) के अनुसार, दुनिया के दो-तिहाई बच्चों के पास घर पर इंटरनेट तक पहुँच नहीं है।
- भारत में, डिजिटल और गैर-डिजिटल विषमता का होना गंभीर समस्या है जब तक हम इस डिजिटल विभेद को दूर करने के लिये तेज़ी से और ठोस कार्रवाई नहीं करते, ए.आई. मौलिक रूप से विभिन्न वर्गों (सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, लैंगिक और क्षेत्रीय) के बालकों के मध्य सामाजिक असमानताओं को बढ़ाएगा।
- ए.आई. का विस्तार और परिनियोजन इसके निहितार्थों को समझने की हमारी क्षमता को सीमित कर रहा है, विशेषकर बालकों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है।
- आभासी दुनिया गैर निरीक्षित 'अवकाशों' और 'खेल के मैदानों' से लैश है, जहाँ किसी की कोई पहचान नहीं हैं। कई रिपोर्टें ने पहचान की है कि ऐसे आभासी खेल के मैदान बाल तस्करों के लिये तो 'हनीपॉट्स' का काम करते हैं।
- ध्यातव्य है कि जर्मनी में इंटरनेट से जुड़ी गुड़िया 'कायला' को इसलिये प्रतिबंधित कर दिया गया कि इसे हैक कर बच्चों की जासूसी की जा सकती थी। फिर भी ज़्यादातर देशों में इस तरह के खिलौनों पर प्रतिबंध लगाने के लिये कानूनी ढाँचा नहीं है।
- पूरी तरह से स्क्रीन टाइम पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद, यह सुनिश्चित करना कि बच्चे ऑनलाइन किसके साथ और क्या कर

रहे हैं, अभिभावकों के लिये चुनौतीपूर्ण है। ऑनलाइन होमवर्क के साथ तो यह और भी कठिन हो गया है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता की उपयोगिता

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने साक्षरता, सामाजिक कौशल और भाषा के विकास को बढ़ावा दिया है। यह बच्चों के लिये रचनात्मक अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते हैं।
- आज कई ए.आई. खिलौने अपने स्वयं के व्यक्तित्व और आवाज़ के साथ पूर्व-क्रमबद्ध हैं। वे हमारे बच्चों को सुनते हैं चेहरे की पहचान और उनका पालन भी करते हैं।
- शिक्षा क्षेत्र में ए.आई. का उपयोग किया जा सकता है, जैसे– ट्यूशनिंग सिस्टम, अनुकूल पाठ्य-योजना निर्माण, कल्पनाशील आभासी वास्तविक निर्देश, समृद्ध और आकर्षक साक्षात्कार संबंधी अनुभव जो शैक्षिक परिणामों में सुधार ला सकते हैं।
- इसके अलावा अन्य क्षेत्रों यथा– चिकित्सा, खेल, परिवहन, राजनीति इत्यादि में भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

बाल स्वतंत्रता का अधिकार

- भले ही ए.आई. प्रणाली विभिन्न माध्यमों में सहायक रही हो अपितु इसने युवाओं को गंभीर रूप से प्रभावित किया है किशोरावस्था से कम उम्र से ही बच्चे डिजिटल रूप से व्यसनी हो रहे हैं।
- जब उन्हें एकाग्रता कौशल, भावनात्मक और सामाजिक बुद्धिमत्ता सीखने की ज़रूरत है, शुरुआती विचारों को आकार देने की आवश्यकता है उन्हें गहरे आभासी दुनिया में धकेला जा रहा है। जिसमें झूठी खबरों, साजिश के सिद्धांत, प्रचार, ऑनलाइन धूर्तता, घृणित भाषा और पसंद शामिल हैं।
- हर क्लिक और स्क्रॉल के साथ, AI उन्हें विशेष रूप से अनुकूलित वातावरण में अलग कर रहा है और वे यह समझने लगे हैं कि वे जो भी हैं और जिस दुनिया में रहते हैं; यही सही है।
- जबकी उनकी सहायता हेतु विभिन्न दृष्टिकोणों, वरीयताओं, विश्वासों और रीति-रिवाज़ों की समझ विकसित करने में उनके लिये समझ और समानुभूति और सद्भावना के पुलों का निर्माण अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

बाल अधिकार और संरक्षण संबंधी प्रयास

- बाल अधिकारों पर कन्वेंशन सभी सार्वजनिक और निजी कार्यकर्ताओं से उनकी सभी विकासात्मक गतिविधियों और सेवाओं के प्रावधान के तहत बालकों के सर्वोत्तम हित में कार्य करने का आग्रह करता है। फरवरी के एक ऐतिहासिक फैसले में, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की समिति ने बाल अधिकारों पर कन्वेंशन को लागू करने और डिजिटल वातावरण में सभी बच्चों के अधिकारों को पूरा करने पर सामान्य टिप्पणी 25 को अपनाया।
- यूनिसेफ की 'जेनरेशन ए.आई.' पहल वर्तमान में विश्व आर्थिक मंच के चौथे औद्योगिक क्रांति केंद्र और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से बच्चों के लिये ए.आई. क्षमता को पुनः हासिल करने के लिये काम कर रही है।
- यूनेस्को द्वारा इस वर्ष सदस्य राज्यों द्वारा अपनाई जाने वाली नैतिक ए.आई. की सिफारिशों का मसौदा तैयार करने में अन्य हितधारकों के साथ परामर्श किया गया। साथ ही, एम.ओ.ओ.सी. के माध्यम से ए.आई. साक्षरता बढ़ाने पर प्रतिबद्धता जताई गई।
- यूनेस्को की महात्मा गांधी शिक्षा संस्थान द्वारा शांति के लिये इस वर्ष भारत में यूनिसेफ, यूएनवी, और संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर भारत में युवा लोगों के लिये सबसे महत्त्वपूर्ण ए.आई. से संबंधित नैतिक चिंताओं की पहचान करने हेतु युवाओं के साथ राष्ट्रव्यापी परामर्श किया गया।
- भारत सरकार ने बच्चों के अधिकारों और भलाई की रक्षा के लिये एक विधायी ढाँचे सहित मज़बूत नीतियाँ बनाई हैं, जिनमें शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। दुर्व्यवहार और हिंसा को रोकने के लिये कानून और नीतियाँ जैसे– नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रेन (2013) को डिजिटल क्षेत्र में बच्चों के लिये विस्तारित की जा सकती हैं।

आगे की राह

- इस ए.आई. जगत में एक अभिभावक, समाज और सरकार के रूप में, युवाओं के प्रति हमारी ज़िम्मेदारी का निर्वहन तभी संभव हैं, जब हम स्वयं इसे अच्छे से समझते हों और बच्चों तथा युवाओं को अपनी सुरक्षा हेतु जागरूक करें।
- ऐसे में बच्चों के वृद्धि और विकास को ध्यान में रखते हुए एक बहु-आयामी कार्रवाई योजना की आवश्यकता है।
- चौथी औद्योगिक क्रांति के अगले चरण में सभी बच्चों तक इंटरनेट की पहुँच बढ़ाने के लिये एक व्यापक प्रयास किया जाना चाहिये।
- डिजिटल विषमता को दूर करने के अतिरिक्त, बच्चों व युवाओं को ऑनलाइन दुरुपयोग से बेहतर ढंग से संरक्षित करने तथा कानूनी और तकनीकी सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है।
- बच्चों में ऑनलाइन व्यसन को नियंत्रित करने व सामाजिक भावनात्मक क्षमता निर्माण हेतु एक ऑनलाइन संस्कृति टूल का विकास एवं ए.आई. साक्षरता में वृद्धि करने की ज़रूरत है।
- जिस प्रकार भारत मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को आकार देने में सहायक रहा और दुनिया को अहिंसा का सिद्धांत दिया, यह महान देश ए.आई. पीढ़ी के लिये एक नैतिक ए.आई. सुनिश्चित करने की दिशा में भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को प्रेरित कर सकता है।

7 स्वास्थ्य, शिक्षा एवं मानव संसाधन संबंधी मुद्दे

स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के प्रयास

संदर्भ

बजट सत्र 2021-22 में 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा और संबद्ध व्यवसाय आयोग विधेयक, 2020' (The National Commission for Allied and Healthcare Professions Bill, 2020 - NCAHP) संसद द्वारा पारित किया गया। जिसके माध्यम से स्वास्थ्य कानून और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बदलाव किये जा सकते हैं। गौरतलब है कि इस विधेयक को सर्वप्रथम वर्ष 2015 में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

महत्त्वपूर्ण प्रावधान

- इसमें संबद्ध और स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा शिक्षा और सेवाओं के मानकों के विनियमन तथा उसके रख-रखाव का प्रावधान किया गया है।
- यह फिजियोथेरेपिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, चिकित्सीय प्रयोगशाला पेशेवर, रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स जैसे 50 से अधिक व्यवसायों को मान्यता देता है, जिनमें अभी तक व्यापक नियामक तंत्र का अभाव है।
- इस विधेयक की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता 'व्यवसायों के वर्गीकरण की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली' (International System of Classification of Occupations - ISCO) का उपयोग कर संबद्ध पेशेवरों का वर्गीकरण करना है।
- यह वैश्विक गतिशीलता की सुविधा देता है और ऐसे पेशेवरों के लिये बेहतर अवसर प्रदान करता है, जो लगभग 8-9 लाख मौजूदा संबद्ध और स्वास्थ्य-संबंधी पेशेवरों को लाभान्वित करते हैं।
- इसका एक अन्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा और संबद्ध व्यवसायों के लिये एक केंद्रीय वैधानिक निकाय स्थापित करना है, जो एक राष्ट्रीय आयोग के रूप में कार्य करेगा। इसके अलावा, पेशेवर परिषदों द्वारा नीतियों और मानकों का प्रारूप तैयार करना, पेशेवरों का आचरण विनियमित करना, योग्यता निर्धारित करना तथा विभिन्न आयु वर्ग में होने वाली अधिकांश बीमारियों का एक केंद्रीय रजिस्टर तैयार करना भी प्रमुख उद्देश्य हैं। इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य नीतियों का निर्माण किया जाएगा।
- इसमें सरकार ने राज्यों की माँगों और सिफारिशों को शामिल करने के लिये सभी संभव उपाय किये हैं एवं इस विधेयक के अंतर्गत राज्य परिषदों के लिये स्वायत्त निकायों के माध्यम से प्रमुख कार्यों को निष्पादित करने का प्रावधान है। जिसमें राज्य परिषद् कार्यान्वयन एजेंसियों तथा राष्ट्रीय आयोग को नीति-निर्माण का दायित्व सौंपा गया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017

उद्देश्य

'राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017' का प्राथमिक उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में लोगों के विश्वास को मज़बूत करना है। इसमें एक ऐसी प्रणाली विकसित करने पर भी ज़ोर दिया गया है, जो रोगी-केंद्रित, कुशल, प्रभावी और सभी के लिये सुलभ हो।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017
समग्र स्वास्थ्य देखभाल वितरण के लिये पारस्परिक अभिसरण
सभी गैर-स्वास्थ्य मंत्रालयों, समुदायों और शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी
समन्वित कार्रवाई :
स्वच्छ भारत अभियान - स्वच्छता
संतुलित, स्वास्थ्य आहार और नियमित व्यायाम
तंबाकू, शराब और मादक द्रव्यों के सेवन को संबोधित करना
यात्री सुरक्षा - रेल और सड़क दुर्घनाओं के कारण होने वाली मौतों को रोकना
निर्भया नारी - लिंग हिंसा के खिलाफ
कार्यस्थल में कम तनाव और बेहतर सुरक्षा
मरीज-केंद्रित, गुणवत्ता और एक आश्वासन आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देना
स्थिति उपचार के बारे में जानकारी रोगियों तक पहुँचाने का अधिकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल मानक संस्थान - सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में पर्याप्त मानकों को बनाए रखने के लिये
प्रतिष्ठानों के ग्रेडिंग और मानक उपचार दिशानिर्देशों का सक्रिय प्रचार
विवादों और शिकायतों पर त्वरित समाधान के लिये अधिकारिक मेडिकल ट्रिब्यूनल

जीवन प्रत्याशा और स्वस्थ जीवन

- जन्म के समयजीवन प्रत्याशा को 5 वर्ष से बढ़ाकर वर्ष 2025 तक 70 वर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है।

- कुल प्रजनन दर (TFR) को वर्ष 2025 तक राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर 2.1% पर लाया जाना है।
- नियमित ट्रैकिंग करने के लिये 'विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष सूचकांक' (Disability Adjusted Life Years - DALY) निर्मित करना तथा वर्ष 2022 तक एक आयु वर्ग में प्रचलित बीमारियों को वर्गीकृत (Categorize) करना शामिल है।

मृत्यु दर

- वर्ष 2025 तक पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को '23 बच्चे प्रति हजार जीवित जन्म' पर लाना है, जबकि मातृ मृत्यु दर को वर्ष 2020 तक 167 से घटाकर 100 पर लाना है।
- शिशु मृत्यु दर (Infant Mortality Rate - IMR) को वर्ष 2019 तक 28 तक लाना है, जो वर्ष 2016 तक '34 बच्चे प्रति हज़ार जीवित जन्म' थी।
- वर्ष 2025 तक नवजात शिशु मृत्यु दर को 16 और जन्म दर के 'एकल अंक' में लाना घोषित किया गया है।

रोगों के प्रसार में कमी

- वर्ष 2025 तक दृष्टिहीनता के प्रसार को नियंत्रित कर 0.25 प्रति हज़ार करना तथा रोगियों की संख्या को वर्तमान स्तर से घटाकर एक-तिहाई करना शामिल है।
- वर्ष 2025 तक हृदय संबंधी रोग, मधुमेह या पुराने श्वसन रोग तथा कैंसर जैसी बीमारियों से होने वाली समयपूर्व मृत्यु दर को 25% तक कम करने के लक्ष्य रखा गया है।
- क्षयरोग (टी.बी.) के नए मामलों में 85% तक कमी लाना और इस स्थिति को बनाये रखते हुए वर्ष 2025 तक क्षयरोग का उन्मूलन करना।

स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार

- वर्ष 2025 तक, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग मौजूदा स्तर से 50% बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- वर्ष 2025 तक 90% बच्चों का जन्म प्रशिक्षित दाइयों या नर्सों की देख-रेख में कराने का लक्ष्य घोषित किया गया है।
- इसके अलावा वर्ष 2025 तक एक वर्ष की उम्र के 90% बच्चों का पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना भी शामिल है।

स्वास्थ्य से संबंधित क्रॉस सेक्टोरल लक्ष्य

- तंबाकू के इस्तेमाल के वर्तमान प्रसार को वर्ष 2020 तक 15% तथा वर्ष 2025 तक 30% तक कम करना निर्धारित किया गया है।
- इस नीति के अंतर्गत, वर्ष 2025 तक पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में बौनेपन (Stunting) की समस्या को 40% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- वर्ष 2020 तक सभी की स्वच्छ पेयजल तथा स्वच्छता तक पहुँच सुनिश्चित करना शामिल है।

स्वास्थ्य व्यय

- वर्ष 2020 तकराज्यों को अपने बजट का 8% स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करना होगा।
- स्वास्थ्य व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 15% से बढ़ाकर वर्ष 2025 तक 2.5% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- वर्ष 2025 तक परिवारों के स्वास्थ्य व्यय में वर्तमान स्तर से 25% की कमी लाना लक्षित किया गया है।
- 'स्वास्थ्य नीति, 2017' पर्यावरण में सुधार के लिये सात प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर समन्वित कार्रवाई की पहचान करती है-
  - स्वच्छ भारत अभियान।
  - संतुलित, स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम।
  - तंबाकू, शराब और मादक पदार्थों के सेवन को हतोत्साहित करना।
  - यात्री सुरक्षा- रेल और सड़क यातायात दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों को रोकना।
  - निर्भया नारी- लैंगिक हिंसा में कमी लाना।
  - कार्य स्थल पर तनाव में कमी और सुरक्षा में वृद्धि करना।
  - आंतरिक (Indoor) और बाहरी (Outdoor) वायु प्रदूषण को कम करना।

निष्कर्ष

आधुनिक जीवनशैली का तनाव, तेज़ी से बढ़ता शहरीकरण, बढ़ती हुई पुरानी गैर-संचारी बीमारियाँ आदि स्वास्थ्य क्षेत्र में चिंता का विषय बनी हुई हैं। वर्तमान विधेयक इन चिंताओं से निपटने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।

कोविड-19 महामारी और शिक्षा संबंधी चुनौतियाँ

संदर्भ

- कोविड-19 महामारी के कारण शिक्षण संस्थानों को बंद कर छात्र-छात्राओं को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कराई जा रही है।
- शिक्षक, प्रशासक और नीति निर्माताओं द्वारा इस महामारी के दौरान पहुँच को सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं, लेकिन इसके परिणाम उत्साहजनक नहीं आ रहे हैं।

किये जा रहे प्रयास

- वर्तमान में छात्र-छात्राओं को डिजिटल माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा रही है।
- महामारी के दौरान परीक्षाओं को भी ऑनलाइन माध्यम से ही संपन्न कराया जा रहा है।

चुनौतियाँ

- डिजिटल माध्यम से प्रदान की जा रही शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों तथा छात्रों के मध्य सामंजस्य कम होता जा रहा है।

- ऑनलाइन माध्यम से कराई जाने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता कम होती जा रही हैं। साथ ही, शिक्षा की गुणवत्ता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
- निरंतर छोटी स्क्रीन पर देखने के कारण छात्रों में स्वास्थ्य संबंधी विकार उत्पन्न हो रहें हैं।
- भारत में केवल 50% लोगों तक इंटरनेट की पहुँच सुनिश्चित है। अत: ग्रामीण स्तर पर ऑनलाइन शिक्षा केवल एक कल्पना मात्र है।
- ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा उपलब्ध कराने में अधिक संख्या में शिक्षकों की आवश्यकता नहीं होती है। अत: बेरोज़गारी की समस्या में भी वृद्धि दर्ज हुई है।

सुझाव

- शिक्षा क्षेत्र में विस्तार करने के लिये सरकार की प्रसार भारती एजेंसी की मदद ली जा सकती है। जो भारत में रेडियो तथा टेलीविज़न दोनों एजेंसियों को संभालता है।
- वर्तमान में ऑल इंडिया रेडियो के 470 प्रसारण केंद्र मौजूद हैं, जो भारत के 92% भौगोलिक क्षेत्र तथा भारतीय आबादी के 99.19% भाग को कवर करता है।
- वहीं दूरदर्शन भारत तथा दुनिया भर में टेलीविज़न, ऑनलाइन और मोबाइल प्रसारण का काम करता है। दूरदर्शन, अपने 34 सेटेलाइट चैनल, राज्य की राजधानियों में 17 सुसज्जित स्टूडियो तथा अन्य शहरों में 49 स्टूडियो केंद्रों के साथ काम कर रहा है।
- प्रसार भारती अधिनियम के तहत इन दोनों एजेंसियों के कार्यों के अंतर्गत शिक्षा को भी शामिल किया गया है।
- शिक्षा क्षेत्र की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये इन दोनों एजेंसियों को पुन: विकसित किया जाना चाहिये।
- शुरुआत में 10वीं से 12वीं कक्षा के लिये शैक्षिक प्रसारण प्रारंभ करना चाहिये तथा आकाशवाणी एवं दूरदर्शन पर 4:1 (रेडियो पर 4 घंटे और दूरदर्शन पर 1 घंटे) के अनुपात में प्रसारण करना चाहिये।
- जिन पाठ्यक्रमों में प्रदर्शन की आवश्यकता है या जहाँ शारीरिक गतिविधियों को देखने की आवश्यकता है, उसे दूरदर्शन पर प्रसारित करना चाहिये।
- शिक्षकों को रेडियो तथा दूरदर्शन पर पढ़ाने के लिये 1 महीने का प्रशिक्षण तथा साथ ही मूल्यांकन के लिये उपयुक्त उपकरण बनाने का भी प्रशिक्षण दिया जा सकता है।
- यदि नियमित रूप से रेडियो का प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो डिजिटल रेडियो स्पांगिंग एफ.एम. का भी प्रयोग किया जा सकता है। जो गैर-सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों तथा विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से चलाए जाते हैं।
- सरकार विभिन्न इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से शिक्षकों तथा छात्रों के लिये कुछ घंटे मुफ्त इंटरनेट प्रदान करने की बात पर भी विचार कर सकते हैं। हालाँकि इस प्रकार का कदम आसान नहीं होगा।

निष्कर्ष

- इन प्रयासों के माध्यम से शिक्षकों तथा छात्रों की छोटी स्क्रीन संबंधी समस्या का समाधान किया जा सकता है, साथ ही यह स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भी कम करेगा।
- इन दोनों एजेंसियों (रेडियो तथा दूरदर्शन) तक लोगों की पहुँच मुफ्त है। जिसके माध्यम से लोगों पर बढ़ते अनियमित वित्तीय दबाव को भी कम किया जा सकेगा।

स्मरणीय तथ्य

- शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21(A) के तहत मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित है।
- इसके अंतर्गत राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का प्रावधान है।
- विदित है कि, शिक्षा को अनुच्छेद 21(A), अनुच्छेद 45 तथा 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के माध्यम से जोड़ा गया है।
- उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 1993 के मोहिनी जैन बनाम आंध्र-प्रदेश राज्य मामले में प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया।
- संसद द्वारा अनुच्छेद 21(A) का अनुसरण करते हुए बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम वर्ष 2009 में अधिनियमित किया गया था।

श्रमिकों के लिये अनिवार्य कौशल प्रमाणीकरण

संदर्भ

- कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों एवं विभागों से सरकारी अनुबंधों को निष्पादित करने के लिये केवल प्रमाणित कुशल श्रमिकों को नियुक्त करने का आग्रह किया है। साथ ही, इसके लिये सभी मंत्रालयों के अधीन स्वायत्त संस्थानों को भी निर्देशित करने को कहा गया है।
- कौशल प्रमाणित श्रमशक्ति का 10% तक आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 में लागू किये जाने का सुझाव दिया गया है, जिसे 2026-27 तक 100% किया जाएगा।

इस कदम की आवश्यकता क्यों

- सरकार श्रम बाज़ार की संरचना में परिवर्तन कर विस्तृत कौशल पारितंत्र विकसित करने का प्रयास कर रही है। इसके लिये अकुशल श्रमिकों को कुशल श्रमबल में परिवर्तित करने का कार्य किया जा रहा है।
- 2018-19 के 'आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण' (Periodic Labour Force Survey - PLFS) के अनुसार भारत का केवल 2.4% कार्यबल ही औपचारिक रूप से प्रशिक्षित है।

- ठेकेदार अधिक लाभ के उद्देश्य से कम वेतन पर अनौपचारिक श्रमिकों के नियोजन को प्राथमिकता देते हैं।
- विरोधाभासी स्थिति यह है कि सरकारी परियोजनाओं के लिये कुशल मानव-शक्ति के प्रयोग पर बल दिये बिना सरकार कार्यबल में कौशल को बढ़ावा देने पर ज़ोर दे रही है। इस कारण सरकारी अनुबंधों के निष्पादन के लिये प्रमाणित कुशल श्रमिकों की नियुक्ति अनिवार्य करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया जा रहा है।
- भारत के कौशल नियामक 'नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग' ने श्रम बाज़ार की संरचना को बड़े पैमाने पर अकुशल से कुशल कार्यबल में बदलने के प्रयास के रूप में 4,000-विषम रोज़गार भूमिकाओं के लिये कौशल प्रमाणन प्रणाली को मानकीकृत किया है।

लाभ

- नियमित तथा अनुबंध के आधारित पर सृजित सरकारी रोज़गार में संलग्न जनशक्ति को ध्यान में रखते हुए यह माना जा रहा है कि यह युवाओं को आकर्षित करने के साथ कौशल पारितंत्र विकसित करने में मदद करेगा।
- यह युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये भुगतान करने हेतु प्रोत्साहित करेगा जिससे प्रमाणित कौशल संस्कृति के प्रसार के साथ-साथ कौशल विकास के लिये सरकारी वित्तपोषण प्रणाली में भी सुधार होगा।
- यह उद्योगों तथा बड़े प्रतिष्ठानों में कौशल प्रशिक्षित श्रमिकों की माँग में वृद्धि करेगा। साथ ही, इससे उत्पादकता तथा उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी।
- यदि इसका बेहतर क्रियान्वयन किया जाता है, तो इस कदम से न केवल अनुबंध श्रमिकों की उत्पादकता में सुधार होगा, बल्कि वेतन प्रीमियम में भी बढ़ोतरी होगी।
- यह श्रम बाज़ार में औपचारिकता को बढ़ावा देने के साथ-साथ कौशल प्रशिक्षण पर होने वाले सरकारी खर्च को कम करने में भी सहायक होगा।

चुनौतियाँ

- भारत में रोज़गार से संबंधित अपर्याप्त प्रशिक्षण क्षमता बेरोज़गारी दर के बढ़ने का एक कारण है।
- युवाओं में कौशल विकास कार्यक्रमों के बारे में कम जागरूकता के कारण आई.टी.आई. तथा पॉलिटेक्निक जैसे कौशल विकास संस्थानों में उनकी तुलनात्मक क्षमता से कम नामांकन होता है।

कौशल विकास से संबंधित योजनाएँ

- आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्रण (Atma Nirbhar Skilled Employee Employer Mapping - ASEEM) पोर्टल का आरंभ वर्ष 2020 में किया गया था। यह कुशल श्रमिकों को रोज़गार के स्थायी अवसर तलाशने में मदद करता है।

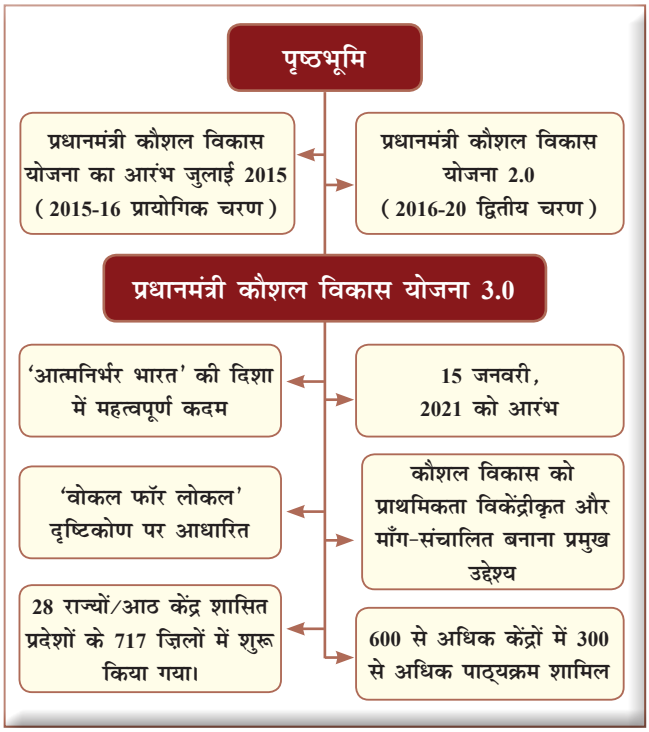
पृष्ठभूमि
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का आरंभ जुलाई 2015 (2015-16 प्रायोगिक चरण)
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 (2016-20 द्वितीय चरण)
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0
'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
15 जनवरी, 2021 को आरंभ
'वोकल फॉर लोकल' दृष्टिकोण पर आधारित
कौशल विकास को प्राथमिकता विकेंद्रीकृत और माँग-संचालित बनाना प्रमुख उद्देश्य
28 राज्यों/आठ केंद्र शासित प्रदेशों के 717 ज़िलों में शुरू किया गया।
600 से अधिक केंद्रों में 300 से अधिक पाठ्यक्रम शामिल

- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को वर्ष 2015 में युवाओं को मुफ्त कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 वर्ष 2021 में प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाने के लिये रोज़गारपरक कौशल प्रदान करना है, जिसके लिये 300 से अधिक कौशल पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए गए हैं।
- कौशल प्रबंधन और प्रशिक्षण केंद्र प्रत्यायन (Skill Management and Accreditation of Training Centres - SMART): यह सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लिये एकल खिड़की की सुविधा प्रदान करता है। यह कौशल पारितंत्र के विकास के लिये प्रशिक्षण केंद्रों को मान्यता, ग्रेडिंग, संबद्धता प्रदान करने के साथ उनकी सतत निगरानी का कार्य करता है।
- आजीविका संवर्धन के लिये कौशल अधिग्रहण एवं जागरूकता अभियान (Skills Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promation - SANKALP) : कार्यक्रम यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे विश्व बैंक के सहयोग से प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य अभिसरण तथा समन्वय के माध्यम से ज़िला-स्तरीय कौशल पारितंत्र विकसित करना है।
- औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिये कौशल सुदृढ़ीकरण (Skills Strengthening for Industrial Value Enhancement-STRIVE) योजना को विश्व बैंक के सहयोग से वर्ष 2016 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) तथा प्रशिक्षुओं के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण की प्रासंगिकता व दक्षता में सुधार करना है।

8 आर्थिक घटनाक्रम

समग्र विकास हेतु आवश्यक है नीतिगत सुधार

संदर्भ

कोविड-19 महामारी के दौरान देश को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने अर्थव्यवस्था तथा समाज को व्यापक स्तर पर प्रभावित किया। ऐसे में विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये नीति-निर्माताओं को अर्थव्यवस्था को अधिक लचीला तथा समृद्ध बनाने के लिये के नई आर्थिक नीतियों या मॉडल को अपनाने की आवश्यकता है।

भारत की स्थिति को दर्शाते वैश्विक संकेतक

- भारत वर्ष 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तथा आर्थिक संवृद्धि दर के पूर्व स्तर को प्राप्त करने के लिये प्रतिबद्ध है। हालाँकि, नीति-निर्माताओं को यह भी ध्यान रखना होगा कि देश का आर्थिक विकास नागरिकों को बेहतर सेवाएँ उपलब्ध करवाने में विफल रहा है।
- वैश्विक भुखमरी सूचकांक, 2020 में भारत को 107 देशों में 94वाँ स्थान प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार, संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास समाधान नेटवर्क द्वारा मार्च 2021 में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय नागरिकों की प्रसन्नता का स्तर अत्यंत निम्न रहा, वस्तुतः इस रिपोर्ट में भारत 153 देशों में 144वें स्थान पर है।
- एक वैश्विक आकलन के अनुसार, जल गुणवत्ता के मामले में भारत 122 देशों में 120वें स्थान पर और वायु गुणवत्ता के मामले में 180 देशों में 179वें स्थान पर है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह अत्यंत दयनीय स्थिति है।

बढ़ती असमानता की खाई

- कोविड-19 महामारी ने विभिन्न वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में विद्यमान संरचनात्मक कमज़ोरियों को उजागर किया है। विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, महामारी के दौरान भारत के शेयर बाज़ार में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई, जिससे धनी और अधिक धनी हो गए, जबकि देश में निर्धनों की संख्या में 75 मिलियन की वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया गया है। यह संख्या वैश्विक स्तर पर महामारी के कारण निर्धनता में हुई वृद्धि का लगभग 60% है।
- ध्यातव्य है कि पूर्व की वैश्विक अर्थव्यवस्था विदेशी पूँजी निवेश के लिये अधिक अनुकूल थी। कई देशों ने अपनी पर्यावरण एवं श्रम संबंधी नीतियों के साथ समझौता करके विदेशी पूँजी निवेश तथा विदेशी व्यापार को आकर्षित करने के लिये इनके अनुकूल नियम बनाए।

बढ़ती आय असमानता

- ऑक्सफेम द्वारा 'द इनइक्वैलिटी वायरस रिपोर्ट' जारी किया गया।
- शीर्ष 11 अरबपतियों की संपत्ति में हुई वृद्धि अगले 10 वर्ष के स्वास्थ्य मंत्रालय के बजट के बराबर।
- महिलाओं में बेरोज़गारी दर 15 से 18 प्रतिशत हो गई।
- लॉकडाउन के दौरान अरबपतियों की संपत्ति में 35 प्रतिशत की वृद्धि।
- अप्रैल 2020 में हर घंटे 170000 लोग बेरोज़गार हुए।
- 4 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास कंप्यूटर तथा 15 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों की इंटरनेट तक पहुँच।

- महामारी ने यह सिद्ध कर दिया है कि वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रवासी श्रमिकों के अनुकूल नहीं है। इसने 'कारोबार की सुगमता' तो प्रदान की, किंतु 'श्रमिकों के जीवनयापन को कठिन' बना दिया।

वर्तमान विकास नीतियों से संबंधित मुद्दे

- महामारी के उपरांत सामान्य स्थिति में वापस आने के लिये नए उपायों एवं नीतियों की आवश्यकता की बजाय अभी भी पुरानी नीतियों पर ही बल दिया जाना चिंताजनक है। भारत पुनः 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये प्रयासरत है।
- इसके अतिरिक्त, धन सृजनकर्ताओं (धनी व्यक्ति और बड़ी कंपनियाँ) को आर्थिक विकास संबंधी समस्याओं के समाधान के रूप में देखा जा रहा है तथा सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है।
- अर्थव्यवस्था में 'व्यक्तिवाद' की विचारधारा भी समग्र विकास को प्रभावित करती है। इसके अंतर्गत, यह माना जाता है कि सफलता और विफलता के लिये व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी होता है। साथ ही, निर्धनों के समक्ष विद्यमान समस्याओं के ज़िम्मेदार लिये सामाजिक परिस्थितियों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है।
- समृद्धि एवं प्रसन्नता को मापने के लिये सार्वभौमिक स्कोरकार्ड का प्रयोग किया जाता है, जिसमें मापक के रूप में वस्तुओं तथा सेवाओं को सभी देशों में समान भारांश दिया जाता है। यह माप वैज्ञानिक तथा वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण तो अपनाती है, किंतु इसमें यह विचार नहीं किया जाता कि प्रसन्नता या कल्याण सदैव 'व्यक्तिपरक' होते हैं।

क्या हो विकास की नीति

- भारत को अविलंब विकास की एक नई रणनीति अपनाने की

आवश्यकता है। जी.डी.पी. में वृद्धि आर्थिक विकास की सूचक तो हो सकती है किंतु यह सामाजिक तथा पर्यावरणीय विकास के लिये उत्तरदायी नहीं है, जो मानव कल्याण और सतत् विकास में योगदान देते हैं। अर्थशास्त्रियों द्वारा इनकी अनदेखी की जाती है।

- वर्तमान में यह आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था की संवृद्धि के साथ-साथ पर्यावरण के स्वास्थ्य और सामाजिक परिस्थितियों (सार्वजनिक सेवाओं एवं अवसरों तक समान पहुँच) पर भी समान रूप से बल दिया जाए।
- स्थानीय स्तर पर लोगों को यह स्पष्ट जानकारी होती है कि कुल 17 सतत् विकास लक्ष्यों में से उनके लिये कौन सा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। इसलिये, वैश्विक समाधान उनकी प्राथमिकता तथा स्थितियों को बेहतर बनाने में सक्षम नहीं हो सकते। इसके लिये आवश्यक है कि वैश्विक प्रयासों में स्थानीय लोगों की भागीदारी को भी शामिल किया जाए।
- जिस प्रकार, अपर्याप्त रूप से परीक्षण किये गए टीके और दवाएँ समग्र स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचा सकते हैं, उसी प्रकार जल्दबाजी में तथा कुछ विशेष लोगों द्वारा लिये गए निर्णय आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय समस्याओं को और जटिल बना सकते हैं। अत: इन समस्याओं का समाधान सामुदायिक सहयोग से किया जाना चाहिये।
- वर्तमान में विकास की ऐसी नीतियों को अपनाया जाना चाहिये, जिसने अधिकाधिक लोगों को रोज़गार प्राप्त हो सके, क्योंकि बिना आय के आर्थिक असमानता की खाई को कम नहीं किया जा सकता।

निष्कर्ष

- जी.डी.पी. का आकार, अरबपतियों की संख्या तथा अंतरिक्ष तक व्यापक पहुँच जैसी उपलब्धियाँ नागरिकों के लिये बेहतर सेवाओं और पर्यावरण की निरंतर खराब होती स्थिति जैसे मुद्दे को हल नहीं कर सकतीं। जब तक विकास निम्न और निर्धन वर्ग तक नहीं पहुँचता, तब तक देश विकसित नहीं बन सकता।
- इसके लिये आवश्यक है कि विकास की नीतियाँ ऐसी हों, जिससे प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण सुनिश्चित हो सके। साथ ही, यह भी ध्यान रखना होगा कि आर्थिक विकास पर्यावरण की कीमत पर न हो।
- भारत सरकार ने वर्ष 2022 में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगाँठ मनाने के लिये एक व्यापक अभियान "भारत@75" शुरू किया है। इस अवसर पर यह समीक्षा की जानी चाहिये कि भारत उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कितना सफल हुआ है, जिनका उल्लेख पंडित जवाहरलाल नेहरु ने 15 अगस्त, 1947 के भाषण 'नियति के साक्षात्कार' (Tryst with Destiny) में किया था।

ई-सांता पोर्टल

संदर्भ

हाल ही में, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 'ई-सांता' (e-SANTA) पोर्टल की शुरुआत की है।

प्रमुख बिंदु

- 'ई-सांता' पद का अर्थ 'एक्वाकल्चर में राष्ट्रीय सतत जलीय कृषि केंद्र के किसानों के व्यापार में वृद्धि हेतु इलेक्ट्रॉनिक समाधान' (Electronic Solution for Augmenting NaCSA Farmers' Trade in Aquaculture: e-SANTA) है।
- 'ई-सांता' जलीय कृषकों (Aqua Farmers) और खरीदारों को जोड़ने के उद्देश्य से एक मंच प्रदान करने के लिये इलेक्ट्रॉनिक मार्केटप्लेस है। यह किसानों और निर्यातकों के बीच पूरी तरह से पेपरलेस एवं 'एंड-टू-एंड' इलेक्ट्रॉनिक मंच है।
- इस मंच पर किसान अपनी उपज को सूचीबद्ध करने और उनकी कीमत तय करने के लिये स्वतंत्र हैं। साथ ही, निर्यातकों को भी अपनी आवश्यकताओं को सूचीबद्ध करने और उसके आधार पर उत्पादों को चुनने की स्वतंत्रता है। इसके अतिरिक्त, यह मंच अधिक नियंत्रण के साथ सूचना आधारित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।
- विदित है कि 'राष्ट्रीय सतत जलीय कृषि केंद्र' (NaCSA) भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत 'समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण' (MPEDA) की एक विस्तारित शाखा है।

लाभ

- यह देश में जलीय कृषकों के लिये आय, जीवनशैली, आत्मनिर्भरता, गुणवत्ता स्तर के साथ-साथ नए विकल्प प्रदान करेगा। यह मंच मौखिक रूप से किये जाने वाले व्यापार के पारंपरिक तरीके को बदलकर उन्हें अधिक औपचारिक एवं कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाएगा।
- यह मंच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निर्यात के लिये एक महत्त्वपूर्ण कारक 'ट्रैसेबिलिटी' (Traceability) में भी उपयोगी है। इससे निर्यातक किसानों से सीधे गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की खरीद में सक्षम होंगे।

क्या है ट्रैसेबिलिटी (Traceability)

- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कृषि उत्पादों के संदर्भ में 'ट्रैसेबिलिटी' को 'वन-स्टेप-बैक, वन-स्टेप-फॉरवर्ड' सिद्धांत भी कहा जाता है। ट्रैसेबिलिटी से तात्पर्य भोजन और पोषक सामग्री, उसके अवयवों तथा खाद्य स्रोतों की उत्पत्ति की पहचान करने की क्षमता से है, विशेषकर तब जबकि उत्पादों को दोषपूर्ण पाया जाता है।
- ट्रेसबिलिटी प्रणाली किसी संगठन को प्राथमिक उत्पादन से लेकर उपभोग तक भोज्य और खाद्य सामग्री के निर्माण, प्रसंस्करण, वितरण और संचालन से जुड़े विभिन्न चरणों के माध्यम से किसी उत्पाद के बारे में पता लगाने की अनुमति देती है।

ई-सांता द्वारा जीवन और आय में वृद्धि के प्रयास

- ई-सांता बाज़ार विभाजन को समाप्त करने के लिये एक डिजिटल ब्रिज है और यह बिचौलियों को समाप्त करके किसानों एवं खरीदारों के बीच एक वैकल्पिक विपणन उपकरण के रूप में कार्य करेगा।
- भविष्य में इस पोर्टल का प्रयोग एक नीलामी मंच के रूप में भी किया जा सकेगा। यह मंच किसानों के जीवन एवं आय में निम्नलिख तरीकों से सुधार करेगा–
  - जोखिम न्यूनीकरण
  - उत्पादों एवं बाज़ारों के बारे में जागरूकता का प्रसार
  - आय में बढ़ोतरी का प्रयास
  - अनुचित कार्यों की विरुद्ध रोक लगाना
  - प्रक्रियाओं को आसान बनाना

पारंपरिक जलीय कृषि की चुनौतियाँ

- व्यापारिक एकाधिकार एवं किसानों का शोषण
- निर्यातकों द्वारा खरीदे गए उत्पादों में असंगतता एवं गुणवत्ता में कमी का सामना करना
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ट्रैसेबिलिटी की क्षमता की समस्या

AT - 1 बॉण्ड (Additional Tier - 1 Bonds)

संदर्भ

हाल ही में, सेबी ने AT-1 (Additional Tier - 1) बॉण्ड की परिपक्वता अवधि को 1 अप्रैल 2021 से 100 वर्ष करने का निर्णय लिया था। सेबी के इस निर्णय से म्यूचुअल फंड एवं बैंकों के सामने गंभीर संकट उत्पन्न हो गया। इस संकट को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने सेबी से अपने निर्देशों को वापस लेने के लिये कहा था। जिसके मद्देनज़र सेबी ने अपने निर्णय को वापस ले लिया है।

बॉण्ड

बॉण्ड सरकार एवं किसी कंपनी के द्वारा धन जुटाने का माध्यम है। इसके माध्यम से प्राप्त किया गया धन कर्ज की श्रेणी में आता है। कंपनियाँ अपने व्यापार के विस्तार के लिये समय-समय पर बॉण्ड जारी करती हैं। ये बॉण्ड कार्पोरेट बॉण्ड कहलाते हैं। सरकार द्वारा भी अपने आय-व्यय के अंतर को पूरा करने के लिये बॉण्ड जारी किये जाते हैं। इन बॉन्डों को गवर्नमेंट बॉण्ड कहा जाता है।

AT-1 बॉण्ड

- AT-1 बॉण्ड स्थाई बॉण्ड (इनकी कोई परिपक्वता अवधि निश्चित नहीं है) हैं। यह बॉण्ड बैंकों द्वारा बेसल-III मानदंडों को पूरा करने के लिये अपने पूँजी आधार को सुदृढ़ करने (दीर्घकालिक पूँजी आवश्यकताओं को पूरा करने) के उद्देश्य से जारी किया जाता है।
- इन बॉण्डों का विनियमन रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है। इसमें नियमित अंतराल पर ब्याज दर का भुगतान किया जाता है। इसमें ब्याज की दर गैर-स्थाई बॉण्ड से अधिक होती है।
- म्यूचुअल फंड स्थाई ऋण साधनों के सबसे बड़े निवेशकों में से एक हैं। AT-1 बांड के 90,000 करोड़ रुपये में से 35,000 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड के पास है।

सेबी का मूल निर्देश

- सेबी ने 10 मार्च 2021 को म्यूचुअल फंड्स को AT-1 स्थाई बॉण्ड को 100 वर्ष के उपकरण के रूप में प्रयोग करने का आदेश दिया था। इसका तात्पर्य यह था कि म्यूचुअल फंड्स को इस धारणा से कार्य करना होगा कि इन बॉण्ड की परिपक्वता की तिथि अथवा पुनर्भुगतान 100 वर्षों में होगा।
- सेबी ने यह निर्णय संभवत: आरबीआई द्वारा यस बैंक लिमिटेड द्वारा जारी AT-1 बॉण्ड पर 8400 करोड़ के राइट ऑफ के आलोक में किया है।

सेबी के पूर्व निर्देश का प्रभाव

म्यूचुअल फंड पर प्रभाव

- म्यूचुअल फंड्स के द्वारा कॉल विकल्प (Call Option) को AT-1 बॉण्ड्स की परिपक्वता तिथि के रूप में माना जाता है। यदि इन बॉण्ड की अवधि को 100 वर्ष किया जाता है तो ये बॉण्ड अल्ट्रा-लांग-टर्म-इंस्ट्रूमेंट के रूप में हो जाएँगे तथा इससे जोखिम में भी वृद्धि होगी।
- बॉण्डों के जोखिम में वृद्धि होने से इनके लाभ में भी वृद्धि होती है। बॉण्ड की कीमत एवं उनके लाभ में विपरीत संबंद्ध होता है। बॉण्ड का अधिक लाभ उसके मूल्य में कमी लाता है।

बैंकों पर प्रभाव

- AT-1 बॉण्ड बैंकों के लिये पसंदीदा पूँजी साधन के रूप में सामने आए हैं। इसकी सहायता से बैंक अपने पूँजी अनुपात को सुदृढ़ करने का प्रयास करते हैं। यदि इस प्रकार के बॉण्डों में म्यूचुअल फंड द्वारा निवेश को प्रतिबंधित किया जाता है तो बैंकों को धन की आवश्यकता के दौरान पूँजी जुटाने में कठनाई होगी।
- म्यूचुअल फंडों द्वारा AT-1 बॉण्ड्स में बड़ी मात्रा में निवेश किया जाता है। बैंकों ने वित्त-वर्ष 2020-21 में इन बॉण्डों से 2.3 बिलियन डॉलर प्राप्त किये हैं।

सेबी द्वारा निर्णय पर पुनर्विचार की आवश्यकता

- AT-1 बॉण्ड के संबंध में सेबी द्वारा जारी किये गए दिशा-निर्देशों को वापस लेने के लिये वित्त मंत्रालय द्वारा आदेश दिये गए। सेबी के इस निर्णय से म्यूचुअल फंडों को नुकसान के साथ ही बैंकों के पूँजी जुटाने की योजनाओं के प्रभावित होने की संभवना थी। सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के

निजीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अत: सेबी के इस निर्णय से उनके फंड जुटाने में बाधा उत्पन्न होने की संभावना थी।

- फिच (Fitch) के एक अनुमान के अनुसार, अगले दो वर्षों के लिये विभिन्न तनाव परिदृश्यों के तहत इस क्षेत्र को 15 बिलियन डॉलर से 58 बिलियन डॉलर पूँजी की आवश्यकता होगी।

सेबी द्वारा दी गई नवीनतम छूट

- सेबी द्वारा जारी किये गए अपने नए दिशा-निर्देशों के अनुसार 31 मार्च, 2022 तक बॉण्ड की परिपक्वता अवधि 10 वर्ष होगी। जिसे बाद के छह माह अर्थात 1 अप्रैल, 2022 से 30 सितंबर, 2022 तक में इसे 20 और 30 साल तक की अवधि तक बढ़ा दिया जाएगा। 1 अप्रैल, 2023 से इसकी परिपक्वता अवधि बॉण्ड जारी करने की तिथि से 100 वर्ष हो जाएगी।
- ध्यातव्य है कि सेबी ने अपने पूर्व के निर्णय में 1 अप्रैल, 2021 से AT-1 बॉण्ड को 100 वर्ष के ऋण पत्र के रूप में निर्धारित करने का निर्णय किया था।
- AT-1 बॉण्ड के संबंध में लिये गए निर्णय के साथ ही सेबी ने एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया (AMFI) को बेसल-III ढाँचे के तहत जारी बॉण्डों के मूल्यांकन के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने की सलाह दी गई है। इन दिशा निर्देशों को 1 अप्रैल, 2021 तक लागू किया जाएगा।

निर्णय का प्रभाव

- सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को AT-1 बॉण्ड निवेश को कम करने के लिये समय सीमा दी है। यह होने वाले नुकसान को रोकने के लिये अस्थाई राहत के समान है। इसका उद्देश्य पुनर्भुगतान के लिये होने वाली अव्यवस्था को रोकना है।
- सेबी के इस निर्णय से बॉण्डों के पुनर्भुगतान के लिये प्रयास नहीं किया जायेगा। परंतु बैंकों को इस निर्णय से आंशिक राहत मिलने का ही अनुमान है।

पेट्रोल की बढ़ती कीमतें और जी.एस.टी.

संदर्भ

हाल ही में प्रकाशित हुई एस.बी.आई. इको सर्वे रिपोर्ट में बताया गया कि यदि पेट्रोल-डीजल को जी.एस.टी. के दायरे में लाया जाता है तो इसकी कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिलेगी।

प्रमुख बिंदु

- पेट्रोल-डीजल की कीमतों में होती बढ़ोत्तरी के चलते कुछ राज्यों तथा अर्थशास्त्रियों ने इसे जी.एस.टी. में शामिल करने की बात को पुन: दोहराया है। परंतु वित्त मंत्रालय द्वारा ऐसा करने की निकट भविष्य में कोई योजना नहीं है।
- राज्यों के राजस्व का मुख्य स्रोत, पेट्रोल-डीजल पर लगाये जाने वाले कर हैं। जिस कारण इसे जी.एस.टी. में शामिल करने पर केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के विरोध का सामना करना पड़ेगा।
- 'रिवर्स चार्ज', कर चोरी को रोकने की वह प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत खरीददार को जीएसटी वसूलने व जमा करने की ज़िम्मेदारी होती है। जबकि यह ज़िम्मेदारी सामान बेचने वाले पर नहीं होती है। हालाँकि यह प्रकिया पंजीकृत और गैर-पंजीकृत व्यापारियों के मध्य ही संपन्न होती हैं।

जी.एस.टी. से अपवर्जित मदें

- पेट्रोलियम उत्पाद, एल्कॉहोल और बिजली पर पहले की तरह विभिन्न केंद्रीय और राज्य स्तर के कर लागू होते हैं तथा इन्हें वस्तु एवं सेवा कर के दायरे से बाहर रखा गया है।
- हालांकि, जी.एस.टी. कर अतिव्यापन को समाप्त करने के लिये लाया गया था परंतु वर्तमान में विभिन्न मदों पर जी.एस.टी. और एक अतिरिक्त उप-कर (CESS) लगाया जाता है। जैसे- सिगरेट, सिगार एवं तंबाकू पर 28% जी.एस.टी. तथा एक अतिरिक्त उप-कर 40% की दर से लगाया जाता है।

जी.एस.टी. परिषद्

यह एक संवैधानिक निकाय है तथा इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279(A) में किया गया है, जिसे 101वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था।

परिषद् की संरचना

- अध्यक्ष- केंद्रीय वित्त मंत्री
- सदस्य- केंद्रीय राज्य मंत्री राजस्व या वित्त के प्रभारी
- सदस्य- वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री

निष्कर्ष

पेट्रोल डीजल को जी.एस.टी. के दायरे में लाने से पहले केंद्र सरकार को, राज्यों को होने वाले राजस्व घाटे की भरपाई की चिंता करते हुए एक वैकल्पिक स्रोत का निर्माण करना चाहिये, जिससे राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके तथा पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाया जा सके।

'शफरी' जलकृषि उत्पाद प्रमाणन योजना

संदर्भ

केंद्र सरकार ने भारत के सबसे बड़े समुद्री निर्यात योग्य खाद्य उत्पाद 'फ्रोजन झींगा' उत्पादन के संबंध में विश्वास निर्माण के लिये हैचरी तथा कृषि भूमि जिसमें उत्कृष्ट जलीय कृषि पद्धतियों को अपनाया जाता है, के प्रमाणन की योजना शुरू की है।

'शफरी' योजना

- समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (MPEDA) ने जलीय

कृषि उत्पादों के प्रमाणन हेतु 'शफरी' योजना प्रारंभ प्रारंभ की है। 'शफरी' संस्कृत भाषा से उद्धृत शब्द है, जिसका अर्थ बेहतर गुणवत्ता के मत्स्य उत्पादों से है जो मानव उपभोग के लिये उपयुक्त हों।

- आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, गुजरात तथा तमिलनाडु भारत के प्रमुख झींगा उत्पादक राज्य हैं। फ्रोजन झींगा भारत का सबसे बड़ा निर्यातित समुद्री खाद्य पदार्थ है। सुसंस्कृत झींगा उत्पादन का लगभग 95% निर्यात किया जाता है।
- यह योजना निर्यातकों को अस्वीकार किये जाने के डर के बिना प्रमाणित जलीय उत्पादों को कड़े खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत बाज़ारों में अपनी खेप निर्यात करने में मदद करेगी।
- यह योजना संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के जलीय कृषि प्रमाणन पर तकनीकी दिशानिर्देशों तथा दो घटकों पर आधारित है। इसके घटकों में बीजों की गुणवत्ता के लिये हैचरी को प्रमाणित करना तथा जो झींगे की कृषि के लिये उत्कृष्ट प्रणाली का प्रयोग वाली कृषि भूमियों को मंज़ूरी देना शामिल है।
- हैचरी प्रमाणीकरण से किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज उत्पादकों की पहचान करने में मदद मिलेगी। जो उत्पादक संचालन संबंधी कई ऑडिट को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं, उन्हें दो वर्ष की अवधि के लिये प्रमाणपत्र दिया जाएगा।
- मानवीय त्रुटियों को कम करने तथा उच्च विश्वसनीयता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये प्रमाणन प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन की जाएगी।

भारतीय झींगा निर्यात संबंधी समस्या

- वर्ष 2019-20 में भारत ने लगभग $5 बिलियन फ्रोजन झींगे का निर्यात किया, अमेरिका तथा चीन इसके सबसे बड़े क्रेता थे। किंतु हाल के महीनों में कंटेनर की कमी तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण समुद्री उत्पादों की खेपों को खारिज करने से इसके निर्यात में कमी आई है।
- वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार भारतीय झींगे की कुछ खेपों को उसमें उपस्थित एंटीबायोटिक अवशेषों के कारण खारिज कर दिया गया है। यह निर्यातकों के लिये चिंता का विषय है।
- कृषि उपज तथा पूर्व फसल परीक्षण प्रणाली में खाद्य सुरक्षा के मुद्दों के लिये राष्ट्रीय अवशेष नियंत्रण कार्यक्रम पहले से ही लागू है। किंतु इस प्रमाणन को हैचरी के लिये एक बाज़ार-आधारित उपकरण के रूप में प्रस्तावित किया गया था ताकि अच्छी जलीय कृषि प्रथाओं को अपनाया जा सके।
- साथ ही वैश्विक उपभोक्ताओं को आश्वस्त करने के लिये गुणवत्ता वाले एंटीबायोटिक-मुक्त झींगा उत्पादों का उत्पादन करने में मदद मिल सके।

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

- इसकी स्थापना वर्ष 1972 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। भारत सरकार द्वारा सितंबर 1961 में स्थापित समुद्री उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद् को 24 अगस्त, 1972 को समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (MPEDA) में परिवर्तित कर दिया गया था। इसके 8 क्षेत्रीय प्रभाग है।
- यह भारत में समुद्री खाद्य उद्योग के समग्र विकास के लिये नोडल एजेंसी है। जो समुद्री खाद्य निर्यात व्यापार के लिये ढाँचागत सुविधाओं के पंजीकरण, व्यापार संबंधी जानकारी के संग्रह तथा प्रसार का कार्य करती है।
- इसके अतिरिक्त विदेशी बाज़ारों में भारतीय समुद्री उत्पादों को प्रोत्साहित करना, हैचरी विकास, प्रजातियों के विविधीकरण तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन के माध्यम से निर्यात उत्पादन बढ़ाने हेतु जलीय कृषि को बढ़ावा देना, मछुआरों, मछली प्रसंस्करण श्रमिकों, जलीय कृषकों तथा मत्स्य पालन से संबंधित क्षेत्रों में अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करना तथा मछली पकड़ने के लिये बंदरगाहों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना भी इसके कार्यों में शामिल है।
- राजीव गांधी सेंटर फॉर एक्वाकल्चर (RCACA) के माध्यम से निर्यात योग्य जलीय प्रजातियों की कृषि के लिये अनुसंधान व विकास का संचालन किया जाता है।

स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश के अवसर

संदर्भ

नीति आयोग ने 'भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश के अवसर' विषय पर एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें स्वास्थ्य सेवा उद्योग में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के व्यापक अवसरों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।

रिपोर्ट में शामिल बिंदु

- रिपोर्ट के पहले खंड में, स्वास्थ्य क्षेत्र में रोज़गार सृजन की संभावनाओं, वर्तमान व्यावसायिक एवं निवेश संबंधी माहौल के साथ-साथ व्यापक नीति परिदृश्य को सम्मिलित किया गया है।
- इसके दूसरे खंड में इस क्षेत्र की प्रगति के मुख्य कारकों पर चर्चा की गई है, जबकि तीसरे खंड में 7 मुख्य वर्गों– चिकित्सालय एवं अवसंरचना, स्वास्थ्य बीमा, फार्मास्युटिकल्स एवं जैव-प्रौद्योगिकी, चिकित्सकीय उपकरण, चिकित्सा पर्यटन, घरेलू स्वास्थ्य देखभाल, टेलीमेडिसिन और तकनीक आधारित अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में नीतियों तथा निवेश के अवसरों का ब्यौरा है।

क्यों महत्त्वपूर्ण होता जा रहा है स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र

- भारत के स्वास्थ्य सेवा उद्योग में वर्ष 2016 से 22% की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से वृद्धि हो रही है और इसके वर्ष 2022 तक 372 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है। इस प्रकार, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र का योगदान राजस्व एवं रोज़गार की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये महत्त्वपूर्ण हो गया है।

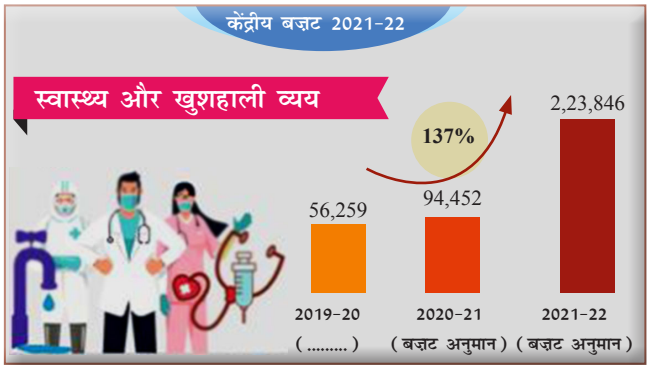

- भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र की प्रगति और विस्तार के लिये उत्तरदाई कारकों में अधिक आयु वर्ग की बढ़ती जनसंख्या, बढ़ता हुआ मध्य वर्ग, जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों में वृद्धि, पी.पी.पी. पर अधिक ज़ोर के साथ-साथ डिजिटल प्रौद्योगिकियों को तीव्रता से अपनाना शामिल है।
- इसके अतिरिक्त, कोविड-19 महामारी ने चुनौतियों के साथ-साथ भारत को विकास के अवसर भी मुहैया कराए हैं। इस प्रकार, इन सभी कारकों ने मिलकर भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश के लिये उपयुक्त विकल्प मुहैया कराया है।

संभावनाएँ

- चिकित्सालयों के क्षेत्र में टियर-2 और टियर-3 जैसे शहरों में निजी क्षेत्र के विस्तार ने निवेश के आकर्षक अवसर प्रदान किये है। फार्मास्युटिकल क्षेत्र में घरेलू निर्माण को बढ़ाकर और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत सरकारी योजनाओं के माध्यम से लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

भारत में स्वास्थ्य व्यय

- वर्ष 2018-19 में भारत का स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय जी.डी.पी. का 1.5% था जबकि यूरोपीय देशों में स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय जी.डी.पी. के 7 से 8% के आस-पास है।
- बजट 2021-22 में स्वास्थ्य और कल्याण के लिये पिछले वर्ष की तुलना में 137% की वृद्धि हुई है। साथ ही, आगामी वित्त वर्ष के लिये कोविड-19 के टीकों के लिये 35,000 करोड़ रुपए का परिव्यय सुनिश्चित किया गया है।
- आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार, 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017' के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय को जी.डी.पी. के 1% से बढ़ाकर 2.5-3% करने से कुल व्यक्तिगत स्वास्थ्य व्यय 65% से घटकर 35% के स्तर पर आ सकता है।

- चिकित्सकीय उपकरणों एवं उपायों के क्षेत्र में डायग्नोस्टिक और पैथोलॉजी केंद्रों का विस्तार तथा लघु निदान तकनीकों की वृद्धि की अत्यधिक संभावना है।
- सरकार ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये एफ.डी.आई. को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों और पी.एल.आई. योजनाओं के माध्यम से वृहद संरचनात्मक सुधार किये हैं।
- महामारी संकट को अवसर में बदलते हुए भारतीय स्टार्ट-अप्स ने कम लागत वाली प्रभावी एवं त्वरित समाधान के विकास को गति दी है। साथ ही, महामारी ने टेलीमेडिसिन और घरेलू स्वास्थ्य सेवा बाज़ार के विस्तार को प्रोत्साहित किया है।
- इसके अतिरिक्त भारत में 'मेडिकल वैल्यू ट्रेवल' विशेषकर चिकित्सा पर्यटन के विकास की अत्यधिक संभावनाएँ है क्योंकि देश में चिकित्सा सुविधा सस्ती व विश्वसनीय होने के साथ-साथ यहाँ वैकल्पिक चिकित्सा का मज़बूत आधार भी उपलब्ध है।
- साथ ही, चिकित्सा के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मोबाइल सेवा और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों की प्रगति और प्रयोग ने भी इस क्षेत्र में निवेश के अवसर मुहैया कराये हैं।

कृषि कल्याण और स्वस्थ आहार : एक-दूसरे के पूरक

संदर्भ

- वैश्विक स्तर पर विगत चार दशकों की आर्थिक नीतियों से इस धारणा को बल मिला है कि राज्य की भूमिका में कमी होने से आर्थिक विकास में तेज़ी आती है तथा लोगों का कल्याण सुनिश्चित होता है।
- भारत में आर्थिक सुधारों के बाद से ही अधिकांश क्षेत्रों में राज्य के हस्तक्षेप को कम करने की माँग की जाती रही है। हालाँकि अब तक के वैश्विक अनुभवों से यह पता चलता है कि जीवन के महत्त्वपूर्ण पहलुओं, जैसे– जल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, पोषण आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने में राज्य ने ही अग्रणी भूमिका निभाई है। इससे सामाजिक कल्याण में वृद्धि हुई है।

भारतीय कृषि : विशिष्टता आधारित समस्या

- विभिन्न कारकों के चलते भारतीय कृषि में लाभ और कृषि रिटर्न में वृद्धि मुश्किल होती जा रही है। इन कारकों में मौसम की अनिश्चितता में वृद्धि होना, मृदा की उर्वरता में कमी होना और पानी की उपलब्धता में कमी होना जैसे तत्त्व शामिल हैं।
- 'इकोनॉमीज ऑफ स्केल' (Economies of Scale) के माध्यम से औद्योगिक उत्पादक अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। वस्तुत: 'इकोनॉमीज ऑफ स्केल' का अर्थ होता है– उद्योगों में उत्पादक द्वारा इकाई लागत में कमी के माध्यम से लाभ में वृद्धि करना। अत: जब उत्पादों की कीमत में तो गिरावट होती है लेकिन लागत में अपेक्षित कटौती नहीं हो पाती है, तो उत्पादक प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाते हैं।
- ग्रामीण भारत में अधिकांश लोग घरेलू कृषि कार्यों के साथ-साथ अन्य कृषि कार्यों व गैर-कृषि कार्यों में भी संलग्न रहते है। भारत में नौ करोड़ ग्रामीण परिवारों की आय का मुख्य स्रोत अकुशल मानवीय श्रम है। इनमें से चार करोड़ छोटे और सीमांत किसान हैं।

- इसके अतिरिक्त, एक विशेष जलवायु चक्र एवं मौसम में ही कृषि कार्यों की शुरुआत की जा सकती है। ऐसे में, कृषि क्षेत्र में उत्पादन प्रक्रियाओं को विशेष प्रकार से संगठित एवं व्यवस्थित करने में भी समस्याएँ हैं। भारत में लगभग 86% 'लघु और सीमांत' कृषक हैं। देश में चूँकि देशभर में कृषि उपज लगभग एक ही समय तैयार होती है और भंडारण सुविधाओं तक इनकी पहुँच नहीं हो पाती हैं। अत: किसानों को एक ही समय पर अपनी फसल को बेचने के लिये विवश होना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में, 'अधिक पैदवार' और 'मूल्यों में कमी के चलते माँग में वृद्धि' के बावजूद भी किसानों को पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाता है।
- इसके विपरीत, गरीब उपभोक्ता खाद्यान्न बाज़ार में अनियमितता के चलते सूखे के दौरान या तो भूखे रह जाते हैं या व्यापारियों द्वारा जमाखोरी के कारण उनकी आय का एक बड़ा हिस्सा ऊँची दर पर खाद्यान्न खरीदने में खर्च हो जाता है।

व्यापारी और साहूकारों का ऋण जाल

- खाद्यान्न व्यापारी जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने (Interlocked Markets) के नाम पर साहूकार के रूप में सामने आते हैं और किसानों को ऋण प्रदान करते हैं। इनकी ब्याज दरें अत्यधिक ऊँची होती हैं। ऐसे में, किसानों का इनके ऋण जाल से बचना लगभग असंभव हो जाता है।
- साथ ही, इन ऋणों के पुनर्भुगतान में देरी होने की स्थिति में इनपुट, आउटपुट, श्रमिक और भूमि-पट्टात बाज़ार में शोषण के माध्यम से किसानों का अनुचित लाभ उठाया जाता है। इस प्रकार, साहूकार इनपुट आपूर्तिकर्ता, फसल खरीदार, श्रमिक नियोक्ता और भूमि-पट्टेदार की भूमिकाओं में भी उपस्थित होते हैं।
- इंटरलॉक मार्केट का यह जाल गरीब और निम्न जाति वर्ग के किसानों पर दोहरा प्रभाव डालते हैं। इन कारणों से कृषि बाज़ार में विभिन्न स्तरों पर राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है।

सार्वजनिक खरीद में विविधता की आवश्यकता

- 'भारतीय खाद्य निगम' और 'कृषि मूल्य आयोग' वर्ष 1965 में स्थापित किये गए थे। इनमें से वर्ष 1985 में 'कृषि मूल्य आयोग' का नाम बदलकर 'कृषि लागत और मूल्य आयोग' (CACP) कर दिया गया था। इनकी स्थापना का मूल उद्देश्य यह था कि हरित क्रांति के चलते किसानों के उत्पादन अधिशेष में हुई वृद्धि को सरकार ऊँची कीमतों पर खरीदने का आश्वासन दे।
- किसानों से ऊँची कीमत पर खरीदे गए खाद्यान्नों को 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली' (PDS) के माध्यम से उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाता है। इस सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से न सिर्फ किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हुई, बल्कि उपभोक्ताओं की भी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई।
- हालाँकि, हरित क्रांति के साथ कुछ समस्याओं ने भी जन्म लिया। पिछले 30 वर्षों में 3 लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। साथ ही, जल-स्तर और जल की गुणवत्ता में भी लगातार गिरावट आई है। महँगे रसायनों के प्रयोग में वृद्धि की तुलना में उत्पादन में कमी आ रही है, अर्थात् कृषि लागत में वृद्धि के अनुरूप उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है।
- भारत का लगभग 90% जल कृषि में व्यय होता है, जिसमें से 80% हिस्से का उपयोग चावल, गेहूँ और गन्ने की कृषि में किया जाता है। इन फसलों के लिये एक सुनिश्चित बाज़ार व मूल्य सुरक्षा के कारण किसान पानी की कमी वाले क्षेत्रों में भी इन जल-प्रधान फसलों को उपजाते हैं।
- अत: 'सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया' में अधिक फसलों व किसानों को शामिल करने की आवश्यकता है। इससे उच्च एवं सतत कृषि आय, अधिक जल सुरक्षा तथा उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को अधिक बेहतर बनाया जा सकेगा। सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया स्थानीय उत्पादों पर केंद्रित होने के साथ-साथ क्षेत्रीय कृषि-पारिस्थितिकी के अनुरूप होनी चाहिये।
- मोटे आनाज (पोषक-खाद्यान्न) दालों और तिलहन को भी फसल पैटर्न में शामिल किया जाना चाहिये ताकि फसल विविधता को बढ़ावा देने के साथ-साथ पानी की बचत भी सुनिश्चित की जा सके।

एक स्थिर और नियमित बाज़ार की आवश्यकता

- सरकार किसानों को खरीद प्रक्रिया में शामिल करके 'सार्वजनिक खरीद में विविधता' ला सकती है। साथ ही, खरीद के लिये एक ऐसा बेंचमार्क भी स्थापित किया जा सकता है, जो किसी विशेष मौसम के लिये उत्पाद के वास्तविक उत्पादन का 25% हो सकता है, जैसा कि 'प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' (पी.एम.- आशा) योजना के तहत प्रस्तावित है। यदि वह खाद्यान्न पी.डी.एस. का हिस्सा है तो यह सीमा 40% तक बढ़ाई जा सकती है।
- स्थानीय स्तर पर खरीदे गए खाद्यान्नों को आँगनवाड़ी पूरक पोषण और स्कूल मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। इससे किसानों के लिये एक स्थिर और वृहद् बाज़ार उपलब्ध हो सकेगा तथा कुपोषण व मधुमेह की समस्या से निपटने में भी सहयता मिलेगी। क्योंकि इन फसलों का ग्लाइसेमिक स्तर बहुत कम होता है, जबकि ये अधिक मात्रा में फाइबर, विटामिन, खनिज, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते है।
- इसके अलावा, प्राकृतिक रूप से उगाए जाने वाले कृषि उत्पादों, जैसे- बाजरा और दालों के लिये आवश्यक बुनियादी ढाँचे में सार्वजनिक निवेश से भी कृषि विस्तार करने में मदद मिलेगी।
- भारत में केवल 17% कृषि उत्पाद ही मंडियों से होकर गुजरते है, अत: इसके नेटवर्क में विस्तार करने की आवश्यकता है। साथ ही, मंडियों के कामकाज को अधिक पारदर्शी और कृषक-अनुकूल बनाए जाने की भी आवश्यकता है।

ग्रामीण भारत में सुधार की अधिक आवश्यकता

- वर्ष 1956 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना शुरू होने के बाद से ही भारतीय आर्थिक नीति का केंद्रीय तत्त्व अधिक-से-अधिक लोगों को कृषि क्षेत्र से उद्योग एवं शहरी क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित करना रहा है।
- संयुक्त राष्ट्र के एक अनुमान के अनुसार, वर्ष 2050 में लगभग 800 मिलियन लोग ग्रामीण भारत में निवास करेंगे। भारतीय जनसांख्यिकीय संक्रमण की इस विशेषता को देखते हुए कृषि क्षेत्र को अधिक मज़बूत बनाने की आवश्यकता है क्योंकि शहरी महानगर वर्तमान और भविष्य में प्रवासियों के लिये पूरी तरह से उपयुक्त नहीं हैं।
- बढ़ती हुई असमानता और आर्थिक विषमता की स्थिति में कोई भी सुधार तब तक सफल नहीं हो सकता है, जब तक कि वह कमज़ोर और निचले तबके के लोगों की स्थिति को सुदृढ़ न करता हो। कृषि की स्थिति को राज्य की क्षमताओं में वृद्धि करके और गुणात्मक रूप से बेहतर विनियामक निरीक्षण द्वारा सुधारा जा सकता है।
- भारतीय कृषि के अति विशिष्ट होने के कारण यह आवश्यक हो जाता है कि सरकार विभिन्न प्रकार से बाज़ार में हस्तक्षेप करे और किसानों व उपभोक्ताओं का कल्याण सुनिश्चित करने के लिये उनमें निवेश करे।

बज़ट 2021-22 में कृषि क्षेत्र एवं उसके सहायक क्षेत्रों के लिये 9 अहम घोषणाएँ

1. स्वामित्व योजना का सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में विस्तार।
2. वित्तीय वर्ष 2022 में कृषि ऋण लक्ष्य बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपये करने का लक्ष्य।
3. ग्रामीण बुनियादी ढाँचा विकास कोष में 33% बढ़ोतरी।
4. सूक्ष्यम सिंचाई कोष दोगुना किया गया।
5. ऑपरेशन ग्रीन योजना - खराब होने वाले 22 और उत्पाद 'टॉप्स' में शामिल होंगे।
6. 1,000 अन्य मंडियों को ई-नाम से जोड़ा जाएगा।
7. एपीएमसी को कृषि बुनियादी ढाँचा कोष तक पहुँच प्रदान की जाएगी।
8. मछली पकड़ने के 5 प्रमुख केंद्रों में और निवेश प्रस्तावित।
9. तमिलनाडु में बहुउद्देश्यी समुद्री घास पार्क स्थापित किया जाएगा।

ज़िलेवार निर्यात प्रोत्साहन हेतु केंद्रीय योजना

संदर्भ

हाल ही में 725 ज़िलों में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों तथा सेवाओं की पहचान करने के पश्चात् केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने देश के 451 ज़िलों के लिये 'ज़िलेवार निर्यात प्रोत्साहन योजना' का मसौदा तैयार किया है।

'ज़िलेवार निर्यात प्रोत्साहन योजना'

- वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 3-5 वर्षों में 500 ज़िलों से दोहरे अंक के निर्यात संवर्द्धन के उद्देश्य से राज्यों को निर्यात प्रतिस्पर्धा से संबंधित ज़िलों का 'वार्षिक निर्यात रैंकिंग सूचकांक' तैयार करने को कहा गया है। इसे विदेश व्यापार महानिदेशालय की सहायता से तैयार किया जाएगा।
- भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विदेशी व्यापार का 45% योगदान है। निर्यात संवर्द्धन हेतु अधिकांश प्रयास केंद्र द्वारा संचालित हैं।
- वर्ष 2019 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधान मंत्री द्वारा प्रत्येक ज़िले को निर्यात हब बनाने के उद्देश्य से इसे संबोधित किया गया था। ज़िला विशिष्ट दृष्टिकोण से राज्यों में संभावित निर्यात क्षेत्रों तथा लॉजिस्टिक्स बाधाओं की पहचान करने में मदद मिलेगी।
- इसके प्रारंभिक चरण में, प्रत्येक ज़िले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों तथा सेवाओं की पहचान की गई है। तत्पश्चात प्रत्येक ज़िले से निर्यात संवर्द्धन कार्य योजना के लिये राज्य एवं ज़िला निर्यात संवर्धन समितियों (SEPC) का एक संस्थागत तंत्र बनाया जा रहा है।
- क्षेत्रीय विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) द्वारा 451 ज़िलों में निर्यात कार्यवाही योजना मसौदा तैयार किया गया है। देश भर के 725 जिलों में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों तथा सेवाओं की पहचान की गई है। इनमें संबंधित जिलों के कृषि तथा खिलौना क्लस्टर सहित जी.आई. उत्पादों को शामिल किया गया है।
- इस योजना के तहत पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों के जिलों में 'ज़िला निर्यात संवर्द्धन समितियों' को अधिसूचित किया गया है।

वन डिस्ट्रिक्ट वन फोकस प्रोडक्ट

- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की इस पहल को आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, रोज़गार व ग्रामीण उद्यमिता का सृजन करने की किसी जिले की वास्तविक क्षमता को साकार करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम के रूप में देखा जा रहा है। यह आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य तक पहुँचने में मदद करेगा।
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की सलाह से 'वन डिस्ट्रिक्ट वन फोकस प्रोडक्ट' (ODOFP) के लिये उत्पादों की सूची को अंतिम रूप दिया है। राज्यों, संघ शासित प्रदेशों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से उपलब्ध जानकारी के आधार पर उत्पादों की सूची को अंतिम रूप दिया गया है।

- इसके लिये देशभर के 728 ज़िलों से कृषि, बागवानी, दुग्ध, मत्स्य, जलीय कृषि तथा समुद्री क्षेत्रों के उत्पादों की पहचान की गई है।
- इन उत्पादों के सरकारी योजनाओं में समावेशित होने से सामूहिक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा। इससे इन उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी जो किसानों की आय में वृद्धि करने के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होगी।
- इन चिह्नित उत्पादों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण योजना (PM-FME) के तहत समर्थित किया जाएगा।
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एकीकृत बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से वन डिस्ट्रिक्ट वन फोकस प्रोडक्ट पहल को समर्थन प्रदान करेगा।
- राज्य सरकारों द्वारा इस पहल के क्रियान्वयन से कृषि उत्पादों के मूल्यवर्धन तथा निर्यात में वृद्धि से किसानों को लाभ होगा।

बढ़ती आय असमानता : आवश्यक उपाय

संदर्भ

- कोविड-19 आपदा के कारण भारत सहित पूरे विश्व में आय असमानता लगातार बढ़ती जा रही है। 'प्यू रिसर्च रिपोर्ट' के अनुसार, कोविड-19 के कारण भारत में मध्यम वर्ग के 30% लोग गरीबी रेखा से नीचे जा सकते हैं, वहीं प्रतिदिन 150 रुपए से कम आय वालों की संख्या दोगुनी हो सकती है।
- रिपोर्ट में यह चेतावनी भी दी गई है कि यदि आय असमानता को कम करने के उपाय नहीं किये गए तो वास्तविक स्थिति अनुमानों से कहीं बदतर हो सकती है। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी महामारी के कारण भारत सहित अन्य कई देशों में बढ़ती असमानताओं के संबंध में चेतावनी जारी की है।

बढ़ती असमानता : भारतीय परिदृश्य

- भारत में कोविड-19 महामारी से पहले ही आय असमानता की गहरी खाई थी, जिसे महामारी ने और अधिक बढ़ा दिया। इसके दो प्रमुख कारण रहे–
  - पहला, अर्थव्यवस्था की संवृद्धि दर महामारी से पूर्व ही घट गई थी, जिससे बेरोज़गारी, निम्न आय तथा कुपोषण जैसी समस्याओं के कारण व्यापक स्तर पर असमानता बढ़ी।
  - दूसरा, भारत के असंगठित क्षेत्र में सलंग्न श्रमबल को अनेक असुरक्षाओं का सामना करना पड़ा। सर्वाधिक लोग इस क्षेत्र से बेरोज़गार हुए। पिछले एक वर्ष में जहाँ एक ओर, असंगठित क्षेत्र में आय एवं रोज़गार में अत्यंत कमी देखी गई, वहीं कॉर्पोरेट क्षेत्र एवं बड़ी कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में शुद्ध लाभ अर्जित किया। उदहारणस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में बी.एस.ई. (BSE) की 200 कंपनियों का शुद्ध लाभ 1.67 ट्रिलियन के उच्च स्तर पर पहुँच गया।
- निरंतर बढ़ती असमानताओं के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की रिकवरी K आकार के रूप में हो रही है। विदित है कि K आकार की रिकवरी तब होती है, जब मंदी के बाद किसी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र अलग-अलग दर तथा परिमाण में रिकवर होते हैं। इससे अर्थव्यवस्था की संरचना में पर्याप्त बदलाव आता है और आय असमानता भी बढ़ती है।
- वित्तीय वर्ष 2021 में जी.डी.पी. वृद्धि दर पहली तिमाही (–24%) और दूसरी तिमाही (–7.3%) की तुलना में तीसरी तिमाही (0.4%) में सकारात्मक रही।
- वित्तीय वर्ष 2022 में जी.डी.पी. वृद्धि दर 10-11% बढ़ने की संभावना है, किंतु जी.डी.पी. वृद्धि दर के वर्तमान स्तर से ज्ञात होता है कि वित्तीय वर्ष 2020 की तुलना में यह वित्तीय वर्ष 2022 में केवल 1.1% की दर से वृद्धि करेगी।
- हालाँकि, लॉकडाउन से पहले के स्तर की तुलना में रोज़गार दर अभी भी 2.5% कम है। इसके अतिरिक्त, महामारी के दौरान महिलाएँ अधिक संख्या में बेरोज़गार हुईं और स्वास्थ्य देखभाल तथा शिक्षा के क्षेत्र में असमानताएँ बढ़ी हैं।

असमानता को दूर करने हेतु त्रि-आयामी दृष्टिकोण

आय असमानता में कमी, माँग में सुधार के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इससे उच्च एवं स्थायी आर्थिक विकास के लिये निजी निवेश, उपभोग एवं निर्यात में वृद्धि होती है। असमानता को कम करने के लिये त्रि-आयामी दृष्टिकोण को अपनाया जा सकता है, जो कि निम्नलिखित हैं–

रोज़गार सृजन और आय प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित करना

- समावेशी विकास के लिये गुणवत्तापूर्ण रोज़गार सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कारक है। इसके लिये आवश्यक है कि निर्माण सहित आधारभूत अवसंरचना में निवेश के माध्यम से रोज़गार सृजित किया जाए। इस संदर्भ में, बजट 2021 में, केंद्र सरकार ने आधारभूत अवसंरचना के लिये पूँजीगत व्यय हेतु आवंटित धनराशि में वृद्धि की है।
- रोज़गार क्षेत्र में प्रमुख सात चुनौतियाँ विद्यमान हैं जैसे–
  - प्रतिवर्ष 7-8 मिलियन गुणवत्तायुक्त रोज़गार सृजित करना।
  - श्रम की माँग और आपूर्ति के बीच संतुलन स्थापित करना (भारत में केवल 2.4% कार्यबल ही औपचारिक कौशल में प्रशिक्षित है)।
  - संरचनात्मक परिवर्तन संबंधी चुनौती– इस चुनौती से निपटने के लिये आवश्यक है कि विनिर्माण क्षेत्र पर अधिक ध्यान दिया जाए।

- प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों के संरक्षण हेतु आवश्यक नीतियों को शामिल करते हुए 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों' और असंगठित क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना।
- स्वचालित उपकरणों और नवीन प्रौद्योगिकी के दौर में पर्याप्त रोज़गार सृजित करना।
- सभी को सामाजिक सुरक्षा और उपयुक्त कार्य दशाएँ उपलब्ध कराना।
- ग्रामीण एवं शहरी श्रमिकों की वास्तविक आय बढ़ाना और न्यूनतम आय की गारंटी प्रदान करना।

मानव पूँजी का विकास करना

- मानव पूँजी के विकास हेतु आवश्यक है कि स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय जी.डी.पी. का केवल 1.5% है, जिसे बढ़ाया जाना चाहिये। सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिये स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय जी.डी.पी. के 2%-3% तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।
- अवसरों की असमानता में कमी लाने हेतु शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में विशेष प्रयास आवश्यक हैं। इन दोनों ही क्षेत्रों में स्पष्ट द्विभाजन दिखाई देता है। जहाँ एक तरफ, देश में ऐसे उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थान हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, वहीं अनेक बच्चों की प्राथमिक शिक्षा तक भी पहुँच नहीं है। महामारी के दौरान शिक्षा में डिजिटल विभाजन को स्पष्ट रूप से अनुभव किया गया।

आंशिक रूप से सार्वभौमिक बुनियादी आय को लागू करना

- संवेदनशील वर्गों में सामाजिक वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये आंशिक रूप से सार्वभौमिक बुनियादी आय (Quasi-Universal Basic Income) को लागू किया जा सकता है।
- इस संदर्भ में सी. रंगराजन द्वारा महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये गए थे, जैसे– 20 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के बैंक खातों मे नकद हस्तांतरण; ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा तथा शहरी क्षेत्रों के लिये एक राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्य दिवसों की संख्या का विस्तार करना आदि।
- चूँकि इन सभी प्रस्तावों में लाभार्थियों की पहचान संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता, अत: नकद हस्तांतरण तथा विस्तारित गारंटी योजना के माध्यम से ज़रूरतमंदों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकती है।

आगे की राह

- उपर्युक्त सुझावों के अतिरिक्त, किसानों की आय में वृद्धि करने के लिये लघु एवं सीमांत किसानों के बीच बढ़ती असमानताओं को कम करने की आवश्यकता है। साथ ही, किसान उत्पादक संगठनों को भी मज़बूत किया जाना चाहिये।
- इसके अलावा, कृषि-विपणन सुधारों में राज्यों को महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रदान किये जाने और कृषि उपजों के लिये व्यापार शर्तों में सुधार की आवश्यकता है।
- मूलभूत आवश्यकताओं पर व्यय करने के लिये जरूरी है कि सरकार कर और गैर-कर राजस्व को बढ़ाए। इसके लिये व्यापक कर आधार के साथ कर/जी.डी.पी. अनुपात को बढ़ाया जा सकता है, जिसमें अमीर वर्ग पर अधिक कर आरोपित करना होगा।
- इसी प्रकार, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय असमानताओं को भी कम किया जाना चाहिये। आधारभूत ढाँचे पर पूँजीगत व्यय और स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा पर व्यय के लिये राज्यों के बजट में वृद्धि की जानी चाहिये।

निष्कर्ष

- बढ़ती आर्थिक एवं सामाजिक असमानताएँ समावेशी विकास में बाधक हैं। अत: इसे समाप्त करने के लिये ठोस कदम उठाए जाने की तत्काल आवश्यकता है। इसके लिये आर्थिक कारकों के साथ-साथ मज़बूत लोकतंत्र तथा विकेंद्रीकरण जैसे गैर-आर्थिक कारक भी महत्त्वपूर्ण हैं।
- राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र में असमानता कहीं न कहीं विकास के असमान वितरण का कारण बनती है। अत: ऐसे अवसरों को तलाशना होगा, जिनसे शक्तियाँ समान रूप से विकेंद्रीकृत हों सकें। वैश्विक महामारी के दौर में, उच्च एवं स्थायी आर्थिक विकास और वैश्विक कल्याण के लिये आर्थिक-सामाजिक असमानता का समाधान अत्यंत आवश्यक है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिये प्री-पैक समाधान प्रक्रिया

संदर्भ

- हाल ही में, केंद्र सरकार द्वारा दिवाला संबंधी समस्याओं के समाधान के लिये एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया। इसका उद्देश्य 'प्री-पैक प्रक्रिया' के माध्यम से ऐसे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को राहत प्रदान करना है, जिन्हें 'दिवाला एवं दिवालियापन संहिता' (Insolvency and Bankruptcy Code–IBC) के तहत 1 करोड़ रुपए तक का डिफॉल्टर घोषित किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि कोविड-19 महामारी के कारण भारत सरकार ने आई.बी.सी. के कुछ प्रावधानों को निलंबित कर दिया था। फलत: 25 अप्रैल, 2020 के बाद से इंसॉल्वेंसी की कोई भी नई प्रक्रिया आरंभ नहीं की जा सकती थी। लगभग एक वर्ष तक जारी रहे इस निलंबन को समाप्त करने के लिये सरकार ने यह अध्यादेश प्रख्यापित किया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने पिछले वर्ष इंसॉल्वेंसी कार्यवाही शुरू करने के लिये न्यूनतम डिफॉल्ट सीमा को एक लाख रुपए से बढ़ाकर एक करोड़ रुपए कर दिया था।

प्री-पैक क्या हैं

- 'प्री-पैक' से तात्पर्य किसी संकटग्रस्त कंपनी के ऋण समाधान के लिये 'सार्वजनिक बोली प्रक्रिया' के स्थान पर 'लेनदार एवं निवेशकों के बीच होने वाले समझौते' से है। पिछले एक दशक में यह प्रक्रिया यूरोप में इंसॉल्वेंसी समस्याओं के समाधान का महत्त्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है।
- प्री-पैक प्रक्रिया के अंतर्गत लेनदार व निवेशक आपस में कुछ निश्चित शर्तों पर सहमत होंगे तथा इस प्रक्रिया का अनुसरण करने से पूर्व दोनों पक्षों को 'राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण' (National company Law Tribunal - NCLT) से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
- इस समाधान योजना के अंतर्गत एन.सी.एल.टी. के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व संबंधित इकाई को न्यूनतम 66% लेनदारों की सहमति लेनी आवश्यक होगी।
- राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) को यह अधिकार होगा कि वह अपने समक्ष कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रक्रिया (CIRP) के तहत कार्यवाही के लिये प्रस्तुत किये गए किसी आवेदन को स्वीकृति या अस्वीकृति प्रदान करे।

प्री-पैक इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के लाभ

- कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी समाधान प्रक्रिया में लगने वाला अधिक समय इसकी सबसे बड़ी सीमा है। दिसंबर 2020 के अंत तक इस प्रक्रिया के लिये प्राप्त हुए लगभग 86% प्रस्तावों ने 270 दिनों की सीमा को पार कर लिया था।
- इसमें होने वाले विलंब का प्रमुख कारण कंपनी के प्रवर्तकों एवं बोली लगाने वालों के मध्य होने वाली मुकदमेबाजी है, जबकि प्री-पैक समाधान प्रक्रिया के लिये लाए गए अध्यादेश में यह प्रावधान किया गया है कि इस प्रक्रिया को 120 दिनों के भीतर पूर्ण कर लिया जाएगा।
- कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी समाधान प्रक्रिया में कोई संकल्पित व्यवसायी वित्तीय लेनदारों के प्रतिनिधि के रूप में ऋणी व्यक्तियों को नियंत्रित करता है, जबकि प्री-पैक समाधान के संदर्भ में मौजूदा प्रबंधन ही समाधान होने तक नियंत्रण एवं संचालन जारी रखता है। परिणामस्वरूप, इसके संचालन में सी.आई.आर.पी. की अपेक्षा न्यूनतम व्यवधान की संभावना होती है।
- देश की अर्थव्यवस्था में एम.एस.एम.ई. क्षेत्र के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस क्षेत्र के लिये प्री-पैक इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया को प्रारंभ किया है।
- देश की जी.डी.पी. में महत्त्वपूर्ण योगदान प्रदान करने के साथ ही यह क्षेत्र देश के बड़ी जनसंख्या को विशेषकर असंगठित क्षेत्र में रोज़गार प्रदान करता है।
- प्री-पैक समाधान प्रक्रिया सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को उनकी देनदारियों के पुनर्गठन एवं पुनः नए सिरे से प्रारंभ किये जाने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है।

प्रवर्तकों द्वारा दुरुपयोग से लेनदारों की सुरक्षा

- यह पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है। इसके प्रावधानों में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि गलत प्रस्तावकों एवं फर्मों द्वारा लेनदारों को भुगतान करने से बचने के लिये प्रणाली का दुरुपयोग न किया जाए।
- प्री-पैक्स कॉर्पोरेट देनदारों को ऋणदाताओं के साथ सहमति से ऋणों के पुनर्गठन करने के साथ कंपनी की संपूर्ण देयता को ध्यान में रखते हैं।
- प्री-पैक प्रणाली उन संकल्प योजनाओं के समक्ष कड़ी चुनौती प्रस्तुत करता है, जिनके माध्यम से परिचालन लेनदारों को ऋण की पूर्ण राशि प्राप्त नहीं हो सकी है।
- स्विस चैलेंज क्रियाविधि के अंतर्गत किसी तीसरे पक्ष को भी संकटग्रस्त कंपनी के लिये संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति होगी। ऐसी स्थिति में मूल आवेदक या तो बेहतर प्रस्ताव के समरूप प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे अथवा अपने निवेश को वापस लेंगे।

स्विस चैलेंज क्रियाविधि

- स्विस चैलेंज, बोली लगाने की एक विधि है, जिसका उपयोग अक्सर सार्वजनिक परियोजनाओं में किया जाता है। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2009 में अनुबंध पुरस्कार की इस पद्धति को मंज़ूरी प्रदान की थी।
- इसके तहत इच्छुक पार्टी किसी अनुबंध या परियोजना के लिये बोली लगाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करती है।
- इसके पश्चात् सरकार परियोजना का विवरण जनता के समक्ष प्रस्तुत करती है तथा इसे क्रियान्वित करने हेतु इच्छुक लोगों से प्रस्ताव आमंत्रित करती है।
- इन प्रस्तावों पर वास्तविक अनुबंधकर्ता को सर्वश्रेष्ठ बोली के चयन का अवसर प्रदान किया जाता है।
- इस पद्धति को सार्वजनिक-निजी-भागीदारी के आधार पर शामिल परियोजनाओं पर लागू किया जा सकता है, किंतु इसका उपयोग उन क्षेत्रों में जो पी.पी.पी. ढाँचे के अंतर्गत नहीं आते हैं, पी.पी.पी. के पूरक के रूप में भी किया जा सकता है।
- 'अनुबंध पुरस्कार' खरीद के दौरान भाग लेने वाले प्रस्तावों (निविदा प्रस्ताव) का मूल्यांकन करने तथा संबंधित अनुबंध को पुरस्कृत करने के लिये उपयोग की जाने वाली एक विधि है। सामान्यतः इस स्तर पर प्रस्तावों की पात्रता समाप्त कर दी गई है। इसलिये यह पद्धति सबसे बेहतर प्रस्ताव के चयन हेतु उपयुक्त विकल्प बनी हुई है।

9 पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

नेट ज़ीरो उत्सर्जन : विकासशील देशों के प्रति अन्याय

संदर्भ

वर्तमान में जलवायु परिवर्तन की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है, जिसने विश्व के सभी देशों के समक्ष चुनौती प्रस्तुत की है। ऐसे में कुछ देशों द्वारा वर्ष 2050 तक 'नेट ज़ीरो उत्सर्जन' के लक्ष्य की प्राप्ति को अति महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है।

नेट ज़ीरो उत्सर्जन

नेट ज़ीरो उत्सर्जन का तात्पर्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को शून्य स्तर तक लाना है। इसके लिये आवश्यक है कि जीवाश्म ईंधनों का कम से कम प्रयोग किया जाए तथा इनके दुष्प्रभावों को कम करने वाली तकनीकों के विकास एवं प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाए।

जलवायु न्याय

- जलवायु न्याय पृथ्वी के प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ एवं गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार प्रदान किये जाने से संबंधित है। इसके लिये आवश्यक है कि विकसित देश पर्यावरण संरक्षण के संबंध में कर्तव्य पालन के साथ-साथ विकासशील देशों में रहने वाले गरीब एवं कमज़ोर वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित अपने दायित्वों का भी निर्वहन करें।
- जलवायु न्याय विकासशील देशों को विकसित होने के लिये भी पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। इसके लिये आवश्यक है कि विकसित देश गंभीरतापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करें। किंतु प्रायः यह देखा गया है कि विकसित देश अपने उत्सर्जन को सीमित करने के स्थान पर इसका बोझ विकासशील देशों पर स्थानांतरित करने का प्रयास करते हैं, जिससे इन देशों का विकास बाधित होता है।
- उल्लेखनीय है कि भारत के प्रयास से 'जलवायु न्याय' शब्द को पेरिस समझौते की प्रस्तावना में भी शामिल किया गया है।

विकसित देशों का उत्तरदायित्व

- वर्ष 1992 में 'संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन' (UNFCCC) में यह स्वीकार किया गया कि पृथ्वी को वैश्विक तापन से बचाने की ज़िम्मेदारी सभी की है, परंतु यह ज़िम्मेदारी उन देशों की अधिक है, जिन्होंने तुलनात्मक रूप से कार्बन का अत्यधिक उत्सर्जन किया है।
- वर्ष 1992 के अभिसमय में भी "सामान्य लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमता" (Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities) का सिद्धांत निहित है। यह जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान के लिये अलग-अलग देशों की अलग-अलग क्षमताओं और उत्तरदायित्वों को स्वीकार करता है।

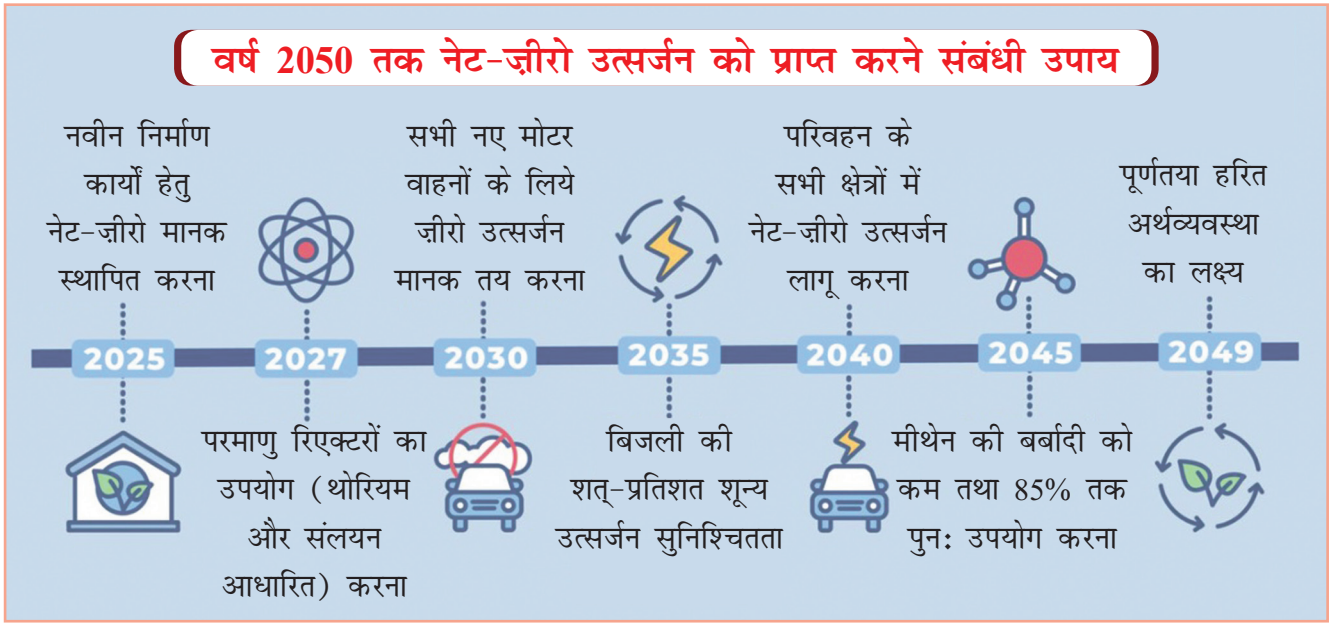
वर्ष 2050 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन को प्राप्त करने संबंधी उपाय
नवीन निर्माण कार्यों हेतु नेट-ज़ीरो मानक स्थापित करना
सभी नए मोटर वाहनों के लिये ज़ीरो उत्सर्जन मानक तय करना
परिवहन के सभी क्षेत्रों में नेट-ज़ीरो उत्सर्जन लागू करना
पूर्णतया हरित अर्थव्यवस्था का लक्ष्य
2025
2027
2030
2035
2040
2045
2049
परमाणु रिएक्टरों का उपयोग (थोरियम और संलयन आधारित) करना
बिजली की शत्-प्रतिशत शून्य उत्सर्जन सुनिश्चितता
मीथेन की बर्बादी को कम तथा 85% तक पुनः उपयोग करना

- ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती के लिये बाध्यकारी प्रावधान लागू करने के उद्देश्य से वर्ष 1997 में 'क्योटो समझौता' किया गया। यह समझौता वर्ष 1992 में हुए अभिसमय के सिद्धांतों एवं प्रावधानों पर आधारित है। इसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वर्ष 1990 के स्तर से 5 प्रतिशत की कमी का लक्ष्य निर्धारित किया गया और विकसित देशों के लिये उत्सर्जन में कटौती की सीमा तय की गई।
- वर्ष 2015 में संपन्न पेरिस समझौते में वैश्विक तापन को औद्योगिक अवधि से पूर्व के स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस तक नीचे रखने का प्रावधान किया गया। इस समझौते में भी ग्रीन हाउस गैसों में कमी के लिये विकसित देशों द्वारा अन्य देशों की तुलना में अधिक प्रयास करने पर बल दिया गया था।
- 'क्लाइमेट एक्शन ट्रेकर रिपोर्ट' के अनुसार प्रमुख विकसित देशों द्वारा इस दिशा में किये जा रहे प्रयास पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप नहीं हैं। यह विकसित देशों के अपने दायित्वों के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। जबकि भारत एवं अन्य विकासशील देशों द्वारा पूरी निष्ठा के साथ पर्यावरण संबंधी दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है।

विकासशील देशों का पक्ष

- पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान हेतु दायित्वों का उचित विभाजन आवश्यक है। प्राय: विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों पर वैश्विक उत्सर्जन में वृद्धि का आरोप लगाकर अपनी ज़िम्मेदारी से बचने का प्रयास किया जाता है, जबकि आज भी विकसित एवं विकासशील देशों के मध्य प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारी अंतर विद्यमान है।
- ध्यातव्य है कि विकसित देशों द्वारा औद्योगिक क्रांति के पहले से ही कार्बन का उत्सर्जन किया जा रहा है, जबकि विकासशील देशों में यह प्रक्रिया अब प्रारंभ हुई है। अत: विकासशील देशों पर अधिक बोझ डालने से उनकी विकास प्रक्रिया बाधित होगी।
- ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिये विकसित देश विशेष रूप से उत्तरदायी हैं और ये देश आर्थिक एवं तकनीकी रूप से समृद्ध भी हैं। अत: इनके द्वारा विकासशील देशों को वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिये तकनीकी एवं आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिये, जिससे उनका भी विकास सुनिश्चित हो सके।
- विकसित देशों द्वारा प्राय: अपनी आर्थिक स्थिति एवं विकास के बाधित होने का हवाला देकर बाध्यकारी समझौतों से खुद को बाहर रखने का प्रयास किया जाता है, जैसे– क्योटो समझौते से अमेरिका का बाहर रहना। अमेरिका ने स्वयं को पेरिस समझौते से भी बाहर कर लिया था, किंतु नई सरकार के आने के बाद उसने पुन: समझौते में वापसी की है। विकसित देशों के ऐसे गैर-ज़िम्मेदाराना रवैये से न केवल पर्यावरणीय लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है, अपितु विकासशील देशों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

निष्कर्ष

जलवायु परिवर्तन के लिये विकसित देशों की औद्योगीकरण की नीतियाँ प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हैं। अत: यह आवश्यक है कि विकसित देशों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती संबंधी मानकों का कठोरतापूर्वक पालन किया जाए तथा विकासशील देशों के हितों के लिये वित्त, प्रौद्योगिकी एवं क्षमता निर्माण हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाए। हालाँकि, यह भी ध्यान रखा जाना चाहिये कि इसकी पूरी ज़िम्मेदारी विकसित देशों पर ही नहीं थोपी जा सकती है। चूँकि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है, अत: इसके समाधान हेतु प्रयास भी सामूहिक रूप से ही होने चाहिये। इसके लिये आवश्यक है कि विश्व के सभी देशों द्वारा अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन किया जाए।

गहराता जल संकट

संदर्भ

जलवायु परिवर्तन, औद्योगीकरण तथा बढ़ते शहरीकरण के कारण जल संबंधी समस्याओं में निरंतर वृद्धि हो रही है। कोविड-19 महामारी के कारण जल के दैनिक खपत में वृद्धि हुई है, फलत: भविष्य में जल संकट के और भी गंभीर होने की आशंका व्यक्त की जा रही है।

भारत में गहराता जल संकट

- भारत में विश्व की लगभग 18% जनसंख्या निवास करती है, जबकि यहाँ जल संसाधनों की उपलब्धता केवल 4% ही है।
- केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, वर्ष 2001 में देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1816 घनमीटर थी, जो वर्ष 2011 में घटकर 1545 घनमीटर हो गई, जबकि वर्ष 2031 तक इसके 1367 घनमीटर होने की संभावना है।
- केंद्रीय जल आयोग (CWC) ने भी वर्ष 2019 की अपनी एक रिपोर्ट में जल की उपलब्धता में कमी को दर्शाने वाले आँकड़े प्रस्तुत किये थे। इसके अनुसार, जहाँ वर्ष 2011 में जल की उपलब्धता 1651 घनमीटर प्रति व्यक्ति थी, वहीं वर्ष 2051 में इसके 1228 घनमीटर प्रति व्यक्ति रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है।
- भू-जल का अत्यधिक दोहन भी गंभीर चिंता का विषय है। सी.डब्ल्यू.सी. की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई थी कि प्रत्येक वर्ष जल की मात्रा 0.4 घनमीटर कम हो रही है।
- शहरी क्षेत्रों में यह संकट अभी से स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति दूरस्थ जल स्रोतों द्वारा की जा रही है। उदाहरणस्वरूप, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की जलापूर्ति टिहरी बाँध से लाये गए जल द्वारा की जाती है।

जल शक्ति अभियान
यह अभियान शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में चलाया जाएगा
जल संभर विकास
लक्षित संचार प्रचार
जल संरक्षण और वर्षा-जल संचयन
केंद्रित गतिविधियाँ
रीयलटाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड
परंपरागत और अन्य जल निकायों/टैंकों का नवीनीकरण
अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रयोग
बोरवैल पुनर्भरण ढाँचों का पुनर्प्रयोग
सघन वनीकरण
2024 तक सभी ग्रामीण घरों में नल जल आपूर्ति
स्थानीय स्तर पर पानी की समेकित माँग और आपूर्ति का प्रबंधन
जल जीवन मिशन
केंद्र और राज्यों की अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण किया जाएगा
खेती में पुनर्प्रयोग के लिये वर्षा-जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन के वास्ते स्थानीय संरचना का निर्माण

कारक

- निरंतर गहराते जल संकट का मुख्य कारक अनियंत्रित रूप से बढ़ती जनसंख्या है, उदाहरण के लिये जैसे-जैसे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उसी अनुपात में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता में भी कमी आ रही है।
- जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा की मात्रा तथा इसके भौगोलिक वितरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इससे कृषि क्षेत्र में सिंचाई तथा अन्य आवश्कताओं की पूर्ति के लिये भू-जल का अधिक उपयोग करना पड़ता है। साथ ही इससे जल संरक्षण की प्रक्रिया भी प्रभावित होती है।
- जल संकट के लिये उत्तरदायी एक अन्य कारक प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती दरों पर विद्युत उपलब्धता के कारण कृषि उपज के लिये भूमिगत जल का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है।
- जल संरक्षण को लेकर जागरूकता का अभाव जल संकट को और बढ़ा देता है। घरेलू कार्यों में अनियंत्रित तरीके से जल का उपयोग, नलों का अनावश्यक बहते रहना तथा वर्षा जल का संग्रहण न करना आदि पहलू जल संरक्षण के प्रति लोगों की अनभिज्ञता को दर्शाते हैं।

जल संरक्षण की दिशा में किये जा रहे प्रयास

- भारत विश्व में भूजल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता देश है। जल की अपर्याप्त उपलब्धता तथा जल संबंधी अन्य समस्याओं को देखते हुए सरकार द्वारा इस दिशा में विभिन्न स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं।
  - वर्ष 2024 तक देश के सभी ग्रामीण परिवारों तक स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जल जीवन मिशन की घोषणा अगस्त 2019 में की गई।
  - भूजल के सतत प्रबंधन हेतु सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से अटल भूजल योजना का शुभारंभ दिसंबर 2019 को किया गया। इसका प्रमुख लक्ष्य भारत के सात राज्यों (यथा- गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) में भूजल प्रबंधन में सुधार करना है।
  - जल संरक्षण को संपदा निर्माण एवं व्यापक संचार के माध्यम से जनांदोलन का रूप देने के उद्देश्य से वर्ष 2019 में जल शक्ति अभियान का आरंभ किया गया।
  - केंद्रीय बजट 2021-22 में भी सार्वभौमिक जलापूर्ति हेतु जल जीवन मिशन (शहरी) शुरू करने की घोषणा की गई है। साथ ही, 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पर्यावरण एवं जल संरक्षण के लिये 'निसर्ग रक्षा' नामक राष्ट्रव्यापी अभियान का आरंभ किया गया है।

अटल भूजल योजना
(अटल जल)
मुख्य विशेषताएँ
सामुदायिक भागीदारी से सतत भूजल प्रबंधन
अविरल प्रयासों से भूजल प्रबंधन में स्वभावजन्य परिवर्तन
माँग पक्ष का प्रबंधन
जल की कमी वाले पहचान किये गए क्षेत्रों में कार्यान्वयन
केंद्र और राज्यों के जारी कार्यक्रमों के साथ अभिसरण

समाधान

- जल के दुरुपयोग को रोकने के लिये व्यापक स्तर पर जागरूकता का प्रसार किया जाना चाहिये।
- कृषि क्षेत्र में जल के अत्यधिक दोहन को रोकने के लिये कृषि तकनीकों में बदलाव किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, फसलों की सिंचाई के लिये ड्रिप सिंचाई तकनीक को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- जल की बर्बादी को रोकने के लिये सरकार द्वारा आवश्यक नीतियों का निर्माण किया जाना चाहिये। इस दिशा में सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा हाल ही में पारित आदेश, जिसमें जल के अनावश्यक उपयोग पर दंड का प्रावधान किया गया है, एक सराहनीय कदम है।
- वर्षा जल के संरक्षण हेतु तालाबों, चेक-डैम तथा घर की छतों पर जल संग्रहण के लिये उपयुक्त तकनीकों को अपनाया जाना चाहिये।
- जल संकट के समाधान हेतु नदी-जोड़ो परियोजना महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो रही है, फलतः इस प्रकार की परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

जल मानव जीवन का आधार है, किंतु बढ़ते शहरीकरण, औद्योगीकरण तथा जनसंख्या दबाव के कारण बड़ी मात्रा में जल संसाधनों का क्षरण हो रहा है, जो कि भविष्य में मानव अस्तित्व के समक्ष गंभीर संकट उत्पन्न कर सकता है। अतः जल संसाधनों के संरक्षण हेतु विशेष प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। इसके लिये सरकारी नीतियों के साथ-साथ सामान्य नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा अन्य हितधारकों को सामूहिक रूप से प्रयास करने होंगे।

भारत और हरित हाइड्रोजन

संदर्भ

- भारत जल्द ही 'राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन' (National Hydrogen Energy Mission - NHEM) के लाँच करने के पश्चात 15 देशों के हाइड्रोजन क्लब में शामिल हो जाएगा।
- वर्ष 2023 तक 1.45 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन के उत्पादन का वैश्विक लक्ष्य रखा गया है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में भारत लगभग 5.5 मिलियन टन हाइड्रोजन का उपभोग करता है, जिसका उत्पादन मुख्य रूप सेआयातित जीवाश्म ईंधन से होता है।
- काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर (CEEW) के एक विश्लेषण के अनुसार, वर्ष 2030 तक अमोनिया, स्टील, मिथेनॉल, परिवहन और ऊर्जा भंडारण जैसे क्षेत्रों में भारत में हरित हाइड्रोजन की माँग 1 मिलियन टन तक हो सकती है।

राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन

- केंद्रीय बजट 2021-22 में 'राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन' की घोषणा की गई है, जो देश में ऊर्जा क्षेत्र प्रबंधन, कार्बन उत्सर्जन को कम करने, जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के साथ-साथ आर्थिक दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है। विदित है कि वर्तमान में देश में अधिकांश ऊर्जा उत्पादन तापीय ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से होता है।
- राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, इस्पात और सीमेंट जैसे भारी उद्योगों को डी-कार्बनाइज करने के लिये आवश्यक है। हाइड्रोजन उत्पादन के सबसे प्रमुख प्रकारों में प्राकृतिक गैस शोधन और विद्युत-अपघटन (Electrolysis- किसी रासायनिक यौगिक में विद्युत-धारा प्रवाहित कर उसके रासायनिक बंधों को तोड़ने की प्रक्रिया) के साथ सौर चालित एवं अन्य जैविक प्रक्रियाएँ शामिल हैं।
- भारत की हरित ऊर्जा आधारित हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की यह पहल जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने में सहायक होगी। ये संयंत्र 'ग्रिड स्केलस्टोरेज' समाधान करने के साथ अमोनिया उत्पादन के लिये फीडस्टॉक का भी काम करेंगे। मिशन का उद्देश्य हाइड्रोजन ऊर्जा का उपयोग कर हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है।
- हाइड्रोजन, स्वच्छ एवं प्रदूषण-रहित ईंधन का विकल्प है, इसके उपोत्पाद के रूप में केवल जल ही प्राप्त होता है। इसकी उच्च प्रज्ज्वलन क्षमता के कारण इसका उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है। हाइड्रोजन का उत्पादन तथा भंडारण अत्यधिक खर्चीला तथा कठिन है। तीव्र ज्वलनशील गैस होने के कारण इसे विस्फोटक की श्रेणी में रखा जा सकता है, परंतु नियंत्रित परिवेश में इसकी तीव्र ज्वलनशील क्षमता का उपयोग हरित ऊर्जा के रूप में किया जा सकता है।

हरित हाइड्रोजन

- हाइड्रोजन का उत्पादन कई विधियों से किया जा सकता है। इनमें सबसे स्थापित और प्रमाणित तरीकों में से एक है– नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर किसी इलेक्ट्रोलाइजर के माध्यम से जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करना। इस प्रकार उत्पादित हाइड्रोजन को हरित हाइड्रोजन कहते हैं, जबकि अन्य विधियों में कार्बन का उत्सर्जन होता है।

- नवीकरणीय ऊर्जा की लागतों में गिरावट के साथ ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने की ज़रूरतों के मद्देनज़र राजनीतिक और व्यापारिक परिप्रेक्ष्य में हाइड्रोजन का महत्त्व बढ़ता जा रहा है। हालाँकि, भारत में व्यावसायिक पैमाने पर इसके संचालन में कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

संभावित प्रयास

- विकेंद्रीकृत हाइड्रोजन उत्पादन के लिये चौबीस घंटे नवीकरणीय ऊर्जा तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये एक तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है।
- मौजूदा प्रक्रियाओं में विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के मिश्रण के लिये कदम उठाने चाहिये।
- पारंपरिक रूप से उत्पादित हाइड्रोजन के साथ हरित हाइड्रोजन को बढ़ाकर हाइड्रोजन आपूर्ति की विश्वसनीयता में सुधार करने से ईंधन के अर्थशास्त्र में काफी सुधार होगा।
- नीति नियंताओं को प्रारंभिक चरण के संचालन में निवेश की सुविधा प्रदान करनी चाहिये और भारत में इससे संबंधित प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिये आवश्यक अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना चाहिये।
- भारत में राष्ट्रीय सौर मिशन के अनुभव के आधार पर घरेलू विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
- भारत को हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के लिये आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति को सुरक्षित करने की आवश्यकता है।
- डी.आर.डी.ओ., बी.ए.आर.सी. तथा सी.एस.आई.आर. प्रयोगशालाओं जैसे प्रमुख संस्थान इलेक्ट्रोलाइजर और ईंधन सेल प्रौद्योगिकी विकसित कर रहे हैं।

निष्कर्ष

- लम्बे समय तक हाइड्रोजन के फायदे प्रेरणादायक हैं और ऊर्जा संक्रमण के लिये एक उत्साहजनक तस्वीर पेश करते हैं। पिछले तीन वर्षों में उत्पादों के व्यवसायीकरण ने इस क्षेत्र की वृद्धि को गति प्रदान की है।
- संपूर्ण मूल्य शृंखला के साथ हाइड्रोजन संबंधित प्रौद्योगिकियों की लागत और प्रदर्शन में सुधार से हरित हाइड्रोजन क्रांति में मदद मिलेगी।

कार्बन तटस्थता का लक्ष्य और भारत

संदर्भ

- गैर-लाभकारी संगठन 'एनर्जी एंड क्लाइमेट इंटेलिजेंस यूनिट' (ECIU) के नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, अप्रैल की शुरुआत में कुल 32 देशों द्वारा इस सदी के मध्य तक कार्बन तटस्थता के लक्ष्य प्राप्ति की घोषणा की गई है।
- इनमें से केवल आठ देशों ने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सुदृढ़ कदम उठाए हैं, शेष देशों ने अभी केवल अपनी नीतियों तथा प्रस्तावित कानूनों में इस लक्ष्य को शामिल किया है।
- विदित है कि कुछ समय पूर्व, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने वैश्विक स्तर पर सभी देशों, विशेषकर भारत से कार्बन तटस्थता के लक्ष्य की प्राप्ति करने हेतु स्पष्ट घोषणा करने का आग्रह किया था।

निर्धारित लक्ष्य

- पेरिस जलवायु समझौते के अनुसार वैश्विक तापमान को पूर्व-औद्योगिक तापमान स्तर की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से नीचे रखना और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के सभी प्रयास करना।
- वर्ष 2050 तक कार्बन तटस्थता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये नेट ज़ीरो उत्सर्जन (उत्सर्जित तथा अवशोषित मात्रा के मध्य संतुलन स्थापित करना) की स्थिति प्राप्त करना।

कितने पर्याप्त हैं वर्तमान प्रयास

- वर्तमान प्रयासों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि इनसे न तो तीनों लक्ष्यों; तापमान में कटौती, कार्बन तटस्थता और निष्पक्षता को एक साथ प्राप्त करना संभव है और न ही 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही, 2 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य हेतु भी वर्तमान प्रतिबद्धताएँ अपर्याप्त हैं।
- वैज्ञानिकों द्वारा यह निष्कर्ष वैश्विक कार्बन बजट के आधार पर निकाला गया है, जो पूर्व-औद्योगिक युग से उस समय तक वैश्विक संचयी उत्सर्जन की सीमाओं को इंगित करता है, जब शुद्ध उत्सर्जन बंद हो जाता है, जो वैश्विक तापमान वृद्धि के निश्चित स्तरों के अनुरूप होता है।
- आँकड़ों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में कार्बन बजट का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा समाप्त हो चुका है और वैश्विक स्तर पर केवल 20 प्रतिशत कार्बन बजट शेष है। इस प्रकार यदि कार्बन बजट की सीमा से अधिक उत्सर्जन होता है तो तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रख पाना असंभव होगा।

कार्बन उत्सर्जन में देशों की हिस्सेदारी

- वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन में व्यापक असमानताएँ विद्यमान हैं। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अनुसार, सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन

वाला देश चीन है, जिसकी कुल कार्बन उत्सर्जन में हिस्सेदारी लगभग 27 प्रतिशत है, वहीं लगभग 15 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ अमेरिका दूसरे स्थान पर है। भारत इस मामले में लगभग 7 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ चौथे स्थान पर है।

- उल्लेखनीय है कि यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी लगभग 10 प्रतिशत रही, इस प्रकार स्पष्ट है कि 50 प्रतिशत से अधिक कार्बन उत्सर्जन के लिये केवल 3 देश ज़िम्मेदार हैं।

कार्बन तटस्थता के लक्ष्य प्राप्ति की घोषणा और भारत

- भारत ने अभी तक कार्बन तटस्थता के लक्ष्य को प्राप्त करने संबंधी कोई स्पष्ट घोषणा नहीं किया है और न ही ऐसा करना भारत के हित में है।
- भारत अभी विकासशील से विकसित अर्थव्यवस्था की ओर उन्मुख हो रहा है। ऐसे में इसकी प्राथमिकता विकास है, क्योंकि यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ-साथ तात्कालिक आवश्यकता भी है।
- यद्यपि कार्बन स्थिरता वांछनीय लक्ष्य है, किंतु कम कार्बन उत्सर्जन के साथ विकास लक्ष्यों को प्राप्त कर पाना भारत के लिये बेहद जटिल प्रश्न है।
- कार्बन तटस्थता तथा नेट ज़ीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने संबंधी घोषणाएँ भारत जैसे विकासशील देशों के आर्थिक विकास में बाधक हैं, क्योंकि मौजूदा फ्रेमवर्क यह मानने में विफल है कि नागरिकों के कल्याण हेतु निर्मित आधारभूत अवसंरचना के कारण वैश्विक संचयी उत्सर्जन में 50 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि होती है।
- वर्तमान में भारत के कार्बन फुटप्रिंट के निम्न रहने का कारण अत्यधिक गरीबी और अधिक जनसंख्या है, न कि सततता का अभाव। हालाँकि, भारत प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन के मामले में अभी भी तीसरे स्थान पर है।
- वर्ष 1990 से पहले भारत का उत्सर्जन वैश्विक संचयी उत्सर्जन का 3.5% और वर्ष 2018 तक लगभग 5% था। अत: इस पर किसी प्रकार का कार्बन ऋण भी बकाया नहीं है। वर्तमान में भारत का वार्षिक उत्सर्जन विकसित देशों की तुलना में निम्न है और यह 2 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य प्राप्ति हेतु संगत भी है।
- अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में कार्बन तटस्थता की घोषणा विकसित देशों द्वारा अपने दायित्वों को भारत जैसे विकासशील देशों की ओर स्थानांतरित करने का एक व्यर्थ प्रयास मात्र है।
- हालाँकि, भारत द्वारा जलवायु प्रभावों के अनुकूलन तथा निम्न कार्बन उत्सर्जन जैसे उपायों के साथ-साथ विकास प्रक्रिया को जारी रखने के लिये ठोस कार्रवाइयों को अपनाया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

- पेरिस समझौते में जलवायु न्याय (Climate Justice) को एक रणनीति के रूप में नहीं बल्कि एक राजनीतिक बयान के तौर पर शामिल किया गया था, अत: इसमें संशोधन की आवश्यकता है।
- प्रति व्यक्ति निम्न कार्बन उत्सर्जन वाले देशों द्वारा विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाना पेरिस समझौते के अनुरूप ही है, इसलिये कार्बन तटस्थता के लक्ष्य हेतु स्पष्ट घोषणा का आग्रह करना तर्कसंगत नहीं है।
- इसके अतिरिक्त, जलवायु न्याय तथा कार्बन तटस्थता जैसे लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अपरिहार्य है। इस दिशा में विकसित देशों द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन तथा हाइड्रोजन ईंधन जैसी प्रौद्योगिकियों को साझा किया जाना चाहिये, क्योंकि ये जलवायु परिवर्तन के लिये सर्वाधिक प्रभावी उपाय हैं।

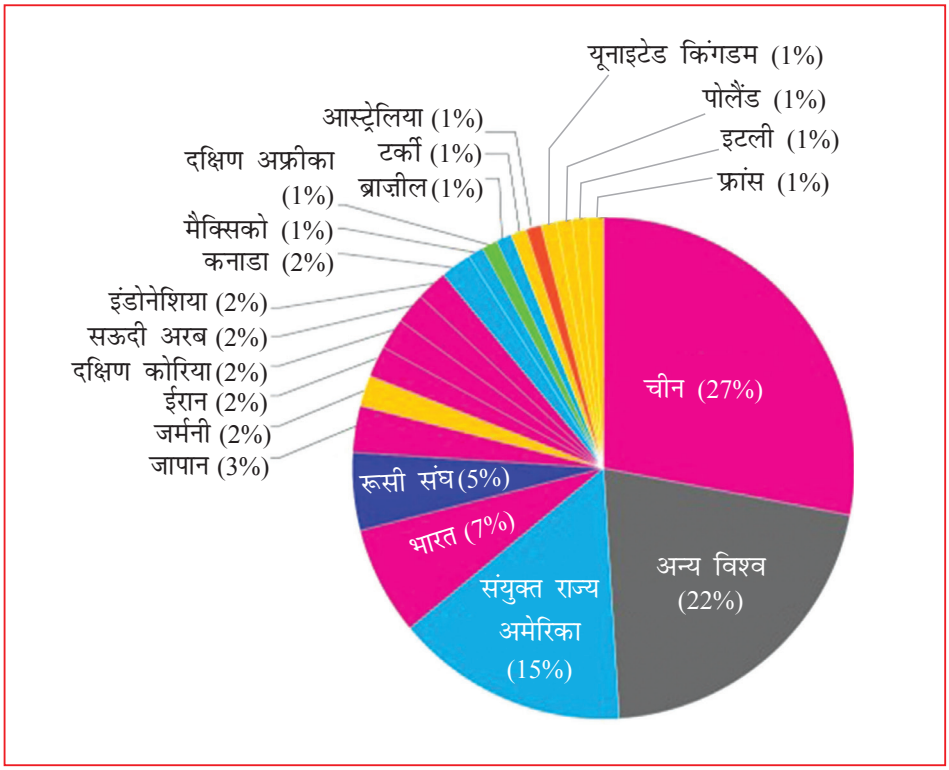

10 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

भारत के समक्ष उभरता हीलियम संकट

संदर्भ

संयुक्त राज्य अमेरिका वर्ष 2021 से हीलियम का निर्यात बंद करने पर विचार कर रहा है। चूँकि भारत भारी मात्रा में अमेरिका से हीलियम का आयात करता है, अत: अमेरिका के इस निर्णय से भारत के हीलियम आधारित उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

हीलियम

- 'हीलियम' (He) एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन व निष्क्रिय गैस है। यह गैस जहरीली नहीं होती है तथा वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। इसका परमाणु क्रमांक 2 तथा परमाणु द्रव्यमान 4.0026 ए.एम.यू. होता है।
- डच भौतिकविद् कैमरलिंग ऑनेस ने हीलियम गैस को –270° सेंटीग्रेड पर ठंडा कर द्रव अवस्था में परिवर्तित करने में सफलता प्राप्त की थी।

हीलियम प्राप्ति के स्रोत

- भूमिगत ज्वालामुखी अवशेषों से हीलियम का उत्पादन किया जा सकता है। अमेरिका में इसके विस्तृत भंडार मौजूद हैं। भारत में भी झारखंड के राजमहल ज्वालामुखी बेसिन में हीलियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं। इस दृष्टि से झारखंड के दो स्थल 'बकरेश्वर' तथा 'टैंटलोई' प्रसिद्ध हैं। इन क्षेत्रों में उपस्थित हीलियम के भूमिगत भंडार को 'हीलियम का महासागर' (Ocean of Helium) कहा जाता है।
- तेल प्राप्ति के लिये प्रयुक्त की जाने वाली ड्रिलिंग क्रियाविधि (Oil Drilling Operation) के दौरान भी हीलियम गैस प्राप्त होती है।
- इसके अलावा, वैज्ञानिकों ने 'प्राकृतिक गैस' से भी हीलियम प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है।

हीलियम के अनुप्रयोग

- स्वास्थ्य क्षेत्र में, जैसे– चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन (Magnetic Resonance Imaging - MRI) की प्रक्रिया में
- इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में, जैसे– स्क्रीन व प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स (PCBs) के निर्माण में
- गोताखोरों द्वारा प्रयुक्त श्वसन सिलिंडर में श्वसन मिश्रण (Breathing Mixture) के रूप में
- वायुयान उद्योग में
- प्रमोचन यानों में प्रयुक्त क्रायोजेनिक तकनीक में
- ऊर्जा उत्पादन संबंधी विभिन्न क्षेत्रों में
- प्रकाशिक तंतु प्रौद्योगिकी (Optical Fiber Technology) में
- नाभिकीय रिएक्टरों में
- आर्क-वेल्डिंग की प्रक्रिया में
- लीकेज की जाँच करने में
- उड़ने वाले गुब्बारों में भरी जाने वाली हवा के रूप में, इत्यादि।

भारत के समक्ष हीलियम संकट के कारण

- 'भारत' संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रतिवर्ष ₹55,000 करोड़ मूल्य की हीलियम आयात करता है। ऐसे में, यदि अमेरिका हीलियम का निर्यात बंद करने का निर्णय लेता है तो भारत के हीलियम आधारित उद्योगों को संकट का सामना करना पड़ सकता है।
- हालाँकि अमेरिका से हीलियम की आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में भारत के पास कतर से हीलियम आयात करने का विकल्प मौजूद रहेगा, किंतु पश्चिम एशिया की अस्थिर राजनीतिक स्थिति के कारण कतर को हीलियम का विश्वनीय निर्यातक नहीं माना जा सकता है।
- भारत में भी हीलियम के भंडार तो उपस्थित हैं, लेकिन भारत ने अभी तक हीलियम के अनुसंधान व उत्पादन (Research and Production) संबंधी गतिविधियों को आरंभ नहीं किया है। ऐसे में, घरेलू स्तर पर हीलियम के पर्याप्त भंडार होते हुए भी तत्काल रूप से उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है।

आगे की राह

- चूँकि भारत प्रतिवर्ष लगभग 70 मिलियन घन मीटर हीलियम का उपभोग करता है, ऐसे में, यदि अमेरिका हीलियम का निर्यात प्रतिबंधित करता है तो भारत कतर से हीलियम का आयात करने पर विचार कर सकता है।
- हालाँकि, कतर हीलियम का विश्वसनीय निर्यातक सिद्ध नहीं हो सकता है, अत: सरकार को हीलियम के अनुसंधान व उत्पादन संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिये।
- भारत में राजमहल पहाड़ी क्षेत्र की ज्वालामुखी पट्टी के अतिरिक्त, हीलियम उत्पादन के अन्य स्रोत भी उपलब्ध हैं तथा हीलियम उत्पादन की तकनीक भी अत्यंत जटिल नहीं है, अत: एक समर्पित

प्रयास के माध्यम से घरेलू स्तर पर हीलियम का पर्याप्त उत्पादन संभव है।

निष्कर्ष

हीलियम उत्पादन की पर्याप्त क्षमता विकसित करने के पश्चात् भारत इस क्षेत्र में भी आत्म-निर्भर बन सकता है। परिणामस्वरूप न सिर्फ भारत के चालू खाते घाटे में कमी आएगी बल्कि इससे 'वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने' का लक्ष्य प्राप्त करने में भी सहायता मिलेगी।

रहस्यमयी ब्लैक होल और गुरुत्वीय तरंगें

संदर्भ

हाल ही में, भारत में वैज्ञानिकों ने गुरुत्वीय तरंगों का रहस्य सुलझाने के लिये एक नए रेडियोमेट्रिक एल्गोरिथम का विकास किया। इसके माध्यम से पूर्ववर्ती रेडियोमेट्रिक एल्गोरिथम की तुलना में अधिक सटीक गणना की जा सकेगी।

गुरुत्वीय रेडियोमेट्री

- 'गुरुत्वीय रेडियोमेट्री' एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत गुरुत्वीय तरंगों की खोज व उनका मापन किया जाता है। इसी प्रक्रिया को अधिक तीव्र व सटीक बनाने के लिये नवीन रेडियोमेट्रिक एल्गोरिथम का विकास किया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार, ब्रह्मांड में असंख्य गुरुत्वीय तरंगें उपस्थित हैं।
- जब अत्याधुनिक दूरदर्शी के माध्यम से गुरुत्वीय तरंगों को डिटेक्ट किया जाता है तो इस प्रक्रिया में दूरदर्शी एक सीमित परास में ही गुरुत्वीय तरंगों पर फोकस कर पाती है। किंतु वास्तव में अन्य असंख्य गुरुत्वीय तरंगें भी उसी समय पृष्ठभूमि में अपना अस्तित्व बनाए रखती हैं। पृष्ठभूमि में उपस्थित रहने वाली इन गुरुत्वीय तरंगों को 'स्टॉकैस्टिक गुरुत्वीय तरंगें' (Stochastic Gravitational Wave–SGW) तथा इस पृष्ठभूमि को 'स्टॉकैस्टिक गुरुत्वीय तरंग पृष्ठभूमि' (Stochastic Gravitational Wave Background) कहा जाता है।
- भारतीय शोधकर्ताओं के मुख्य सहयोग से विकसित की गई इस नई रेडियोमेट्रिक एल्गोरिथम के माध्यम से न सिर्फ गुरुत्वीय तरंगों के रहस्य को समझने में मदद मिलेगी बल्कि गुरुत्वीय तरंगों के स्रोत का पता लगाने में भी सहायता मिलेगी।

गुरुत्वीय तरंगें

- 'गुरुत्वीय तरंगें' ब्रह्मांड में चलने वाली अदृश्य लहरें होती हैं, जो ब्रह्मांड में सदैव उपस्थित रहती हैं। जब ये तरंगें किसी खगोलीय पिंड से गुज़रती हैं तो उस पिंड में हल्का-सा खिंचाव या संकुचन होता है, लेकिन यह परिघटना नग्न आँखों से नहीं देखी जा सकती है। इस परिघटना का प्रेक्षण करने के लिये वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर कुछ 'गुरुत्वीय तरंग वेधशालाओं' का निर्माण किया है, जो पृथ्वी पर विभिन्न देशों में उपस्थित हैं।
- यद्यपि वैज्ञानिक इस विषय पर एकदम स्पष्ट नहीं हैं कि गुरुत्वीय तरंगों की उत्पत्ति कैसे होती है, तथापि निम्नलिखित कुछ घटनाओं को गुरुत्वीय तरंगों की उत्पत्ति का स्रोत माना जाता है–
  - सुपरनोवा में विस्फोट होना
  - किन्हीं खगोलीय पिंडों का आपस में टकराना
  - दो बड़े तारों का एक-दूसरे के सापेक्ष परिक्रमण करना
  - दो ब्लैक होल का एक-दूसरे के सापेक्ष घूमना तथा आपस में विलीन हो जाना, इत्यादि।

क्या है ब्लैक होल

- 'ब्लैक होल' ब्रह्मांड में उपस्थित एक ऐसा खगोलीय पिंड होता है, जिसका द्रव्यमान, घनत्व और गुरुत्वाकर्षण बल अत्यधिक होता है। वस्तुत: वर्ष 1916 में आइंस्टीन ने 'सापेक्षिकता का सिद्धांत' प्रतिपादित किया था, इस दौरान उन्होंने 'ब्लैक होल' तथा 'गुरुत्वीय तरंगों' के अस्तित्व की परिकल्पना भी की थी। लेकिन 'ब्लैक होल' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1967 में एक अमेरिकी भौतिकविद् जॉन आर्किबैल्ड व्हीलर ने किया था।
- इनकी उत्पत्ति के विषय में अभी तक वैज्ञानिक समुदाय किसी साझा निष्कर्ष पर तो नहीं पहुँच सका है, किंतु विभिन्न अत्याधुनिक उपकरणों की सहायता से इनके बारे में कुछ उपयोगी जानकारी जुटाने में ज़रूर सफल रहा है। इनके अनुसार, ब्लैक होल का घनत्व व आकर्षण बल इतना अधिक होता है कि प्रकाश किरण भी इनके प्रभाव क्षेत्र में आने के पश्चात् परावर्तित नहीं हो सकती है, इसलिये ब्लैक होल को देख पाना संभव नहीं होता है।

ब्लैक होल के प्रकार

- द्रव्यमान के आधार पर ब्लैक होल 4 प्रकार के होते हैं–

1. **प्राथमिक ब्लैक होल (Primordial Black Hole):** इनका द्रव्यमान 'पृथ्वी' के द्रव्यमान के 'बराबर या उससे कम' होता है।
2. **स्टेलर द्रव्यमान ब्लैक होल (Stellar Mass Black Hole):** इनका द्रव्यमान 'सूर्य' के द्रव्यमान से '4 से 15 गुणा' अधिक होता है।
3. **मध्यवर्ती द्रव्यमान ब्लैक होल (Intermediate Mass Black Hole):** इनका द्रव्यमान 'सूर्य' के द्रव्यमान से 'कुछ हज़ार गुणा' अधिक होता है।
4. **विशालकाय ब्लैक होल (Supermassive Black Hole):** इनका द्रव्यमान 'सूर्य' के द्रव्यमान से 'कुछ मिलियन-बिलियन गुणा' अधिक होता है।

- अपने अक्ष पर घूर्णन तथा विद्युत आवेश के आधार पर ब्लैक होल 3 प्रकार के होते हैं–

1. **श्वार्ज़्सचाइल्ड ब्लैक होल (Schwarzschild Black Hole):** ये ब्लैक होल ना तो अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं और न ही इनके पास कोई विद्युत आवेश होता है। इन्हें 'स्थिर ब्लैक होल' (Static Black Hole) भी कहते हैं।
2. **कर ब्लैक होल (Kerr Black Hole):** ये ब्लैक होल अपने अक्ष पर घूर्णन तो करते हैं, लेकिन इनके पास कोई विद्युत आवेश नहीं होता है।
3. **आवेशित ब्लैक होल (Charged Black Hole):** ये ब्लैक होल पुनः 2 प्रकार के होते हैं–
   (i) **रेसनर-नॉर्डस्ट्रॉम ब्लैक होल (Reissner-Nordstrom Black Hole):** ये ब्लैक होल विद्युत आवेशित तो होते हैं, लेकिन अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करते हैं।
   (ii) **कर-न्यूमैन ब्लैक होल (Kerr-Newman Black Hole):** ये ब्लैक होल आवेशित भी होते हैं और अपने अक्ष पर घूर्णन भी करते हैं।

ब्लैक होल के तत्त्व

- **सिंगुलैरिटी (Singularity):** यह किसी ब्लैक होल का केंद्र बिंदु होता है, जहाँ उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है। जब कोई खगोलीय पिंड अत्यधिक संपीड़ित होकर एक बिंदु जैसी आकृति ग्रहण कर लेता है, तो इस संरचना का निर्माण होता है। इसका घनत्व, द्रव्यमान तथा गुरुत्वाकर्षण बल अत्यधिक होता है।

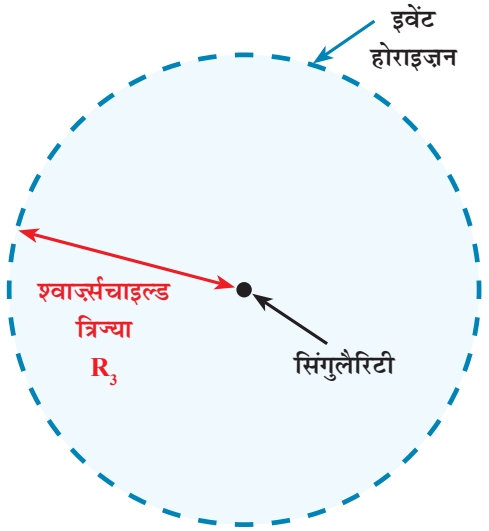

- **इवेंट होराइज़न (Event Horizon):** सिंगुलैरिटी के चारों ओर उपस्थित उसके गुरुत्वाकर्षण बल का वह प्रभाव क्षेत्र, जिसके संपर्क में आने के पश्चात् प्रकाश किरण भी वापस नहीं लौट सकती, 'इवेंट होराइज़न' कहलाता है। अर्थात् 'इवेंट होराइज़न' सिंगुलैरिटी की गुरुत्वीय सीमा को दर्शाता है। स्पष्ट है कि इवेंट होराइज़न की बाह्यतम सीमा कोई भौतिक सतह नहीं, बल्कि आभासी सतह होती है।
- **श्वार्ज़्सचाइल्ड त्रिज्या (Schwarzschild Radius):** सिंगुलैरिटी से इवेंट होराइज़न के बाह्यतम बिंदु तक की सीधी दूरी 'श्वार्ज़्सचाइल्ड त्रिज्या' कहलाती है। अर्थात् ब्लैक होल के केंद्र बिंदु से बाहर की ओर वह दूरी, जहाँ से प्रकाश किरण भी वापस नहीं लौट सकती हो, 'श्वार्ज़्सचाइल्ड त्रिज्या' कहलाती है।
- **एक्रीशन डिस्क (Accretion Disc):** इवेंट होराइज़न के चारों ओर भी सिंगुलैरिटी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र उपस्थित होता है, लेकिन वह श्वार्ज़्सचाइल्ड त्रिज्यीय क्षेत्र की तुलना में कम शक्तिशाली होता है। अतः इवेंट होराइज़न के चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पदार्थ, यथा– गैसें, खगोलीय पिंडों के टुकड़े, धूल इत्यादि चक्कर लगा रहे होते हैं। इससे इवेंट होराइज़न के बाह्य परिधीय क्षेत्र में एक डिस्क रूपी संरचना का निर्माण हो जाता है, यही संरचना 'एक्रीशन डिस्क' कहलाती है।

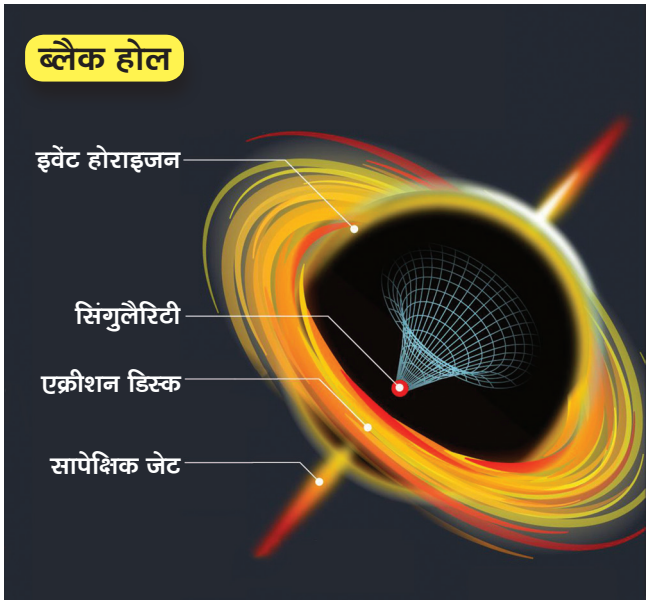

- **सापेक्षिक जेट (Relativistic Jet):** यह 'विशालकाय ब्लैक होल' (Supermassive Black Hole) द्वारा उत्पन्न किया जाने वाला जेट होता है, जो ब्लैक होल के केंद्र से बाहर की ओर गतिमान होता है। इसकी गति की दिशा ब्लैक होल के घूर्णन अक्ष के सामानांतर होती है। इसका निर्माण ब्लैक होल के गुरुत्वीय क्षेत्र में उपस्थित रेडिएशन, धूल के कणों, गैसों आदि से होता

है। इस जेट में उपस्थित पदार्थों की गति प्रकाश के वेग के सामान होती है। इन सापेक्षिक जेट्स को ब्रह्मांड में सबसे तेजी से गति करने वाली 'कॉस्मिक किरणों' की उत्पत्ति का स्रोत भी माना जाता है।

ब्लैक होल तथा गुरुत्वीय तरंगों के अध्ययन संबंधी वेधशालाएँ

- वैज्ञानिकों का मत है कि ब्रह्मांड में उपस्थित 'गुरुत्वीय तरंगें' ब्लैक होल तथा ब्रह्मांड के विभिन्न रहस्यों को समझने में अत्यंत सहायक होती हैं। ब्लैक होल तथा गुरुत्वीय तरंगों से संबंधित विभिन्न परिघटनाओं का अध्ययन करने के लिये कुछ अत्याधुनिक वेधशालाएँ (Observatories) विश्व के अलग-अलग हिस्सों में स्थापित की गई हैं।
- इन वेधशालाओं में अत्यंत शक्तिशाली दूरदर्शी/डिटेक्टर का उपयोग किया जाता है। गुरुत्वीय तरंगों व ब्लैक होल के रहस्यों को समझने के उद्देश्य से विश्व के विभिन्न हिस्सों में स्थापित की गई वेधशालाएँ इस प्रकार हैं–

वेधशालाएँ	संबंधित देश
लीगो-यू.एस. (LIGO-US)	संयुक्त राज्य अमेरिका
वर्गो (VIRGO)	इटली
काग्रा (KAGRA)	जापान
लीगो-इंडिया (LIGO-India)	भारत (निर्माणाधीन)

लेजर व्यतिकरणमापी गुरुत्वीय तरंग वेधशाला-इंडिया (Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory - India : LIGO-India)

- 'लीगो-इंडिया प्रोजेक्ट' ब्लैक होल व गुरुत्वीय तरंगों का अध्ययन करने संबंधी वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा है। इस वैश्विक नेटवर्क के अंतर्गत कुल 3 लीगो वेधशालाएँ स्थापित की जानी हैं। इनमें से दो वेधशालाएँ तो अमेरिका के हैनफोर्ड तथा लिविंग्स्टन में स्थापित हो चुकी हैं, जबकि तीसरी वेधशाला भारत के महाराष्ट्र (हिंगोली ज़िला) में निर्मित की जा रही है।
- भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को सैद्धांतिक मंज़ूरी फरवरी, 2016 में प्रदान की थी। इसके निर्माण की ज़िम्मेदारी संयुक्त रूप से 'परमाणु ऊर्जा विभाग' तथा 'विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग' को दी गई है। भारत में इस वेधशाला का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से किया जा रहा है। इसके अलावा ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया व जर्मनी भी इस प्रोजेक्ट में सहयोगी है।
- उल्लेखनीय है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित 2 लीगो वेधशालाओं द्वारा इतिहास में पहली बार 14 सितंबर, 2014 को ब्लैक होल के विलय की घटना को डिटेक्ट किया गया था।

गामा किरण उत्सर्जक आकाश गंगा की खोज

संदर्भ

हाल ही में, खगोल वैज्ञानिकों ने गामा किरणों का उत्सर्जन करने वाली एक नई सक्रिय आकाशगंगा का पता लगाया है।

रेड-शिफ्ट

- वर्ष 1929 में एडमिन हब्बल ने बताया था कि ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है। तब से यह माना जाता है कि अधिकतर आकाशगंगाएँ हमारी आकाशगंगा से दूर जा रही हैं।
- इन आकाशगंगाओं से प्रकाश दीर्घ रेडियो तरंग की ओर स्थानांतरित हो जाता है, इस परिघटना को 'रेड-शिफ्ट' कहा जाता है। वैज्ञानिक ब्रह्मांड के आरंभिक चरण को समझने के लिये 'रेड-शिफ्ट' की विशेषता प्रदर्शित करने वाली आकाशगंगाओं का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।

प्रमुख बिंदु

- इस सक्रिय आकाशगंगा को 'नेरो लाइन सीफर्ट-1' (Narrow-Line Seyfert-1 : NLS-1) गैलेक्सी कहा जाता है। यह अंतरिक्ष में दुर्लभ है। इसकी पहचान सुदूर स्थित गामा किरण उत्सर्जन करने वाली एक नई सक्रिय आकाशगंगा के रूप में हुई है। यह लगभग 31 बिलियन प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है।
- नैनीताल स्थित आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संसथान (Aryabhatta Research Institute of Observational Sciences - ARIES) के वैज्ञानिकों ने अन्य संस्थानों के शोधकर्ताओं के सहयोग से लगभग 25,000 चमकीले 'सक्रिय ग्लैक्टिक न्यूकली' (Active Galactic Nuclei - AGN) – गांगेय नाभिक – का अध्ययन 'स्लोन डिजिटल स्काई सर्वे' (Sloan Digital Sky Survey - SDSS) से किया और पाया कि एक अद्वितीय पिंड उच्च रेड-शिफ्ट पर अत्यधिक ऊर्जा युक्त गामा किरणों का उत्सर्जन कर रहा है।
- विदित है कि ए.आर.आई.ई.एस. 'विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग' का एक स्वायत्त संस्थान है, जबकि एस.डी.एस.एस. खगोलीय वस्तुओं का एक प्रमुख ऑप्टिकल इमेजिंग तथा स्पेक्ट्रोस्कॉपिक सर्वेक्षण है, जिसका प्रयोग विगत 20 वर्षों से किया जा रहा है।
- शक्तिशाली सापेक्षिक जेट या ब्रह्मांड में कणों के स्रोत प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं। ये स्रोत वृहद् ब्लैकहोल की ऊर्जा से संचालित होने वाले ए.जी.एन. से उत्पन्न होते हैं और इसे एक विशाल अंडाकार आकाशगंगा में होस्ट किया जाता है। हालाँकि एन.एल.एस.-1 से गामा किरण का उत्सर्जन सापेक्षिक जेट के निर्माण के विचार को चुनौती देता है, क्योंकि एन.एल.एस.-1

ए.जी.एन. का एक अनूठा वर्ग है, जिसे कम द्रव्यमान वाले ब्लैकहोल से ऊर्जा मिलती है और इसे सर्पिल आकाशगंगा में होस्ट किया जाता है।

- नए गामा किरण उत्सर्जक एन.एल.एस.-1 का निर्माण तब होता है, जब ब्रह्मांड अपनी वर्तमान आयु (13.8 बिलियन वर्ष) की तुलना में 4.7 अरब वर्ष ही पुराना होता है।

सापेक्षिक जेट (Relativistic Jet)

- सापेक्षिक जेट अत्यधिक द्रव्यमान वाले ब्लैक होल द्वारा उत्पन्न किया जाने वाला जेट होता है, जो ब्लैक होल के केंद्र से बाहर की ओर गतिमान होता है। इसकी गति की दिशा ब्लैक होल के घूर्णन अक्ष के सामानांतर होती है।
- इसका निर्माण ब्लैक होल्स के गुरुत्वीय क्षेत्र में उपस्थित विकिरण, धूल-कणों और गैसों आदि से होता है। इस जेट में उपस्थित कणों की गति प्रकाश के वेग के सामान होती है। इन सापेक्षिक जेट्स को ब्रह्मांड में सबसे तेज़ी से गति करने वाली 'कॉस्मिक किरणों' की उत्पत्ति का स्रोत भी माना जाता है।

- इससे गामा-किरण उत्सर्जित करने वाली नई आकाशगंगाओं का पता लगाने का मार्ग प्रशस्त होगा। इस शोध के लिये वैज्ञानिकों ने अमेरिका के हवाई में स्थित विश्व की सबसे बड़ी '8.2एम सुबारू टेलीस्कोप' का प्रयोग किया था।

इलेक्ट्रॉनिक नाक का विकास

संदर्भ

हाल ही में, वैज्ञानिकों ने एक विशिष्ट गैस का पता लगाने में सक्षम एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का विकास किया है, जिसे 'इलेक्ट्रॉनिक नाक' कहा जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- इस इलेक्ट्रॉनिक नाक का विकास हाइड्रोजन सल्फाइड (H_2S) गैस का पता लगाने के लिये किया गया है। यह उपकरण जैव-निम्नीकरणीय बहुलक (Biodegradable Polymer) और एकलक (Monomer) से युक्त है।
- सऊदी अरब और भारत सरकार के **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग** के स्वायत्त संस्थान– 'नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र', बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने मिलकर इस कार्य को अंजाम दिया है। इस शोध को *'मैटेरियल्स होराइजन'* और *'एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक मैटेरियल्स'* नाम की पत्रिकाओं में प्रकाशित किया गया है।

हाइड्रोजन सल्फाइड

- हाइड्रोजन सल्फाइड एक रंगहीन, सड़े अंडे जैसी दुर्गंध वाली और हवा से भारी गैस है। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों के सूक्ष्मजीवीय संश्लेषण (Microbial Breakdown) से उत्पन्न होने वाली एक प्राथमिक गैस है। इस प्रक्रिया को प्रायः अवायवीय पाचन के रूप में जाना जाता है। यह गैस हवा से अधिक सघन होती है।
- यह दलदली क्षेत्रों और सीवरों में उत्पन्न होने वाली एक जहरीली, संक्षारक, विस्फोटक तथा ज्वलनशील गैस है, अतः सीवरों व दलदली क्षेत्रों में इसके उत्सर्जन का पता लगाने की आवश्यकता है।
- हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग मुख्य रूप से सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फर का उत्पादन करने के लिये किया जाता है। कीटनाशकों, चमड़े, रंजक और फार्मास्यूटिकल्स निर्माण में उपयोग किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक सल्फाइड बनाने के लिये भी इसका उपयोग किया जाता है।
- साथ ही, हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिये भारी जल का उत्पादन करने के लिये किया जाता है।

क्रियाविधि

- वैज्ञानिकों ने हवा के अणुओं (Airborne Molecules) या 'संवेदना ग्राही तंत्रिकाओं' (Olfactory Receptor Neuron - ORN) की पहचान के लिये उत्तरदाई न्यूरॉन का प्रतिरूपण करके एक अत्यधिक संवेदनशील और चयनात्मक रूप से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस आधारित सेंसर विकसित किया है।
- विदित है कि ओ.आर.एन. घ्राण प्रणाली के भीतर एक गंध संवेदी तंत्रिका होती है, जो प्राणियों में एकसमान कोशिकीय एवं आणविक गुणों के साथ पाई जाती हैं। ओ.आर.एन. का प्रतिरूपण जैव-निम्नीकरणीय बहुलक और एकलक से युक्त एक जैविक इलेक्ट्रानिक उपकरण की सहायता से किया गया है।
- इस निर्मित सेंसर में दो परतों वाली एक विषम संरचना (Heterostructure) होती है। इसका शीर्ष परत एक एकलक होता है और इसकी निचली परत एक सक्रिय चैनल (क्रियाशील प्रणाली) होता है।
- इस प्रकार, यह सह-क्रियात्मक संयोजन हाइड्रोजन सल्फाइड के अणुओं को पूर्व-केंद्रित (Pre-Concentrate) करने में मदद करता है तथा अम्ल-क्षार की एक रासायनिक प्रतिक्रिया की शुरुआत करता है। इसके कारण उपकरण के चैनल क्षेत्र में बदलाव होता है।
- वैज्ञानिकों द्वारा विकसित इस कैपेसिटेंस सेंसर ने हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का पता लगाने में एक उच्च संवेदनशीलता दिखाई है। यह उपकरण अन्य गैसों की उपस्थिति में भी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का चयनात्मक रूप से पता लगा सकता है। विदित है कि कैपेसिटेंस सेंसर, सेंसर द्वारा बनाये गए विद्युत क्षेत्र पर होने वाले प्रभाव के माध्यम से आस-पास की वस्तुओं का पता लगाता है।

11 आंतरिक सुरक्षा

छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला : चुनौतियाँ और भविष्य की राह

संदर्भ

- 3 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.) के 22 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। इस हमले ने सरकार के नक्सल-विरोधी अभियान से संबंधित नीतियों पर पुनः प्रश्नचिह्न लगा दिया है।
- ध्यातव्य है कि वर्ष 2010 में चिंतलनार (सुकमा ज़िला) में घात लगा कर किये गए हमले में 76 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे, इसके बाद से दंतेवाड़ा-सुकमा-बीजापुर क्षेत्र में अब तक 176 से अधिक सुरक्षाकर्मी शहीद हो चुके हैं।
- वर्ष 2005 के पश्चात् सरकार द्वारा संचालित अभियान ने 'वामपंथी उग्रवाद' (LWE) की समस्या से ग्रसित कई राज्यों को मुक्त किया, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये समस्या आज भी बरकरार है।

पृष्ठभूमि

- 'नक्सलवाद' के नाम से विदित पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गाँव से उपजे वामपंथी उग्रवाद का प्रसार 11 राज्यों तक है, जिसे कथित तौर पर 'लाल गलियारा या रेड कॉरिडोर' कहते हैं।
- प्रतिबंधित वामपंथी संगठनों द्वारा हिंसक घटनाओं के माध्यम से सुरक्षाकर्मियों, नागरिकों तथा सार्वजनिक व निजी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जाता है।
- इनका मुख्य उद्देश्य लोकतांत्रिक सरकार को 'सशस्त्र क्रांति' के माध्यम से पदच्युत कर स्वयं की सत्ता स्थापित करना है।

प्रमुख कारण

- भूमि सुधारों की विफलता तथा भूमि का असमान वितरण होना।
- सरकारी विकास परियोजनाओं के प्रति जनजातीय क्षेत्रों में संसाधनों के दोहन के कारण स्थानीय निवासियों में रोष का होना।
- 'जल-जंगल-जमीन' इन विद्रोहों का मुख्य कारण रहा है। जिसके अंतर्गत संसाधन-समृद्ध भूमि पर अवैध अतिक्रमण तथा भूमि अधिकारों से वंचना प्रमुख है।
- सरकारी तंत्र के साथ संपर्क के अभाव में समाज के बड़े वर्ग में अलगाव और बहिष्करण की भावना का विद्यमान होना।
- नक्सलियों द्वारा राजनीतिक व प्रशासनिक तंत्र के बारे में दुष्प्रचार किया जाना।

राज्य पुलिस की प्रमुख भूमिका

- विशेषज्ञों का मानना है कि नक्सलवाद को रोकने में वही राज्य अग्रणी रहे हैं, जहाँ राज्य पुलिस बल की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।
- महाराष्ट्र में, जहाँ नक्सलवाद की गिरफ्त में कई ज़िले थे, स्थानीय पुलिस और सी-60 बलों द्वारा इसे मात्र गढ़चिरोली ज़िले तक सीमित करने में सफलता प्राप्त हुई है।
- इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल, ओडिसा तथा झारखंड जैसे राज्य, जो बुरी तरह नक्सलवाद की गिरफ्त में थे, स्थानीय पुलिस बलों की सहायता से नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने में सफलता मिली है। उदाहरणस्वरूप ओडिसा में नक्सलवाद वर्तमान में मलकानगिरी ज़िले तक ही सीमित रह गया है।
- गौरतलब है कि नक्सलियों का सामना करने के लिये केंद्रीय सुरक्षा बलों के विभिन्न प्रकार से प्रशिक्षित होने के बावजूद उनके पास स्थानीय तंत्र और आसूचना का अभाव होता है।
- उक्त राज्यों के राज्य पुलिस बलों की नक्सलियों के विरुद्ध दक्ष कार्रवाई के आधार पर विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य पुलिस को इस मामले और अधिक स्वायतता दी जानी चाहिये।
- छत्तीसगढ़ में स्थिति नियंत्रित या बेहतर न होने का मुख्य कारण यही है कि वहाँ राज्य पुलिस को अधिक स्वायत्तता प्राप्त नहीं है।

आंतरिक सुरक्षा के लिये चुनौती

- केंद्र सरकार ने वर्ष 2004 में औपचारिक रूप से नक्सली हिंसा को 'देश की सबसे बड़ी आंतरिक समस्या' के रूप में स्वीकार किया। साथ ही, समस्या के समाधान हेतु सरकार ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण करने सहित कई अन्य कदम उठाए।
- 1980 के दशक में नक्सलियों के विरुद्ध आंध्र प्रदेश की पुलिस न तो प्रशिक्षित थी न ही उसके पास पर्याप्त संसाधन थे, किंतु कई हमलों के बाद राज्य सरकार ने क्षमता निर्माण के साथ-साथ 'डिफेंड, डिस्ट्रॉय, डीफीट तथा डीनॉय' की रणनीति को अपनाया।
- इसके अलावा आसूचना एवं विकास गतिविधियों के क्रियान्वयन से इस समस्या का काफी हद तक समाधान हुआ।
- साथ ही, पश्चिम बंगाल में नक्सलवाद की समस्या के समाधान में प्रौद्योगिकी और मज़बूत आसूचना तंत्र की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।

छत्तीसगढ़ की चुनौतीपूर्ण स्थिति

- वर्ष 2000 के आसपास छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की समस्या सामने आई। यहाँ स्थिति और भी गंभीर व चुनौतीपूर्ण थी क्योंकि यहाँ के कई क्षेत्रों में उस समय तक सर्वेक्षण या संस्थागत 'मैपिंग' नहीं की गई थी।
- वर्ष 2018 से 2020 के मध्य, 45 प्रतिशत घटनाएँ केवल छत्तीसगढ़ में घटित हुईं। आंध्र प्रदेश की तुलना में इस राज्य की भौगोलिक एवं जनांकिकीय स्थिति काफी अलग है।
- छत्तीसगढ़ के आंतरिक भाग में बुनियादी सुविधाओं जैसे- विद्यालय, चिकित्सालय, सड़कें आदि का अभाव है। परिणामस्वरूप, ग्रामीणों में भी राज्य के प्रति असंतोष की भावना रहती है, इसी का फायदा उठाकर नक्सली दुष्प्रचार के माध्यम से अपने 'कैडरों' की भर्ती करते हैं।
- नक्सलवाद के विरुद्ध शुरू किया गया 'सलवा जुडूम' भी 'काउंटर-प्रोडक्टिव' हुआ। साथ ही, कमज़ोर आसूचना तंत्र के कारण 'ऑपरेशनल समस्याएँ' होती रही हैं।
- राज्य सरकार ने नक्सलवाद को रोकने के लिये 'ज़िला रिज़र्व गार्ड' का गठन किया है। इसमें आदिवासी क्षेत्रों, जैसे बस्तर आदि से युवाओं तथा आत्मसमर्पण किये नक्सलियों को शामिल किया जाता है।

नक्सलवाद के विरुद्ध सरकार की प्रतिक्रिया

- नक्सलवाद को रोकने के सरकार ने समग्र दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें सुरक्षा-संबंधी हस्तक्षेप तथा विकासात्मक उपाय शामिल हैं, जैसे–
  - बंधोपाध्याय समिति (2006) ने आदिवासियों के अनुकूल भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास प्रणाली अपनाने की सलाह दी।
  - नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक अवसंरचना से संबंधित विकास परियोजनाओं का क्रियान्वयन।
  - नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, एकलव्य विद्यालय स्थापित करने के साथ-साथ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का क्रियान्वयन।
  - सी.पी.आई. (माओवादी), जो हिंसा की अधिकांश घटनाओं के लिये ज़िम्मेदार हैं, उनसे संबंधित सभी गुटों को प्रतिबंधित किया गया है।
  - आसूचना तंत्र को सुदृढ़ करना, जैसे– 24×7 केंद्रीय स्तर 'पर मल्टी एजेंसी सेंटर' और राज्य स्तर पर 'राज्य मल्टी एजेंसी स्टोर' के माध्यम से आसूचना साझा किया जाता है।
  - 'ऑपरेशन समाधान' कार्ययोजना का संचालन। समाधान (SAMADHAN) का अर्थ है-
    - एस– कुशल नेतृत्व
    - ए– आक्रामक रणनीति
    - एम– अभिप्रेरणा एवं प्रशिक्षण
    - ए– अभियोज्य गुप्तचर व्यवस्था
    - डी– कार्ययोजना आधारित प्रदर्शन
    - एच– कारगर प्रौद्योगिकी
    - ए– प्रत्येक रणनीति की कार्ययोजना
    - एन– नक्सलियों के वित्तीय पहुँच को विफल करना
  - बेहतर अंतर-राज्य समन्वय के लिये प्रयास किये गए हैं। साथ ही, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में 250 सुरक्षित पुलिस स्टेशनों के निर्माण के लिये विशेष अवसंरचना योजना का संचालन किया जा रहा है।

आगे की राह

- केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय के लिये मौजूदा तंत्रों का समयबद्ध संचालन करना।
- नक्सलवाद से निपटने के लिये राज्य पुलिस बलों को अधिक स्वायत्तता देने के साथ-साथ केंद्रीय बलों के समकक्ष प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- संसाधनों को पुनर्वितरित करने के लिये सरकार को विकासात्मक योजनाओं को प्रभावी तौर पर क्रियान्वित करना चाहिये।
- नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय सरकारों को अधिक शक्तियाँ तथा स्वायत्तता प्रदान करना। साथ ही, समय पर निर्वाचन सुनिश्चित करना चाहिये।
- निष्कर्षत: नक्सलवाद को रोकने के लिये न सिर्फ इन घटनाओं को रोकने की आवश्यकता है बल्कि इसके साथ-साथ ऐसी हिंसक विचारधारा को काउंटर करने की आवश्यकता है। इसके लिये सरकार को विश्वास बहाली तथा आसूचना प्रणाली को और मज़बूत करने की आवश्यकता है।

12 केस स्टडी

केस:

आप एक ज़िले के जिलाधिकारी हैं। आपकी छवि सत्यनिष्ठ, कर्मठ और प्रतिबद्ध सिविल सेवक की है। आपने कई विपरीत परिस्थितियों में बेहतर प्रबंधन क्षमता का गुण प्रदर्शित किया है। आप जिस ज़िले में कार्यरत हैं वहाँ स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढांचे की स्थिति अत्यंत दयनीय है तथा नियुक्ति के कुछ दिन बाद ही आपको कुछ चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप के कारण आपके ज़िले में स्थित अस्पतालों में ऑक्सीजन गैस के सिलेंडरों की तेज़ी से माँग उठती है। सरकार द्वारा ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाए जाते हैं किंतु वे पर्याप्त नहीं है। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन गैस के सिलेंडरों के साथ-साथ कोरोना से जुड़ी आवश्यक दवाइयों की कालाबाज़ारी हो रही है। इसमें वे स्वास्थ्य से जुड़े मूलभूत सामानों को कई गुना महँगे दामों पर बेच रहे हैं। परिणामस्वरूप, जरुरतमंद लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं पहुँच पा रहीं और समय पर ऑक्सीजन व बेड की उपलब्धता न होने के कारण कई लोगों की जान चली जाती हैं। साथ ही, भ्रम की स्थिति में लोग गलत दवाइयों पर भरोसा करते हुए ऊँचे मूल्य पर खरीद रहे हैं। समाज में भय और संदेह का वातावरण है, इसके अतिरिक्त न केवल अस्पतालों के खिलाफ बल्कि पूरे राजकीय तंत्र के प्रति सामाजिक अविश्वास भी बढ़ रहा है। आपके ज़िले में इन स्वास्थ्य संबंधी अव्यवस्थाओं को देखते हुए न्यायालय भी सख्त टिप्पणी कर चुका है। वहीं दूसरी ओर ज़िले में कोरोना के लगातार बढ़ते ग्राफ के कारण सरकार का आदेश है कि बेहतर व्यवस्थाओं का प्रबंधन सुनिश्चित हो। विशेष तौर पर श्रमिकों की समस्याओं पर विशेष ध्यान देने हेतु आपको आदेश प्राप्त है।

प्रश्न:

1. **उपर्युक्त परिस्थितियों के आलोक मे आपके समक्ष कौन-कौन सी चुनौतियाँ उपस्थित हैं?**
2. **इन चुनौतियों के समाधान हेतु आपके क्या प्रयास होंगे?**

उत्तर:

1. एक ज़िलाधिकारी के रूप में मेरे समक्ष निम्न चुनौतियाँ हैं-

(i) स्वास्थ्य क्षेत्र में अव्यवस्था की स्थिति को समाप्त करना।

(ii) बढ़ती कोरोना महामारी के बीच परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करना।

(iii) ऑक्सीजन गैस के सिलेंडरों के साथ-साथ अन्य मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को दूर करना।

(iv) चिकित्सा प्रशासन में भ्रष्टाचार को समाप्त करना।

(v) लोगों में प्रशासन के पक्ष में विश्वास बहाली के लिए प्रयास करना।

(vi) कोरोना के कारण उत्पन्न समस्याओं का बेहतर प्रबंध सुनिश्चित करना।

(vii) श्रमिकों की समस्याओं का निदान करना।

2. इन समस्याओं से निपटने हेतु किये जाने वाले प्रयास निम्नलिखित है-

- प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ जीवन का अधिकार है। इसलिए सर्वप्रथम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध करवाना मेरी प्राथमिकता होगी।
- सभी पक्षों पर इस रूप में प्रयास करना होगा जिससे न सिर्फ समाज का प्रशासनिक तंत्र पर विश्वास बहाली हो बल्कि समाज ऐसे मामलों से निपटने में एक सहयोगी की भूमिका में हो।
- चिकित्सा तंत्र में चल रहे भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु किये जाने वाले प्रयास निम्नलिखित हैं-
  - पारदर्शिता को बढ़ावा: स्वास्थ्य सेवाओं में ई-प्रशासन का बेहतरीन अनुप्रयोग सुनिश्चित करना जिसमें दवाइयों के साथ-साथ जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण की सही जानकारी उपलब्ध हो।
  - जरूरी सेवाओं की कालाबाज़ारी कर रहे लोगों की पहचान कर उन पर कड़ी कार्रवाई करना और उनको दंड देना।
  - ईमानदार अधिकारियों को विश्वास में लेते हुए भविष्य में ऐसा न हो उसके लिए ज़िम्मेदार तंत्र का प्रयास।
  - अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना।
  - ऑक्सीजन गैस सिलेंडर, बेड एवं ज़रूरी दवाइयों इत्यादि की सूची नागरिक घोषणा पत्र के माध्यम से लोगों तक पहुँचाना। साथ-साथ उनके सही मूल्य की जानकारी भी उपलब्ध कराना।
  - अस्पताल द्वारा दी जा रही सेवाओं की विशिष्ट पहचान सुनिश्चित करना। उदाहरण के लिये दवाओं की पैकिंग पर अस्पताल की मुहर लगवाना।
- लोग गलत दवाइयों पर भरोसा न करें इसके लिये दवाइयों के रासायनिक संयोजन एवं संबंधित सूचनाओं द्वारा विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक करना।
- लोगों में भय और अविश्वास का वातावरण न तैयार हो इसके लिए संचार के साधनों जैसे- अखबार, रेडियो, टेलीविज़न एवं सोशल मीडिया का बेहतर अनुप्रयोग सुनिश्चित करना।

- साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं की आसान पहुँच सुनिश्चित करने हेतु ऐसे विशेष ऐप का निर्माण करवाया जा सकता है जिसमें ऑक्सीजन, बेड, एम्बुलेंस और जरूरी चिकित्सक इत्यादि के मोबाईल नंबर की उपलब्धता हो।
- सेवाओं के बेहतर प्रबंधन हेतु समाज को विश्वास में लेते हुए अनेक निर्णयों तक पहुँचना। आजीविका संबंधी मुद्दों पर समाज के श्रमिक वर्गों का भी विशेष ध्यान रखना। ऐसे निर्णय लेने से बचना जिससे श्रमिक वर्गों की आजीविका को नुकसान हो। साथ-साथ उनके स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को भी सुनिश्चित करना।
- कोरोना के बढ़ते ग्राफ को रोकने के लिए समाज में टीकाकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर बल देना।
- सभ्य समाज इस संदर्भ में सोशल मीडिया व अन्य जरूरी माध्यमों से जागरूकता व मदद पहुँचाने का कार्य कर सकता है। इस तरह समाज जरूरतमंद लोगों तक सहायता की एक कड़ी तैयार कर सकता है। फलस्वरूप, लोगों तक आसानी से स्वास्थ्य सुविधाएँ पहुँचाई जा सकती हैं।

संस्कृति IAS
The Complete Administrative Culture

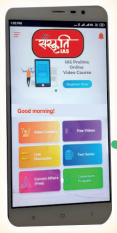

अखिल मूर्ति के निर्देशन में

ऑनलाइन
वीडियो कोर्स एवं पेनड्राइव कोर्स

वैकल्पिक विषय
इतिहास
द्वारा - अखिल मूर्ति

इतिहास में एडमिशन लेने पर आपको प्राप्त होंगे

1. इतिहास विषय के सभी खंडों की वीडियो कक्षाएँ जो संस्कृति IAS के एप एवं पेनड्राइव कोर्स में उपलब्ध हैं।
2. सिविल सेवा परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के विश्लेषण सहित वीडियो कक्षाएँ
3. परिचय पुस्तिका
4. इतिहास विषय के प्रश्नपत्र 1 तथा 2 के सभी खंडों की संपूर्ण पाठ्य सामग्री
5. इतिहास विषय में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह
6. प्रथम प्रश्नपत्र से संबंधित मानचित्र पाठ्य सामग्री

वैकल्पिक विषय
भूगोल
द्वारा - कुमार गौरव

भूगोल में एडमिशन लेने पर आपको प्राप्त होंगे

1. भूगोल विषय के सभी खंडों की वीडियो कक्षाएँ जो संस्कृति IAS के एप एवं पेनड्राइव कोर्स में उपलब्ध हैं।
2. सिविल सेवा परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के विश्लेषण सहित वीडियो कक्षाएँ
3. परिचय पुस्तिका
4. भूगोल विषय के प्रश्नपत्र 1 तथा 2 के सभी खंडों की संपूर्ण पाठ्य सामग्री
5. भूगोल विषय में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह
6. द्वितीय प्रश्नपत्र से संबंधित मानचित्र पाठ्य सामग्री

नोट : उपर्युक्त पाठ्य सामग्री कोरियर द्वारा आपके पते पर भेजी जाएगी।

13 विविध

खेल घटनाक्रम

- अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में संपन्न T20 क्रिकेट शृंखला में भारत ने इंग्लैंड को 3-2 से पराजित किया।
  - भारतीय टीम के कप्तान– विराट कोहली
  - इंग्लैंड टीम के कप्तान– इआन मॉर्गन
  - मैन ऑफ द सीरीज– विराट कोहली
- महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, पुणे में संपन्न एक-दिवसीय शृंखला में भारत ने इंग्लैंड को 2-1 से पराजित किया।
  - भारतीय टीम के कप्तान– विराट कोहली
  - इंग्लैंड टीम के कप्तान– जोस बटलर
  - प्लेयर ऑफ द सीरीज– जॉनी बैरिस्टो
- लखनऊ स्थित भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को महिला एकदिवसीय क्रिकेट शृंखला में 4-1 से पराजित किया।
  - भारतीय कप्तान– मिताली राज
  - दक्षिण अफ्रीकी कप्तान– सूने लूस (Sune Luus)
  - प्लेयर ऑफ द सीरीज– लिज़ेले ली (Lizelle Lee)
- इकाना स्टेडियम में ही दक्षिण अफ्रीका ने भारत को महिला T20 क्रिकेट शृंखला में 2-1 से हराया।
  भारतीय कप्तान– हरमनप्रीत कौर
  दक्षिण अफ्रीकी कप्तान– सूने लूस
  प्लेयर ऑफ द सीरीज– शेफाली वर्मा
- शेख जायद स्टेडियम, अबू धाबी में संपन्न T10 लीग को नॉर्दन वारियर्स ने दिल्ली बुल्स को हराकर जीता। इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज निकोलस पूरन को चुना गया।
- आई.पी.एल.-2022 (15वें) में दो नई टीमें जोड़ी जाएँगी और इस प्रकार टीमों की संख्या बढ़कर 10 हो जाएगी।
- आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2021 में भारत में किया जाएगा।
- विजडन अल्मैक (Almanack) के 2010 दशक का एकदिवसीय खिलाड़ी विराट कोहली को चुना गया है, जबकि इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को लगातार दूसरे वर्ष **'क्रिकेटर ऑफ द ईयर'** घोषित किया गया।
- ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम ने लगातार 22 मैच जीतकर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम (पुरुष) के ही लगातार सर्वाधिक एकदिवसीय मैच जीतने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने यह जीत न्यूज़ीलैंड के खिलाफ दर्ज कर रिकॉर्ड अपने नाम किया है।
- 'खेलो इंडिया योजना' का विस्तार वर्ष 2025-26 तक कर दिया गया है।
- 19वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा ओवरऑल चैंपियन रहा है।
- वर्ष 1958 में गठित 'इंडियन स्टाइल रेसलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया' (ISWAI) को आधिकारिक तौर पर खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल महासंघ (NSF) के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है। इससे अब वह सरकार से वित्त और समर्थन प्राप्त कर सकता है। भारतीय शैली की यह कुश्ती मैट (mat) पर खेली जाने वाली पेशेवर कुश्ती के विपरीत मिट्टी (mud) पर खेला जाने वाला एक स्वदेशी खेल है।
- डॉ. करणी सिंह रेंज, तुगलकाबाद में संपन्न शूटिंग विश्व कप में भारत पदक तालिका में प्रथम और अमेरिका द्वितीय स्थान पर रहा।
- झारखंड के सिमडेगा में अप्रैल में होने वाली 11वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता को COVID-19 के कारण अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है।
- भारत के पूर्व हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को अमेरिकी पुरुष टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है।
- 'जालंधर' को भारत में हॉकी खिलाड़ियों की नर्सरी भी कहा जाता है।
- अर्जुन कल्याण देश के 68वें ग्रैंडमास्टर बन गए हैं। सविता श्री अंतर्राष्ट्रीय महिला मास्टर बन गई है।
- ऑल इंग्लैंड ओपन खिताब के विजेता
  - **पुरुष वर्ग–** ली जी जिया (मलेशिया)
  - **महिला वर्ग–** नोजोमी ओकुहारा (जापान)
- कोविड-19 के चलते टोक्यो ओलंपिक में विदेशी दर्शकों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है।
- उत्तर कोरिया ने इस वर्ष जापान मे होने वाले 32वें ओलंपिक खेलों से बाहर होने का निर्णय लिया है।

- वर्ष 2022 में 'टूर डी फ्रांस' साइकिलिंग प्रतियोगिता की शुरुआत कोपनहेगन से एवं वर्ष 2023 में बिलबाओ से होगी।
- मर्सिडीज़ के लुईस हैमिल्टन ने इस सीजन के पहले बहरीन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया।
- फीफा ने पाकिस्तान और चाड के राष्ट्रीय फुटबॉल संघों को निलंबित कर दिया है।

महत्त्वपूर्ण पुस्तकें

अंडरकवर : माई जर्नी इंटू दि डार्कनेस ऑफ हिंदुत्व *–आशीष खेतान*

दि एक्सक्यूसन ऑफ भगत सिंह *–सतविंदर सिंह जुस्स*

हाउ इंडिया वोट्स एण्ड व्हाट इट मीन्स *–प्रदीप गुप्ता*

व्हेयर होप कम्स फ्रॉम *–निकिता गिल*

इंडियंस : ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अ सिविलाइजेशन *–नमिता अरोरा*

रॉयल्स एण्ड रीबल्स : दि राइज एण्ड फाल ऑफ दि सिख एम्पायर *–प्रिया अटवाल*

बृजश्याम कहे : बिरजू महाराज का काव्य संग्रह

ए स्काई फुल ऑफ बकेट लिस्ट्स *–शोभना कुमार*

सेकंड वर्ल्ड वॉर सैंडविच *–डिगोनता बोरदोलोई*

ए साइलेंट प्लेस *–विनोद कुमार शुक्ल (सत्ती खन्ना द्वारा अनुदित)*

ऑल ड्रामा, नो क्वीन *–अंदलीब वाजिद*

अंडर ए व्हाइट स्काई *–एलिजाबेथ कॉलबर्ट*

दि ग्रेट अनरेवलिंग : इंडिया आफ्टर 2014 *–संजय झा*

हॉस्टिलिटी : ए डिप्लमैट्स डायरी ऑन पाकिस्तान-इंडिया रिलेशन्स *–अब्दुल बासित*

फाइंडिंग दि रागा : एन इंप्रोवाइजेशन ऑन इंडियन म्यूजिक *–अमित चौधरी*

जे.आर.डी. टाटा एण्ड दि एथिक्स ऑफ फिलैन्थ्रपी *–सुंदर सरुककाई*

जलियाँवाला बाग *–वी.एन. दत्ता*

इंडिया'स पॉवर एलीट : क्लास, कास्ट एण्ड ए कल्चर रिवोल्यूशन *–संजय बारू*

इंडिया एण्ड एशियन जियोपॉलिटिक्स *–शिवशंकर मेनन*

दि टाइम ऑफ दि पीकॉक *–सिद्धार्थ चौधरी*

ऑफ वुमन एण्ड सॉल्ट *–गेब्रिला गर्शिया*

दि कोड ब्रेकर *–वाल्टर इसाकसन*

मेकर्स ऑफ मॉडर्न दलित हिस्ट्री

–सुदर्शन रामाबद्रण, गुरु प्रकाश पासवान

हिंद स्वराज (वर्ष 1909) एकमात्र पुस्तक है, जिसे गांधीजी ने गुजराती में लिखा था और उसका अनुवाद किया था।

प्रमुख आयोजन

- वर्ल्ड समिट ऑन द इनफॉर्मेशन सोसाइटी (World Summit on the Information Society - WSIS) 2021 आई.सी.टी. के लिये विश्व समुदाय का सबसे बड़ा वार्षिक कार्यक्रम है जिसका आयोजन सामूहिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय टेलीकम्युनिकेशन यूनियन आईटीयू, यूनेस्को, यू.एन.डी.पी. और यूएनसीटीएडी द्वारा किया गया।
- पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 5 अप्रैल, 1919 को मुंबई से लंदन तक यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय फ्लैग मर्चेंट पोत (एम/एस सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के स्वामित्व वाली) 'एस. एस. लॉयल्टी' की पहली यात्रा की याद में 58वाँ राष्ट्रीय समुद्री दिवस आयोजित किया।
- संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने सितंबर 2021 में आयोजित होने वाले प्रथम संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन का आह्वान किया है ताकि विश्व में कृषि-खाद्य प्रणालियों में सकारात्मक बदलाव की रूपरेखा बनाने के लिये वर्ष 2030 के सतत विकास के लक्ष्य के दृष्टिकोण का एहसास हो सके।
- 'अनलॉकिंग इन्फनिट पॉसिबिलिटीज फॉर इंडिया' थीम पर आधारित 'अमेजन संभव ऑनलाइन सम्मेलन' का आयोजन किया गया, जो मूलत: पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से संबंधित है।
- भारतीय डाक विभाग देश के सभी राज्यों में युवाओं के लिये यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू) 2021 अंतर्राष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है, जिसका विषय है–'कोविड-19 के बारे में आपके अपने अनुभव'।
- भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के द्विपक्षीय अभ्यास 'वरुण-2021' का 19वाँ संस्करण 25 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल, 2021 तक अरब सागर में आयोजित किया गया।
- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत 'द एनर्जी फोरम' और 'फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री' ने अप्रैल 2021

में हाइड्रोजन गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। इसका विषय- 'हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था भारतीय संवाद-2021' है।

- 14 अप्रैल को भारतीय विश्वविद्यालय संघ (AIU) की 95वीं बैठक और कुलपतियों की राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया और बाबा साहेब आंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय में 'बाबा साहेब समरसता चेयर' की स्थापना की घोषणा भी हुई।
- बांग्लादेश के 'राष्ट्रपिता' शेख मुजीबुर्रहमान की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य और उसकी आज़ादी के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बांग्लादेश द्वारा अप्रैल में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास 'शांतिर ओग्रोशेना 2021' (शांति का फ्रंट रनर) आयोजित किया गया। इसमें बांग्लादेश, भारत, भूटान और श्रीलंका की सेनाओं ने भाग लिया। इस अभ्यास का विषय 'मज़बूत पीसकीपिंग ऑपरेशंस' है।
- भारत निर्वाचन आयोग ने अप्रैल में दो-दिवसीय इंटरनेशनल वर्चुअल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2021 का आयोजन किया। इसमें 26 देशों तथा 3 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
- 5-7 अप्रैल 2021 तक फ्रांस की नौसेना के नेतृत्व में पूर्वी हिंद महासागर में आयोजित 'ला पेरॉस अभ्यास' में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ भारत ने हिस्सा लिया।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जेंडर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम साझे तौर पर 'दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' और 'महिलाओं व लड़कियों को अर्थव्यवस्था में सशक्त बनाने के लिये आवश्यक कदम' के तहत की जा रही कोशिशों का हिस्सा है।
- विश्व धरोहर विरासत दिवस 2021 के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय ने 'इंडियाज हेरिटेज: पॉवरिंग टूरिज्म' पर एक वेबिनार का आयोजन किया।
- विनोबा सेवा प्रतिष्ठान ने आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में मार्च 2021 में भुवनेश्वर में तीन दिवसीय 'आयुर्वेद पर्व' का आयोजन किया।
- भारत-अमेरिका संयुक्त स्पेशल फोर्सेज के युद्धाभ्यास 'वज्रप्रहार' का 11वाँ संस्करण मार्च 2021 में हिमाचल प्रदेश के बकलोह में स्थित स्पेशल फोर्सेज प्रशिक्षण स्कूल में आयोजित किया गया।

महत्त्वपूर्ण दिवस

क्र.सं.	दिवस	दिनांक	थीम/विषय
1.	अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस	08 मार्च	नेतृत्व में महिलाएँ: कोविड-19 के समय में एक समान भविष्य प्राप्त करना
2.	विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस	15 मार्च	प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना
3.	राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस	16 मार्च	----------
4.	अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस	20 मार्च	हमेशा के लिये, हरेक के लिये खुशहाली
5.	विश्व गौरैया दिवस	20 मार्च	आई लव स्पैरोस
6.	विश्व वानिकी दिवस	21 मार्च	वन बहाली: आरोग्य और कल्याण का मार्ग
7.	अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस	21 मार्च	नस्लवाद के विरुद्ध युवाओं का खड़ा होना
8.	विश्व जल दिवस	22 मार्च	जल का महत्त्व/वेल्यूइंग वाटर
9.	विश्व मौसम विज्ञान दिवस	23 मार्च	महासागर, हमारा जलवायु और मौसम
10.	विश्व टी.बी. दिवस	24 मार्च	घड़ी चल रही है (The Clock is Ticking)
11.	विश्व रंगमंच दिवस	27 मार्च	---
12.	राष्ट्रीय समुद्री दिवस	05 अप्रैल	कोविड-19 से परे सतत शिपिंग
13	विश्व स्वास्थ्य दिवस	07 अप्रैल	सभी के लिए एक न्यायपूर्ण, स्वस्थ दुनिया का निर्माण
14.	विश्व हीमोफीलिया दिवस	17 अप्रैल	परिवर्तन के लिए अनुकूल: एक नई दुनिया में देखभाल करना
15.	विश्व विरासत दिवस	18 अप्रैल	जटिलतापूर्ण अतीत: विविधतापूर्ण भविष्य
16.	विश्व पृथ्वी दिवस	22 अप्रैल	रिस्टोर ऑवर अर्थ
17.	राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस	24 अप्रैल	---
18.	विश्व मलेरिया दिवस	25 अप्रैल	जीरो मलेरिया- ड्रॉ दि लाइन अगेन्स्ट मलेरिया
19.	विश्व बौद्धिक संपदा दिवस	26 अप्रैल	बौद्धिक संपदा छोटे व्यवसाव: अपने विचारों को बाजार तक ले जाना
20.	आयुष्मान भारत दिवस	30 अप्रैल	---

प्रमुख पुरस्कार

- आई.आई.टी. मुंबई की प्रोफेसर डॉ. शोभना कपूर को आणविक स्तर पर संक्रामक रोगों में लिपिड्स की भूमिकाओं के अध्ययन के लिये विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (SERB) ने महिला उत्कृष्टता अवार्ड से सम्मानित किया।
- आई.आई.टी. खड़गपुर ने कोरनेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज 6.0 जीता है। वर्ष 2015 में इसकी शुरुआत के बाद यह पहला अवसर है जब भारतीय टीम कोरनेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज में विजेता बनी है। कोरनेट ग्लोबल एक गैर-लाभकारी संगठन है जिसका मुख्यालय अटलांटा, जॉर्जिया (अमेरिका) में है।
- राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, 2021 में विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार के लिये पंचायतों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चयनित किया गया है, जिसमें दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार (224 पंचायतों को), नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार (30 ग्राम पंचायतों को), ग्राम पंचायत विकास योजना सम्मान (29 ग्राम पंचायतों को), बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार (30 ग्राम पंचायतों को) और ई-पंचायत पुरस्कार (12 राज्यों को) प्रदान किये गए।
- केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने महिला सशक्तीकरण पर ए.आई.सी.टी.ई. लीलावती पुरस्कार 2020 प्रदान किये। यह पुरस्कार 6 उप-विषयों: महिला स्वास्थ्य, आत्मरक्षा, स्वच्छता, साक्षरता, महिला उद्यमिता और कानूनी जागरूकता के क्षेत्र में प्रदान किये गए।
- पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के वरिष्ठ सलाहकार प्रोफेसर (डॉ.) जे. एस. गुलेरिया और इंटरनल मेडिसिन के वरिष्ठ सलाहकार डॉ. जी. पी. सेठ को 'सबसे प्रतिष्ठित वरिष्ठ नागरिक' पुरस्कार दिया गया।
- 'दादा साहेब इंटरनेशनल अवॉर्ड 2021' के परिणाम इस प्रकार हैं–

  सर्वश्रेष्ठ फिल्म

  –तानाजी : अनसंग वॉरियर

  सर्वश्रेष्ठ निर्देशक

  –फिल्म लूडो के लिये अनुराग बसु को

  सर्वश्रेष्ठ अभिनेता

  –फिल्म लक्ष्मी के लिये अक्षय कुमार को

  सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री

  –फिल्म छपाक के लिये दीपिका पादुकोण को

  सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज **–स्कैम 1992**

  सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (वेब सीरीज)

  –बॉबी देओल (आश्रम)

  सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री (वेब सीरीज)

  –सुष्मिता सेन (आर्या)

  सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म

  –पैरासाइट
- 93वें एकेडमी अवॉर्ड (ऑस्कर पुरस्कार) 2021 के परिणाम इस प्रकार हैं–

  सर्वश्रेष्ठ फिल्म **–नोमैडलैंड**

  सर्वश्रेष्ठ निर्देशक

  –नोमैडलैंड के लिये क्लो झाओ

  सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री

  –नोमैडलैंड के लिये फ्रांसेस मैकडोरमंड को

  सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (Actor in a Leading Role)

  –दि फादर के लिये एंथनी हॉपकिंस को
- 74वें बाफ्टा (ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स), 2021 के परिणाम इस प्रकार हैं–

  सर्वश्रेष्ठ फिल्म

  –नोमैडलैंड

  सर्वश्रेष्ठ निर्देशक

  –नोमैडलैंड के लिये क्लो झाओ को

  सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री

  –नोमैडलैंड के लिये फ्रांसेस मैकडोरमंड को

  सर्वश्रेष्ठ अभिनेता

  –दि फादर के लिये एंथनी हॉपकिंस को
- रजनीकांत को वर्ष 2019 के लिये 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

मानचित्र अध्ययन

मानचित्र-1 (भारत)

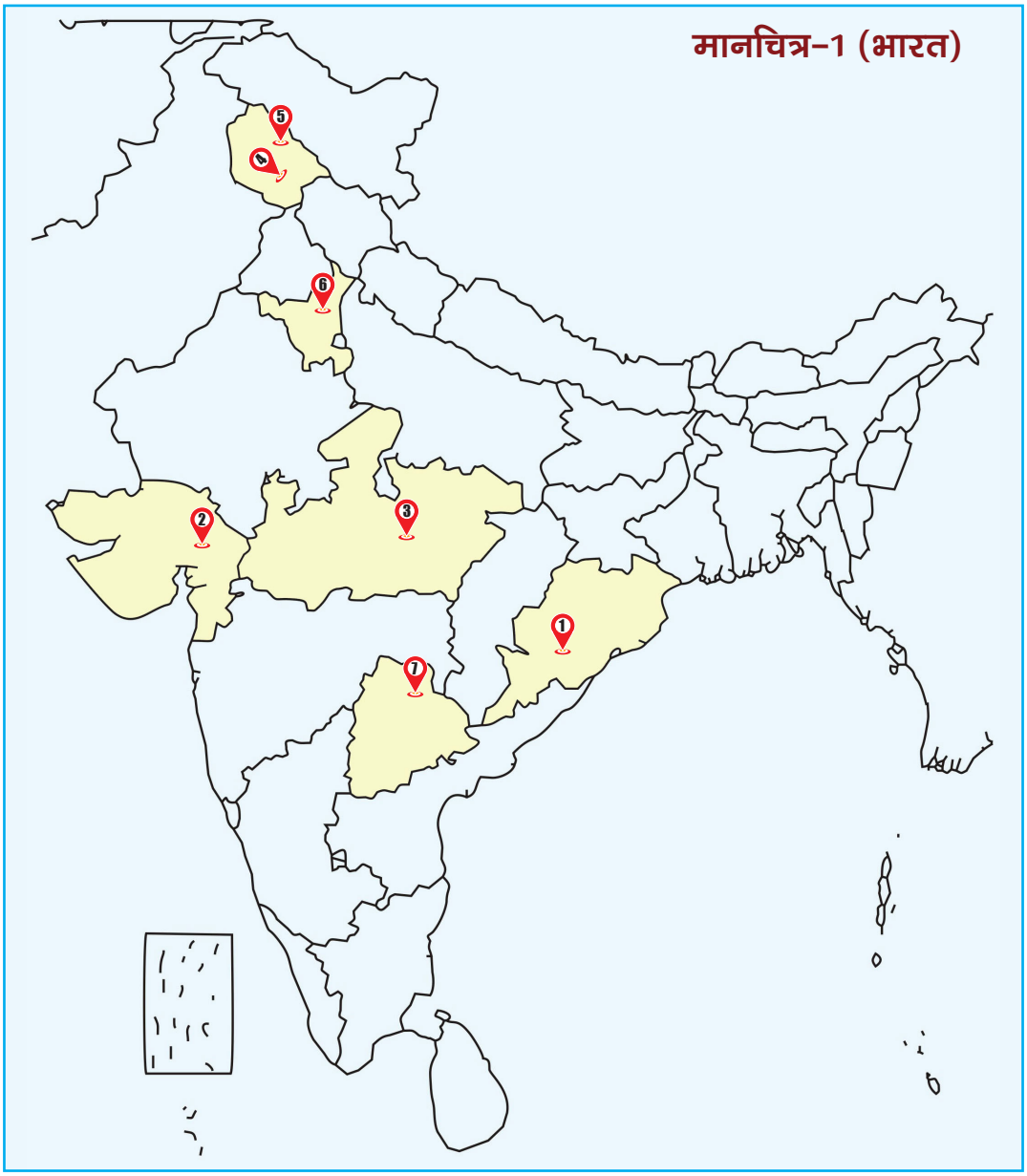

1. ओडिशा द्वारा प्रस्तावित राज्य का दूसरा बायोस्फियर रिज़र्व
2. भारत का पहला डायानासोर संग्रहालय
3. संगमरमर चट्टानों के लिये प्रसिद्ध स्थल
4. दुनिया का सबसे ऊँचा पुल, जो ऊधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना (यू.एस.बी.आर.एल.) का भाग
5. ज़बरवान पर्वत
6. संस्कृति और पर्यटन मंत्री द्वारा विकसित किये जा रहे पाँच आइकॉनिक पुरातात्विक स्थलों में से एक
7. भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा

(इस मानचित्र के उत्तर पृष्ठ संख्या 124 पर देखें)

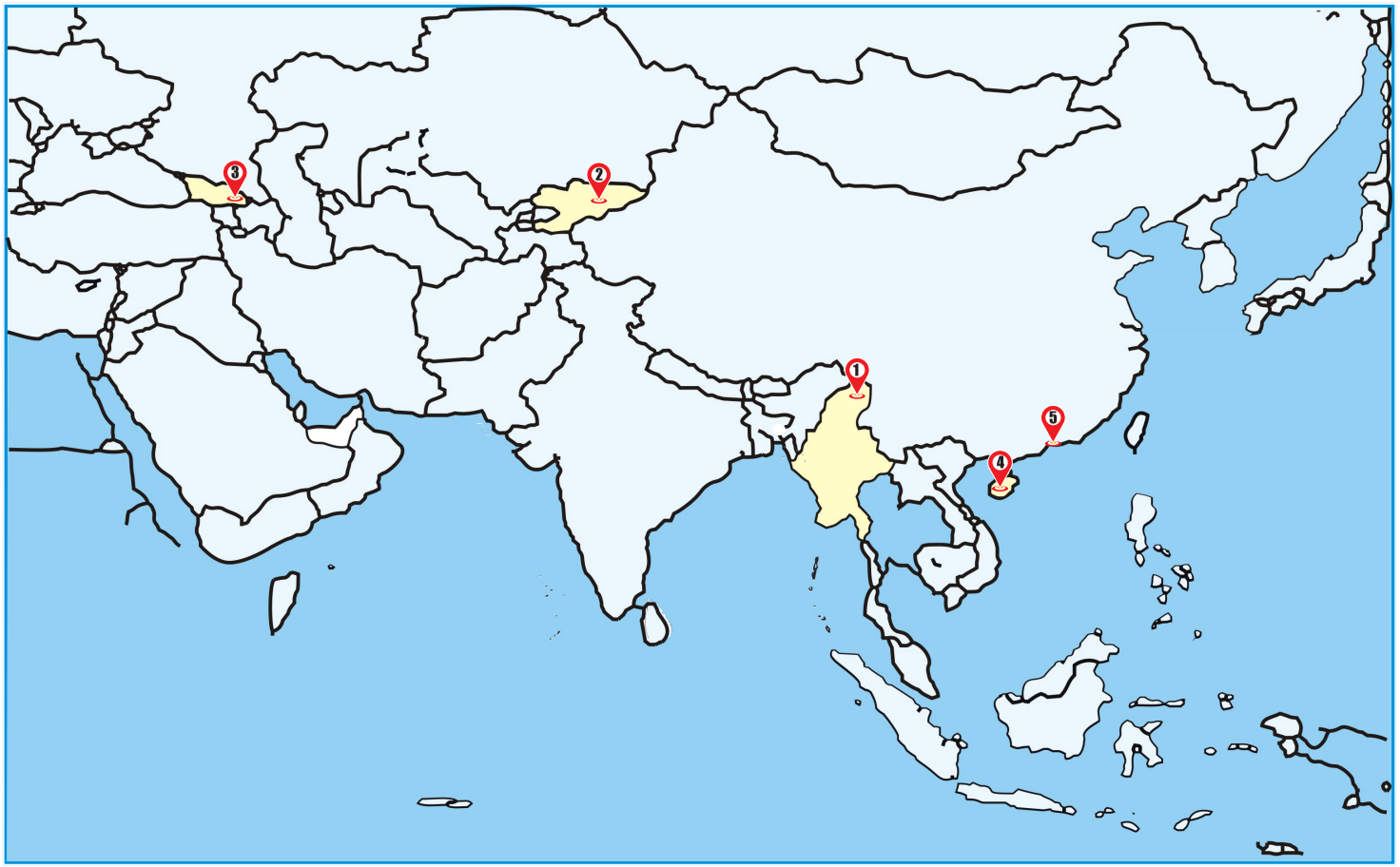

मानचित्र–2 (विश्व)

1. भारत तथा चीन से सटा म्याँमार का वह राज्य जहाँ सेना और विद्रोहियों के बीच संघर्ष जारी है।
2. वह स्थान जहां 'खंजर' नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया।
3. वह राजधानी जिसे वर्ष 2021 के लिये 'वर्ल्ड बुक कैपिटल' के तौर पर चुना गया है।
4. वह स्थान जहाँ 'बोआओ फोरम फॉर एशिया' का आयोजन किया गया।
5. वह प्रायद्वीप जहाँ पर हांगकांग ने चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यालय को अपना स्थाई बेस बनाने की अनुमति देने को तैयार हुआ।

(इस मानचित्र के उत्तर पृष्ठ संख्या 124 पर देखें)

योजना

हर घर और हर व्यक्ति को जल

संदर्भ

- बार-बार पड़ने वाले सूखे, मरुस्थलीकरण में हो रही वृद्धि एवं जल की उपलब्धता में कमी के कारण आज पूरे विश्व में जल की समस्या देखी जा रही है। मानवीय विकास के लिये स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है।
- संधारणीय विकास के लिये संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाए गए सतत् विकास लक्ष्य-6 में भी जल और स्वच्छता तक सबकी पहुँच सुनिश्चित करने की बात कही गई है।

स्वच्छ पेयजल की पूर्ति हेतु जल कनेक्शन

- स्वच्छ पेयजल के महत्त्व को देखते हुए प्रधानमंत्री द्वारा अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाइप लाइनों से घरों तक जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने की घोषणा की गई थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को जल कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- जल जीवन मिशन में आवश्यक घटकों के रूप में जल स्रोतों में जल की आवश्यक मात्रा बनाए रखने के उपायों, जैसे- भूमिगत जल स्रोतों का पुर्नभरण, दूषित जल को स्वच्छ करके पुनः प्रयोग करने, जल संरक्षण को जनांदोलन बनाकर इसे हर व्यक्ति की प्राथमिकता बनाने पर आधारित है।
- पिछले 70 वर्षों में देश में 3.23 करोड़ परिवारों को जल कनेक्शन प्रदान किये गए, जबकि जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रारंभ के एक वर्ष में ही 3.73 करोड़ से अधिक परिवारों को नलों से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया गया है। पिछले वर्ष देश के 81,154 गाँव, 41,835 पंचायतों, 669 ब्लॉकों, 52 ज़िलों एवं दो राज्यों में शत-प्रतिशत परिवारों को पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई है।
- वर्ष 2021 में प्रगति करते हुए अन्य ज़िलों और राज्यों में कई परिवारों को पाइप लाइन से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस मिशन की सफलता से उत्साहित पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के लिये बजट आवंटन 2020-21 के 21,518 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2021-22 में 60,030 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

जल शक्ति अभियान के प्रमुख क्षेत्र

1. जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचय
2. पारंपरिक और अन्य जल स्रोतों का जीर्णोद्धार
3. रिचार्ज एवं रि-यूज ढाँचा
4. जलसंभर विकास
5. सघन वनीकरण

अटल भूजल योजना

- जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग देश में जल सुरक्षा बनाए रखने के लिये महत्त्वपूर्ण नीतियों पर विचार कर रहा है। 6000 करोड़ रुपए लागत की अटल भूजल योजना का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी को बल प्रदान करते हुए भूजल के सतत् प्रबंधन में सहायता करना तथा सात राज्यों कें 78 ज़िलों की 8353 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत जल की कमी वाले इलाकों के रूप में चिह्नित क्षेत्रों में भूजल के सतत् प्रबंधन के लिये जल के माँग पक्ष को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करना है।
- अटल भूजल योजना उस महत्त्वपूर्ण समय पर लाई गई है जब हमारे लगभग 22 प्रतिशत भूतल संसाधन या तो नाजुक या अत्यधिक दोहन वाली श्रेणी में आ चुके हैं। इसके अंतर्गत 6881 इकाइयों के लिये किये गए मूल्यांकन में 1499 इकाइयाँ तो नाजुक या अत्यधिक दोहन वाली श्रेणी में आ गए हैं। भूजल का दोहन इसके पुर्नभरण से अधिक होने के कारण माँग पक्ष का प्रबंधन आवश्यक हो गया था। अटल भूजल योजना इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये बनाई गई।
- कृषि क्षेत्र हमारे देश में जल का उपयोग करने वाला एक प्रमुख क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जल के किफायती उपयोग करने की प्रणाली

को अपनाकर यदि 10 प्रतिशत जल की बचत की जा सके तो अगले 50 वर्षों तक सभी को जल उपलब्ध कराया जा सकेगा। इस दिशा में सूक्ष्म सिंचाई के संदर्भ में केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना का उद्देश्य ड्रिप एवं स्प्रिंगकलर विधियों से कृषि क्षेत्र मे जल के उपयोग में दक्षता को बढ़ाना तथा किसानों को पानी की बचत एवं संरक्षण करने वाली तकनीक के प्रयोग हेतु प्रेरित करना है।

- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, हर खेत को पानी, हर बूँद से अधिक फसल एवं जलसंभर विकास की चार सूत्री परिकल्पना पर आधारित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 50,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य देश की कुल सूक्ष्म सिंचाई क्षमता से लाभ उठाते हुए इस क्षेत्र में क्षमता की कमी को दूर करना है।
- वर्तमान में देश की सूक्ष्म सिंचाई क्षमता 6.95 करोड़ हेक्टेयर है। वर्ष 2014 तक इस क्षमता का मात्र 10 प्रतिशत ही प्रयोग किया जा रहा था। वर्ष 2022 तक 100 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत लाने से किसानों की आमदनी में 10,000 से 25,000 रुपए प्रति एकड़ की वृद्धि होने की संभावना है।

स्वच्छ भारत अभियान 2.0

- स्वच्छ भारत अभियान के बाद स्वच्छ भारत अभियान 2.0 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सर्वेक्षण के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन के प्रयासों से वर्ष 2014 से लेकर अक्तूबर 2019 के मध्य डायरिया एवं प्रोटीन व ऊर्जा की कमी से होने वाले कुपोषण से लगभग 3,00,000 संभावित मृत्यु को टाला जा सका है।
- स्वच्छ भारत मिशन के जल, भूमि एवं खाद्य पदार्थों पर पर्यावरण संबंधी प्रभाव के बारे में यूनिसेफ के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि मल जल प्रदूषण की दृष्टि से खुले में शौच से मुक्त नहीं हो पाए गाँवों के भूजल के संक्रमित होने की आशंका औसतन 11.25 प्रतिशत अधिक है।
- देश में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत में स्वच्छता का दायरा 39.7 प्रतिशत था, जो 2 अक्तूबर, 2019 में बढ़कर शत प्रतिशत हो गया है। हालाँकि, इसके बावजूद भी सबको स्वच्छता सुविधा के दायरे में लाना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।
- स्वच्छ भारत मिशन का द्वितीय चरण कचरा प्रबंधन की चुनौती से निपटने पर केंद्रित है। इसमें ग्रामीण भारत में अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जल मल प्रबंधन एवं अपशिष्ट जल का उपचार करना, अवशिष्ट पदार्थों को घर में ही छाँटकर अलग करना तथा सिंगल यूज़ प्लास्टिक की मात्रा में कमी लाना शामिल हैं।

निष्कर्ष

भारत दुनिया का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। यहाँ सभी के लिये स्वच्छ जल उपलब्ध कराना एक प्रमुख चुनौती है। सरकार के द्वारा इस दिशा में कई सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। इनसे देश का जल के मामले में लचीलापन बढ़ेगा तथा करोड़ों लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध हो पाएगा। इसके लिये आवश्यक होगा कि सरकार की योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर भी लागू किये जाने के प्रयास किये जाएँ।

जल सुरक्षा

संदर्भ

भारत की अधिक जनसख्या एवं जल की बढ़ती माँग के कारण वर्तमान में भारत को जल क्षेत्र से संबंधित विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 2050 तक देश की आबादी के बढ़कर 160 करोड़ होने का अनुमान है। इससे जल की समस्या और विकराल रूप धारण कर सकती है। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन एवं बढ़ते प्रदूषण के कारण विश्व भर में जल चक्र में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन होने की संभावना है।

भारत में जल संसाधनों से संबंधित चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ

- भारत की जनसंख्या विश्व की कुल आबादी की 16 प्रतिशत है, परंतु यहाँ उपस्थित जल संसाधन विश्व के कुल जल संसाधन का मात्र 4 प्रतिशत है। यहाँ वर्षा से उपलब्ध वार्षिक जल लगभग 4000 घन किमी. है, जबकि सतही एवं पुनर्भर्णीय उपयोग योग्य भूजल 1869 घन किमी. है। लेकिन इसका मात्र 60 प्रतिशत ही उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार, भारत में उपयोग योग्य जल संसाधन केवल 1122 घन किमी. है।
- जल शक्ति मंत्रालय एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ मिलकर नीति आयोग द्वारा जारी की गई जल रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद समेत 21 बड़े नगर वर्ष 2020 तक शून्य भूजल स्तर तक पहुँचने की कगार पर थे। इससे 100 मिलियन से अधिक लोगों के प्रभावित होने के आसार हैं।
- इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वर्ष 2030 तक देश में जल की माँग उसकी आपूर्ति से दोगुनी हो सकती है। इससे करोड़ों लोगों के सामने जल संकट उत्पन्न हो सकता है या भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 6 प्रतिशत की हानि हो सकती है।
- वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2014 से ही जल प्रबंधन के लिये सक्रिय प्रयास किये जा रहे हैं। इस क्रम में देश ने 'सतत् विकास लक्ष्य-6 स्वच्छ जल एवं स्वच्छता' में काफी प्रगति की है। इसके लिये वर्ष 2014 में प्रारंभ किये गए स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण करके पाँच वर्ष में खुले में शौच से मुक्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने के

दिशा में काफी प्रगति की गई। इस अभियान के लिये वर्ष 2019 में बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री को ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार प्रदान किया गया।

- राष्ट्रीय नदी गंगा को प्रदूषित होने से बचाने एवं इनके संरक्षण के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये जून 2014 में 20,000 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ 'नमामि गंगे फ्लैगशिप' प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत व्यापक नियोजन तथा प्रबंधन के लिये अंतर-क्षेत्रीय समन्वय को बढ़ावा देने के लिये नदी घाटी मार्ग को अपना जा रहा है। साथ ही, जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये गंगा नदी में न्यूनतम पारिस्थितिक प्रभाव बनाए रखा जा रहा है।
- जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण एवं पेयजल तथा स्वच्छता मंत्रालय का विलय करके, वर्ष 2019 में जल शक्ति मंत्रालय बनाकर जल सुरक्षा और प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करने के प्रयासों को दोगुना किया गया है। जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2019 में जल संरक्षण और जल सुरक्षा के लिये जल शक्ति अभियान प्रारंभ किया गया।
- **इसके अंतर्गत पाँच महत्त्वपूर्ण गतिविधियों–** जल संरक्षण तथा वर्षा जल संचयन, पारंपरिक तथा अन्य जल निकायों/टैंकों का नवीनीकरण, जल का पुनर्प्रयोग, संरचनाओं का पुनर्भरण, जल संभर विकास और सघन वन क्षेत्रों को सुनिश्चित करने के लिये भारत के 256 ज़िलों में जल की कमी वाले 1592 ब्लॉकों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

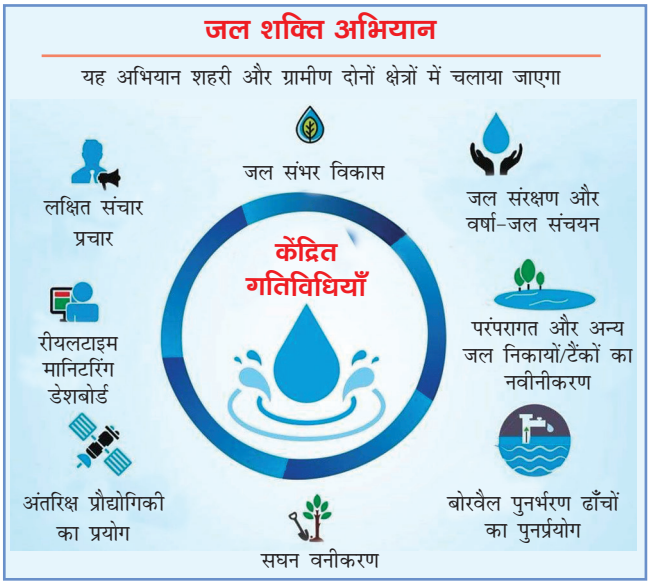
जल शक्ति अभियान
यह अभियान शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में चलाया जाएगा
केंद्रित गतिविधियाँ
जल संभर विकास
जल संरक्षण और वर्षा-जल संचयन
परंपरागत और अन्य जल निकायों/टैंकों का नवीनीकरण
बोरवैल पुनर्भरण ढाँचों का पुनर्प्रयोग
सघन वनीकरण
अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रयोग
रीयलटाइम मानिटरिंग डेशबोर्ड
लक्षित संचार प्रचार

- भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त, 2019 को जल जीवन मिशन को प्रारंभ किया गया। इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति 55 लीटर जल उपलब्ध कराने के लिये जल कनेक्शन प्रदान करना है। वर्ष 2019-20 के दौरान, लगभग 7 मशीनों में 84 लाख से अधिक घरों में जल कनेक्शन प्रदान किये गए हैं। इस योजना के अंतर्गत फरवरी 2002 तक लगभग 36-48 प्रतिशत ग्रामीण घरों में जल कनेक्शन प्रदान किये गए।

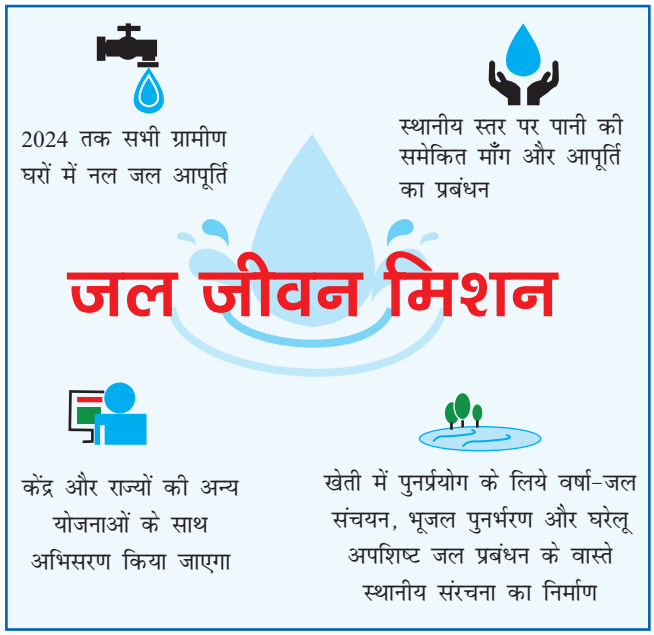
2024 तक सभी ग्रामीण घरों में नल जल आपूर्ति
स्थानीय स्तर पर पानी की समेकित माँग और आपूर्ति का प्रबंधन
जल जीवन मिशन
केंद्र और राज्यों की अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण किया जाएगा
खेती में पुनर्प्रयोग के लिये वर्षा-जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन के वास्ते स्थानीय संरचना का निर्माण

- 25 दिसंबर, 2019 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती के अवसर पर अटल भूजल योजना प्रारंभ की गई। इस योजना को देश के सात राज्यों– गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश में भूजल प्रबंधन में सुधार के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। इस योजना में वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक कुल पाँच वर्षों में 6,000 करोड़ रुपए खर्च किये जाएँगे। इससे इन सात राज्यों के 78 ज़िलों की लगभग 8350 ग्राम पंचायतों को लाभ होगा।
- वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में सार्वभौमिक जलापूर्ति एवं स्वच्छ भारत मिशन पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए सरकार ने 8,000 करोड़ घरेलू जल कनेक्शनों के साथ 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में सार्वभौमिक जलापूर्ति के लिये जल जीवन मिशन (शहरी) प्रारंभ करने की घोषणा की है। इसके साथ ही बजट में 500 अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिये 5 वर्ष के लिये 2,87,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत प्रायद्वीपीय क्षेत्र की 14 तथा हिमालयी क्षेत्र की 16 नदियों को शामिल किया गया है। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य देश के हिमालयी और प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में प्रमुख नदियों को जोड़कर पानी की कमी को दूर करना है।

निसर्ग रक्षा अभियान

- जल संकट से निपटने के लिये सरकार द्वारा पहले से ही विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं। परंतु केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन को सरल बनाने के लिये विभिन्न हितधारकों को कई मुद्दों पर विचार करते की आवश्यकता है। इन मुद्दों से निपटने के लिये 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण एवं जल संरक्षण पर **'निसर्ग रक्षा'** नामक राष्ट्रव्यापी अभियान प्रारंभ किया गया है।
- इस अभियान का उद्देश्य लगभग 10 लाख निसर्ग रक्षक तैयार करने के लिये देश के प्रत्येक गाँव से एक स्वयंसेवक को प्रशिक्षित करना है। ये स्वयं सेवक देश भर के 50,000 निसर्ग शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित किये जाएँगे तथा स्थानीय स्तर पर जल संरक्षण के लिये विभिन्न कार्यों का संपादन करेंगे।
- इस परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिये राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर 'नेचर प्रोटेक्ट फोरम' नामक मंच बनाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर के इस मंच के लिये किसी प्रमुख संगठन से प्रत्येक राज्य से एक सदस्य लिया जाएगा तथा राज्य स्तरीय मंच के लिये, प्रत्येक ज़िले से किसी प्रमुख संगठन के एक सदस्य को लिया जाएगा। परियोजना को राज्य, ज़िला, तालुका एवं गाँव चार प्रभागों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।

परियोजना के प्रमुख घटक

- पर्यावरण एवं जल संरक्षण के लिये कार्य करने के लिये स्थानीय साधनों का उपयोग करके परियोजना की प्रभावशीलता एवं कम लागत वाले इलाकों में वृद्धि करने के लिये डाटा एनालिटिक्स का उपयोग किया जाएगा।
- पेड़ों की रक्षा के लिये चिपको आंदोलन जैसी परिवर्तन की स्थानीय कहानियों एवं स्थानीय संस्कृति के विषयों का उपयोग जल संसाधनों के संरक्षण एवं पर्यावरण की रक्षा के लिये नई कार्यनीतियों के लिये किया जाएगा।
- जागरूक नागरिकों को प्रकृति संरक्षण अभियान में भाग लेने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से नेचर प्रोटेक्टर ऐप निर्मित किया गया है। अभियान में भाग लेने वाले व्यक्तियों के लिये यह ऐप एक खुला मंच होगा। इस ऐप के माध्यम से प्रतिभागियों को उचित एवं उपयोगी जानकारी प्रदान की जाएगी।

निष्कर्ष

यदि हम सुरक्षित भविष्य तथा एक संधारणीय विश्व का निर्माण करना चाहते हैं, तो हमें जल का उचित एवं बहुआयामी महत्त्व समझना होगा। हालाँकि, देश में इसके लिये केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं।

जल जीवन मिशन – हर घर जल

संदर्भ

जल जीवन मिशन जल के संबंध में सामूहिक दृष्टिकोण अपनाने पर आधारित है। इसमें जल के लिये व्यापक आंदोलन के माध्यम से इसे प्रत्येक व्यक्ति की प्राथमिकताओं में शामिल किया जाता है। साथ ही, इसमें न्यायसंगतता एवं समावेशन पर बल दिया गया है।

जल जीवन मिशन : प्रमुख बिंदु

- 15 अगस्त, 2019 को जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई। इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2024 तक हर ग्रामीण घर को सक्रिय घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराना है। इसके लिये 3.60 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किये गए हैं। इसमें 2.08 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा तथा 1.52 लाख करोड़ रुपए राज्य सरकारों द्वारा दिये जाएँगे।
- जल जीवन मिशन की घोषणा के समय मात्र 17 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास घरों में नल के ज़रिये जल-आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध थी, जबकि शेष ग्रामीण परिवार अपने घर के बाहर के पेयजल स्रोतों से जल प्राप्त करते थे।
- जल जीवन मिशन का उद्देश्य सतत् विकास लक्ष्य-6 को प्राप्त करने के लिये निर्धारित समय सीमा से छः वर्ष पूर्व ही वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में नल के माध्यम से जल आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
- इस मिशन से निर्माण उद्योग को बढ़ावा मिलने के साथ ही रोज़गार के नवीन अवसर भी सृजित होंगे। ग्रामीण घरों में नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित होने से महिलाओं की समस्या भी कम होगी तथा उन्हें शिक्षा, कौशल विकास एवं आजीविका के बेहतर विकल्प तलाश करने के लिये समय मिल सकेगा।
- इस मिशन के अंतर्गत ग्रामीण घरों में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल प्रदान किया जा रहा है। इसमें राजमिस्त्री, प्लंबर, फिल्टर और पंप ऑपरेटर जैसे काम करने वाले स्थानीय निवासियों की दक्षता बढ़ाने के लिये बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इससे हर घर तक सेवा की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।

प्राथमिकता वाले प्रमुख क्षेत्र

- इस मिशन में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है। इन क्षेत्रों में जल की निम्न गुणवत्ता वाले रिहायशी इलाके, रेगिस्तानी एवं सूखा प्रभावित क्षेत्र और अनुसूचित जाति तथा जनजाति बहुल तथा सांसद आदर्श ग्राम योजना के अधीन गाँव शामिल हैं। इस मिशन में मानव विकास सूचकांकों में पिछड़े 112 आकाँक्षी ज़िलों तथा जापानी इंसेफेलाइटिस और एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से

प्रभावित 61 जनपदों में हर घर में नल से जलापूर्ति सुनिश्चित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

- इस मिशन में ऐसे गाँवों को, जिनमें अच्छी गुणवत्ता का जल उपलब्ध नहीं है, नल से जलापूर्ति में वरीयता दी गई है। इसके लिये पूर्ण प्रणाली को विकसित करने में होने वाले विलंब से तत्काल राहत प्रदान करने के उद्देश्य से सामुदायिक जल शोधन संयंत्र लगाने का प्रावधान किया गया है। इन संयंत्रों से हर घर को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 8 से 10 लीटर स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जाएगा।
- इस मिशन के अंतर्गत विभिन्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में पेयजल की गुणवत्ता जाँचने के लिये प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है। इसमें अत्यंत कम शुल्क पर जल के नमूनों की जाँच कराई जा सकती है। इस सुविधा से सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार एवं जल-जनित रोगों में कमी लाने में मदद मिलेगी। इसका विशेष लाभ गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों जैसे संवेदनशील समूहों को होगा।
- दूषित जल से होने वाली बीमारियों से बच्चे ही सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। अत: इन पर विशेष ध्यान देते हुए स्कूलों, आँगनबाड़ी केंद्रों पर स्वच्छ जल की आपूर्ति पर विशेष दिया गया है।
- सभी स्कूलों, आँगनबाड़ी केंद्रों में नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये 2 अक्तूबर, 2020 से 100 दिनों का अभियान चलाया गया था। अब तक आंध्र प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु तथा तेलंगाना के शत-प्रतिशत विद्यालयों एवं आँगनबाड़ी केंद्रों में नल से जल आपूर्ति की व्यवस्था की जा चुकी है।

जल : हर किसी का सरोकार

- इस मिशन में एक समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए जल स्रोतों की संवहनीयता, जल आपूर्ति, दूषित जल का शोधन एवं पुर्नप्रयोग तथा समूची प्रणाली के संचालन एवं रख-रखाव पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- दीर्घकालिक जल सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये मनरेगा, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) पंचायती राज संस्थाओं को 15वें वित्त आयोग के अनुदान, ज़िला खनिज विकास कोष, कंपनी सामाजिक ज़िम्मेदारी कोष एवं सामुदायिक योगदान से प्राप्त धन का प्रयोग किया जा सकता है। इस समग्र दृष्टिकोण से, संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग के माध्यम से जल सुरक्षा हासिल करने में सहायता मिलेगी।
- सात राज्यों के जल संकट वाले 78 ज़िलों में अटल भूजल योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण समुदाय एवं ग्राम पंचायतों के सहयोग से जल संरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करना है।

क्रियान्वयन की रणनीति

- हर घर में नल से जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिये परिस्थितियों के अनुरूप अलग-अलग रणनीतियाँ प्रयोग में लाई जा रही हैं। ऐसे गाँव, जिनमें नल से जलापूर्ति पहले से ही की जा रही है, उनमें इनका आकलन कर आवश्यक सुधार किये जा रहे हैं, जल स्रोतों को दुरुस्त किया जा रहा है, ताकि अगले 30 वर्षों तक उनका उपयोग किया जा सके।
- जिन गाँवों में गुणवत्ता युक्त भूजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, उनमें स्थानीय जल स्रोतों पर आधारित पाइप के माध्यम से जलापूर्ति की ग्राम स्तरीय योजना बनाकर सभी घरों को कनेक्शन प्रदान किये जाएँगे। जिन गाँवों में भूगर्भीय प्रदूषण वाला जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, उनमें ग्राम स्तरीय जल आपूर्ति योजना में शोधन संयंत्र को भी सम्मिलित किया जा रहा है।
- आदिवासी, पर्वतीय एवं वन क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण या सौर ऊर्जा आधारित जल आपूर्ति योजनाओं का प्रबंध किया जा रहा है। इस तरह की योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव का खर्च अपेक्षाकृत कम होने के कारण इन्हें चलाना सहज होता है। पहाड़ियों एवं पर्वतों मे पेयजल के महत्त्वपूर्ण स्रोत के रूप में झरनों का दोहन किया जा रहा है।

प्रौद्योगिकी का उपयोग

- जल जीवन मिशन में पारदर्शिता, जवाबदेही, धन के सदुपयोग एवं सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिये तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। इस मिशन की समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली एक सार्वजनिक समर्पित डैशबोर्ड के माध्यम से भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का लेखा-जोखा रखती है।
- ग्राम स्तरीय योजनाओं में पेयजल स्रोत की तलाश तथा भूजल रिचार्ज संरचनाओं के निर्माण में हाइड्रो-जियो मार्फोलॉजिल मानचित्रों का उपयोग किया जा रहा है। घरों में प्रदान किये जा रहे नल कनेक्शन को परिवार के मुखिया की आधार संख्या से जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त, सभी प्रकार के वित्तीय लेन-देन सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से किये जा रहे हैं।

प्रगति

- जल जीवन मिशन की घोषणा से लेकर अभी तक 3.77 करोड़ घरों को जल आपूर्ति कनेक्शन प्रदान किये जा चुके हैं।
- देश में नल से जलापूर्ति वाले घर 17 प्रतिशत से बढ़कर 37 प्रतिशत हो गए हैं। वर्तमान में गोवा एवं तेलंगाना 'हर घर जल' वाले राज्य बन चुके हैं।

निष्कर्ष

जल जीवन मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये स्थानीय समुदायों को ग्रामीण जलापूर्ति प्रणाली के लिये योजना निर्माण, कियान्वयन,

प्रबंधन, संचालन एवं रखरखाव का प्रशिक्षण देकर उनका सशक्तीकरण आवश्यक है। इस योजना में विभाग आधारित और निर्माण आधारित दृष्टिकोण के स्थान पर डिलीवरी आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया है।

भूजल प्रबंधन – एक आदर्श बदलाव

संदर्भ

भारत विश्व में सर्वाधिक भूजल प्रयोगकर्ता देश है। देश में भोजन की उपलब्धता को सुनिश्चित करने में भूजल की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान में कृषि आवश्यकता के 60 प्रतिशत से अधिक तथा ग्रामीण पेयजल एवं शहरी पेयजल का क्रमशः 85 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत जल की आवश्यकता की पूर्ति भूजल से ही की जाती है।

भूजल–एक अदृश्य स्रोत

- भूजल को अदृश्य स्रोत की संज्ञा दी जाती है, जिनके पास इसे निकालने के साधन मौजूद हैं, उनके लिये यह आसानी से उपलब्ध है। प्रायः भूजल निःशुल्क ही उपलब्ध होता है।
- यह नहरों, आर्द्र प्रदेशों एवं जंगलों जैसे महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की बुनियाद के रूप में कार्य करता है। इसका प्रयोग करने वालों को भूजल को बनाए रखने वाली जलदाई ज़मीन के बारे में जानकारी का अभाव होता है तथा वे इसके सुनियोजित एवं संधारणीय प्रयोग से भी अनभिज्ञ रहते हैं।

भारत में भूजल

- भूजल के बेहिसाब एवं अनियंत्रित प्रयोग से इसमें कमी के साथ पर्यावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। शुद्ध पेयजल की कमी के कारण स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव के साथ रोज़गार की भी क्षति हुई है तथा लोगों को प्रवसन के लिये मजबूर होना पड़ा है।
- वर्तमान में देश का लगभग एक-तिहाई भाग भूजल स्रोत की कमी का सामना कर रहा है। भूजल की कमी का छोटे एवं सीमांत कृषक वर्ग, महिलाओं एवं समाज के पिछड़े वर्ग पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है।
- केंद्रीय जल आयोग द्वारा वर्ष 2019 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, भारत में उपयोगी जल की मात्रा 1122 अरब मीटर्स (BCM) प्रतिवर्ष तक रहती है। जल की इस मात्रा की उपलब्धता में देश-काल के अनुसार अंतर भी पाया जाता है। वर्ष 2025 और 2050 में देश भर में भूजल की आवश्यकता को विभिन्न संदर्भों में क्रमशः 843 और 1180 बी.सी.एम. अनुमानित किया गया है।

सामुदायिक पहल

- देश के भूजल स्रोत गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं, अतः इनके प्रबंधन से जुड़ी योजनाओं में परिवर्तन करने पर विचार किया गया। इस संबंध में रालेगाँव सिद्धि के हिव्रे बाज़ार एवं देश के अन्य भागों में सामुदायिक भूजल संरक्षण के प्रयास प्रेरणादायी रहे। महाराष्ट्र के हिव्रे गाँव में ग्राम सभा, स्थानीय प्रशासन और गैर सरकारी संस्थाओं के सम्मिलित प्रयासों से सूखाग्रस्त गाँव वर्तमान में खुशहाल समुदाय में परिवर्तित हो चुका है।

आगे की राह

भूजल के लागातार प्रयोग के लिये जल जागरूक समुदायों का सशक्तीकरण, निर्णय लेने में लाभदायक व भरोसेमंद जल डाटा और सहभागिता नियामक तंत्र के तीन महत्त्वपूर्ण स्तंभ हैं। इनकी मदद से जीवन, रोज़गार और संस्कृति संरक्षण के लिये जल उपलब्ध हो सकेगा और जलवायु परिवर्तन का सामना भी किया जा सकेगा।

सुरक्षित, पर्याप्त एवं स्थायी पेयजल

संदर्भ

- सतत् विकास लक्ष्य (SDG) 6 के अंतर्गत निर्धारित किये गए लक्ष्यों के कारण जल एवं स्वच्छता जैसे मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे पर अभी भी प्रभावी रहे हैं। लक्ष्य 6-1 का उद्देश्य सभी के लिये सुरक्षित और सस्ते पेयजल की न्यायसंगत, सार्वभौमिक और समान रूप से व्यवस्था करना है।
- देशों ने स्वास्थ्य संबंधित सतत् विकास लक्ष्य के तहत जल के स्वास्थ्य पर प्रभाव के लिये दो लक्ष्य निर्धारित किये हैं– पहला, वर्ष 2030 से जल-जनित रोगों से निपटना तथा दूसरा, जल प्रदूषण से मौतों और बीमारियों की संख्या को काफी हद तक कम करना है।

दूषित जल : रोगों का वाहक

- जल जीवनदायी होने के साथ ही रोगजनकों एवं विषैले रसायनों का वाहक है। डायरिया, हैजा, टाइफाइड, पोलिया हेपेटाइटिस ए तथा ई इत्यादि जल-जनित प्रमुख रोग हैं।
- व्यक्तिगत स्वच्छता के लिये जल आवश्यक है। इसमें हाथ की सफाई आदि का विशेष ध्यान रखा जाता है, जो श्वसन रोग एवं ट्रेकोमा के प्रसार को रोकने में महत्त्वपूर्ण कारक है।
- देश के कुछ हिस्सों में जहाँ जल आर्सेनिक एवं फ्लोराइड से दूषित है, उन क्षेत्रों में जल लोगों को इन रसायनों के संपर्क में ला सकता है तथा लंबे समय तक इसके सेवन से आर्सेनिकोसिस और फ्लोरोसिस नामक रोग हो सकते हैं।

पेयजल : भारत की उपलब्धि

- सरकार ने लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं यूनिसेफ की संयुक्त निगरानी रिपोर्ट, 2019 के अनुसार देश में वर्ष 2019 तक

लगभग 93 प्रतिशत आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में सफलता प्राप्त की है।

- सरकार ने जल जीवन मिशन के माध्यम से वर्ष 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर को सुरक्षित एवं पर्याप्त जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। एक आकलन के अनुसार 15 अगस्त, 2019 को अपनी शुरुआत के बाद से जल जीवन मिशन के अंतर्गत 37 मिलियन से अधिक ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल का कनेक्शन प्रदान किया गया है।
- इस तरह की महत्वाकांक्षी योजनाओं से समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग को जल से संबंधित बीमारियों से बचाने में मदद मिलेगी तथा साथ ही जल संग्रह करके रखने के परिश्रम से मुक्ति मिलेगी। इसमें लड़कियों को उनकी शिक्षा एवं महिलाओं को उनके बच्चों की देखभाल एवं कौशल विकास के लिये अधिक समय मिलेगा।

जल जीवन मिशन – महत्त्वपूर्ण बिंदु

- जल जीवन मिशन का प्रारंभ 15 अगस्त, 2019 को किया गया। इसका उद्देश्य हर ग्रामीण घर में गुणवत्तायुक्त जल की नल द्वारा नियमित और स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
- अगस्त 2019 तक 3.23 करोड़ ग्रामीण घरों में नलों का कनेक्शन था लेकिन एक वर्ष के अंतराल में 3.04 करोड़ नए कनेक्शन जोड़े गए।
- गोवा शत-प्रतिशत नल कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। बिहार, तेलंगाना, पुदुच्चेरी और अंडमान निकोबार में शत-प्रतिशत कवरेज प्राप्त करने की संभावना है।

स्वास्थ्य और जल

- गाँवों में जहाँ जल से संबंधित बीमारी की घटनाएँ जैसे– फाइलेरिया, काला अजार आदि अधिक है वहाँ पानी की योजनाओं को प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिये। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये स्वास्थ्य क्षेत्र के साथ काम करने की आवश्यकता है, जिससे आम स्वास्थ्य आधारित लक्ष्यों की पहचान की जा सके और संयुक्त रूप से सहमत लक्ष्य क्षेत्रों के लिये कार्यान्वयन योजना विकसित की जा सके।
- जल एवं स्वास्थ्य के बीच का संबंध स्पष्ट है। स्वच्छ जल बीमारी को रोकने और पोलियो जैसी बीमारी के उन्मूलन की स्थिति बनाए रखने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

भारत के जल संसाधनों के प्रबंधन में हाल के वर्षों में महत्त्वपूर्ण बदलाव देखे गए हैं। देश के विकास के एजेंडे में भी जल को महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। परंतु अभी भी इस दिशा में बहुत प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

आगे बढ़ता स्वच्छता अभियान

संदर्भ

स्वच्छ भारत अभियान, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन से जुड़ा दुनिया का सबसे बड़ा अभियान बन चुका है। इसके अंतर्गत महज पाँच वर्षों में ही खुले में शौच से मुक्ति का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। प्रधानमंत्री के बेहतर नेतृत्व से इस अभियान को एक जन आंदोलन में परिवर्तित किया जा सका है।

स्वच्छ भारत का सपना

- वर्ष 2014 में ग्रामीण स्वच्छता कवरेज 38.7 प्रतिशत था। यह वर्ष 2019 में बढ़कर 100 प्रतिशत हो गया है। इस अवधि में देश भर में 10-25 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया तथा सभी राज्यों एवं ज़िलों ने खुद को खुले में शौच से मुक्त कर लिया। इसके लिये सरकार ने 130 हज़ार करोड़ रुपए का निवेश किया तथा शौचालय निर्माण के लिये प्रत्येक परिवार को 12,000 रुपए उपलब्ध कराए गए।
- यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, बी.एम.जी.एफ., डालबर्ग एवं अन्य वैश्विक संगठनों का मानना है कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत हासिल की गई उपलब्धियों का देश के आर्थिक शैक्षणिक परिवेश, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है।
- राजनीतिक नेतृत्व, सार्वजनिक वित्त पोषण, साझेदारी एवं जन भागीदारी स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के चार प्रमुख स्तंभ हैं। चूँकि इस आंदोलन का नेतृत्व प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं किया जा रहा था, अत: कम समय में यह व्यापक आंदोलन बन गया। इसके परिणामस्वरूप भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित सतत् विकास लक्ष्य को अपने नियत समय से 11 वर्ष पूर्व ही हासिल कर लिया। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने सभी के लिये स्वच्छता हासिल करने के लक्ष्य के अंतर्गत वर्ष 2030 तक का समय निर्धारित किया है।
- फरवरी 2020 में स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) के दूसरे चरण को मंज़ूरी प्रदान की गई है। इसका कुल बजट 1,40,881 करोड़ रुपए है। इसमें ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन और खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग अभियान के दूसरे चरण को वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 के बीच लागू करेगा। द्वितीय चरण का यह अभियान घरों में शौचालयों और सामुदायिक स्वच्छता कॉम्पलेक्स के निर्माण के साथ-साथ ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देगा।

- स्वच्छ भारत अभियान के द्वितीय चरण का उद्देश्य देश के गाँवों को 'ओ.डी.एफ. प्लस गाँव' बनाना है। इसका तात्पर्य ऐसे गाँव से है जहाँ खुले में शौच से मुक्ति आगे भी कायम रहेगी तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन पूरी तरह से स्वच्छ नज़र आएगा।
- निजी शौचालयों का निर्माण, शौचालय की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन, सामुदायिक स्वच्छता कॉम्पलेक्स का निर्माण, प्रकृति में सरलता से नष्ट होने वाले कचरे का प्रबंधन, जल प्रबंधन इत्यादि किसी गाँव को ओ.डी.एफ. प्लस बनाने में सहायक हो सकते हैं।
- किसी गाँव को ओ.डी.एफ. प्लस घोषित किया जाएगा, यदि वहाँ के सभी घरों में ऐसे शौचालय हों, जिनका प्रयोग किया जा सके, वहाँ के विद्यालयों, आँगनबाड़ी केंद्रों एवं पंचायत घरों में प्रयोग किये जाने वाले व्यापक शौचालय हों, सार्वजनिक स्थल स्वच्छ दिखें, कम से कम 80 प्रतिशत घरों एवं सभी सार्वजनिक संस्थानों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था हो, गाँव में प्लास्टिक अपशिष्ट को अलग रखने एवं इकठ्ठा करने की व्यवस्था हो, खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति बनी रहे, साबुन से हाथ धोने, विभिन्न माध्यमों से प्रकृति में नष्ट हो जाने वाले कचरे जैसी थीम पर आधारित कम-से-कम पाँच ओ.डी.एफ. प्लस आई.ई.सी. दीवार पेंटिंग गाँव में मौजूद हो।

क्षमता निर्माण

- स्वच्छाग्रही स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के असली नायक हैं। लोगों के व्यवहार में परिवर्तन और शौचालयों के निर्माण को बढ़ावा देने में इनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका है।
- साथ ही, अभियान के द्वितीय चरण में भी इनकी अहम भूमिका है।

पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका

- संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत स्वच्छता को 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अत: स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) को लागू करने में ग्राम पंचायतों की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो जाती है।
- ग्राम पंचायत के ढाँचे में काम करने वाले सभी संस्थानों एवं समितियों को अपने कार्यक्रमों में स्वच्छता को प्राथमिकता देनी होगी। सभी ग्राम पंचायतों को हर वित्तीय वर्ष के लिये ग्राम स्वच्छता योजना तैयार करनी होगी और जी.पी.डी.पी. नियोजन के नियमों के अनुसार तय सॉफ्टवेयर और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एम.आई.एस. में फीड करना होगा।

आगे की राह

- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने तरल अपशिष्ट प्रबंधन के साथ-साथ प्रकृति में सरलता से नष्ट होने वाले अपशिष्ट, पशुओं से संबंधित अपशिष्ट और प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन की दिशा में काम प्रारंभ किया है। इसका उद्देश्य अपशिष्ट को धन में परिवर्तित करना है।
- इस अभियान को लेकर गाँवों में विशेष उत्साह है। स्वच्छता अभियान गति पकड़ चुका है और उम्मीद है कि ओ.डी.एफ. की सफलता की तरह ही वर्ष 2025 तक ओ.डी.एफ. प्लस का लक्ष्य भी हासिल कर लिया जाएगा।

कुरुक्षेत्र

वारली जनजाति

संदर्भ

- भारत विश्व के उन प्रमुख देशों में शामिल है, जिनमें जनजातीय जनसंख्या अधिक निवास करती है। देश के अधिकांश राज्यों में लोक कला की समृद्ध परंपरा रही है। इस परंपरा के जन्मदाता एवं पोषक देश के विभिन्न भागों के जनजातीय समुदाय के लोग हैं।
- जनजातीय समुदाय प्रकृति के अधिक निकट रहते हैं तथा अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के लिये प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू के अनुसार, जनजातीय लोगों का जीवन अधिक अनुशासित होता है तथा वे अधिक सरल होते हैं।

वारली जनजाति का सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन

- 'वारली' महाराष्ट्र की एक महत्त्वपूर्ण जनजाति है। यह महाराष्ट्र की उत्तरी सहयाद्रि पर्वतमाला की उपत्यका में निवास करती है। वारली शब्द की उत्पत्ति 'वराल' से हुई है। इसका शाब्दिक अर्थ है 'ज़मीन का टुकड़ा'। ये पेड़ों को काटकर अपने लिये घर बनाते हैं। इनके निवास स्थान को 'वराल' कहा जाता है तथा इसी कारण इस जनजाति का नाम 'वारली' पड़ा। प्रकृति के साथ इनका विशेष संबंध इन्हें महाराष्ट्र की अन्य जनजातियों से अलग करता है।
- यह जनजाति महाराष्ट्र के ठाणे, पालघर, मोखदा, तालासारी, विक्रमगढ़, वाडा, दहाणू, कोसबाद, नासिक और धुले ज़िलों, गुजरात के वलसाड़ और केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव में निवास करते हैं। ये प्रकृति पूजक हैं और प्रकृति के साथ शांतिपूर्ण तथा सतत् सह-अस्तित्व बनाए रखने में विश्वास करते हैं।

- इस जनजाति के लोग वारली बोली बोलते हैं, जिसकी कोई लिपि नहीं है। इसमें मराठी, गुजराती, संस्कृत और भारत-आर्य बोली (खानदेशी, भिल्ली एवं मराठी का मिश्रण) का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है।
- इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं उससे संबंधित गतिविधियाँ हैं। ये अपनी खाद्यान्न आवश्यकताओं एवं आजीविका के लिये भी पूर्णत: कृषि पर ही निर्भर हैं। ये वर्ष में केवल एक फसल उगाते हैं तथा वनों से फल एवं जड़ी-बूटियाँ प्राप्त करते हैं।
- वारली जनजाति को आत्मनिर्भर समुदाय माना जाता है। ये प्रकृति से प्राप्त होने वाले प्रत्येक उपहार का बेहतरीन उपयोग करते हैं। इनकी महिलाएँ वनों से फूल एकत्रित करती हैं तथा उत्सवों के अवसर पर इसका प्रयोग घरों को सजाने के लिये करती हैं।
- वारली लोग मांसाहारी होते हैं। मछली इनका प्रमुख भोजन है। इसके अतिरिक्त ये अन्य पशुओं जैसे हिरण, बकरी, जंगली खरगोश, कबूतर आदि का माँस भी खाते हैं। पत्तेदार सब्जियाँ भी इनको बहुत प्रिय हैं। खाद्य तेलों में ये पामोलिन और मूँगफली के तेल का प्रयोग करते हैं।
- वारली जनजाति के लोग फसलों की कटाई एवं त्योहारों के अवसर पर महुए से निर्मित ताड़ी का सेवन करते हैं। साथ ही, अन्य लोगों को बाँटने के लिये भी ताड़ी बनाते हैं। ताड़ी के सेवन के लिये ये साल की बड़ी पत्ती को मोड़कर उसे शंकु के आकार का बर्तन बना लेते हैं। इनका कोई भी उत्सव एवं समारोह ताड़ी के बिना अधुरा होता है।
- इस जनजाति के पुरुष लंगोट और पगड़ी पहनते हैं तथा महिलाएँ घुटनों तक साड़ी पहनती हैं। महिलाएँ विशेष अवसरों पर अपने बालों को गूंथकर विशेष रूप में सजाती हैं।
- ये प्रेतात्मा एवं देवी-देवताओं का सम्मान करते हैं। तंत्र-मंत्र एवं पुर्नजन्म में भी इनका विश्वास होता है। इनके यहाँ मृतक का दाह संस्कार करने की प्रथा है तथा इसमें 'भगत', जिसे ये अपना गुरु मानते हैं, उसकी विशेष भूमिका होती है। ये ग्राम देवता की भी पूजा करते हैं। ये जल देवता, वन देवता और वायु देवता में विश्वास करते हैं। 'वाद्यई' या 'बाद्य' इनके पूज्य देवता हैं। ये इन्हें बाद्योवा के नाम से जानते हैं। वारली समुदाय में व्यवस्थित रूप से बने मंदिर नहीं होते परंतु उनमें पूजा के लिये काष्ठ की बनी बाद्य की उत्कीर्णित मूर्तियों का प्रयोग किया जाता हैं।

वारली चित्रकला

- वारली चित्रकला के उद्भव के बारे में सही-सही जानकारी प्राप्त नहीं है। इसका प्रारंभ 10वीं सदी से माना जाता है। इनकी चित्रकला इनकी परंपरा एवं आस्था का प्रतीक है। शादी-विवाह, बच्चों के जन्म एवं फसल की कटाई के अवसर पर दीवारों एवं दरवाज़ों पर चित्रकारी की जाती है।
- इस चित्रकला में गेरू का प्रयोग दीवारों पर लेपन के लिये किया जाता है। इन चित्रों में केवल सफेद रंग का प्रयोग किया जाता है। सफेद रंग बनाने के लिये चावल के आटे को घोलकर उसमें पेड़ों से प्राप्त होने वाले गोंद को मिलाया जाता है। इस चित्रकला में ज्यामितीय आकृतियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें त्रिकोण आकृति का प्रयोग पर्वतों और नुकीले वृक्षों के लिये, वृत्ताकार आकृति का प्रयोग सूर्य और चंद्रमा के लिये तथा वर्गाकार आकृतियों का प्रयोग विवाह से संबंधित अनुष्ठानों के लिये किया जाता है। शादी विवाह के अवसर पर 'लग्नचा चौक' अथवा 'लग्न की चौकी' बनाई जाती है।
- इस चित्रकला में लोगों के दैनिक जीवन का चित्रण किया जाता है। इसमें शिकार करने, मछली पकड़ने, खेती करने, उत्सव मनाने जैसी गतिविधियाँ तथा वृक्षों, सर्प तथा चींटी इत्यादि का चित्रण शामिल है।
- वारली चित्रकला पूरे विश्व में लोकप्रिय है। पहले यह केवल महिलाओं द्वारा अपने सामाजिक जीवन के वर्णन हेतु की जाती थी, परंतु वर्तमान में पुरुष भी इस चित्रकारी को करने लगे हैं। वर्ष 1970 में दित्या सोमा माशे ने वारली लोगों के दैनिक जीवन को पेटिंग के माध्यम से चित्रित करना शुरू किया। भारत सरकार ने उन्हें सिद्धहस्त कलाकार का दर्जा प्रदान किया है। वर्तमान में इस चित्रकला के चित्र कागज़ एवं कैनवास पर भी बनाए जाते हैं। इससे इस कला को नया आयाम प्राप्त हुआ है।

तारपा नृत्य

- नृत्य वारली संस्कृति का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। 'तारपा' इनकी एक महत्त्वपूर्ण नृत्य विद्या है। इनकी परंपरा के अनुसार तारपा बजाने वाला अपने वाद्ययंत्र का निर्माण स्वयं करता है। यह आवश्यक है कि तारपा किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा निर्मित नहीं होना चाहिये।
- यह नृत्य दिन के समय प्रारंभ होकर सारी रात तक चलता है। यह जीवन की निरंतरता का प्रतीक है। यह नृत्य त्यौहारों, फसल की कटाई, विवाह समारोह आदि अवसरों पर किया जाता है। इस नृत्य का उद्देश्य प्रकृति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना है।

भारतीय लोक कला और संस्कृति का संरक्षण

संदर्भ

भारत की एक समृद्ध एवं विविध सांस्कृतिक विरासत है। इसने सदैव अपनी सांस्कृतिक विरासत को अभिन्न पहल के रूप में संजोए रखा

है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विभिन्न कलाओं के प्रचार में निरंतरता बनाए रखते हुए भारत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिये युनेस्को की अंतर-शासकीय समिति की अगली बैठक का इंतज़ार कर रहा है। इस बैठक में 'दुर्गा पूजा' को मानव जाति की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

लोक कला एवं लोक संस्कृति : भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

- भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने अपने विज़न 2024 में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची का मसौदा तैयार किया था। इसका उद्देश्य विभिन्न अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संबंध में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता में वृद्धि करना है।
- 'लोक' की अवधारणा को सामान्य शब्दों में परिभाषित करने के उद्देश्य से विद्वानों, भाषाविदों, कलाकारों, राजनेताओं, नीति निर्माताओं द्वारा अनेक प्रयास किये गए हैं। भारत में अधिकांश भाषाओं में 'लोक' शब्द का अर्थ समुदाय के बोध से तादात्म्य रखता है। वस्तुत: भाषाओं एवं बोलियों के बढ़ने और सामाजिक समूहों एवं उनकी परंपराओं की बदलती अभिव्यक्तियों के साथ लोक की अवधारणा स्वयं को नए रूप में ढालती है, जिसके कारण भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसका सामान्यीकरण करना कठिन है। इसके बावजूद भी वह हमारी सांस्कृतिक विरासत के आधार की ताकत है। इससे विविधता में एकता के सिद्धांत को बल मिलता है।
- भारत में यात्रा करते समय अत्यधिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियाँ स्वयं उजागर होती हैं। वर्तमान में भी शोधकर्ताओं द्वारा हमारी लोक-संस्कृति को समझने के लिये कठिन प्रयास किये जा रहे हैं।
- लोक संस्कृति का सर्वोत्कृष्ट भाव स्वयं को अन्य कला रूपों से अलग करता है। उदाहरणस्वरूप लोकनृत्य– गोवा का घोड़े मोदिनी, तमिलनाडु का पोइक्काल कुतिरयाट्टम एवं राजस्थान का कच्छी घोड़ी देखने में सभी एक जैसे प्रतीत होते हैं। घोड़े मोदिनी नृत्य को राजपूत वेशभूषा धारण किये गोवा के योद्धाओं, जिन्होंने पुर्तगालियों के विरुद्ध संघर्ष किया था, की प्रशंसा में किया जाता है। कच्छी घोड़ी विवाह आयोजनों में लोक संचार विधा का प्रयोग होता है। इसमें भाँवरियाँ डाकू के किस्सों को सुनाया जाता है, जबकि पोइक्काल कुतिरयाट्टम राजा रानियों की वेषभूषा में अयंनार की पूजा से संबंधित है। इसमें कलाकार घंटों तक कलाबाजियाँ करते रहते हैं।
- लोक कलाओं के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने के प्रयास में अनेक बाधाएँ आती हैं। शास्त्रीय कलाओं को सरलता से व्यवस्थित किया जा सकता है परंतु लोक कलाओं में पाई जाने वाली अत्यधिक विविधता के कारण इनकी विशिष्ट पहचान स्थापित कर पाना जटिल कार्य है।
- संस्कृति की विभिन्न सुविधाजनक श्रेणियों जैसे– शास्त्रीय, लोक, जनजातीय और कला विधानों में वर्गीकरण से होने वाले भ्रम के कारण इसकी सराहना कर पाना कठिन हो गया है। कलाओं के इस प्रकार के वर्गीकरण से शास्त्रीय कलाओं के अतिरिक्त अन्य कलारूपों को पाठ्य पुस्तकों एवं प्रदर्शनियों में यथाचित स्थान प्राप्त नहीं हो सका। यद्यपि इनकी उत्पत्ति मूल रूप से अनुष्ठानों, समारोहों एवं परंपराओं द्वारा हुई है।

शास्त्रीय लोक कलाओं का विकास

- भरतमुनि का 'नाट्य शास्त्र' जिसे 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य संकलित किया गया था, में शास्त्रीय कलाओं के मूल को देखा जा सकता है। यद्यपि इसमें किसी कला का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है और न ही कला के स्तर-विन्यास का कोई उल्लेख है। कई विद्वानों द्वारा इन ग्रंथों के आधार पर कुछ कला रूपों के आलेखन एवं उन्हें संहिताबद्ध करने का प्रयास किया गया है, जिससे ये ग्रंथ शिक्षार्थियों के लिये सुलभ हो गए हैं। ये ग्रंथ संस्कृति के संरक्षण के आरंभिक साधन भी थे। इनका प्रयोग कलाकारों एवं भाषाविदों द्वारा पाठ की भाषा और व्याकरण का विश्लेषण करने के लिये किया जाता था। इससे विद्वान दर्शकों एवं रसिकों की रचना हुई।
- नंदिकेश्वरा रचित 'अभिनय दर्पण' या सारंगदेव रचित 'संगीत रचनाकार' जैसी पुस्तकों के माध्यम से दर्शक कला की समझ प्राप्त कर सके तथा इस अवधि में कई अवरोध भी खंडित हुए। भारतीय उपमहाद्वीप में राजा-महाराजाओं से प्राप्त होने वाले संरक्षण ने कलाकारों के लिये दरबारों में प्रवेश करने का मार्ग प्रशस्त किया।
- इसी के समानांतर कुछ लोगों ने कला को एक अलग दृष्टिकोण से देखा जो उन्हें जीवन से जोड़ता था। इन्होंने राजदरबार एवं राजसभाओं के स्थान पर खेतों, मेलों, चबूतरों, मैदानों आदि को कला के पोषण स्थलों में बदल दिया। इन्होंने गायन एवं वादन के साथ ही अन्य सहायक साधनों की रचना की। इनका स्वरूप दरबारी रूपों से अलग था। इन्होंने अपनी कला में प्रकृति के साथ अपने जीवन, सामाजिक संबंधों, काम और धार्मिक जुड़ावों को बारीकी से दर्शाया। उदाहरणस्वरूप– छत्तीसगढ़ में गोंडो समुदाय भिम्मा ने अपने इष्टदेव तीसरे पांडव भीम से वर्षा के लिये प्रार्थना के लिये एकल सिर वाले नगाड़े बजाए।
- भारत में लगभग 2500 से अधिक जनजातियाँ एवं जातीय समूह हैं। इनमें मान्यता प्राप्त एवं गैर-मान्यता प्राप्त दोनों को ही शामिल किया जाता है। संगीत, नृत्य, शिल्प एवं चित्र सहित अनेक कलाओं ने इन समूहों में अपना घर बनाया तथा हज़ारों कलारूपों को जन्म दिया। परंतु इनमें से कुछ ही मुख्यधारा में शामिल हो पाई।

शास्त्रीय कलाओं का संरक्षण

- शास्त्रीय एवं मापदंडों की मानक संहिताओं की बेहतर उपलब्धता के कारण अन्य की तुलना में शास्त्रीय कलाओं को संरक्षित करने

के लिये अधिक प्रयास किये गए हैं। हालाँकि, पारंपरिक भारतीय लोक-संस्कृति की भी पूर्णतया उपेक्षा नहीं की गई है। सरकारी विभागों द्वारा अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार शास्त्रीय कलाओं के साथ ही लोक संस्कृति को भी वैश्विक परिदृश्य में लाने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है।

- पिछले एक दशक में लोक कलाओं को प्रोत्साहन देने के लिये प्रारंभ की गई योजनाओं एवं नीतिगत निर्णयों की संख्या में वद्धि हुई है। संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार, भारतीय सांस्कृतिक संबद्ध परिषद् के माध्यम से विदेश मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने पारंपरिक लोक कला एवं संस्कृति के प्रचार के लिये सक्रिय रूप से कदम उठाए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् के प्रयासों से कला के प्रचार के लिये पिछले छह वर्षों में 1267.71 करोड़ रुपए अनुदान सहायता के रूप में खर्च किये गए।
- सरकार ने सेनेगल, कोट दी आइवरी, लिंचेस्टाइन, कोरिया और यूक्रेन जैसे देशों में 'फेस्टिवल ऑफ इंडिया' एवं 'नमस्ते इंडिया' का आयोजन किया है। संस्कृति चैनल, वर्चुअल म्यूजियम और भारतीय संस्कृति पोर्टल सहित आई.सी.टी. की पहलों ने विदेशों में कला एवं कला प्रेमियों के बीच की दूरी को कम करने का प्रयास किया है।
- विदेश मंत्रालय द्वारा प्रवासियों को भारतीय संस्कृति और विरासत के साथ खुद को परिचित कराने के लिये तीन सप्ताह के उन्मुखीकरण कार्यक्रम 'भारत को जानिये' प्रारंभ किया है। सांस्कृतिक संबंधों का संवर्द्धन योजनाएँ, विभिन्न स्मरणोत्सव और पर्व, सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना जैसे– श्रीलंका के जाफना में हाल में स्थापित केंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पारंपरिक भारतीय संस्कृति के प्रदर्शन की सुविधा प्रदान की है।
- सांस्कृतिक आदान-प्रदान एवं संवर्द्धन के उद्देश्य से अन्य देशों के साथ भी कई द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए हैं। पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में मुख्यालय के साथ स्थापित सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं ने भी इस प्रयास में मदद की है।
- वर्ष 2015 से 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' अभियान के अंतर्गत ग्यारह राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सवों का अयोजन किया गया है। लोक कला दर्शन, लोकनृत्य भारत भारती, आदिवासी नृत्य महोत्सव, लोक रंगमंच महोत्सव, लोक ज्ञान परंपरा जैसे फ्लैगशिप कार्यक्रमों ने भी लोक-संस्कृति के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिये उत्प्रेरक का कार्य किया है।

संरक्षण संबंधी मुद्दे

- ग्रामीण एवं आदिवासी लोक कला का जन्म आम आदमी की नैसर्गिक जीवनशैली से हुआ है। यह आवश्यक नहीं है कि उसका प्रयोजन रंगभूमि प्रदर्शन के लिये था। अतः ऐसी स्थिति में इन कलाओं को बढ़ावा देने के लिये अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। संस्कृति को बढ़ावा देने का उद्देश्य उसका संरक्षण करना है। कला को बढ़ावा देने में जल्दबाजी की भावना होती है, इस जल्दबाजी में कला के जटिल एवं अमूर्त तत्त्व उपेक्षित हो जाते हैं। इसके कारण आज लोक कला विद्या की विलक्षणता घट गई है।
- लोक-संस्कृति की बढ़ती मार्केटिंग के प्रयासों में लोक कला को प्रदर्शित करने एवं लोकप्रिय बनाने के लिये एक अधीरता होती है। यह इसकी मौलिकता एवं विशिष्टता को संरक्षित किये बिना किया जाता है। इससे लोक कला के अनूठेपन एवं विशेषता को क्षति पहुँच सकती है।
- संरक्षकों एवं पुरातत्वविदों ने जीवंत एवं रंगबिरंगे कलारूपों के संरक्षण की दिशा में सराहनीय प्रयास किया है। इसका प्रमुख कारण इनका सौंदर्यबोध एवं प्रमाणिकता के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इनकी माँग है। इन प्रयासों में गंजिका पेंटिंग, भील पेंटिंग, रोशन आर्ट, चंपा रूमाल जैसे कलारूपों की लोकप्रिय संस्कृति में वापसी ने सहायता की है।
- भारत में हवाई अड्डों, मेट्रो स्टेशनों जैसे परिवहन केंद्र यात्रियों को विभिन्न कला रूपों को संरक्षित करने एवं उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिये प्रयास कर रहे हैं। इन प्रयासों ने ललित, लोक एवं जनजातीय कला के संरक्षण में सहायता की है। परंतु ऐसे प्रयास दृश्य कला के लिये ही उपयोगी हो सकते हैं। बाउल संगीत, सोपान संगीत, थेयम, गुरबानी और कव्वाली जैसे पावन रूपों को अपने मूल पवित्र रूप में संरक्षित करने की आवश्यकता है न कि कलाकार-दर्शक व्यवस्था में सांस्कृतिक प्रस्तुति के रूप में।
- कई महत्त्वपूर्ण संस्कृतियों का विनाश युद्ध एवं शहरी क्षेत्रों में प्रवास की प्रबल इच्छा के कारण हुआ है। नीतियों को लागू करने और संचार सुविधाओं के उपयोग के माध्यम से लोकविधा को मुख्यधारा में लाने का प्रयास भी पारंपरिक क्षेत्र में इस मायने में अतिक्रमण है, जो उन अवरोधों को दूर कर देता है, जिनमें कभी उनकी रक्षा होती थी।
- भारत के विभिन्न स्थानों एवं उत्सवों में विश्व की रुचि उत्पन्न होने की अपार संभावनाएँ हैं। इससे पर्यटन क्षेत्र एवं अर्थव्यवस्था दोनों को ही लाभ होगा। इसका एक अनुपम उदाहरण वर्ष 2019 में आयोजित कुंभ मेला है। संस्कृति के संवर्द्धन एवं संरक्षण के लिये ज़िम्मेदार विभिन्न निकाय जिनमें संस्कृति मंत्रालय, संगीत नाटक अकादमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, विभिन्न क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र शामिल हैं, जिससे विभिन्न रूपों में विभाजित कला को एक ही मंच पर लाया गया है।
- सरकार द्वारा प्रारंभ की गई 'देखो अपना देश' जैसी पहल लोगों को अपनी जड़ों की ओर लौटने में मदद करेगी। संस्कृति के संरक्षण के लिये यह आवश्यक है कि संस्कृति को सबसे पहले उसके उत्पत्ति स्थल के आस-पास संरक्षित किया जाए, फिर देश के अन्य

हिस्सों में इसके प्रति जागरूकता उत्पन्न होगी। अंत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके प्रदर्शन की योजना निर्मित की जानी चाहिये।

निष्कर्ष

कला के संरक्षण के लिये व्यापक रूप से प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। इसके लिये उत्तरदायी विभिन्न हितधारकों को गुरुकुल स्थापित करके शास्त्रीय कलाओं के साथ ही लोक कलाओं को भी संरक्षित किये जाने के प्रयास किये जाने चाहिये। हमारी विरासत और संस्कृति हमें उन्नति के मार्ग पर अग्रसर कर सकती है। इसके लिये आवश्यक है कि हम इसे अंगीकार करें। साथ ही, इसके संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिये विशेष प्रयास किये जाएँ।

भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत

संदर्भ

भारत एक बहु-प्रदेशिक देश है। यहाँ अलग-अलग भाषाएँ, परंपराएँ, लोकव्यवस्थाएँ एवं संस्कृति है। यह विविधता ही हमारे देश की संपन्नता है। हमारे देश में अलग-अलग हिस्सों में बड़े पैमाने पर स्मारक एवं ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं। ये स्थल हमारे स्वर्णिम अतीत का हिस्सा हैं। एक आकलन के अनुसार लगभग 5 लाख से भी अधिक ऐतिहासिक इमारतें और स्थल हमारी विरासत का हिस्सा हैं।

भारत की सांस्कृतिक विरासत

- भारत के कुल 38 स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल हैं। इनमें 30 सांस्कृतिक स्थल, सात प्राकृतिक स्थल तथा एक मिश्रित स्थल हैं। इसके साथ ही देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जैसे– वाचिक परंपरा, अभिव्यक्ति एवं शिल्प इत्यादि भी काफी समृद्ध एवं विविधतापूर्ण हैं। सांस्कृतिक विरासत की इस समृद्धि के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों एवं दूरदराज के जनजातीय इलाकों में अवस्थित धरोहर अभी भी उपेक्षित अवस्था में है, जिनका संरक्षण किया जाना आवश्यक है।
- हमारी सांस्कृतिक धरोहर अतीत का प्रतिबिंब होने के साथ ही ऐतिहासिक पर्यटन के माध्यम से रोज़गार सृजन के अवसर भी प्रदान करती है। इन स्थलों के उचित रख-रखाव एवं प्रबंधन के माध्यम से आस-पास रहने वाले लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है।
- कुल मूल्य के आधार पर वर्ष 2019 में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय 40,925 रुपए थी। देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी गाँव में रहती है तथा इनमें से लगभग आधे लोग कृषि एवं संबंधित गतिविधियों में संलग्न हैं। हालाँकि, गाँवों से होने वाले पलायन से सांस्कृतिक एवं जैव विविधता की क्षति हो रही है। ग्रामीण पर्यटन एवं ऐतिहासिक पर्यटन में वृद्धि से गाँवों में रोज़गार के अवसरों में वृद्धि होगी।

धरोहरों का ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान

- देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण अनेक धरोहर स्थल हैं। पर्यटक ऐसे स्थानों की ओर आकर्षित होते हैं जो कम भीड़-भाड़ वाले, स्वच्छ, सेहत के लिये लाभकारी तथा प्रदूषण से मुक्त हों। इन पर्यटकों से गाँव की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा तथा स्थानीय लोगों के लिये रोज़गार के समुचित अवसर उत्पन्न होंगे।
- महत्त्वपूर्ण स्थानीय संसाधन जैसे पारंपरिक बावड़ियाँ धरोहर की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होने के साथ ही जलस्रोतों को पुनः बहाल करने के लिये भी उपयोगी हैं। इससे पर्यटकों को आकर्षित करने के साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी लाभ पहुँचेगा। साथ ही, इससे ग्रामीण आधारभूत संरचना के विकास के साथ ही संबंधित क्षेत्र में जल की समस्या का भी समाधान हो सकेगा।
- वर्ष 2020-21 के बजट में 5 पुरातात्विक स्थलों राखीगढ़ी (हरियाणा), हस्तिनापुर (उत्तर प्रदेश), शिवसागर (असम), धौलावीरा (गुजरात) और आदिचनल्लूर (तमिलनाडु) को महत्त्वपूर्ण स्थल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। ये स्थल ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्त्वपूर्ण हैं। इन स्थलों के विकास से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।
- पर्यटन मंत्रालय की 'स्वदेश दर्शन' योजना (वर्ष 2014-15) के अंतर्गत 6 बौद्ध सर्किट हैं, जबकि प्रसाद योजना के अंतर्गत किसी बौद्ध स्थल को शामिल नहीं किया गया है। हालाँकि, प्रतिष्ठित स्थल योजना के अंतर्गत 'महाबोधि मंदिर' की पहचान की गई है।

नीतिगत सुझाव

- ऐतिहासिक इमारतों एवं स्थलों को पुनः लोकप्रिय बनाने के लिये प्रबंधन योजना की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत सबसे पहले राष्ट्रीय पुरातात्विक डेटाबेस तैयार करना होगा। साथ ही, स्थलों से जुड़े दस्तावेज़ तैयार करने, उनके सर्वे, खुदाई संरक्षण एवं प्रचार-प्रसार के लिये उन्नत तकनीक का प्रयोग करने की आवश्यकता है। ज़मीनी-स्तर पर स्मारकों की देख-रेख के लिये आवश्यक कौशल से युक्त कर्मचारियों की भी आवश्यकता होगी।
- राष्ट्रीय संरक्षण नीति के अनुसार, संरक्षण कार्यों में किसी परियोजना से जुड़ी 70 प्रतिशत लागत कुशल कर्मियों का वेतन होता है। पुरातात्विक खनन एवं ऐतिहासिक बावड़ियों/कुंओं की सफाई जैसी परियोजनाओं में 100 प्रतिशत लागत अकुशल श्रमिकों पर खर्च होती है। अतः भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एवं राज्य स्तर के सभी पुरातत्व विभागों को राष्ट्रीय संरक्षण नीति लागू करने की आवश्यकता है। इस नीति में पारंपरिक शिल्पकारी, पारंपरिक भवन निर्माण सामग्री एवं कौशल को संरक्षण प्रक्रिया का महत्त्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। इस नीति में पर्यटन और विकास क्षमता निर्माण, संस्थानों के साथ साझेदारी तथा स्थानीय समुदायों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

- राजस्थान के पुरातत्व विभाग द्वारा वर्ष 2014 में विश्व धरोहर स्थलों के लिये राष्ट्रीय संरक्षण नीति संबंधी दिशा-निर्देशों को लागू किया गया। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय नीति के कुछ महत्त्वपूर्ण उपखंडों जैसे– स्थानीय कर्मियों को काम पर रखना, संरक्षण के लिये क्षेत्र के हिसाब से दरें तय करना इत्यादि शामिल हैं। ऐसे नियमों को पूरे देश में लागू किये जाने की आवश्यकता है।
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एवं राज्यों के पुरातत्व विभाग द्वारा ऐसी परियोजनाओं की पहचान करने की आवश्यकता है, जिन्हें मनरेगा के फंड से ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जा सके। इस संदर्भ में पुराने जल निकायों को पुनर्जीवित करना तथा वर्षा जल को एकत्रित करने जैसे कार्य अन्य उद्देश्यों की पूर्ति भी करेंगे।
- भारत सरकार की 'धरोहर गोद लें' योजना का उद्देश्य धरोहर स्थलों/स्मारकों का विकास करना, उन्हें पर्यटन के अनुकूल बनाना और पर्यटन की संभावना को बढ़ाना है। हालाँकि, इस योजना के अंतर्गत हुई प्रगति काफी धीमी रही है।
- भारत सरकार के 'हुनर से रोज़गार तक' कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षा गार्ड, यात्रा सहायक, ऑफिस सहायक आदि के लिये प्रशिक्षित किया जाता है। ऐतिहासिक पर्यटन को ध्यान में रखते हुए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, संकल्प, उड़ान एवं पॉलिटेक्नीक योजनाओं और विद्यालय एवं उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षा के व्यावसायीकरण के माध्यम से स्थानीय लोगों के कौशल विकास के लिये प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।
- स्मारकों एवं बागों के लिये कई तरह के कार्यों को करने वाले कर्मचारियों (अकुशल श्रमिकों) की नियुक्ति में स्थानीय लोगों को शामिल किया जाना चाहिये। ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण, प्रबंधन एवं प्रचार-प्रसार के लिये स्थानीय समुदाय की सहभागिता भी आवश्यक है। ऐसा करने से स्थानीय लोगों में ऐतिहासिक धरोहरों के प्रति ज़िम्मेदारी की भावना उत्पन्न होगी।
- ऐतिहासिक स्थलों के लिये संरक्षण योजना तैयार करते समय स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिये। ग्रामीण पर्यटन के अंतर्गत ग्रामीण जीवन, संस्कृति तथा कला को आकर्षित करने वाले ऐतिहासिक स्थलों को दिखाया जाता है। इससे स्थानीय समुदाय को सामाजिक एवं आर्थिक लाभ होता है। साथ ही, इससे पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों के मध्य संवाद का बेहतर अवसर प्राप्त होता है।
- ऐतिहासिक स्थलों पर स्थित संग्रहालयों को बच्चों, परिवारों तथा सभी तरह के दर्शकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से वार्षिक कार्यक्रम प्रारंभ करने चाहिये। संग्रहालय में काम करने के लिये भी स्थानीय लोगों की नियुक्ति की जा सकती है। साथ ही, विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाने के लिये सभी ऐतिहासिक स्थलों पर विशेष कार्यक्रमों का संचालन किया जाना चाहिये।
- क्राउड फंडिंग अथवा कम्युनिटी फंडिंग जैसे फंडिंग से जुड़े नए-नए विकल्पों की पहचान की जानी चाहिये। पुरातत्व विभाग द्वारा ऐतिहासिक इमारतों के रख-रखाव में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने पर विचार किया जाना चाहिये। इससे पर्यटकों की रुचि बढ़ाने के साथ ही वित्तीय सुविधाएँ प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी।

निष्कर्ष

देश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्द्धन के उद्देश्य से अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों को प्रारंभ किया जाना चाहिये। यूनेस्को के हेरिटेज कार्यक्रम के समान ही सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहरों के लिये अभिनव एवं ग्रामीण पुनरुद्धार आधारित कार्यक्रमों को प्रारंभ किया जाना चाहिये। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने में अतुल्य भारत 2.0 अभियान महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इसके अंतर्गत देश की अमूल्य धरोहर एवं विरासत के संदर्भ में जानकारी दी जानी चाहिये।

स्वदेश दर्शन योजना

- स्वदेश दर्शन योजना पर्यटन मंत्रालय द्वारा जनवरी 2015 में शुरू की गई थी।
- इस योजना के अंतर्गत 15 सर्किट– हिमालय सर्किट, पूर्वोत्तर सर्किट, कृष्णा सर्किट, बौद्ध सर्किट एवं तटीय सर्किट, मरुभूमि सर्किट, जनजातीय सर्किट, पारिस्थितिकी सर्किट, वन्य जीव सर्किट, ग्रामीण सर्किट, माध्यात्मिक सर्किट, रामायण सर्किट, विरासत सर्किट, तीर्थंकर सर्किट और सूफी सर्किट को विकास के लिये चिह्नित किया गया है।

'धरोहर गोद लें' योजना

- 'धरोहर गोद लें' योजना विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर 27 सितंबर 2017 को प्रारंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, निजी क्षेत्र की कंपनियों और कॉर्पोरेट जगत को शामिल कर देश के धरोहर स्थलों का विकास, संचालन और रख-रखाव कर पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएँ प्रदान करता है। साथ ही, उन्नत संचालन के माध्यम से धरोहरों एवं पर्यटन स्थलों को अधिक उन्नत बनाना है।
- इसका उद्देश्य पर्यटकों को स्वच्छता, पेयजल, सार्वजनिक सुविधाएँ, दिव्यांगों एवं वरिष्ठ नागरिकों को सुविधाएँ, रोशनी एवं निगरानी प्रणाली, पर्यटन सुविधा केंद्र इत्यादि का विकास कर एक उन्नत पर्यटन का अनुभव प्रदान करना है। इससे घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकेगा।

भारत में विश्व विरासत स्थल (38)

सांस्कृतिक स्थल

1. अंजता की गुफाएँ
2. एलोरा की गुफाएँ
3. ताजमहल, उत्तर प्रदेश (1983)
4. आगरा का किला, उत्तर प्रदेश (1983)
5. सूर्य मंदिर, कोणार्क (1984)
6. महाबलीपुरम् के स्थापत्य (1984)
7. गोवा के पुराने चर्च (1986)
8. खजुराहो के स्थापत्य (1986)
9. हम्पी के स्थापत्य (1986)
10. फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश (1986)
11. एलीफेंटा की गुफाएँ (1987)
12. चोल मंदिर (1987, 2004)
13. पट्टदकल के स्थापत्य (1987)
14. बौद्ध स्थापत्य, साँची (1989)
15. हुँमायू का मकबरा, दिल्ली (1993)
16. कुतुबमीनार, दिल्ली (1993)
17. भारत के पर्वतीय रेलवे (1999, 2005, 2008)
18. महाबोधि मंदिर, बोधगया (2002)
19. भीमबेटका की गुफाएँ (2003)
20. चम्पानेर-पावागढ़ पुरातत्व उद्यान (2004)
21. छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, मुंबई (2004)
22. लाल किला, दिल्ली (2007)
23. जंतर-मंतर, जयपुर (2010)
24. राजस्थान के पर्वतीय किले (2013)
25. रानी की वाव, पाटन गुजरात (2014)
26. नालंदा महाविहार, नालंदा बिहार (2016)
27. ली कार्बूजियर का वास्तुकला कार्य, चंडीगढ़ (2016)
28. अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर (2017)
29. विक्टोरियन गोथिक एवं आर्ट डेको इंसेबल्स, मुंबई (2018)
30. जयपुर शहर, राजस्थान (2019)

प्राकृतिक स्थल

1. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम (1985)
2. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान (1985)
3. मानस राष्ट्रीय उद्यान, असम (1985)
4. सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल (1987)
5. नंदा देवी (फूलों की घाटी) राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड (1988, 2005)
6. पश्चिमी घाट (2012)
7. ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, हिमाचल प्रदेश (2014)

मिश्रित स्थल

1. कंचनजंघा राष्ट्रीय उद्यान, सिक्किम (2016)

डाउन टू अर्थ

जलवायु परिवर्तन के युग में जल

संदर्भ

- जलवायु परिवर्तन की बढ़ती चुनौतियों के बीच 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया। इसमें जल दिवस के अवसर पर जल संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया गया।
- वर्तमान में वर्षा के जल की प्रत्येक बूंद को संरक्षित करने तथा उपयोग में लाए गए जल का पुनः प्रयोग एवं नवीनीकरण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही, जल को प्रदूषित होने से भी बचाना होगा।

जलवायु परिवर्तन का बढ़ता प्रभाव

- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को निरंतर बढ़ते तापमान और अप्रत्याशित एवं अत्यधिक वर्षा के रूप में देखा जा सकता है। इन प्रभावों का जल चक्र के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है।
- उत्तर भारत के राज्यों में तापमान सामान्य से अधिक देखा जा रहा है। वर्ष 2021 में प्रशांत महासागर में ला नीना जलधारा उठने के बावजूद तापमान में अधिकता दर्ज की जा रही है। जबकि यह जलधारा वैश्विक स्तर पर तापमान को कम करने में मदद करती है। भारतीय मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग ने ला नीना के शीतलीकरण के प्रभाव को कमज़ोर कर दिया है।

जल संरक्षण हेतु किये जाने वाले प्रयास

- लगातार बढ़ते तापमान के कारण जलाशयों से होने वाले वाष्पीकरण की दर में वृद्धि हो रही है। इस संदर्भ में वाष्पीकरण के कारण होने वाले जल के नुकसान को कम करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिये भूजल प्रणालियों के प्रबंधन पर गंभीरता से ध्यान देना होगा।
- तापमान की बढ़ोतरी से भूमि की उर्वरता में कमी होने के साथ ही डस्ट बाउल (धूल का कटोरा) जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। डस्ट बाउल से तात्पर्य तापमान में वृद्धि से भूमि की नमी के सूखने के कारण मिट्टी का धूल में परिवर्तित हो जाना है। इस परिस्थिति में सिंचाई की अधिक आवश्यकता पड़ती है। इसके लिये जल प्रबंधन एवं वनस्पति नियोजन को साथ-साथ किये जाने की आवश्यकता है, ताकि भूमि की जल संचयन क्षमता में वृद्धि हो सके।
- अत्यधिक गर्मी की स्थिति में जल की माँग भी बढ़ जाएगी। पेयजल एवं सिंचाई के अतिरिक्त जंगलों में लगने वाली आग को बुझाने के लिये भी जल की माँग में वृद्धि की संभावना है। इस हेतु अपशिष्ट जल को भी बर्बाद होने से बचाने पर ध्यान देना होगा।
- जलवायु परिवर्तन के कारण अप्रत्याशित वर्षा की घटनाओं में वृद्धि देखने को मिल रही है, जिसके फलस्वरूप बाढ़ और सूखे के चक्र और तीव्र हो जाएँगे। इससे निपटने के लिये हमें बाढ़ प्रबंधन और वर्षा जल संग्रहण पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इस हेतु न केवल नदियों पर बाँध बनाने की आवश्यकता है, बल्कि बाढ़ के पानी को कुओं और तालाबों में जमा करना भी ज़रूरी है।
- उदाहरण के लिये वर्तमान में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम के तहत बनाई जा रही लाखों जल संरचनाएँ सामान्य वर्षा के अनुरूप हैं। इन संरचनाओं को अतिवृष्टि को ध्यान में रखकर तैयार करने की आवश्यकता है, ताकि वे मौसम की मार को झेल सकें।

निष्कर्ष

- हमें जलवायु परिवर्तन के इस युग में न केवल वर्षा बल्कि बाढ़ के पानी की हर बूंद को बचाने के लिये एक सुनिश्चित योजना बनानी चाहिये।
- जल ही अंततः जीवन एवं संपन्नता का स्रोत है। इसके संरक्षण के लिये जुनून के साथ-साथ संकल्प एवं दृढ़ता की भी आवश्यकता है, तभी सुखद भविष्य का निर्माण किया जा सकता है।

जलवायु से जुड़ी आपदाओं के कारण विस्थापन

- इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु से जुड़ी आपदाओं, जैसे बाढ़, सूखा, तूफान आदि के कारण पिछले छह महीनों (सितंबर 2020 से फरवरी 2021) में 1.03 करोड़ से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। इनमें से लगभग 60 फीसदी एशिया के हैं।
- यह रिपोर्ट इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर (IDMC) द्वारा जारी आँकड़ों पर आधारित है। आई.डी.एम.सी. का अनुमान है कि जलवायु संबंधी आपदाओं के कारण प्रत्येक वर्ष विश्वभर में औसतन 2.27 करोड़ लोग विस्थापित होते हैं।
- जलवायु संबंधी आपदाओं के परिणामस्वरूप प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोग रोज़गार के अवसरों के समाप्त होने के कारण विस्थापन या पलायन करने को विवश हो जाते हैं। विश्व बैंक के अनुसार, अकेले समुद्र के जलस्तर के बढ़ने के कारण इस सदी में करीब 9 करोड़ लोग विस्थापित हो जाएँगे।
- विस्थापितों को न केवल आश्रय, स्वास्थ्य, सुरक्षा, साफ पानी, स्वच्छता आदि से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बल्कि इन्हें लंबे समय तक समर्थन और मदद की भी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा, विस्थापन का सबसे अधिक प्रभाव

महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, बीमार और हाशिये पर रह रहे लोगों पर पड़ता है।

- ध्यान देने योग्य है कि विस्थापन का असर न केवल विस्थापितों पर पड़ता है, बल्कि इससे वे लोग और समुदाय भी प्रभावित होते हैं, जो इन्हें समर्थन और शरण देते हैं।
- हाल ही में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, 2021 में पर्यावरण संबंधी मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन, चरम मौसमी घटनाओं को प्रमुखता से रखा गया है।
- जर्मनवॉच द्वारा जारी क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, 2021 में भारत को दुनिया के जलवायु प्रभावित देशों में 7वें स्थान पर रखा गया है। इस सूची के मुताबिक वर्ष 2019 में जलवायु से जुड़ी आपदाओं के कारण भारत में 2,267 लोगों की मृत्यु हुई थी, जबकि देश को लगभग 501,659 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ था।

जलवायु परिवर्तन का नदियों पर प्रभाव

- अंतर्राष्ट्रीय जर्नल साइंस में प्रकाशित शोध के अनुसार, दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के कारण नदियों के प्रवाह में परिवर्तन आ रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ क्षेत्रों में नदियों का प्रवाह पहले की तुलना में बढ़ गया है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम हो गया है।
- इसके परिणामस्वरूप बाढ़ और सूखे की समस्या सामने आ रही है। जिन क्षेत्रों में प्रवाह बढ़ा है वहाँ बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि हो गई है, जबकि इसके विपरीत जहाँ प्रवाह में कमी आई है वहाँ सूखे की समस्या में वृद्धि हुई है।
- शोध से ज्ञात हुआ है कि उत्तरी यूरोप की नदियों के प्रवाह में वृद्धि हुई है, जबकि दक्षिण यूरोप, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों में नदियों के प्रवाह में कमी दर्ज की गई है।
- इस प्रकार, जलवायु परिवर्तन हमारी पृथ्वी के जल संतुलन को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। किंतु इसके साथ ही कुछ अन्य कारकों, जैसे भूमि उपयोग में परिवर्तन, जल चक्र के साथ की गई छेड़छाड़ आदि का प्रभाव भी नदी प्रवाह पर पड़ रहा है।
- उदाहरण के लिये नदियों के जल का सिंचाई में प्रयोग करना, जलाशयों में जल को इकट्ठा करना, जंगलों को काटकर उसके स्थान पर कृषि का किया जाना आदि सभी नदी के प्रवाह पर असर डाल रहे हैं।

बच्चों पर जल संकट का प्रभाव

- हाल ही में, यूनिसेफ द्वारा जारी विश्लेषण के अनुसार विश्व के हर पाँचवें बच्चे के पास अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं है। साथ ही, वैश्विक स्तर पर लगभग 142 करोड़ लोग जल की भारी कमी वाले स्थानों पर रहते हैं, जिनमें 45 करोड़ बच्चे सम्मिलित हैं।
- आँकड़ों से ज्ञात हुआ है कि विश्वभर के 80 से ज़्यादा देशों में बच्चे उन स्थानों पर रहते हैं, जो गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका में 58 फीसदी, पश्चिम और मध्य अफ्रीका में 31 फीसदी, दक्षिण एशिया में 25 फीसदी और मध्य पूर्व में 23 फीसदी बच्चे जल संकट का सामना कर रहे हैं। वहीं यदि बच्चों की संख्या के हिसाब से देखें तो दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा 15.5 करोड़ बच्चे गंभीर और अति गंभीर जल संकट का सामना करने को मजबूर हैं।
- दुनिया में 37 देश ऐसे हैं जिन्हें बच्चों के लिये जल संकट का हॉटस्पॉट माना गया है। इसमें भारत के साथ-साथ अफगानिस्तान, इथियोपिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, पापुआ न्यू गिनी, सूडान, तंजानिया, यमन आदि देश शामिल हैं। विदित है कि भारत में लगभग 9.14 करोड़ बच्चे गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं।

वन्यजीवों की पहचान और संरक्षण

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची में सूचीबद्ध प्रजातियों के नामों पर भ्रम की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि इन वन्यजीवों के वैज्ञानिक और सामान्य नामों को इस अधिनियम के बनने के पश्चात् कभी अपडेट ही नहीं किया गया।
- इस अधिनियम में प्रजातियों को अधिकतम सुरक्षा (अनुसूची-I) से न्यूनतम सुरक्षा (अनुसूची-IV) तक चार अनुसूचियों में वर्गीकृत किया गया है।
- विदित है कि वन्यजीव की किसी एक प्रजाति का सामान्य नाम विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग होता है। किसी प्रजाति के बारे में नई जानकारी प्राप्त होने पर वैज्ञानिक नामों में परिवर्तन किया जाता है।

प्रजातियों का नाम निर्धारित करने की विधि

- शोधार्थी एक संभावित नई प्रजाति की खोज करता है।
- शोधार्थी उस प्रजाति का वर्णन और पहचान करता है।
- नई प्रजाति का वर्णन करते हुए एक शोध पत्र लिखता है।
- जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ZSI) या बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी (BNHS) को नमूना भेजा जाता है।
- इस नमूने के लिये ज़ेड.एस.आई. या बी.एन.एच.एस. एक नंबर जारी करता है।
- नमूना और शोध को इंटरनेशनल कमीशन ऑन जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर या इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर के पास भेजा जाता है।
- अगर प्रजाति अन्य प्रजातियों से अलग पाई जाती है, तो आई.सी.ज़ेड.एन. या आई.सी.बी.एन. के डेटाबेस में सम्मिलित कर लिया जाता है।

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के लागू होने के बाद से ही इस अधिनियम के अंतर्गत वन्यजीवों के नामों में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है। इसी का परिणाम है कि अधिनियम में कुछ अनुसूचित प्रजातियाँ भारत में नहीं पाई जाती हैं, जबकि कुछ प्रजातियाँ, जो भारत में पाई जाती हैं, उनका अधिनियम में उल्लेख ही नहीं है।
- अधिनियम की अनुसूची-I में उल्लिखित रात्रिचर वन्यजीव स्ट्रेप्सिराइन प्राइमेट का वैज्ञानिक नाम लोरिस टार्दिग्रेडस मिलता है। जबकि लोरिस टार्दिग्रेडस एक अलग प्रजाति है, जो श्रीलंका में पाई जाती है। वहीं भारत में पाई जाने वाली लोरिस प्रजाति का वैज्ञानिक नाम 1998 में संशोधित करके लोरिस लिडेकेरिएनस रख दिया गया, लेकिन भारत में पाई जाने वाली इस प्रजाति को अभी भी अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है।
- अधिनियम की अनुसूची-I में माउस डियर का वैज्ञानिक नाम ट्रागुलस मेमिना के रूप में उल्लिखित है। वर्ष 2005 में यह ज्ञात हुआ कि यह प्रजाति श्रीलंका की एक प्रजाति है, जबकि भारत में पाई जाने वाली इस प्रजाति का नाम बदलकर मोशियोला इंडिका रख दिया गया। लेकिन इस प्रजाति को अभी भी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में सूचीबद्ध नहीं किया गया है।
- इस अधिनियम में कछुए के संपूर्ण वर्ग को अनुसूची-IV में सूचीबद्ध किया गया है। इस प्रकार की सूचियों से सम्मिलित स्टार कछुओं जैसी संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण कठिन हो जाता है, जिनका व्यापक स्तर पर व्यापार हेतु शिकार किया जाता है।
- निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि वन्यजीवों के संरक्षण हेतु इनके वैज्ञानिक नामों को तत्काल बदलने की आवश्यकता है तथा इन वन्यजीवों का नाम अनुसूचियों में दर्ज करना भी अनिवार्य है। ऐसा करके ही हम इन संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण कर सकते हैं।

जाबो सिंचाई पद्धति और पर्यावरण संरक्षण

- नागालैंड के फेक ज़िले में अवस्थित किक्रुमा गाँव जाबो नामक सिंचाई प्रणाली के लिये जाना जाता है। जाबो का आशय पानी को तालाब में एकत्रित करना है। इस पद्धति को इस क्षेत्र में 'रुजा' भी कहा जाता है।
- यह एक देशी प्रणाली है, जिसमें वन, खेती और पशुपालन की गतिविधियों को एक साथ किया जाता है। इस प्रणाली में मिट्टी के कटाव पर नियंत्रण रखने के साथ ही जल संसाधनों के प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दिया जाता है।
- इस पद्धति के विभिन्न अंगों में वन भूमि, जल संचय प्रणाली, बाड़, कृषि भूमि आदि सम्मिलित होते हैं, जिनका विस्तृत वर्णन इस प्रकार है–
  - वन भूमि का विस्तार करके मानसून के दौरान जल संग्रह में वृद्धि की जाती है। यह तालाब के ऊपर अवस्थित होता है।
  - वन भूमि के ढलान पर जल संचयन हेतु तालाब खोदे जाते हैं, जो मिट्टी के बाँध से निर्मित होते हैं।
  - पशुओं को रखने के लिये बाँस या टहनियों की बाड़ बनाई जाती है। इनका निर्माण तालाब के नीचे ढलान पर किया जाता है। तालाब का जल बहकर बाड़ से होते हुए नीचे की तरफ प्रवाहित होता है, जो अपने साथ प्राकृतिक खाद से युक्त जल लेकर नीचे स्थित कृषि भूमि तक पहुँचता है।
  - पशुओं के बाड़ के नीचे धान के सीढ़ीदार खेत होते हैं, जिसमें बाड़ से प्राकृतिक खाद युक्त जल बहकर आता है।
- इस प्रकार, नागालैंड में प्रचलित जाबो सिंचाई प्रणाली कृषिगत उत्पादन को बढ़ाने के साथ-साथ पूरी तरह से पर्यावरण हितैषी पद्धति है। इसके प्रयोग से न केवल जल का संरक्षण होता है, अपितु पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलता है।

जलवायु परिवर्तन : करे कोई, भरे कोई

- जलवायु परिवर्तन का सामना आज संपूर्ण विश्व को करना पड़ रहा है, लेकिन इसका प्रभाव सबसे कम ज़िम्मेदार लोगों अर्थात् आर्थिक व सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्गों पर सबसे अधिक देखने को मिल रहा है, इसे पर्यावरणीय अन्याय से संबोधित किया जा रहा है।
- पर्यावरणीय अन्याय का ही परिणाम है कि गरीब राष्ट्र और वहाँ निवास कर रही जनता को जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन से उत्पन्न चुनौतियों का अधिक सामना करना पड़ रहा है। साधनों की कमी के कारण ये देश पर्यावरणीय आपदाओं की सबसे अधिक कीमत चुका रहे हैं।
- वहीं दूसरी तरफ, जलवायु परिवर्तन के लिये उत्तरदायी विकसित देशों और लोगों के पास प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिये अधिक साधन उपलब्ध होते हैं।

जलवायु परिवर्तन के प्रति जवाबदेही

- वैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि भारत में वायु प्रदूषण से होने वाली 75 प्रतिशत मौतें ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण घर के भीतर चूल्हा जलाने से होने वाला प्रदूषण है। इस वायु प्रदूषण से भी परिवार के अन्य सदस्यों की अपेक्षा महिलाएँ अधिक प्रभावित हो रही हैं। इस प्रकार, यह भी एक पर्यावरणीय अन्याय का उदाहरण है।
- संपूर्ण पृथ्वी पर केवल 10 प्रतिशत आबादी ग्रीन हाउस गैसों के अधिकांश उत्सर्जन के लिये उत्तरदायी है, लेकिन उसका नुकसान पूरे विश्व, मुख्यतया विकासशील और अल्पविकसित देशों को उठाना पड़ रहा है।
- पृथ्वी पर विद्यमान ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा का लगभग 70 प्रतिशत भाग विकसित देशों के सघन ऊर्जा आधारित विकास के लंबे इतिहास का परिणाम है।

- पर्यावरण में एकत्रित ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा में विभिन्न देशों के हिस्से का आकलन सर्वप्रथम वर्ष 1991 में भारत की संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ने किया था। इस आकलन में बताया गया कि विकसित देशों ने अपने न्यायपूर्ण हिस्से से कई गुणा अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करके वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा दिया है।
- इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन समझौते के तहत 'सामान्य लेकिन विभेदीकृत ज़िम्मेदारी' के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इस सिद्धांत का आशय यह है कि जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने हेतु सभी देशों को कार्य करना होगा, लेकिन इसमें मुख्य भूमिका विकसित देशों को निभानी होगी।
- इस सिद्धांत को अपनाने के स्थान पर विकसित देश अपनी ज़िम्मेदारियों से बचते हुए वर्ष 2009 से चीन और भारत जैसे देशों पर जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिये अधिक उत्तरदायित्व निभाने का दबाव बना रहे हैं।

भारत में जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देने वाली गतिविधियाँ

- पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों में जैविक कृषि की मुख्य भूमिका है। इस कृषि पद्धति से खेतों की मिट्टी में कार्बन का संरक्षण होता है। वहीं दूसरी तरफ बाज़ार आधारित कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में प्रयुक्त रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों से जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा मिलता है।
- विदित है कि भारत में रासायनिक खाद को बढ़ावा देने हेतु 70,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ जैविक कृषि को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार द्वारा केवल 500 करोड़ रुपए व्यय किये जाते हैं।
- देश में वन क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से अंधाधुंध तरीके से तेज़ी से उगने वाले वृक्षों को जंगलों में लगाया जा रहा है, जिसका नकारात्मक प्रभाव हमारे पर्यावरण पर देखने को मिल रहा है।

समाधान

- जलवायु परिवर्तन से प्रभावी तरीके से निपटने के लिये भारत को ऊर्जा, यातायात और संपूर्ण अर्थव्यवस्था में व्यापक स्तर पर ढाँचागत परिवर्तन लाना होगा।
- भारत में तीव्रता से बढ़ते शहरीकरण का प्रबंधन इस तरह से करना होगा कि ऊर्जा, जल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और विनाश न हो तथा जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा न मिले।
- जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिये राजनीतिक जवाबदेही, आर्थिक पारदर्शिता और सामाजिक संवेदनशीलता से किये गए कार्य अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैं। न्यायसंगत व्यवस्थाओं के आधार पर ही हमारे पर्यावरण को बचाया जा सकता है।

फुकुशिमा के बाद परमाणु ऊर्जा

- 11 मार्च, 2021 को जापान में आए विनाशकारी भूकंप और सुनामी को 10 वर्ष पूरे हो गए। इस प्राकृतिक आपदा के पश्चात् फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र हादसे की घटना घटित हुई, जिसने जापान के साथ-साथ संपूर्ण विश्व को परेशानी में डाल दिया था।
- जापान एकमात्र ऐसा देश है, जो परमाणु बम का पहला और संभवत: अंतिम भुक्तभोगी है। इस देश में घटित हुई फुकुशिमा की घटना चर्नोबिल परमाणु संयंत्र हादसे के बाद दूसरा सबसे बड़ा परमाणु हादसा था। इस दुर्घटना के पश्चात् जापान में परमाणु ऊर्जा के प्रति व्यापक स्तर पर असंतोष फैला, जो जल्द ही पूरी दुनिया तक पहुँच गया।
- यह दुर्भाग्य की बात है कि विश्व को परमाणु ऊर्जा के बारे में तब पता चला, जब अगस्त 1945 में जापान के ही हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम को गिराया गया। जापान आज तक इस हमले के दुष्परिणामों से नहीं निकल पाया है, इसके बावजूद इसने अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये परमाणु ऊर्जा का सहारा लिया है। विदित है कि वर्ष 2011 में आई इस आपदा से पूर्व जापान के 30 प्रतिशत ऊर्जा का उत्पादन परमाणु संयंत्रों से हो रहा था।
- लेकिन इस हादसे के बाद जापान के साथ दुनिया के बहुत से देशों ने अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों की समीक्षा की। जापान ने फुकुशिमा दुर्घटना के पश्चात् 12 रिएक्टरों को स्थायी रूप से बंद कर दिया तथा 24 रिएक्टरों को बंद करने की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा, जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड जैसे देशों ने अपने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को चरणबद्ध रूप में समाप्त करने की घोषणा कर दी है।
- ऊँची लागत, दीर्घकाल में परिणाम देने तथा सुरक्षा को लेकर अनिश्चितता आदि के आधार पर परमाणु ऊर्जा को सदैव संशय की दृष्टि से देखा जाता है।
- इसके अलावा, वर्ष 2018 में इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (IPCC) ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने एवं वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने में परमाणु ऊर्जा के योगदान को अस्वीकार कर दिया।
- यहीं कारण है कि वर्तमान में अधिकांश देश स्वच्छ ऊर्जा के स्रोतों पर अधिक निर्भर होने की तरफ ध्यान दे रहे हैं। ये साधन सस्ते होने के साथ ही सुरक्षित भी हैं, जबकि दूसरी तरफ असुरक्षित और महंगे साधन के रूप में परमाणु ऊर्जा की स्वीकृति में वैश्विक स्तर पर निरंतर कमी आ रही है।

इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली

लैंगिक असमानता और परिणाम

संदर्भ

हाल ही में, विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा निर्मित वार्षिक वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी किया गया, जिसमें इस वर्ष शामिल 156 देशों में, भारत नीचे से 17वें स्थान पर है, अर्थात् 140वें स्थान पर है। 2017 में, भारत 144 देशों में 108वें स्थान पर था, जो वर्ष 2016 की तुलना में 20 अंकों की गिरावट थी। पिछले छह वर्षों में, रिपोर्ट में शामिल देशों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिसके सापेक्ष भारत की स्थिति खराब हुई है।

विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum - WEF)

- **गठन**– जनवरी 1971, पहले 50 वर्ष (यूरोपीय प्रबंधन मंच के रूप में)
- **मुख्यालय**– कोलोन, स्विट्ज़रलैंड
- **उद्देश्य**– सार्वजनिक-निजी सहयोग के लिये अंतर्राष्ट्रीय संगठन
- **आधिकारिक भाषा**– अंग्रेज़ी
- विश्व आर्थिक मंच की बैठक प्रतिवर्ष स्विट्ज़रलैंड के दावोस में आयोजित की जाती है।

वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट

- इसका प्रकाशन विश्व आर्थिक मंच के द्वारा वर्ष 2006 से प्रतिवर्ष किया जाता है।
- इसमें चार आयामों के साथ लैंगिक अंतराल की जाँच की जाती है–
  1. आर्थिक भागीदारी और अवसर
  2. शिक्षा की प्राप्ति
  3. स्वास्थ्य और अस्तित्व
  4. राजनीतिक सशक्तीकरण
- यह सूचकांक लिंग अंतराल पर केंद्रित है। साथ ही, यह पुरुषों के सापेक्ष महिलाओं की स्थिति पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

वैश्विक रुझान और परिणाम

- वैश्विक रूप से, समता के लिये पूरी की गई औसत दूरी 68% रही, जो वर्ष 2020 (-0.6 प्रतिशत अंक) की तुलना में एक कदम पीछे है। ये आँकड़े मुख्य रूप से बड़े देशों के प्रदर्शन में आई गिरावट से प्रेरित हैं। सूचकांक का मानना है कि वर्तमान प्रक्षेपवक्र पर दुनिया भर में लैंगिक अंतराल को समाप्त करने में अभी लगभग 135.6 वर्ष का समय लगेगा।
- राजनीतिक सशक्तीकरण में लैंगिक अंतराल चार अंतरालों में सबसे बड़ा बना हुआ है। सूचकांक में शामिल 156 देशों में महिलाएँ 35,500 संसद सीटों में से केवल 26.1% का प्रतिनिधित्व करती हैं और दुनिया भर के 3,400 मंत्रियों में से केवल 22.6% महिलाएँ मंत्री हैं। प्रगति की वर्तमान दर पर विश्व आर्थिक मंच का अनुमान है कि राजनीति में लैंगिक समानता प्राप्त करने में 145.5 वर्ष का समय लगेगा।
- राजनीतिक भागीदारी में व्याप्त लिंग अंतराल को कुछ बड़े देशों में नकारात्मक रुझानों द्वारा संचालित किया गया है तथा अन्य 98 छोटे देशों ने असंतुलित प्रगति की है। हालाँकि, वैश्विक स्तर पर रिपोर्ट के पिछले संस्करण के बाद से संसदों में अधिक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हुई है और दो देशों ने अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री (2020 में टोगो और 2019 में बेल्जियम) को चुना है।
- आर्थिक भागीदारी और अवसर में लैंगिक अंतराल, सूचकांक द्वारा ट्रैक किये गए चार प्रमुख अंतरालों में से दूसरा सबसे बड़ा अंतराल बना हुआ है। इस वर्ष के सूचकांक परिणाम के अनुसार अब तक इस अंतराल का 58% समाप्त हो चुका है। रिपोर्ट के वर्ष 2020 संस्करण के बाद से अंतराल में मामूली सुधार देखा गया है। इसके परिणामस्वरूप यह अनुमान व्यक्त किया गया है कि इसे समाप्त होने में लगभग 267.6 वर्ष का समय लगेगा।
- आर्थिक भागीदारी और अवसर अंतराल को समाप्त करने में देखी गई धीमी प्रगति दो विरोधी प्रवृत्तियों का परिणाम है। एक तरफ, कुशल पेशेवरों के बीच महिलाओं के अनुपात में वृद्धि जारी है। दूसरी ओर, नेतृत्वकर्ता के रूप में महिलाओं की लगातार कमी बनी हुई है, जिसमें सभी प्रबंधक पदों का सिर्फ 27% पर ही महिलाओं का प्रतिनिधित्व है।
- शिक्षा की प्राप्ति और स्वास्थ्य एवं जीवन रक्षा में लैंगिक अंतराल लगभग समाप्त हो चुका है। शिक्षा प्राप्ति के क्षेत्र में, इस लैंगिक अंतराल का 95% वैश्विक स्तर पर समाप्त हो चुका है और 37 देशों में पहले से ही समता है। हालाँकि, प्रगति 'अंतिम मील' पर धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है। सूचकांक का अनुमान है कि वर्तमान प्रक्षेपवक्र पर, इस अंतराल को पूरी तरह से समाप्त करने में लगभग 14.2 वर्ष लगेंगे।
- स्वास्थ्य एवं जीवन रक्षा में, लैंगिक अंतराल 96% तक समाप्त हो गया है और इसमें पिछले वर्ष की तुलना में मामूली गिरावट दर्ज की गई (COVID-19 के कारण नहीं)।

सूचकांक में भारत का प्रदर्शन

- चार उप-सूचकांकों में, भारत की रैंक (156 देशों में से 151) आर्थिक भागीदारी और अवसर उप-सूचकांक में निम्न है, जहाँ यह पाकिस्तान से सिर्फ एक रैंक ऊपर है और बांग्लादेश एवं सऊदी अरब से नीचे है।
- सूचकांक के साथ-साथ रैंकिंग के मूल्य पर ध्यान देना महत्त्वपूर्ण है। उदाहरण के लिये स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता सूचकांक में, भारत

का मान 0.937 है, जो यह बताता है कि 93.7% तक लैंगिक अंतराल समाप्त हो चुका है। हालाँकि, पुत्र वरीयता और लिंग-चयनात्मक गर्भपात की दृढ़ता के कारण, चीन के बाद भारत का स्थान 155 है। उप-सूचकांक के यथोचित अच्छे निरपेक्ष मूल्य के बावजूद, भारत की रैंक निम्न है क्योंकि अन्य देशों ने बेहतर प्रदर्शन किया है तथा इस उप-सूचकांक में 30 देश पहला स्थान (0.98 के मूल्य के साथ) साझा करते हैं।

- भारत शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है। यह महिलाओं की शैक्षिक प्राप्ति में निरंतर वृद्धि और लैंगिक अंतराल में लगातार कमी को दर्शाता है।
- राजनीतिक भागीदारी सूचकांक पर भारत की रैंक तुलनात्मक रूप से उच्च (51 पर) रही है, निम्न अंक (0.276) होने के बावजूद, इस तथ्य को दर्शाती है कि शेष विश्व ने आर्थिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य क्षेत्रों में लैंगिक समानता के लिये महत्त्वपूर्ण प्रगति की है। हालाँकि, राजनीतिक भागीदारी में लैंगिक समानता के संदर्भ में वैश्विक प्रगति कम है।

निष्कर्ष

- भारत को आर्थिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लैंगिक अंतराल पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही, महिलाओं के लिये काम एवं आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिये तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है, जिससे अन्य संकेतकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- हालाँकि, आर्थिक क्षेत्र में समानता केवल तभी बढ़ सकती है जब हम नारों से परे जाकर एक ऐसा समाज बनाएँ जो महिलाओं को स्वतंत्र, बुद्धिमान और सक्षम वयस्कों के रूप में प्रस्तुत करता हो, जो अपने जीवन के विषय में सभी मामलों में अपनी व्यक्तिगत पसंद बनाने के लिये स्वतंत्र हों और महिलाओं को भी सभी स्तरों पर निर्णय लेने में समान रूप में शामिल किया जाए।

भारत में छोटे किसानों के लिये कृषि बाज़ार में सुधार

संदर्भ

भारत में लघु किसान अपनी उपज के विपणन में कम विपणन योग्य अधिशेष, खराब धारण क्षमता, सौदेबाजी की शक्ति में कमी और भारी लेन-देन लागत से पीड़ित हैं। भारत में कृषि बाज़ार में सुधार का उद्देश्य प्राथमिक उत्पादकों के लिये बाज़ार पहुँच तथा उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रयास है। वर्ष 2020 में प्रारंभ किये गए 3 अधिनियम सुधार की दिशा में नवीनतम प्रयास हैं।

सुधार की आवश्यकता

- कृषि उपज विनियमन (APMR) अधिनियम 1960 के दशक में लागू हुआ था। भारत में विभिन्न राज्यों द्वारा लागू किये गए इस अधिनियम की शुरुआत वर्ष 1938 में कृषि पर 'रॉयल कमीशन' की सिफारिश के आधार पर पेश किये गए मॉडल विधेयक से हुई।
- ए.एम.सी.आर. अधिनियम के कार्यान्वयन से कृषि उपज बाज़ार समितियों (APMC) का निर्माण हुआ और कृषि में विनियमित संगठित बाज़ार की शुरुआत हुई।
- राज्य और केंद्र सरकार द्वारा पारित बाज़ार विनियमन आवश्यक वस्तु अधिनियम और विभिन्न अन्य नियमों ने एक स्वतंत्र और प्रतिस्पर्द्धा बाज़ार प्रणाली के विकास पर रोक लगा दी और किसानों के हितों की रक्षा के लिये बनाया गया संस्थागत तंत्र एक शोषणकारी शासन में बदल गया।
- विनियमित बाज़ारों के साथ प्रमुख मुद्दे तथा चिंताएँ निम्नलिखित हैं–
  - लाइसेंसिंग अड़चनें
  - अत्यधिक बाज़ार शुल्क
  - बाज़ार के बुनियादी ढाँचे की खराब स्थिति
  - किसानों को कम पारिश्रमिक और लंबी आपूर्ति शृंखला
  - पारदर्शिता की कमी
  - ए.पी.एम.सी. में राजनीतिक दलों का वर्चस्व और बाज़ार की जानकारी में विषमता।
- इस प्रकार, किसानों को लाभान्वित करने के लिये कुशल बाज़ार प्रथाओं को सुविधाजनक बनाने की बजाय विनियमन प्रतिस्पर्द्धी कामकाज की भावना को बढ़ावा मिला।
- ए.पी.एम.सी. में एकाधिकारवादी प्रथाओं और अत्यधिक राज्य नियंत्रण ने इस क्षेत्र में निजी निवेश को हतोत्साहित किया।

अतीत में किये गए सुधारात्मक प्रयास

- ए.पी.एम.सी. अधिनियम में सुधार का पहला प्रयास मॉडल ए.पी.एम.सी अधिनियम, 2003 के द्वारा किया गया, जो वर्ष 2001 में विशेषज्ञ समिति की सिफारिश तथा वर्ष 2002 के अंतर मंत्रालयी कार्यबल पर आधारित था। इसके प्रावधान निम्नलिखित थे–
  - प्रत्यक्ष बिक्री के लिये प्रत्यक्ष खरीद केंद्र स्थापित करना।
  - कृषि बाज़ार के विकास के लिये सार्वजनिक निजी भागीदारी को शामिल करना।
  - अनुबंध खेती को विनियमित करना और बढ़ावा देना।
  - व्यापारियों के साथ कृषि उपज के लेन-देन में कमीशन एजेंडों को निषेध करना।
- सरकार ने 2 मार्च, 2010 को कृषि विपणन के प्रभारी राज्य मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया तथा समिति ने कृषि में बाधा रहित राष्ट्रीय बाज़ारों को बढ़ावा देने के लिये निम्नलिखित उपाय सुझाए–
  - बाज़ार के बुनियादी ढाँचे के विकास में निवेश को बढ़ावा देना।
  - बाज़ार शुल्क/कमीशन एजेंटों का युक्तिकरण

- अनुबंध कृषि तथा बाधारहित बाज़ार को सुनिश्चित करना।
- बाज़ार सूचना प्रणाली, ग्रेडिंग और मानकीकरण को अपनाना।
- कृषि बाज़ार में व्यापार बाधाओं और प्रवेश प्रतिबंधों को हटाने के उद्देश्य से नवीनतम प्रयास वर्ष 2015 में एन.ए.एम.-नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल के शुभारंभ के साथ किया गया।
- ई-नाम पोर्टल मौजूदा ए.पी.एम.सी. मंडियों की नेटवर्किंग करके एक एकीकृत राष्ट्रीय बाज़ार का निर्माण करता है।

कृषि अधिनियम, 2020 के प्रावधान

- **प्रथम अधिनियम** [कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन एवं सरलीकरण) अधिनियम, 2020] के अनुसार, किसी राज्य के 'कृषि उपज विपणन समिति' (APMC) अधिनियम या राज्य के किसी अन्य कानून के अंतर्गत किसी भी किसान पर या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग तथा लेन-देन पर कोई भी बाज़ार शुल्क, उपकरण या लगान नहीं लगाया जाएगा।
- **द्वितीय अधिनियम** [कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार अधिनियम, 2020] में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई है। यह निर्णय छोटे किसानों को ध्यान में रखकर लिया गया है। इसमें किसान किसी भी रोपण या फसली मौसम से पहले खरीददारों के साथ अनुबंध कर सकते हैं।
- 'आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020' के अनुसार, असाधारण परिस्थितियों, जैसे युद्ध और गंभीर प्राकृतिक आपदाओं को छोड़कर खाद्य पदार्थों के स्टॉकहोल्डिंग या भंडारण की सीमा समाप्त कर दी गई है। इस अधिनियम के माध्यम से अनाज, दलहल, खाद्य, तेल, आलू एवं प्याज को अनिवार्य वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया है, अर्थात् अब इनका भंडारण किया जा सकेगा।
- यह अधिनियम सैद्धांतिक रूप से देश भर में कृषि उत्पादों को निर्बाध रूप से बाज़ारों में लाने का लक्ष्य रखता है।
- 'वन नेशन, वन मार्केट' किसानों द्वारा अपनी उपज को किसी को भी बेचने में सक्षम बनाता है। इसके कारण कृषि बाज़ार के बुनियादी ढाँचे एवं सेवाओं में कॉर्पोरेट निवेश को आकर्षित किया जा सकेगा।
- अनुबंध कृषि बिल सैद्धांतिक रूप से गारंटीकृत मूल्य के प्रावधान के माध्यम से किसानों के लिये एक अनुकूल व्यवस्था प्रदान करता है। फसल के नुकसान की स्थिति में देयता के विरुद्ध सुरक्षा तथा डिलीवरी के समय पूर्ण भुगतान को सुनिश्चित करता है।
- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन का उद्देश्य भंडारण के बुनियादी ढाँचे, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्द्धन में बड़े निजी निवेश को प्रोत्साहित करना और अपव्यय के कारण फसल के बाद के नुकसान को कम करना है।
- कुल मिलाकर तीनों अधिनियम 'बाज़ार की बाधाओं' को समाप्त करने और 'बाज़ार की क्षमता' बढ़ाने के उद्देश्य को सुनिश्चित करते हैं।

सुधार के लिये रणनीतियाँ

- कृषि क्षेत्र में निजी व्यापार के साथ एक कुशल ए.पी.एम.सी. प्रणाली के सह-अस्तित्व के मार्ग को प्रशस्त किया जाना चाहिये।
- एफ.पी.ओ. तथा किसानों की सामूहिकता को मज़बूत किये जाने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से कृषि बाज़ार में सूचना विषमता को भी ठीक किया जा सकता है।
- खेतों के समीप भंडारण और प्रसंस्करण के बुनियादी ढाँचे का निर्माण करना।
- बाज़ार की जानकारी छोटे शेयरधारकों की बाज़ार भागीदारी को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अत: बाज़ार खुफिया प्रणाली को विकसित करना चाहिये।
- संस्थागत क्रेडिट नेटवर्क से अधिकांश छोटे शेयरधारकों को बाहर रखा गया है। अत: संस्थागत ऋण की सुविधा को सुनिश्चित करना आवश्यक है।

निष्कर्ष

तीनों अधिनियमों के रूप में नए बाज़ार सुधार से छोटे शेयरधारकों की अनिश्चितता बढ़ने की आशंका है, जिनमें छोटे एवं सीमांत किसान तथा महिला किसान शामिल हैं, जो विशेष रूप से वर्षा आधारित क्षेत्रों से संबंधित हैं। यदि लाखों छोटे और सीमांत किसानों के लिये खेती एक व्यवहार्य आजीविका विकल्प है, तो सरकार और सामाजिक क्षेत्र को अधिक से अधिक समावेश को बढ़ावा देने के लिये एक तंत्र बनाने, बाज़ार में पहुँच और इक्विटी में संभावित शोषण के खिलाफ सुरक्षा के लिये निवेश को सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी।

भारत में महिला और बाल विकास का प्रदर्शन

संदर्भ

- भारत न्यूनतम सरकार और अधिकतम सुशासन के लक्ष्य को सुनिश्चित करने के लिये प्रयासरत है, जिसमें एक केंद्रित सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। वर्तमान क्षेत्रीय मूल्यांकन का उद्देश्य विभिन्न कार्यक्रमों को एकीकृत करते हुए महिला एवं बाल विकास क्षेत्र (WCD) की विकास क्षमता को सुनिश्चित करने के लिये चलाई जा रही योजनाओं के युक्तिकरण की सिफारिश करने की आवश्यकता है।
- डब्ल्यू.सी.डी. क्षेत्र के प्रक्षेपवक्र और भारत के विकास के संदर्भ में जिस तरह से महिलाओं तथा बच्चों के मुद्दों पर विचार किया गया है। इनमें मुख्य रूप से योजनाओं में महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण, विकास एवं सशक्तीकरण/संरक्षण के लिये कई नीतिगत पहल और योजनाओं को शामिल किया गया है।

महिला एवं बाल विकास क्षेत्र का वैश्विक प्रदर्शन

- महिलाओं एवं बच्चों की बेहतरी से संबंधित वैश्विक सूचकांकों में भारत का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है।
- वर्ष 2020 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) में भारत का प्रदर्शन 117 देशों में 30.3 अंक प्राप्त करके 102वाँ स्थान रहा।
- मानव विकास सूचकांक (HDI) में वर्ष 2018 में भारत का प्रदर्शन 189 देशों में से 129वाँ स्थान रहा और 0,647 अंक प्राप्त करके भारत मध्यम मानव विकास की श्रेणी में शामिल है।
- सभी सूचकांकों में भारत की स्थिति यह दर्शाती है कि महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आर्थिक संसाधनों तक पहुँच में सुधार के बावजूद महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य, सशक्तीकरण एवं आर्थिक गतिविधियाँ चिंता के प्रमुख क्षेत्र बने हुए हैं।

राष्ट्रीय विकास एजेंडा

- तेज़ी से मुक्त और उदारीकृत अर्थव्यवस्था के साथ विकास प्रक्रिया की अवधारणा को बनाने के लिये इसके उपकरण और दृष्टिकोण पर पुनर्विचार की आवश्यकता को महसूस किया गया।
- भारत की बदली हुई वास्तविकता के साथ विकास की रणनीति को बेहतर ढंग से संरक्षित करने के लिये राष्ट्रीय विकास एजेंडे के हिस्से के रूप में एक विजन, रणनीति और एक्शन एजेंडा फ्रेमवर्क को विकसित किया गया।
- राष्ट्रीय विकास एजेंडा महिलाओं और बच्चों के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में पहचान करता है तथा उसकी पुष्टि भी करता है।

सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) के संबंध में महिला एवं बाल विकास क्षेत्र का प्रदर्शन

- एस.डी.जी. ने विकासात्मक प्राथमिकताओं को केंद्र में रखने का प्रयास किया है। गरीबी उन्मूलन, असमानता, अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे कार्य और आर्थिक विकास जैसे एस.डी.जी. लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये महिला सशक्तीकरण को व्यापक रूप से मान्यता दी गई है।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD), महिलाओं एवं बच्चों के समावेशी विकास के लिये पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजनाओं में उल्लिखित प्राथमिकताओं के अनुसार अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करता है।
- इसके अलावा, केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं तथा बच्चों के लिये एस.डी.जी. को संदर्भित करने वाले विभिन्न मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित केंद्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से हस्तक्षेप करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रमुख निर्धारकों पर महिला एवं बाल विकास क्षेत्र का प्रदर्शन

- इस क्षेत्र को 4 उप-क्षेत्रों में विभाजित किया गया है– बालपोषण एवं विकास, बाल संरक्षण, महिला सुरक्षा एवं संरक्षण तथा महिला सशक्तीकरण।

बाल संरक्षण

- भारत में बाल सुरक्षा उप-क्षेत्र के विश्लेषण से सभी प्रकार की हिंसा तथा बच्चों के खिलाफ दुर्व्यवहार और बाल पीड़ितों की सुरक्षा से पता चलता है कि रोकथाम, बचाव, पुनर्वास और पुनर्निवेश सहित बाल संरक्षण के सभी निर्धारकों को संबोधित किया गया है।
- हालाँकि, बच्चों के खिलाफ अपराधों की दर बढ़ रही है। यह रेखांकित करता है कि बच्चों के खिलाफ सभी प्रकार के अपराधों के उन्मूलन के संदर्भ में एक लंबा रास्ता तय करना अभी बाकी है।

महिला सुरक्षा एवं संरक्षण

- सी.एस.एस. के कानूनों, कृत्यों और सरकारी हस्तक्षेपों की उपलब्धता के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों का आकलन करना, जो महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने और अंतर क्षेत्रों की पहचान करने के लिये लागू किया गया है। ध्यातव्य है कि, महिलाओं के खिलाफ अपराधों की रोकथाम तथा महिला सुरक्षा प्रभाग, गृह मंत्रालय द्वारा उनके कार्यान्वयन के लिये विभिन्न कानून और अधिनियम तैयार किये गए हैं।
- बचाव, पुनर्वास, अपराध निवारण और अपराध से बचे लोगों के पुनर्स्थापन के लिये हस्तक्षेप भी किये गए हैं। बालिका के जन्म और उसके अस्तित्व को सुनिश्चित और सुरक्षित करने के लिये एक सक्षम वातावरण बनाने के लिये, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पुरुषों/लड़कों सहित हितधारकों को संवेदनशील बनाने के प्रयास किये गए हैं।

महिला सशक्तीकरण

- महिला सशक्तीकरण उप निरीक्षक का आकलन महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण और उनकी राजनीतिक एवं सामाजिक भागीदारी के दृष्टिकोण से किया गया है। आर्थिक संसाधनों, व्यावसायिक, कौशल प्रशिक्षण, रोज़गार को बढ़ावा देने और उद्यमिता के अवसरों के लिये महिलाओं को बढ़ावा देने के लिये कई मंत्रालयों ने कई प्रमुख योजनाओं को लागू किया हैं। इनमें मनरेगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय, ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना आदि शामिल हैं।
- हालाँकि, गिरती हुई महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर (LFPR) और महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिये महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ उत्पन्न करते हैं।
- महिलाओं की राजनीतिक एवं सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये संविधान का अनुच्छेद 243D पंचायत चुनावों में महिलाओं के लिये एक तिहाई सीटों के आरक्षण को अनिवार्य

करता है, हालाँकि, महिलाओं के मध्य जागरूकता एवं ज्ञान का प्रसार करने के लिये विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को प्रारंभ करना चाहिये ताकि उनकी प्रभावी राजनीतिक भागीदारी को सक्षम बनाया जा सके।

चुनौतियाँ

- बाल संरक्षण योजना, आँगनबाड़ी सेवा, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी विभिन्न योजनाओं में बजट की कमी को महसूस किया गया है।
- आँगनबाड़ियों के बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ बनाने के लिये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कई पहलें शुरू की गई हैं, फिर भी एक अंतराल अभी भी बना हुआ है। राज्यों में आँगनबाड़ी केंद्रों के क्षेत्रीय सर्वेक्षण से पता चलता है कि केवल 87% आँगनवाड़ी केंद्र 'पक्के भवनों' में संचालित हैं जबकि 13% आँगनवाड़ी केंद्र या तो 'कच्चे भवनों' में संचालित हैं, या उनके पास भवन ही नहीं हैं।
- एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) योजनाओं के तहत लाभार्थी कवरेज में पिछले पाँच वर्षों में गिरावट देखी गई है, भले ही सभी प्रमुख योजनाओं के लिये बजटीय आवंटन में वृद्धि देखी गई हो। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2015-16) के अनुसार, छह वर्ष की आयु सीमा के बच्चों में केवल 54% बच्चों ने ही आँगनवाड़ी केंद्र से कोई सेवा प्राप्त की है।
- गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की संख्या समान रही जिसमें 46% गर्भवती महिलाओं और 51% स्तनपान कराने वाली माताओं को आँगनबाड़ी केंद्र से कोई सेवा प्राप्त नहीं हुई। आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत पूरक पोषण के लिये लाभार्थियों की संख्या में वर्ष 2015-16 और 2018-19 के बीच 14.36% की गिरावट दर्ज की गई है।
- आई.सी.डी.एस. के तहत योजनाओं के वितरण के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक चुनौती सभी स्तरों पर कर्मचारियों की कमी है।
- ज़िला कार्यक्रम अधिकारियों, बाल विकास परियोजना अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के पदों पर बड़ी संख्या में रिक्तियाँ मौजूद हैं। 24 जनवरी 2020 तक, सी.डी.पी.ओ. के लिये स्वीकृत पदों का 28% और महिला पर्यवेक्षकों के लिये स्वीकृत पदों का 32% देश भर में रिक्त थे।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का संस्थागतकरण

- इसका गठन महिलाओं और बच्चों के लिये राज्य कार्यवाई में मौजूद अंतराल को कम करने तथा लैंगिक समानता एवं बाल केंद्रित कानून, नीतियों एवं कार्यक्रमों को बनाने के लिये किया गया था।
- मंत्रालय का कार्य महिलाओं एवं बच्चों के सशक्तीकरण एवं संरक्षण को बढ़ावा देना तथा उनके न्यायसंगत और समग्र विकास को सुनिश्चित करना है।

निष्कर्ष

- भारत मे महिलाओं तथा बच्चों से संबंधित चिंताओ को दूर करने के लिये किये जा रहे प्रयासों के बावजूद भी सतत् विकास लक्ष्यों के साथ-साथ महिलाओं तथा बच्चों से संबंधित राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये इन प्रयासों के प्रभाव सीमित हैं।
- बच्चों तथा महिलाओं के लिये कार्य करने वाले मंत्रालयों के मध्य सामंजस्य को बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे बाल अस्तित्व, विकास भागीदारी और संरक्षण के साथ-साथ महिला सुरक्षा संरक्षण एवं सशक्तीकरण के सभी पहलुओं पर व्यापक रूप से कार्य किया जा सके।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को देश में महिलाओं तथा बच्चों की बेहतरी सुनिश्चित करने के लिये एक नोडल एजेंसी के रूप में अपनी भूमिका को प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। साथ ही, कुछ अन्य कार्यों को भी करने की आवश्यकता है जिनमें शामिल हैं–
  - राष्ट्रीय स्तर पर संस्थानों, कानूनों, नीतियों, कार्यक्रमों और बजटीय आवंटन को बदलने की दिशा में काम करना तथा महिलाओं की ज़रूरतों को ध्यान में रखना।
  - महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण के लिये विभिन्न मंत्रालयों के कार्यक्रमों को समन्वित करना ताकि उनके अधिकारों को सुनिश्चित किया जा सके और लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जा सके।
- महिलाओं के लिये नीति 2016 के मसौदे में संशोधन कर एक व्यापक नीति को तैयार करने की आवश्यकता है। साथ ही, महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित लैंगिक असमानता के आँकड़ों को एक पोर्टल के माध्यम से प्रदर्शित करना शामिल है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका, जिसमें यह दावा किया गया था कि आधार संख्या के साथ लिंक न होने के कारण लगभग 3 करोड़ राशन कार्डों को रद्द कर दिया गया, की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से प्रतिक्रिया माँगी। इसने एक बार फिर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में व्याप्त प्रमुख कमियों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है।
- याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि पी.डी.एस. से गरीबों का वृहद पैमाने पर बहिष्कार बायोमेट्रिक सत्यापन के लिये आधार पहचान के उपयोग पर ज़ोर देने के कारण हुआ, जो अक्सर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में खराब इंटरनेट कनेक्शन के कारण विफल हो जाता है। ध्यातव्य है कि, पात्र दावेदारों को राशन कार्ड से वंचित करने की शिकायतें लंबे समय से कार्यकर्ताओं द्वारा नियमित रूप से उठाई जाती रही हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act), 2013

- संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को सितंबर 2013 में अधिसूचित किया गया।
- इसका मुख्य उद्देश्य गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिये लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्नों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही उन्हें मानव जीवन-चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है।
- इस अधिनियम में 'लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली' (Targeted Public Distribution System - TPDS) के अंतर्गत रियायती दरों पर खाद्यान्न प्राप्ति हेतु 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को शामिल किये जाने का प्रावधान है। इस प्रकार, इस योजना के अंतर्गत देश की लगभग दो-तिहाई आबादी को शामिल किया जाएगा।
- अधिनियम के तहत पात्र व्यक्ति को चावल/गेंहूँ/मोटे अनाज को क्रमशः 3/2/1 रुपए/किग्रा. की रियायती दरों पर 5 किग्रा. खाद्यान्न प्रति व्यक्ति/माह दिया जाएगा।
- वर्तमान में अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवार (जिनमें निर्धनतम व्यक्ति शामिल हैं) 35 किग्रा. खाद्यान्न प्रति माह प्राप्त करते रहेंगे।
- इस अधिनियम में महिलाओं और बच्चों के लिये पोषण सहायता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। गर्भवती महिलाएँ और स्तनपान कराने वाली माताएँ गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के 6 माह बाद भोजन के अतिरिक्त कम से कम 6,000 रुपए मातृत्व लाभ प्राप्त करने की हकदार हैं।
- अधिनियम के अंतर्गत 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे भी निर्धारित पोषण मानकों के अनुसार भोजन प्राप्त करने के हकदार हैं। खाद्यान्नों अथवा भोजन की आपूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में लाभार्थी खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त कर सकेंगे।
- इस अधिनियम में ज़िला तथा राज्य स्तरों पर शिकायत निपटान तंत्र के गठन का प्रावधान करने के साथ ही पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये भी अलग से प्रावधान किये गए हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System)

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली सस्ती कीमतों पर खाद्य एवं खाद्यान्न विवरण के प्रबंधन की व्यवस्था करती है। गेंहूँ, चावल, चीनी और मिट्टी के तेल जैसी प्रमुख वस्तुओं को इस प्रणाली के माध्यम से सार्वजनिक वितरण की दुकानों द्वारा पूरे देश में पहुँचाया जाता है।
- इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सस्ती दरों पर देश के कमज़ोर वर्ग को खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। इसका संचालन उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

अंत्योदय अन्न योजना (Antyodaya Anna Yojana - AAY)

- दिसंबर 2000 में 'अंत्योदय अन्न योजना' को प्रारंभ किया गया था।
- इस योजना का उद्देश्य 'गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों तक खाद्यान्न की कमी को पूरा' करना था।
- प्रारंभ में इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार को प्रति माह 25 किग्रा. खाद्यान्न दिये जाने का प्रावधान था, जिसे वर्ष अप्रैल 2002 में बढ़ाकर 35 किग्रा. कर दिया गया।

अन्य तथ्य

- केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपना उत्तर देते हुए कहा कि इतने बड़े पैमाने पर राशन कार्डों के विलोपन का कारण आधार सीडिंग नहीं हैं, क्योंकि आधार सीडिंग से बहुत पहले वर्ष 2006 से 2015 के मध्य हटाए गए राशन कार्डों की संख्या इस संख्या से काफी अधिक थी।
- विशेष क्षेत्रों, समुदायों या समूहों के लाभार्थियों का चयन करते समय सरकारें अक्सर पक्षपाती हो सकती हैं, विशेष रूप से तब जब सब्सिडी वाले अनाज की माँग राज्य कोटा से अधिक हो। इसलिये, शिकायतों की समीक्षा के लिये तंत्र को मज़बूत करना, निवारण प्रदान करना और पी.डी.एस. में जवाबदेही को सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है।
- वर्तमान निवारण तंत्र, जो राज्य मशीनरी का एक हिस्सा है, हमेशा समावेश और बहिष्कार को सही करने की स्थिति में नहीं हो सकता है।
- हालाँकि, पी.डी.एस. के साथ एक बड़ी समस्या अंतिम प्रकाशित जनगणना के आधार पर लाभार्थियों की संख्या का अनुमान लगाना है। एन.एफ.एस.ए. के प्रावधानों में पी.डी.एस. के कुल लाभार्थियों में 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी है, जो वर्ष 2011 में 121 करोड़ की कुल आबादी का लगभग दो-तिहाई या 81.34 करोड़ था।

निष्कर्ष

- राशन कार्डों को अवैध रूप से हटाने और नए लाभार्थियों को पंजीकृत करने में दशकों पुरानी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिये। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिये बड़ी मात्रा में अनाज और सब्सिडी के साथ एक सार्वभौमिक पी.डी.एस. की व्यवस्था की जानी चाहिये।
- इसी तरह, पी.डी.एस. लाभार्थियों की पहचान करने वाले राज्यों से पूरी तरह से अलग एक स्वतंत्र निवारण तंत्र अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित कर सकता है।
- इस तरह के एक सार्वभौमिक पी.डी.एस. न केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीद की माँग को बढ़ाएगा बल्कि, अधिकाधिक किसानों को बेहतर मूल्य सुनिश्चित करेगा, जो एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है।

महत्त्वपूर्ण तथ्य : एक नज़र में

- प्रधानमंत्री ने ज्योतिबा फुले जयंती (11 अप्रैल) के अवसर पर 'टीका उत्सव' की शुरुआत की, जो बाबा साहेब आंबेडकर जयंती (14 अप्रैल) तक चला। 'टीका उत्सव' के दौरान 1.28 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए।

- केंद्रीय कृषि मंत्री ने 'मधुक्रांति पोर्टल' व 'हनी कॉर्नर' सहित शहद परियोजनाओं का शुभारंभ किया।

- केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच (आई.एच.आई.पी.) की शुरुआत की। साथ ही, जनजातीय स्वास्थ्य सहयोग 'अनामय योजना' की शुरुआत की।

- राजस्थान के कोटा के किसान श्री कृष्ण सुमन ने 'सदाबहार' नाम से आम की एक बौनी किस्म विकसित की है, जिसमें वर्ष भर फल आता है।

- शिक्षा राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे ने ई9 (E9) देशों के शिक्षा मंत्रियों की परामर्श बैठक में हिस्सा लिया। ई9 देशों में बांग्लादेश, ब्राजील, चीन, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया और पाकिस्तान शामिल हैं।

- सरकार ने वर्ष 2015-20 के लिये मौजूदा 'विदेश व्यापार नीति' की वैधता को 30 सितंबर, 2021 तक 6 माह के लिये और बढ़ा दिया है। इससे पूर्व इसको 1 वर्ष के लिये 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दिया गया था।

- गूगल मैप ने 'पर्यावरण के सर्वाधिक अनुकूल' यात्राओं और मार्गों को चिह्नांकित करने की योजना शुरू की है। इसके निर्धारण में सबसे कम कार्बन पदचिह्न उत्पन्न करने के लिये ट्रैफिक डाटा, भीड़ की स्थिति और सड़क के ढलान व चौड़ाई जैसे कारकों का आकलन किया जाएगा।

- 5 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों को 1 अप्रैल से कर योग्य वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिये जारी किये गए इनवॉइस (Invoice/चालान) पर HSN (Harmonised System of Nomenclature Code) या टैरिफ कोड प्रस्तुत करना होगा।

- सरकार 4 बैंकों को 'नॉन-इंटरेस्ट बेअरिंग' (Non-interest Bearing) और गैर-हस्तांतरणीय बॉण्ड जारी करके इनमें 14,500 करोड़ रुपये की इक्विटी इनफ्यूज करेगी। इससे इन बैंकों को शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) ढाँचे से बाहर निकलने में सहायता मिलने की संभावना है। इन चार बैंकों में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक शामिल हैं।

- सरकार ने 3 लाख-करोड़ रुपये की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) को 30 जून तक तीन महीने और बढ़ा दिया है। साथ ही, इसके अंतर्गत नए क्षेत्रों– हॉस्पिटैलिटी (आतिथ्य), यात्रा और पर्यटन को भी शामिल किया गया है।

- सऊदी अरब ने वर्ष 2030 तक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 3.2 ट्रिलियन डॉलर की निवेश योजना की घोषणा की है।

- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में लगभग 27% की वृद्धि के साथ 1.55 लाख से अधिक कंपनी निगमों का पंजीकरण किया।

- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने मुंबई में तीसरे संयुक्त लॉजिस्टिक्स नोड (JLN) की शुरुआत की। तीनों सेनाओं द्वारा एकीकृत युद्ध में सहायता के लिये JLN सशस्त्र बलों को उनके छोटे हथियारों-गोला बारुद, राशन, ईंधन, जनरल स्टोर के सामान, असैन्य परिवहन, विमानन लिबास और अन्य सामानों के लिये एकीकृत लॉजिस्टिक्स कवर प्रदान करेगा।

- केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने एन.सी.टी.ई. (NCTE) वेब पोर्टल पर 'माई एन.ई.पी. 2020' मंच की शुरुआत नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स और नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग प्रोग्राम मेंबरशिप के विकास संबंधी मसौदा तैयार करने के संबंध में सुझाव आमंत्रित करने के लिये की है।

- भारत सरकार ने श्रम ब्यूरो को पाँच प्रमुख अखिल भारतीय सर्वेक्षण कराने का काम सौंपा था। इनमें 'प्रवासी श्रमिकों का अखिल भारतीय सर्वेक्षण', 'घरेलू कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण', 'परिवहन क्षेत्र में रोज़गार सृजन पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण', 'पेशेवरों द्वारा रोज़गार सृजन पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण' और 'अखिल भारतीय त्रैमासिक स्थापना आधारित रोज़गार सर्वेक्षण' (AQEES) शामिल हैं।

- गुजरात विधानसभा ने 'धर्म-स्वातंत्र्य (संशोधन) अधिनियम, 2003' विधेयक पारित कर दिया है, जिसमें विवाह द्वारा जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन कराने हेतु दंड का प्रावधान किया गया है।
- ट्राइफेड की गाँव एवं डिजिटल कनेक्ट मुहिम– 'संकल्प से सिद्धि' लॉन्च की गई।
- भारतीय रेलवे द्वारा जम्मू और कश्मीर में विश्व के सबसे ऊँचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज का आर्क निर्माण पूरा किया गया।
- वर्ष 1931 में अमेरिका की प्रसिद्ध टाइम पत्रिका ने गाँधी जी को "Man of the Year" घोषित किया था।
- स्वदेश में तैयार पहला सुपरकंप्यूटर परम शिवाय, आईआईटी बीएचयू में स्थापित किया गया। इसके बाद परम शक्ति (आईआईटी खड़गपुर), परम ब्रह्मा (आईआईएसईआर, पुणे), परम युक्ति (जेएसीएएसआर, बेंगलुरू) और परम संगणक (आईआईटी खड़गपुर) को स्थापित किया गया।
- सी-डैक के राष्ट्रीय सुपर-कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत बने उच्च कार्य प्रदर्शन वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एच.पी.सी.-ए.आई.) सुपर कंप्यूटर परमसिद्धि को विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली 500 नान-डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर प्रणालियों में 63वाँ स्थान प्राप्त हुआ है।
- प्रधानमंत्री ने 'उत्कल केसरी' डॉ. हरेकृष्ण महताब द्वारा लिखित पुस्तक 'ओडिशा इतिहास' के हिंदी अनुवाद का लोकार्पण किया।
- भारत सरकार ने कॉपीराइट (संशोधन) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है। भारत में कॉपीराइट के लिये 'कॉपीराइट अधिनियम, 1957' और 'कॉपीराइट नियम, 2013' कानून हैं। कॉपीराइट नियम, 2013 को अंतिम बार वर्ष 2016 में संशोधित किया गया था।
- री-हैब (RE-HAB : Reducing Elephant-Human Attacks Using Bees) खादी और ग्रामोद्योग आयोग की अभिनव परियोजना है। इसमें मधुमक्खियों का उपयोग कर हाथियों के मानव पर हमले को कम किया जाता है।
- प्रधानमंत्री ने एडिनबर्ग के ड्यूक राजकुमार फिलिप के निधन पर ब्रिटेन के नागरिकों तथा राजपरिवार के प्रति शोक व्यक्त किया है।
- सुरक्षित पेयजल का अधिकार संयुक्त राष्ट्र के संकल्प 64/292 में एक मानव अधिकार के रूप में निर्दिष्ट है।
- वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के तहत आयातकों/निर्यातकों तक सूचनाओं की तुरंत पहुँच प्रदान करने के लिये डीजीएफटी का व्यापार सुविधा मोबाइल ऐप लॉन्च किया।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 'आहार क्रांति मिशन' शुरू किया है। इसका लक्ष्य पोषक संतुलित आहार की ज़रूरत और सभी स्थानीय फलों व सब्जियों तक पहुँच कायम करने की ज़रूरत को समझना है।
- सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अप्रैल 2021 में पिछले निर्णयों एवं आदेशों को खोजने के उद्देश्य से एक 'जजमेन्ट्स एंड ऑर्डर्स पोर्टल' और अदालत के दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दाखिल करने के उद्देश्य से एक 'ई-फाइलिंग 3.0' मॉड्यूल का उद्घाटन किया।
- भारत ऊर्जा डैशबोर्ड के 2.0 संस्करण का शुभारंभ किया गया। भारत ऊर्जा डैशबोर्ड (आईईडी) देश के ऊर्जा से जुड़े आँकड़ों के लिये एकल खिड़की प्रयास है। केंद्रीय ऊर्जा प्राधिकरण, कोयला नियंत्रक संगठन और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के ऊर्जा से जुड़े आँकड़ों को इसमें संकलित किया जाता है। नीति आयोग ने इसके पहले संस्करण की शुरुआत मई, 2017 में की थी।
- भारत और डेनमार्क ने जल संबंधी चुनौतियों से निपटने तथा एस.डी.जी. प्राप्ति के लिये विश्वस्तरीय नवाचार समाधानों के लिये अटल नवाचार मिशन के माध्यम से एक-दूसरे से हाथ मिलाया।
- राष्ट्रपति ने श्री सुशील चंद्र को 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया है।
- भारत सरकार और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड-एन.के. (NSCN-NK), नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड रिफार्मेशन (NSCN-R) और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड-के. खांगो गुटों के बीच संघर्ष-विराम समझौते को एक वर्ष के लिये बढ़ा दिया गया है।
- प्रधानमंत्री ने किंगडम ऑफ जॉर्डन की स्थापना की 100वीं वर्षगाँठ की बधाई दी और क्षेत्रीय शांति व सुरक्षा पर समन्वय को बढ़ावा देने के लिये 'अकाबा प्रक्रिया' पर चर्चा की। इसी तरह, वर्ष 2004 का 'अम्मान संदेश' सहिष्णुता, एकता और इंसानों की गरिमा के सम्मान के लिये एक आह्वान था।
- रायसीना संवाद के छठे संस्करण के उद्घाटन समारोह को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। इस अवसर पर रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागमे और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। वर्ष 2021 संस्करण का विषय, 'रु वायरल वर्ल्ड : आउटब्रेक्स, आउटलाइर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल' है।

- केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) के 'जय सहकार' कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
- अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईज़ेड) बंदरगाहों को सेवाएँ देने वाला एक एकीकृत इंफ्रास्ट्रक्चर सेवा प्रदाता है। यह वर्तमान में गुजरात, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा के छह समुद्री राज्यों में 11 घरेलू बंदरगाहों पर अपनी सेवाएँ दे रहा है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने एपीएसईज़ेड को आंध्र प्रदेश के गंगावरम पोर्ट लिमिटेड की 89.6% हिस्सेदारी खरीदने की मंज़ूरी दे दी है।
- भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय ने सभी आयु वर्गों की देखभाल के लिये 'मानस' ऐप लॉन्च किया है। मानस (Mental Health and Normalcy Augmentation System – MANAS) मानसिक स्वास्थ्य और सामान्य स्वास्थ्य प्रणाली के लिये काम करता है।
- डॉ. बी.आर. आंबेडकर की 130वीं जयंती के अवसर पर केंद्रीय संचार और कानून मंत्री ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के 'ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल' को लॉन्च किया।
- नीति आयोग ने 'बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन' तथा अशोका यूनिवर्सिटी के 'सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन केंद्र' की साझेदारी में स्वास्थ्य और पोषण पर आधारित एक राष्ट्रीय डिजिटल कोष 'पोषण ज्ञान' की शुरुआत की है।
- विशु उत्सव मुख्यत: केरल और मलयाली लोगों के बीच मनाया जाता है। पुथांडु पिरापु का आयोजन मुख्यत: तमिलनाडु में किया जाता है। 'महा बिशुबा पना संक्रांति' प्राय: ओडिशा में मनाया जाता है। बोहाग बिहु (Bohag Bihu) असम में मनाया जाने वाला एक पावन उत्सव है। पोयला बोइशाख उत्सव मुख्यत: बांग्लाभाषियों के बीच मनाया जाता है। मणिपुर में 'साजिबु चेरोबा' को नए वर्ष के रूप में मनाया जाता है।
- डेनमार्क यूरोप का पहला देश है, जिसने अपने टीकाकरण अभियान में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के उपयोग को रोक दिया है।
- श्रीलंका ने ईस्टर संडे हमले की द्वितीय वर्षगाँठ से पूर्व IS और अल-कायदा समेत 11 कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों को प्रतिबंधित कर दिया।
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने जल कृषकों, खरीदारों और निर्यातकों को जोड़ने को लेकर एक मंच प्रदान करने के लिये एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केटप्लेस 'ई-सांता' (E-SANTA) की शुरुआत की।
- वर्तमान में, आवेदक के चेहरे में जैविक परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, ओसीआई कार्ड को 20 वर्ष की आयु तक प्रत्येक बार नया पासपोर्ट जारी होने और 50 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद दोबारा जारी कराने की आवश्यकता होती है। ओसीआई कार्डधारकों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, अब भारत सरकार ने इस आवश्यकता को खत्म करने का निर्णय लिया है।
- आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने 'ईट-स्मार्ट सिटीज चैलेंज' और 'ट्रांसपोर्ट 4 ऑल चैलेंज' की शुरुआत की। ईट-स्मार्ट सिटीज चैलेंज, सही खान-पान संबंधी व्यवहार और आदतों का माहौल बनाने के लिये है, जबकि ट्रांसपोर्ट 4 ऑल चैलेंज का लक्ष्य सार्वजनिक परिवहन को सुरक्षित, वहनीय, आरामदायक और विश्वसनीय बनाना है।
- पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने उत्पादकों को 'पंजाब सोना व पंजाब केसर' नाम की कैरोटीन समृद्ध चेरी टमाटर की दो किस्में तथा एंटीऑक्सीडेंट गुणों के साथ एंथोसायनिन समृद्ध बैंगन की दो किस्में 'पंजाब रौनक व पंजाब भरपूर' पेश की हैं।
- केंद्रीय रेल तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद (एनएसएसी) की पहली बैठक की अध्यक्षता की। उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का गठन किया है जिससे सरकार को देश में नवाचार एवं स्टार्टअप के पोषण के लिये एक मज़बूत इकोसिस्टम बनाने के लिये आवश्यक उपायों पर सलाह दी जा सके।
- सागरमाला पहल के तहत ओडिशा में धामरा नदी पर रोपेक्स जेटी परियोजना का निर्माण किया जाएगा।
- आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत स्वदेशी कोविड टीकों के विकास और उत्पादन के लिये 'मिशन कोविड सुरक्षा' की घोषणा की गई। इसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लागू किया जाएगा।
- भारती और मैत्री अंटार्कटिका में भारत के स्थायी अनुसंधान बेस स्टेशन हैं।
- राष्ट्रीय जलवायु भेद्यता आकलन रिपोर्ट ने झारखंड, मिज़ोरम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल की पहचान जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील राज्यों के रूप में की है। संवेदनशील माने जाने वाले राज्यों में से, असम, बिहार और झारखंड के 60% से अधिक ज़िले अति संवेदनशील ज़िलों की श्रेणी में हैं।
- जापान हाइड्रोजन संबंधी एक बुनियादी रणनीति तैयार करने वाला पहला देश है। जापान की पाँचवीं ऊर्जा योजना में हाइड्रोजन को शामिल किया गया है।

- भारत और जर्मनी ने 'समुद्री पर्यावरण में प्रवेश कर रहे प्लास्टिक कचरे की समस्या का सामना कर रहे शहरों' के संदर्भ में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस परियोजना के तहत कानपुर, कोच्चि और पोर्ट ब्लेयर की सहायता की जाएगी।
- श्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना की शुरुआत की। यह योजना बीज वित्तपोषण, नवाचार प्रोत्साहन, परिवर्तनकारी विचारों का समर्थन, सुविधाजनक कार्यान्वयन और स्टार्टअप क्रांति को सुनिश्चित करेगा।
- ब्रिटिश कालीन भारत में विभिन्न सैन्य छावनियों में सैनिकों को गाय का हाइजीनिक दूध उपलब्ध कराने के लिये सैन्य फार्म स्थापित किये गए थे। पहला सैन्य फार्म 01 फरवरी 1889 को इलाहाबाद में तैयार किया गया था। भारतीय सेना ने औपचारिक रूप से सैन्य फार्मों को बंद कर दिया है।
- सूरत के हजीरा बंदरगाह से दीव के लिये अपनी तरह की पहली क्रूज सेवा को प्रारंभ किया गया।
- भारत और मॉरीशस ने व्यापक आर्थिक सहयोग एवं भागीदारी समझौते (सीईसीपीए) पर हस्ताक्षर किये थे। सीईसीपीए अफ्रीका में किसी देश के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित पहला व्यापार समझौता है, जो 01 अप्रैल 2021 से प्रभावी हो गया।
- गोवा देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहाँ शत-प्रतिशत ग्रामीण घरों में पाइप से पीने का पानी उपलब्ध हो रहा है। इसके बाद तेलंगाना एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं।
- महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप एस्ट्रम ने गीगा मेश नामक एक वायरलेस उत्पाद विकसित किया है, जो टेलीकॉम ऑपरेटरों को उपनगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत वाली विश्वसनीय इंटरनेट सेवाएँ देने में मदद करेगा।
- केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने आई.आई.एम. जम्मू में 'आनंदम : द सेंटर फॉर हैप्पीनैस' का उद्घाटन किया।
- केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने 'विश्व टीकाकरण एवं लॉजिस्टिक सम्मेलन' के अंतर्गत 'टीका उत्पादन और एशिया में वितरण' विषय पर संगोष्ठी को संबोधित किया।
- प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 के तहत देय राशि के भुगतान की समय-सीमा को बिना अतिरिक्त राशि के 30 जून, 2021 तक बढ़ा दिया गया है।
- सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा जर्मनी से ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों और कंटेनरों का आयात कर रही है।
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने विश्व मलेरिया दिवस पर मलेरिया उन्मूलन पर 'रीचिंग ज़ीरो' फोरम की अध्यक्षता की। विश्व मलेरिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 की तुलना में 2020 में मलेरिया के रोगियों में 84.5 प्रतिशत की कमी और इससे होने वाली मौतों में 83.6 प्रतिशत की कमी हुई है। वर्ष 2020 में देश के 116 ज़िलों में मलेरिया के कोई मामले नहीं आए।
- प्रधानमंत्री ने विश्व जल दिवस के अवसर पर 22 मार्च, 2021 को 'जल शक्ति अभियान : कैच द रेन' का शुभारंभ किया। यह अभियान देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक साथ "कैच द रेन : जहाँ भी, जब भी संभव हो वर्षा जल का संग्रह करें" थीम के साथ शुरू किया गया। इस अभियान को देश में मानसून पूर्व और मानसून अवधि के दौरान 22 मार्च 2021 से 30 नवंबर, 2021 तक क्रियान्वित किया जाएगा। जल संरक्षण के लिये ग्राम सभाएँ 'जल शपथ' लेंगी। साथ ही, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने 'केन-बेतवा लिंक परियोजना' को लागू करने के लिये समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- 31 मार्च, 2021 तक 70,000 'आयुष्मान भारत-हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों' (एबी-एचडब्ल्यूसी) के संचालन का लक्ष्य तय समय से पहले ही हासिल कर लिया गया है। दिसंबर 2022 तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,50,000 'उप-स्वास्थ्य केंद्रों' और 'प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों' को एबी-एचडब्ल्यूसी में तब्दील करने का लक्ष्य रखा गया था। सर्वाधिक कार्यात्मक एचडब्ल्यूसी महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में है। दिल्ली ने इस योजना को लागू नहीं किया है।
- वंदे भारत मिशन के तहत 67.5 मिलियन से अधिक लोगों को स्वदेश वापस लाया गया। कोविड के कारण विदेशों में फंसे नागरिकों को वापस लाने के लिये इसकी शुरुआत 7 मई, 2020 को की गई थी।
- स्वर्णिम विजय वर्ष 2021 के अवसर पर हुगली नदी पर नौसेना ने सामरिक अभ्यास 'समुद्री विरासत प्रदर्शन' किया।
- राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की दर वर्ष 2014-15 में लगभग 12 किमी. प्रतिदिन की तुलना में लगभग तीन गुना वृद्धि के साथ वर्ष 2020-21 में लगभग 34 किमी. हो गई है। इस वित्त-वर्ष में 11,000 किमी. के तय लक्ष्य से अधिक का निर्माण किया गया है।
- भारत में पिछले तीन वर्षों में फिनिश्ड स्टील के आयात की स्थिति- कोरिया, चीन, जापान।

- भू-स्थानिक डाटा के लिये उदार दिशा-निर्देशों की घोषणा के अनुसार, सुरक्षा/कानून प्रवर्तन एजेंसियों की ओर से एकत्रित वर्गीकृत भू-स्थानिक डाटा को छोड़कर, सार्वजनिक धन से तैयार किए गए सभी भू-स्थानिक डाटा को सभी भारतीय संस्थाओं के लिये वैज्ञानिक, आर्थिक और विकासात्मक उद्देश्यों हेतु सुलभ बनाया जाएगा और उनके उपयोग पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होगी।
- आयात प्रतिस्थापन के लिये MSMEs/स्टार्टअप्स/उद्योग को विकास सहायता प्रदान करने के लिये रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/आयुध निर्माणी बोर्ड/सेवाओं के लिये अगस्त 2020 में एक स्वदेशी पोर्टल 'सृजन' शुरू किया गया है।
- घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और एलएनजी की खरीद से प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को वर्ष 2030 तक 15% तक बढ़ाने की परिकल्पना की गई है।
- केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा भूजल गुणवत्ता डाटा देश के विभिन्न हिस्सों में मानव उपभोग के लिये जल में फ्लोराइड, आर्सेनिक, नाइट्रेट, लोहा और भारी धातुओं के पाए जाने को इंगित करता है। विदित है कि जल राज्य सूची का विषय है।
- भारत के राजपत्र में चार श्रम संहिताओं, यथा- 'मजदूरी संहिता, 2019', 'औद्योगिक संबंध कोड, 2020', 'व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020' और 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' को अधिसूचित किया गया है। विदित है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का संस्थापक सदस्य रहा है।
- टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह और कोविड-19 के लिये टीकाकरण पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह ने कोविशील्ड की दो खुराक के बीच का अंतराल 4 से 8 सप्ताह करने की सिफारिश की है। इससे पहले कोविशील्ड की पहली और दूसरी खुराक 4 से 6 सप्ताह के अंतराल के बीच दी जाती थी। दो खुराक के बीच संशोधित समय अंतराल का यह निर्णय केवल कोविशील्ड के लिये है और कोवैक्सीन टीके पर लागू नहीं है।
- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा नमामि गंगे कार्यक्रम, गंगा और उसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिये एक एकीकृत मिशन है। वर्तमान में इसके तहत गंगा नदी की 13 सहायक नदियों- यमुना, कोसी, सरयू, रामगंगा, काली (पश्चिम), काली (पूर्व), गोमती, खरकरी (Kharkari), बूढ़ी गंडक, बाँका, दामोदर, रिस्पना-बिंदल और चंबल पर सीवरेज के बुनियादी ढाँचे का काम चल रहा है।
- बुलढाणा पैटर्न का संबंध जल संरक्षण से है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के संघ लोक सेवा आयोग और अफगानिस्तान के स्वतंत्र प्रशासनिक सुधार एवं सिविल सेवा आयोग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी।
- भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्युदर वर्ष 2012 में 52 के मुकाबले 2018 में 36 पर आ गई है। वर्ष 1990 से 2012 के दौरान इस आयु वर्ग के बच्चों की मौतों में कमी की वार्षिक प्रतिशत दर 3.9 प्रतिशत से बढ़कर 2013-2018 की अवधि में 6.0 प्रतिशत हो गई है।
- 443 अंकों की कमी के साथ देश में मातृत्व मृत्युदर वर्ष 1990 में 556 प्रति एक लाख जीवित जन्म से घटकर 2016-2018 में 113 हो गई है। वर्ष 1990 से इसमें 80 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है जो वैश्विक कमी के 45 प्रतिशत से अधिक है। पिछले 5 वर्षों में मातृत्व मृत्युदर में कमी दर्ज की गई है जो 2011-13 नमूना पंजीकरण प्रणाली में 167 थी। साथ ही, मृत्युदर (एमआर) 1990 में 80 से घटकर वर्ष 2018 में 32 हो गई है।
- नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर वर्ष 2013 में 2.3 के मुकाबले 2018 में घटकर 2.2 रह गई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 (2015-16) ने भी 2.2 टी.एफ.आर. दर्ज किया है।
- वर्ष 2018 में मलेरिया के मामलों और उससे होने वाली मौतों की तुलना में 2019 में मलेरिया के मामलों में 21.27 प्रतिशत और इससे होने वाली मौतों में 20 प्रतिशत की कमी आई है।
- देश में प्रति 1 लाख आबादी पर टी.बी. के मामलों की दर वर्ष 2012 के 234 से घटकर 2019 में 193 के हो गई है और इससे होने वाली मौतों की संख्या 2012 के 42 व्यक्ति प्रति लाख से घटकर 2019 में 33 व्यक्ति प्रति लाख हो गई है।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की एक उप योजना 'पूर्वी भारत में हरित क्रांति' को 2010-11 में शुरू किया गया था, जिसे सात पूर्वी राज्यों– असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में लागू किया जा रहा है।
- विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय प्रतिष्ठान पावरग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (पावर ग्रिड) ने एक ई-टेंडरिंग पोर्टल 'प्रणीत' स्थापित किया है जिससे कागजी कार्य में कमी आएगी, संचालन में सुगम्यता होगी और निविदा प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी।

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने कैबिनेट द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन की शुरुआत की है।
- केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने सीबीएसई क्षमता आधारित शिक्षा परियोजना के हिस्से के रूप में विज्ञान, गणित और अंग्रेजी विषय की कक्षाओं के लिये नए सीबीएसई मूल्यांकन तंत्र को लॉन्च किया है।
- एकीकृत नमूना सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2019-20 के दौरान भारत में मवेशियों की औसत वार्षिक उत्पादकता 1777 किलोग्राम प्रति पशु है, जबकि 2019 के दौरान वैश्विक उत्पादकता औसत प्रति वर्ष प्रति पशु 2699 किलोग्राम है। 2013-14 से 2019-20 के बीच मवेशियों की औसत उत्पादकता 27.95% बढ़ी है जो विश्व में सर्वाधिक है।
- भारत में विश्व के क्षय रोग के 30 प्रतिशत मरीज हैं। वर्ष 2025 तक क्षय रोग को समाप्त करने का लक्ष्य है। लक्षद्वीप के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर के बड़गाम ज़िले को टीबी मुक्त घोषित किया गया है।
- निर्भया फंड योजना के तहत गृह मंत्रालय द्वारा 8 शहरों (अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई) में 'सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स' को मंजूरी दी गई है।
- वर्तमान में 8 राज्य (मिजोरम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, झारखंड, पंजाब) सी.बी.आई. जाँच के लिये आवश्यक सामान्य सहमति प्रक्रिया से बाहर हैं।
- ग्राम उजाला कार्यक्रम के पहले चरण में 1 करोड़ 50 लाख एलईडी बल्बों का वितरण किया जाएगा। इससे कार्बनडाईऑक्साइड का उत्सर्जन प्रतिवर्ष 1.65 मिलियन टन कम होगा। इस कार्यक्रम के तहत मात्र 10 रुपये में बल्ब दिये जाते हैं।
- भारतीय रेलवे ने दिसंबर, 2023 तक ब्रॉड गेज (बीजी) नेटवर्क विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है। भारतीय रेलवे ने दस वर्षों में 41,000 करोड़ रुपये बचाने के लिये एक योजना (मिशन 41 K) का अनावरण किया है।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये राष्ट्रीय पोर्टल लाँच किया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, 4,87,803 व्यक्ति 'अन्य' श्रेणी के तहत वर्गीकृत हैं।
- पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों के लिये 'योगासन स्पोर्ट्स' को खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 2021 में शामिल किया गया है।
- केंद्रीय जल आयोग के अनुसार, भारत में वर्ष 2011 में प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक जल उपलब्धता 1545 क्यूबिक मीटर आँकी गई है। साथ ही, वर्ष 2021 तक औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता कम होकर 1486 घन मीटर तक हो सकती है। जल संसाधन डाटा को बेसिन-वार अनुरक्षित (Maintain) रखा जाता है, न कि राज्यवार।
- नागर विमानन मंत्रालय देश में ड्रोन परिचालन को सरल, सुगम बनाने और उसे बढ़ावा देने के लिये ग्रीन जोन की पहचान करके 'नो-परमिशन-नो-टेकऑफ' (एनपीएनटी) स्वीकृत ड्रोन परिचालन की मंजूरी देता है।
- कुर्नूल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। यह आंध्र प्रदेश में कडप्पा, विशाखापट्टनम, तिरुपति, राजमुंदरी और विजयवाड़ा के बाद संचालित होने वाला छठा एयरपोर्ट है।
- रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और कोरिया के रक्षा मंत्री श्री सुह वूक ने दिल्ली छावनी में भारत के पहले भारत-कोरियाई मैत्री पार्क का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया।
- भारत निर्वाचन आयोग ने जन प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 126ए की उप-धारा (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए चुनावों के संबंध में किसी भी एग्जिट पोल का संचालन करना तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी अन्य तरीके से एग्जिट पोल के परिणामों को प्रकाशित करने या प्रचार को निषिद्ध करता है।
- बनारस घराने से जुड़े ख्याल शैली के शास्त्रीय गायक पंडित राजन मिश्र जी का निधन हो गया है।
- पीएम केयर्स फंड के माध्यम से देशभर में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 551 पीएसए (प्रेशर स्विंग ऐड्सॉर्प्शन) चिकित्सा ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।
- न्यायमूर्ति श्री नथालपति वेंकट रमण ने राष्ट्रपति के समक्ष भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।
- रेलवे ने कलंबोली (नवी मुंबई) से विशाखापट्टनम और नासिक तक पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई।
- भारत के औषधि नियंत्रण महानिदेशक ने मध्यम श्रेणी के कोविड-19 लक्षणों वाले रोगियों के उपचार के लिये जाईडस कैडिला द्वारा निर्मित 'विराफिन' (Virafin) के सीमित उपयोग की आपात स्वीकृति दे दी है। विराफिन एक पैगाइलेटेड इंटरफेरोन अल्फा-2बी (PegIFN) है जिसे संक्रमण के शुरुआती लक्षण वाले रोगियों को इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है।

करेंट अफेयर्स आधारित अभ्यास प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा आधारित प्रश्न

1. हीलियम का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों किया जाता है?

1. चुंबकीय अनुनाद प्रक्रिया में
2. गोताखोरों द्वारा प्रयुक्त श्वशन सिलिंडर में
3. प्रकाशीय तंतु प्रौद्योगिकी में
4. उड़ने वाले गुब्बारों में प्रयुक्त गैस में
5. प्रमोचन यानों में प्रयुक्त क्रायोजेनिक तकनीक में
6. आर्क-बेल्डिंग की प्रक्रिया में

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1, 2, 4 और 5
(b) केवल 2, 3, 5 और 6
(c) केवल 1, 4, 5 और 6
(d) 1, 2, 3, 4, 5 और 6

2. यद्यपि गुरुत्वीय तरंगों की उत्पत्ति के स्पष्ट प्रमाण नहीं हैं, तथापि कुछ घटनाओं को इनकी उत्पत्ति का स्रोत माना जाता है, इनमें शामिल हैं-

1. सुपरनोवा में होने वाले विस्फोट
2. खगोलीय पिंडों का आपस में टकराना
3. दो बड़े तारों का एक-दूसरे के सापेक्ष परिक्रमण करना
4. दो ब्लैक होल्स का एक-दूसरे के सापेक्ष घूर्णन तथा परस्पर विलीन हो जाना।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1, 3 और 4
(b) केवल 2 और 4
(c) केवल 1, 2 और 4
(d) उपर्युक्त सभी।

3. 'सापेक्षिक जेट' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. यह अत्यधिक द्रव्यमान वाले 'ब्लैक होल' द्वारा उत्पन्न किया जाने वाला जेट होता है, जो ब्लैक होल के केंद्र से बाहर की ओर गतिमान होता है।
2. इसकी गति की दिशा ब्लैक होल के घूर्णन अक्ष के विपरीत होती है।
3. इसका निर्माण ब्लैक होल्स के गुरुत्वीय क्षेत्र में उपस्थित विकिरण, धूल-कण तथा गैसों आदि से होता है।
4. इन्हें ब्रह्मांड में सर्वाधिक तीव्र गति वाली 'कॉस्मिक किरणों' की उत्पत्ति का स्रोत भी माना जाता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 2
(c) केवल 1, 3 और 4
(d) केवल 1, 2 और 4

4. अनुच्छेद 244 (क) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. इसे 22वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 1969 में संविधान में अंत:स्थापित किया गया था।
2. यह असम राज्य क्षेत्र में कुछ विशेष जनजातीय क्षेत्रों को 'स्वायत्त प्रदेश' के निर्माण की अनुमति प्रदान करता है।
3. इसके तहत स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद् या दोनों के गठन का प्रावधान किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3
(d) उपर्युक्त सभी।

5. ब्लैक होल तथा गुरुत्वीय तरंगों के अध्ययन संबंधी वेधशालाएँ अवस्थित हैं-

वेधशाला	संबंधित देश
1. लीगो	(a) संयुक्त राज्य अमेरिका
2. वर्गो	(b) इटली
3. काग्रा	(c) जापान

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही सुमेलित है/हैं?

(a) केवल 1 और 3

(b) केवल 2

(c) केवल 2 और 3

(d) उपर्युक्त सभी।

6. 'दुर्लभ रोगों के लिये राष्ट्रीय नीति, 2021' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. केंद्रीय महिला एवं समाज कल्याण मंत्रालय ने दुर्लभ रोगों का उपचार करवा पाने में असमर्थ रोगियों के लिये इस नीति को स्वीकृति प्रदान की है।
2. इस नीति के तहत एक बार उपचारार्थ दुर्लभ रोगों के उपचार के लिये 'राष्ट्रीय आरोग्य निधि' छत्रक योजना के अंतर्गत 20 लाख रुपए तक के वित्तीय समर्थन का प्रावधान है।
3. इसके अंतर्गत केवल बी.पी.एल. परिवारों के लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3

(b) केवल 2

(c) केवल 1 और 2

(d) उपर्युक्त सभी।

7. 'उपासना स्थल अधिनियम' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. इसके अनुसार, किसी धार्मिक संप्रदाय के उपासना स्थल को दूसरे संप्रदाय या वर्ग के उपासना स्थल के रूप में परिवर्तित नहीं किया जाएगा, इन स्थलों के संबंध में 15 अगस्त, 1947 की यथास्थिति बरकरार रहेगी।
2. यह अधिनियम 'प्राचीन स्मारक, पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958' के अंतर्गत आने वाले स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों व अवशेषों पर लागू नहीं होगा।
3. इस अधिनियम के प्रावधान ऐसे किसी मामले, जिनका अंतिम रूप से निपटारा किया जा चुका है या संबंधित पक्षों द्वारा सुलझा लिया गया है या किसी स्थल की स्थिति में परिवर्तन पर सहमति बन चुकी है, पर लागू नहीं होंगे।
4. इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर तीन वर्ष तक की कैद तथा जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इन अपराधों या साजिशों में संलिप्त व्यक्तियों के लिये भी समान सज़ा का प्रावधान किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1, 3 और 4

(b) केवल 2 और 4

(c) केवल 1, 2 और 4

(d) उपर्युक्त सभी।

8. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. भारतीय संविधान में अनुच्छेद 239कक तथा 239कख को 69वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया था।
2. 69वाँ संशोधन अधिनियम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) के लिये विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद् स्थापित करने का प्रावधान करता है।
3. पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था तथा भूमि से संबंधित मामले समवर्ती सूची के विषय हैं, किंतु दिल्ली सरकार को इनके संबंध में कोई विधायी शक्ति प्राप्त नहीं है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1 और 3

(b) केवल 3

(c) केवल 1 और 2

(d) उपर्युक्त सभी।

9. बिम्सटेक के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. इसकी स्थापना 6 जून 1997 'बैंकॉक घोषणा' के माध्यम से की गई थी।
2. भारत, थाईलैंड, म्याँमार तथा श्रीलंका इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

10. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. 'मौलिक अधिकारों के ऊर्ध्वाधर अनुप्रयोग' के अंतर्गत उन मौलिक अधिकारों को शामिल किया जाता है, जिन्हें केवल राज्य के विरुद्ध लागू किया जा सकता हैं।
2. 'मौलिक अधिकारों के क्षैतिज अनुप्रयोग' के अंतर्गत उन मौलिक अधिकारों को शामिल किया जाता है, जो व्यक्तियों के विरुद्ध लागू होते हैं।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

11. 'आहार क्रांति मिशन' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. इसकी शुरुआत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा की गई है।
2. इसका उद्देश्य पोषक संतुलित आहार में सभी स्थानीय फलों एवं सब्जियों की पहुँच को सुनिश्चित करना है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2, दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

12. निम्नलिखित में कौन-से दिवस सही सुमेलित हैं?

दिवस		तिथि
1. राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस	-	16 मार्च
2. अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस	-	22 मार्च
3. विश्व विरासत दिवस	-	18 अप्रैल
4. विश्व हीमोफीलिया दिवस	-	17 अप्रैल

नीचे दिये गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिये-

(a) केवल 1, 3 और 4
(b) केवल 2 और 4
(c) केवल 1, 2 और 4
(d) उपर्युक्त सभी।

13. 'स्वदेश दर्शन योजना' के अंतर्गत विकास के लिये चिह्नित 15 सर्किट में शामिल हैं-

1. हिमालय सर्किट
2. पूर्वोत्तर सर्किट
3. कृष्णा सर्किट
4. मरुभूमि सर्किट
5. पारिस्थितिकी सर्किट
6. तीर्थंकर सर्किट
7. ग्रामीण सर्किट

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1, 3, 4, 5 और 7
(b) केवल 2, 3 5 और 7
(c) केवल 1, 2, 4, 5 और 6
(d) 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7

14. 'वारली जनजाति' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. यह महाराष्ट्र की एक महत्त्वपूर्ण जनजाति है, जो उत्तरी सहयाद्रि पर्वतमाला की उपत्यका में निवास करती है।
2. ये जनजाति वृक्षों को काटकर अपने लिये घरों का निर्माण करती है, जिन्हें 'वराल' के नाम से जाना जाता है।
3. यह जनजाति महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव में निवास करती है।
4. इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं उससे संबंधित गतिविधियाँ हैं। ये अपनी खाद्यान्न आवश्यकताओं एवं आजीविका के लिये भी पूर्णत: कृषि पर ही निर्भर हैं।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही नहीं हैं?

(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 2 और 4
(c) केवल 2, 3 और 4
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

15. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. 'श्वार्ज्सचाइल्ड ब्लैक होल' अपने अक्ष पर घूर्णन तो करते हैं, किंतु इनके पास कोई विद्युत आवेश नहीं होता है।
2. 'कर ब्लैक होल' न ही अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं, न ही इनके पास कोई विद्युत आवेश होता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

16. 'बॉण्ड यील्ड' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. यह किसी निवेशक को उसके बॉण्ड या सरकारी प्रतिभूति पर मिलने वाला एक प्रतिफल (Return) है।
2. ब्याज दरों में कमी के कारण बॉण्ड की कीमतें गिरने लगती हैं तथा बॉण्ड यील्ड बढ़ जाती है, जबकि ब्याज दर बढ़ने से बॉण्ड की कीमतें बढ़ने लगती हैं जिससे बॉण्ड यील्ड में गिरावट आती है।

3. केवल सरकार की राजकोषीय नीति तथा वैश्विक बाजार जैसे कारक ही इसे प्रभावित करते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

17. 'केन-बेतवा लिंक परियोजना' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. 'केन-बेतवा लिंक परियोजना', नदियों को आपस में जोड़ने के लिये 'राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना'के तहत दूसरी परियोजना है।
2. इस परियोजना तहत बेतवा नदी के जल को केन नदी में स्थानांतरित किया जाएगा।
3. वर्ष 1980 में सिंचाई मंत्रालय ने देश में अंतर-बेसिन जल स्थानांतरण की परिकल्पना करते हुए जल-संसाधन विकास के लिये एक 'राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना' तैयार की थी।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1, 2 और 3
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) केवल 3

18. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. न्यायाधीशों की नियुक्ति 'कॉलेजियम' के परामर्श पर राष्ट्रपति करता है।
2. 'कॉलेजियम' में भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।
3. उच्चतम न्यायालय ने कॉलेजियम प्रणाली को संविधान के बुनियादी ढाँचे में शामिल किया है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1, 2 और 3
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) केवल 1 और 2

19. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद् (UNHRC) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. यह संयुक्त राष्ट्र संगठन की एक विशेषीकृत एजेंसी है।
2. संयुक्त राष्ट्र संघ के 47 देश इस परिषद् के सदस्य होते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान के माध्यम से चुने जाते हैं।
3. परिषद् के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होता है तथा दो लगातार कार्यकाल के बाद कोई भी सदस्य तत्काल पुनर्निर्वाचन के लिये अयोग्य होता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1, 2 और 3
(b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3
(d) केवल 2 और 3

20. चुनावी बॉण्ड के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. ये 1,000; 10,000; 1 लाख; 10 लाख; तथा 1 करोड़ रुपए के गुणकों में जारी किये जाते हैं। इच्छुक दानकर्ता इसे सार्वजनिक बैंकों से खरीद सकते हैं।
2. चुनावी बॉण्ड से संबंधित प्रावधान के लिये वर्ष 2017 में संविधान संशोधन किया गया था।
3. नागरिक, चुनावी बॉण्ड के संबंध में कोई विवरण प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं, जबकि केंद्र सरकार इस संबंध में विवरण प्राप्त कर सकती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

21. संविधान की छठी अनुसूची के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. अनुच्छेद 244 (2) के अंतर्गत छठी अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिज़ोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिये लागू होंगे।
2. राष्ट्रपति किसी भी अनुसूचित क्षेत्र के संपूर्ण भाग या उसके किसी भाग को अनुसूचित क्षेत्र की परिधि से बाहर कर सकता है।
3. प्रत्येक ऐसे राज्य जिसमे अनुसूचित क्षेत्र है या कोई ऐसा राज्य जिसमे अनुसूचित क्षेत्र नहीं है किंतु अनुसूचित जनजातियाँ हैं, एक जनजातीय सलाहकार परिषद् स्थापित की जाएगी।
4. राज्यपाल लोक अधिसूचना के माध्यम से निदेश दे सकता है कि संसद या राज्य विधानमंडल की कोई विधि अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग में लागू नहीं होगी या किन्हीं अपवादों या संशोधनों सहित लागू होगी।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 4 (b) केवल 1, 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी।

22. 'हार्ट ऑफ एशिया' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. इसे 'इस्तांबुल प्रक्रिया' भी कहते हैं।
2. इस संगठन का उद्देश्य अफगानिस्ताहन और संबंधित क्षेत्र में शांति, स्थिरता एवं समृद्धि के लिये बेहतर विकल्पों को तलाशना और इन पर अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाना है।
3. इस संगठन में भारत सहित कुल 16 सदस्य देश हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1, 2, 3 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 (d) केवल 3

23. गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. यह विधेयक 'गर्भ का चिकित्सकीय समापन कानून, 1971' में संशोधन करता है।
2. इसके प्रावधान केवल विवाहित महिलाओं पर लागू होंगे।
3. इसमें महिलाओं की विशेष श्रेणियों के लिये गर्भपात की अधिकतम सीमा को 20 सप्ताह कर दिया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1 और 3 (d) उपरोक्त सभी।

24. 'नेट ज़ीरो उत्सर्जन' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. इसका अर्थ ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को शून्य स्तर तक लाना है।
2. इसके लिये आवश्यक है कि जीवाश्म ईंधनों का कम से कम प्रयोग किया जाए तथा इनके दुष्प्रभावों को कम करने वाली तकनीकों के विकास एवं प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाए।
3. भारत के प्रयास से 'जलवायु न्याय' शब्द को पेरिस समझौते की प्रस्तावना में भी शामिल किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी।

25. लोक अदालतों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. इनकी स्थापना विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत की गई है।
2. लोक अदालत संबंधी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 39। से व्युत्पन्न होता है।
3. लोक अदालतों की स्थापना का उद्देश्य समतामूलक न्याय को बढ़ावा देने के लिये किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी।

26. 'शिक्षा का अधिकार' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. उच्चतम न्यायालय ने 'मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य' वाद में शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक भाग माना था।
2. सहायता प्राप्त व गैर-सहायता प्राप्त सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिये 25% सीटें आरक्षित की गई है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2, दोनों (d) न तो 1, न ही 2

27. 'वन डिस्ट्रिक्ट वन फोकस प्रोडक्ट' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. यह उद्योग संवर्धन एवं आतंरिक व्यापार विभाग की एक 'फ्लैगशिप' योजना है।
2. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से इस पहल को समर्थन प्रदान करेगा।
3. इसके लिये देशभर के 728 जिलों से कृषि, बागवानी, दुग्ध, मत्स्य, जलीय कृषि तथा समुद्री क्षेत्रों के उत्पादों की पहचान की गई है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3 (d) उपरोक्त सभी।

28. भारत में 'पुलिस सुधार' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. रिबेरो समिति तथा सोराबजी समिति पुलिस सुधार से संबंधित है।
2. प्रकाश सिंह वाद् में उच्चतम न्यायालय ने राज्य के पुलिस महानिदेशक का कार्यकाल न्यूनतम 'दो वर्ष' निर्धारित करने का आदेश दिया था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

29. दक्षिण एशिया में विद्युत व्यापार के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. विदेश मंत्रालय ने भारत के सीमावर्ती देशों के साथ विद्युत व्यापार को विनियमित करने के लिये दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
2. भारत व पाकिस्तान की विद्युत उत्पादन प्रणालियाँ मुख्यत: कोयला और जल-विद्युत संयंत्रों पर निर्भर हैं।
3. वैश्विक सुपर ग्रिड को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से भारत ने एक महत्त्वाकांक्षी श्वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड' (OSOWOG) परियोजना की शुरुआत की है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी।

30. 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. इस सूचकांक का प्रकाशन 'रिपोर्ट्स विदआउट बॉर्डर्स' द्वारा किया जाता है।
2. इस संस्था का गठन वर्ष 1985 में किया गया है, जिसका मुख्यालय बर्लिन में स्थित है।
3. विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ष 2002 से प्रतिवर्ष जारी किया जाता है।
4. विगत कुछ वर्षों से इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग में गिरावट हो रही है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1, 3 और 4

(d) उपर्युक्त सभी।

उत्तर

1. (d) 2. (d) 3. (c) 4. (d) 5. (d) 6. (b) 7. (d) 8. (b) 9. (a) 10. (c) 11. (c)
12. (a) 13. (d) 14. (d) 15. (d) 16. (a) 17. (d) 18. (d) 19. (b) 20. (c) 21. (d) 22. (b)
23. (a) 24. (d) 25. (d) 26. (a) 27. (b) 28. (c) 29. (b) 30. (c)

मानचित्र -1 : भारत (पृष्ठ संख्या 87) के उत्तर

1. महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ (ओडिशा)
2. रैयोली गाँव (गुजरात)
3. भेडाघाट (मध्य प्रदेश)
4. चेनाब पुल (जम्मू और कश्मीर)
5. कश्मीर घाटी
6. राखीगढ़ी (हरियाणा)
7. रामागुंडम (तेलंगाना)

मानचित्र -2 : विश्व (पृष्ठ संख्या 87) के उत्तर

1. काचिन राज्य : म्याँमार के उत्तरी हिस्से में चीन और भारत के साथ सीमा साझा करने वाले काचिन राज्य में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के कारण कई दिनों से हवाई हमले जारी है।
2. बिश्केक : भारत और किर्गिजस्तान के विशेष बलों ने आतंकवाद-रोधी गतिविधियों पर आधारित सैन्य अभ्यास 'खंजर' का आयोजन किर्गिजस्तान की राजधानी बिश्केक में किया जा रहा है।
3. त्बिलिसी : 23 अप्रैल को 'विश्व पुस्तक दिवस' के अवसर पर यूनेस्को द्वारा जॉर्जिया की राजधानी 'त्बिलिसी' (Tbilisi) को वर्ष 2021 के लिये 'वर्ल्ड बुक कैपिटल' (World Book Capital) के तौर पर चुना गया है।
4. बोआओ : हाल ही में, दक्षिण चीन में स्थित हाइनान प्रांत के 'बोआओ' में 'बोआओ फोरम फॉर एशिया' (BFA) के वार्षिक सम्मलेन 2021 का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया।
5. कोवलून प्रायद्वीप : कोवलून प्रायद्वीप, हांगकांग के अधिकार-क्षेत्र में आने वाले मुख्य भू-भाग के दक्षिणी क्षेत्र में विक्टोरिया हार्बर के किनारे अवस्थित एक प्रायद्वीप है।

मुख्य परीक्षा आधारित प्रश्न

1. नक्सलवाद के प्रमुख कारणों का उल्लेख करते हुए सरकार द्वारा इसकी रोकथाम के लिये किये जा रहे प्रयासों की चर्चा कीजिये।

उत्तर प्रारूप-

भूमिका

नक्सलवाद की उत्पत्ति व उद्देश्य का संक्षिप्त परिचय लिखें।

मुख्य भाग

- नक्सलवाद के उदय के प्रमुख कारणों, जैसे- भूमि का असमान वितरण, संसाधनों का अनुचित दोहन, विकास का अभाव, अधिकार से वंचित रहना तथा अलगाव की भावना आदि की चर्चा करें।
- नक्सलवाद की समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा किये जाने वाले प्रयासों, जैसे- राज्य पुलिस की भूमिका में वृद्धि, पुलिस प्रशिक्षण व आधुनिकीकरण, सूचना तंत्र की मज़बूती, विकास गतिविधियों में वृद्धि, ऑपरेशन समाधान, सलवा जुडूम, शिक्षा, एकीकरण व अधिकार के प्रति जागरूकता इत्यादि की चर्चा करें।

निष्कर्ष

बंदोपाध्याय समिति की सिफारिशों का उल्लेख करते हुए कुछ सुझाव प्रस्तुत करें।

2. 'श्रमबल में महिलाओं की सीमित भागीदारी लैंगिक असमानता का ही एक रूप है।' इस कथन के परिप्रेक्ष्य में भारतीय श्रमबल में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि के लिये उपयुक्त सुझाव प्रस्तुत कीजिये।

उत्तर प्रारूप-

भूमिका

आवश्यक तथ्यों के आधार पर भारतीय श्रमबल में महिलाओं की वर्तमान स्थिति की संक्षेप में चर्चा करें।

मुख्य भाग

- श्रमबल में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हेतु प्रमुख उपायों, जैसे- ग्रामीण महिलाओं का श्रमबल में अधिक प्रवेश, सामाजिक रूढ़ियों में परिवर्तन, वेतन विभेद को कम करना, सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि करना तथा पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, हास्पिटैलिटी (सेवा-सत्कार) व वित्त जैसे महिला-अनुकूल क्षेत्रों में इनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करना और कौशल विकास व सुरक्षा जैसे मुद्दों की चर्चा करें।
- इस दिशा में सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों की चर्चा करें।

निष्कर्ष

भागीदारी में वृद्धि से सामाजिक-आर्थिक प्रभाव की चर्चा करते हुए संतुलित निष्कर्ष लिखें।

3. बिम्सटेक दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्व क्षेत्र के मध्य एक सेतु की भाँति कार्य कर सकता है, परंतु यह संगठन निरंतर कमज़ोर हो रहा है। बिम्सटेक को मज़बूती प्रदान करने के संदर्भ में विद्यमान चुनौतियों की चर्चा कीजिये।

उत्तर प्रारूप-

भूमिका

बिम्सटेक का संक्षिप्त परिचय दें (स्थापना वर्ष, सदस्य देश आदि)।

मुख्य भाग

- बम्सटेक के उद्देश्यों एवं सिद्धातों का उल्लेख करें और इसके कमज़ोर होने के पक्ष में तर्क दें, जैसे, निरंतर बैठकों का न होना, सदस्य देशों में आपसी समन्वय एवं सामूहिक एजेंडे का अभाव, घोषणाओं के क्रियान्वयन का अभाव आदि।
- इसे मज़बूती प्रदान करने के संबंध में विद्यमान चुनौतियों, जैसे- सदस्य देशों के मध्य आपसी संबंध, दक्षिण-पूर्व एशिया में चीन का बढ़ता प्रभुत्व, राजनीतिक अस्थिरता तथा व्यक्तिगत हितों को अधिक महत्त्व देना आदि का उल्लेख करें।
- मज़बूत और व्यावहारिक बिम्सटेक के संदर्भ में अपने कुछ सुझाव प्रस्तुत करें।

निष्कर्ष

क्षेत्रीय संतुलन तथा व्यापक सहयोग के संबंध में बिम्सटेक के महत्त्व को स्पष्ट करते हुए निष्कर्ष लिखें।

4. सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में अधिक फसलों को शामिल किये जाने के पक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिये।

उत्तर प्रारूप-

भूमिका

सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया तथा इसमें शामिल फसलों का संक्षिप्त परिचय दें।

मुख्य भाग

- सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में अधिक फसलों को शामिल किये जाने के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करें, जैसे- उच्च व सतत् कृषि आय (कृषकों की आय को दुगुना करना), निर्यात में वृद्धि व आयात मे कमी, आर्थिक विषमता में कमी, मौसम की अनिश्चितता से सुरक्षा, फसल चक्र में विविधता तथा स्थिर व बृहद बाज़ार की उपलब्धता इत्यादि की चर्चा करें।
- सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया से संबंधित चुनौतियों का उल्लेख करें, जैसे- सरकार के राजकोष पर बोझ, पारिस्थितिक समस्याएँ, भंडारण की समस्या आदि।

निष्कर्ष

खाद्य सुरक्षा, व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा तथा कृषि पारिस्थितिकी के मध्य संतुलन जैसे लाभों को बताते हुए निष्कर्ष लिखें।

5. वर्तमान में क्वाड का स्वरूप अमेरिका, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक एवं व्यापारिक हितों की ओर अधिक झुका प्रतीत होता है। समीक्षा कीजिये।

उत्तर प्रारूप-

भूमिका

क्वाड के वर्तमान आर्थिक, व्यापारिक और सुरक्षा दृष्टिकोण का उल्लेख कीजिये।

मुख्य भाग

- अमेरिका के आर्थिक, रणनीतिक व सुरक्षा हितों को स्पष्ट करें।
- आर.सी.ई.पी. में चीन, जापान व ऑस्ट्रेलिया के शामिल होने और चीन के दोनों देशों का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार होने से क्वाड के लक्ष्यों में विरोधाभास तथा जापान व ऑस्ट्रेलिया द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र की अपेक्षा हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर अधिक बल आदि को संदर्भित करें।

निष्कर्ष

क्वाड के साझा लक्ष्यों, हितों, उद्देश्यों और रणनीतियों का उल्लेख करते हुए संतुलित निष्कर्ष लिखें।

6. सामाजिक कल्याण से संबंधित योजनाओं के लिये आधार एक चुनौती बनकर उभरा है, जो व्यक्तिगत जवाबदेहिता को कम करता है। विवेचना कीजिये।

उत्तर प्रारूप-

भूमिका

सब्सिडी, पी.डी.एस., मनरेगा आदि अन्य सरकारी योजनाओं के लिये आधार संख्या की अनिवार्यता की संक्षिप्त चर्चा करें।

मुख्य भाग

- आधार से लिंक बैंक खातों के सत्यापन व अपडेट में समस्या, दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा का अभाव, बायोमेट्रिक सत्यापन में समस्या, आधार संख्या का गायब होना, शिक्षा व जागरूकता का अभाव जैसी चुनौतियों का उल्लेख कीजिये। साथ ही, सही व्यक्ति का भी लाभ से वंचित रह जाना, सुरक्षा, गोपनीयता एवं बेघर लोगों के संदर्भ में चर्चा करें।
- यह व्यक्तिगत जवाबदेहिता को कैसे सीमित करता है स्पष्ट करें।

निष्कर्ष

वैकल्पिक दस्तावेज़ों के प्रयोग और पंचायत स्तर पर विकेंद्रीकरण की आवश्यकता को बताते हुए संतुलित निष्कर्ष लिखें।

7. स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश स्वास्थ्य सेवा के आधारभूत ढाँचे की मज़बूती के साथ-साथ आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्त्वपूर्ण है। विश्लेषण कीजिये।

उत्तर प्रारूप-

भूमिका

स्वास्थ्य क्षेत्र की व्यापकता के लिये उत्तरदाई कारकों, जैसे- अधिक आयु वर्ग की बढ़ती जनसंख्या, बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग व जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों की अधिकता का उल्लेख कीजिये।

मुख्य भाग

- आधारभूत ढाँचे में मज़बूती, जैसे- अस्पतालों, फार्मास्यूटिकल्स एवं जैव प्रौद्योगिकी, पैथोलॉजी केंद्रों तथा टेलीमेडिसिन का विकास, चिकित्सकीय उपकरणों के निर्माण में वृद्धि का उल्लेख करें।
- इससे निवेश, रोज़गार, स्वास्थ्य बीमा, चिकित्सा पर्यटन आदि व्यावसायिक गतिविधियों में वृद्धि की चर्चा करें।

निष्कर्ष

तेज़ी से उभरने वाले उद्योग के रूप में इस क्षेत्र की संभावनाओं का उल्लेख करते हुए संतुलित निष्कर्ष लिखें।

8. चक्रीय अर्थव्यवस्था से होने वाले लाभों का उल्लेख करते हुए इस दिशा में सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों की चर्चा कीजिये।

उत्तर प्रारूप-

भूमिका

चक्रीय अर्थव्यवस्था का संक्षेप में अर्थ स्पष्ट करें।

मुख्य भाग

- चक्रीय अर्थव्यवस्था से लाभ, जैसे- भूमि निम्नीकरण व प्रदूषण नियंत्रण, संसाधन दक्षता व प्रणालीगत दक्षता में वृद्धि, आर्थिक वृद्धि, ऊर्जा व श्रम की बचत, पर्यावरणीय लाभ तथा भारतीय अर्थव्यवस्था से इसकी अनुकूलता का उल्लेख करें।
- इस दिशा में सरकार के प्रयासों, जैसे- मंत्रालयों द्वारा संसाधन दक्षता के प्रयासों व समितियों के गठन की चर्चा करें।

निष्कर्ष

चक्रीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिये सुझाव प्रस्तुत करते हुए निष्कर्ष लिखें।

9. जनसांख्यिकी, भू-राजनीति, डिजिटल कनेक्टिविटी तथा राष्ट्रीय लचीलापन जैसे कारकों के आधार पर भारत में निवेश की संभावनाओं की चर्चा कीजिये।

उत्तर प्रारूप-

भूमिका

भारत में निवेश की वर्तमान स्थिति की संक्षिप्त चर्चा करें।

मुख्य भाग

- **भारत की जनसंख्या :** बढ़ती हुई जनसंख्या ज़रूरतों, बढ़ती क्रय शक्ति और बढ़ते हुए मध्यम वर्ग का उल्लेख करें।
- **भू-राजनीति में बदलाव :** अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती प्रतियोगिता, तल्ख रिश्ते व आर्थिक प्रतिबंधों के साथ भारत के लिये बढ़ते अवसरों की चर्चा करें।
- **डिज़िटल कनेक्टिविटी :** सस्ते डाटा की उपलब्धता, अधिक लोगों तक इंटरनेट की पहुँच तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी के क्षेत्र में संभावनाओं की चर्चा करें।
- **राष्ट्रीय लचीलापन :** ऐतिहासिक व राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद अंतर्निहित लचीलापन, टीकाकरण अभियान व आर्थिक बहाली की चर्चा करें।

निष्कर्ष

इन कारकों के आधार पर भारतीय बाज़ार में अवसरों और भारत व निवेशकों के द्विपक्षीय हितों का उल्लेख करते हुए निष्कर्ष लिखें।

10. राष्ट्रीय राजधानी संशोधन अधिनियम, 2021 का उल्लेख करते हुए इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

उत्तर प्रारूप-

भूमिका

इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की संक्षिप्त चर्चा करें।

मुख्य भाग

- **पक्ष में तर्क :** केंद्र के साथ समन्वय, संवैधानिक भूमिका में स्पष्टता, सरकार की निश्चित परिभाषा आदि की चर्चा करें।
- **विपक्ष में तर्क :** चुनी हुई सरकार के अधिकार को सीमित करना, संघ का अधिक नियंत्रण, विकेंद्रीकरण और संघवाद की भावना के विपरीत जैसे आधारों की चर्चा करें।

निष्कर्ष

उपराज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों में विस्तार तथा अधिकारों के बीच समन्वय की आवश्यकता को बताते हुए निष्कर्ष लिखें।

11. "जल्दबाजी में किया गया न्याय, न्याय को दफन करने के समान है" (Justice hurried is Justice buried)। इस कथन के आलोक में लोक अदालतों में किया जाने वाला त्वरित न्याय, गुणवत्तापूर्ण न्याय की दिशा में बाधक है। विश्लेषण कीजिये।

उत्तर प्रारूप-

भूमिका

लोक अदालतों की न्यायिक क्रियाविधि की संक्षिप्त चर्चा करें।

मुख्य भाग

लोक अदालतों द्वारा औसत रूप से निपटाये जाने वाले मामलों की संख्या में वृद्धि, कई मामलों में समाधान की शर्तों की बाध्यता, वैवाहिक विवादों में फैमिली-कोर्ट द्वारा शर्तों का निर्धारण, तीव्रता से विवादों का समाधान करने में न्याय की मूल भावना के साथ समझौता तथा इसके निर्णय के विरुद्ध अपीलीय अधिकार का अभाव आदि की चर्चा करें।

निष्कर्ष

समान न्याय व गरीबों के न्यायिक सशक्तीकरण की दिशा में लोक अदालतों के महत्त्व को स्पष्ट करें और इनमें प्रणालीगत एवं दक्षता संबंधी सुधारों की आवश्यकता को बताते हुए संतुलित निष्कर्ष लिखें।

12. दिवालापन संहिता के संदर्भ में 'प्री-पैक' समाधान से आप क्या समझते हैं? प्री-पैक दिवाला समाधान प्रक्रिया में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को वरीयता दिये जाने के कारणों का उल्लेख कीजिये।

उत्तर प्रारूप-

भूमिका

'प्री-पैक' प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिये।

मुख्य भाग

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को वरीयता दिये जाने के कारणों, जैसे- अर्थव्यवस्था व जी.डी.पी. में इसके योगदान, प्रमुख रोज़गार प्रदाता क्षेत्र व निर्यात में मुख्य योगदान के कारण इस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता तथा एम.एस.एम.ई. की देनदारियों के पुनर्गठन के उद्देश्यों की चर्चा करें।

निष्कर्ष

प्री-पैक समाधान से होने वाले लाभों, जैसे- समाधान प्रक्रिया में समय की बचत, मुकदमेबाजी के समय में कमी आदि का उल्लेख करते हुए संतुलित निष्कर्ष लिखें।

13. संज्ञानात्मक हैकिंग से आप क्या समझते हैं? इसके लिये उत्तरदायी कारकों का उल्लेख करते हुए इससे निपटने के उपायों की चर्चा कीजिये।

उत्तर प्रारूप-

भूमिका

संज्ञानात्मक हैकिंग को संक्षेप में स्पष्ट कीजिये और कैपिटॉल हिल की घटना, 5जी टावरों को जलाने जैसे उदाहरणों का उल्लेख कीजिये।

मुख्य भाग

- **मूलभूत कारण :** इसके अंतर्गत तथ्यों की जाँच व परख का अभाव, समाज के बुनियादी ढाँचे का प्रभावित होना, गोपनीयता व सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों पर हमला तथा धार्मिक सहिष्णुता में होने वाली कमी की चर्चा करें।
- **निपटने के उपाय :** इसके तहत भावनात्मक बुद्धिमत्ता का उपयोग (जैसे- विचारों में सामंजस्य, अंत:करण की प्रासंगिकता, तार्किकता का विकास), कृत्रिम बुद्धिमत्ता का बेहतर उपयोग व तथ्यों की जाँच-परख व संयम का उल्लेख कीजिये।

निष्कर्ष

इस दिशा में किये जा रहे सरकारी प्रयासों का उल्लेख करते हुए निष्कर्ष लिखें।

14. कोविड-19 से भारतीय अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान को कम करने में कृषि व संबद्ध क्षेत्र अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। विवेचना कीजिये।

उत्तर प्रारूप-

भूमिका

आवश्यक आँकड़ों के साथ महामारी और लॉकडाउन के दौरान जी.डी.पी., रोज़गार और राष्ट्रीय आय में कृषि व संबद्ध क्षेत्र के योगदान की चर्चा करें।

मुख्य भाग

कृषि व संबद्ध का विभिन्न क्षेत्रों में योगदान, जैसे- आजीविका, खाद्य सुरक्षा, औद्योगिक विकास, वाणिज्यिक उत्पादन (डेयरी, मत्स्य आदि), सामाजिक-आर्थिक विकास और सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व इत्यादि की चर्चा करें।

निष्कर्ष

महामारी के दौरान सेवा, विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ने जबकि कृषि क्षेत्र के बेहतर परिणाम और इसमें धनात्मक वृद्धि का उल्लेख करते हुए संतुलित निष्कर्ष लिखें।

संस्कृति करेंट अफेयर्स

घर बैठे मँगवाएँ हमारी पत्रिका

नीचे दिये गए खाता संख्या/यू.पी.आई. क्यू.आर. कोड पर जाकर पत्रिका के लिये ऑनलाइन भुगतान करें।

सदस्यता शुल्क

कुल मूल्य	अर्द्धवार्षिक	वार्षिक	द्विवार्षिक
पंजीकृत डाक/कूरियर सेवा के साथ (जी.एस.टी. सहित)	₹780	₹1440	₹2880

Account Holder Name: Sanskriti IAS

A/c No: 033105005525

Account Type: Current

IFSC Code: ICIC0000331

Branch: ICICI Bank, Ashok Vihar

QR Code for Payment Detail

अधिक जानकारी के लिये संपर्क करें
www.sanskritiIAS.com

भुगतान करने के पश्चात् कृपया भुगतान विविरण दिये गए मोबाइल नंबर **7428 085 757 / 58** पर भेजें।

नोट: सदस्यता शुल्क प्राप्त होने के बाद पत्रिका आपके बताए पते पर प्रत्येक महीने की 7 तारीख तक डिस्पैच कर दी जाएगी।

सदस्यता कूपन

कृपया मुझे छमाही ☐/वार्षिक ☐/द्विवार्षिक ☐ प्लान के तहत संस्कृति करेंट अफेयर्स पत्रिका भेजें।

नाम (अंग्रेज़ी के बड़े अक्षरों में) .....

पता : .....

..... ज़िला ..... पिन .....

ई-मेल..... मोबाइल नं. .....

ट्रांज़ेक्शन नं. .....दिनांक .....

संस्कृति IAS
The Complete Administrative Culture

अखिल मूर्ति के निर्देशन में

ऑनलाइन वीडियो कोर्स

सामान्य अध्ययन
प्रिलिम्स कोर्स

GS (PT & Mains)
Ques-Ans. Discussion Course

वैकल्पिक विषय
भूगोल
द्वारा - कुमार गौरव

वैकल्पिक विषय
इतिहास
द्वारा - अखिल मूर्ति

नोट

नोट्स की गुणवत्ता एवं डेमो क्लास देखने के लिये गूगल प्ले स्टोर से SANSKRITI IAS का एप डाउनलोड करें

श्री अखिल मूर्ति इतिहास कला एवं संस्कृति	**श्री अमित कुमार सिंह** (IGNITED MINDS) एथिक्स	**श्री ए.के. अरुण** भारतीय अर्थव्यवस्था	**श्री सीबीपी श्रीवास्तव** (DISCOVERY IAS) राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय गवर्नेंस, आंतरिक सुरक्षा
श्री कुमार गौरव भूगोल, पर्यावरण आपदा प्रबंधन	**श्री राजेश मिश्रा** भारतीय राजव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय संबंध	**श्री रीतेश आर जायसवाल** सामान्य विज्ञान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	**श्री विकास रंजन** (TRIUMPH IAS) सामाजिक मुद्दे

ऑनलाइन वीडियो कोर्स की महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ

- 500 से अधिक घंटों की कक्षाएँ
- 24×7 क्लास एक्सेस, कभी भी कहीं से भी
- विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर परिचर्चा
- अद्यतन एवं विस्तृत पाठ्य सामग्री कोरियर द्वारा आपके पास भेजी जाएगी
- प्रत्येक माह करेंट अफेयर्स मैगज़ीन पी.डी.एफ. फॉर्मेट में
- प्रत्येक वीडियो को जी.एस. में 4 बार और वैकल्पिक विषय में 3 बार देखने की सुविधा
- नियमित क्लास टेस्ट
- वीडियो कोर्स में वही अध्यापक पढ़ाएँगे जो दिल्ली केंद्र पर ऑफलाइन कक्षा कार्यक्रम में पढ़ाते हैं

पता: 631, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009 | सम्पर्क करें: 7428085757/58 या मिस्ड-कॉल करें: 9555-124-124
Website: www.sanskritiIAS.com | Follows us on: YouTube

संस्कृति IAS
The Complete Administrative Culture

टीम वही, कोचिंग नई

अखिल मूर्ति के निर्देशन में

एडमिशन लेने से पहले जान लें कि आपको कौन पढ़ाएगा!

शिक्षक, जो सुनिश्चित करेंगे आपकी सफलता

सामान्य अध्ययन

श्री अखिल मूर्ति
इतिहास
कला एवं संस्कृति

श्री अमित कुमार सिंह
(IGNITED MINDS)
एथिक्स

श्री ए.के. अरुण
भारतीय अर्थव्यवस्था

श्री सीबीपी श्रीवास्तव
(DISCOVERY IAS)
राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय
गवर्नेंस, आंतरिक सुरक्षा

श्री कुमार गौरव
भूगोल, पर्यावरण
आपदा प्रबंधन

श्री राजेश मिश्रा
भारतीय राजव्यवस्था
अंतर्राष्ट्रीय संबंध

श्री रीतेश आर जायसवाल
सामान्य विज्ञान
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

श्री विकास रंजन
(TRIUMPH IAS)
सामाजिक मुद्दे

वैकल्पिक विषय

इतिहास
द्वारा –
अखिल मूर्ति

भूगोल
द्वारा –
कुमार गौरव

राजनीति विज्ञान
द्वारा –
राजेश मिश्रा

7428085757
7428085758

मिस्ड-कॉल करें:
9555-124-124

Website: www.sanskritiIAS.com
Follows us on: YouTube

631, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009